

प्रखर
रुपांतरण

सतत
विकास

TRANSFORMING
AGGRESSIVELY

PERFORMING
PROGRESSIVELY



वार्षिक रिपोर्ट 2016-17
ANNUAL REPORT

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India
Good people to bank with

कैशलेस से भुगतान बना आसान

केवल डिजिटल !

U Mobile
Banking

Union Bank
of India
UPI
UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

आसान, त्वरित, 24x7 बैंकिंग सभी डिवाइसों के लिए एक बैंकिंग एप

Union Bank
of India
***99#**

DigiPurse
Digital Wallet

Debit / Credit Card

यूएसएसडी एसएमएस बैंकिंग

स्मार्ट मोबाइल वॉलेट पर आसान, त्वरित,
सुविधाजनक बैंकिंग

डेबिट / क्रेडिट कार्ड

डिजिटल भारत का डिजिटल बैंक

इनके साथ जुड़ने का गर्व



यूनियन बैंक
ऑफ़ इंडिया

अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India

Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India



हेल्पलाइन नं.: 1800 22 2244 / 1800 208 2244 (टोल फ्री नं.) | 080 2530 0175 (प्रभारीय) +91 80 2530 2510 (एनआरआई के लिए) www.unionbankofindia.co.in

हमसे जुड़े रहें [f @UnionBankOfficial](https://www.facebook.com/UnionBankOfficial) [@UnionBankTweets](https://twitter.com/UnionBankTweets) [@UnionBankInsta](https://www.instagram.com/UnionBankInsta) [YouTube UnionBankofIndiaUtube](https://www.youtube.com/UnionBankofIndiaUtube)

विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक मंडल	03
वर्ष 2015-16 की प्रमुख बातें	13
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	15
सूचना	17
निदेशकों की रिपोर्ट	24
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	29
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	45
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	74
तुलन-पत्र	76
लाभ एवं हानि लेखा	77
अनुसूचियां 1 से 18	78
नकदी प्रवाह विवरण	118
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	120
समेकित तुलन-पत्र	122
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	123
समेकित अनुसूचियां 1 से 18	124
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	146
जोखिम प्रबंधन	148
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2015-16	149
लाभांश अधिदेश फॉर्म	319
प्रोक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')	321
हरित पहल - शेयर धारकों से अपील	323

CONTENTS

	Page
Board of Directors	03
Highlights of 2015-16	14
Key Financial Indicators	167
Notice	169
Directors' Report	177
Management Discussion and Analysis	182
Corporate Governance Report	201
Independent Auditors Report	230
Balance Sheet	232
Profit & Loss Account	233
Schedules 1 to 18	234
Cash Flow Statement	270
Independent Auditors Report	272
Consolidated Balance Sheet	274
Consolidated Profit & Loss Account	275
Consolidated Schedules 1 to 18	276
Consolidated Cash Flow Statement	297
Risk Management	299
Business Responsibility Report 2015-16	300
Dividend Mandate Form	320
Proxy Form (Form 'B')	322
Green Initiative - Appeal to Shareholders	323

प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

निवेशक सेवायें प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट क्र. बी- 5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम. आई. डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

Registrar & Share Transfer Agent

Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai-400 093.

लेखा परीक्षक AUDITORS

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार

FOR G P KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते एस भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

FOR S BHANDARI & CO,
CHARTERED ACCOUNTANTS

BOARD OF DIRECTORS



श्री अरुण तिवारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Arun Tiwari
Chairman &
Managing Director

श्री अरुण तिवारी 26 दिसम्बर, 2013 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। श्री तिवारी एक पेशेवर बैंकर हैं और आपने अपने दो कार्यकाल विदेश में पूरे किए हैं। व्यक्तित्व विकास एवं डिजिटल नवोन्मेष को विशेष महत्व देने वाले श्री तिवारी वर्तमान में भारत के प्रमुख डिजिटल उन्मुख रिटेल बैंक की परिवर्तनकारी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं।

आपने ऐसे समय में यूनियन बैंक की बागडोर संभाली, जब पूरा देश परिवर्तन के लिए तैयार था और बैंकिंग क्षेत्र गहरे तनाव से गुजर रहा था। श्री तिवारी का अपनी टीम को प्रथम संदेश था: 'दक्षता को अपना लक्ष्य बनाएं, अपने कार्य को अधिक से अधिक उत्पादक बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें और बैंक के शताब्दी वर्ष 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे कुशल बैंक बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके संदेश में निहित कुछ बदलावों में आस्ति पोर्टफोलियो का समुचित संतुलन कर इसे रिटेल, कृषि एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), जिसे रैम कहा जाता है, के पक्ष में करना था, जो कम पूंजी खपत वाले क्षेत्र हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि मार्च 2017 तक बैंक का आधे से अधिक ऋण पोर्टफोलियो रैम क्षेत्र में आ गया और घरेलू ऋण संमिश्र में 14 प्रतिशत पॉइंट्स की वृद्धि अर्जित की गई। इसके अतिरिक्त, निम्न लागत देयताओं के शेयर में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी ने युवा एवं महत्वाकांक्षी भारतीयों के लिए बैंक को सही अर्थों में एक वित्तीय केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित किया है।

एक रिटेल बैंक बनाने के लिए किए गए पोर्टफोलियो के पुनः संतुलन से उनकी एचडीआर फ्रेमवर्क रणनीति को बल मिला, जिसका उद्देश्य क) मानव पूंजी, ख) डिजिटल बैंकिंग एवं ग) जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों को सुदृढ़ करना है। हाल के वर्षों में हमारे बैंक ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष पहल के अंतर्गत अनेक बदलाव किए हैं। यूनियन बैंक अब एक युवा एवं लैंगिक विविधता वाला बैंक है। यहाँ एक ओर जहां अधिकारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, वहीं कुल कर्मचारियों में एक चौथाई महिला कर्मचारी भी हैं। आपका फोकस विस्तृत प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से संस्थागत क्षमता का विकास करना रहा है। आपकी निगरानी में बैंक ने, विशेष रूप से नव नियुक्तों को विपणन, डिजिटल और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने पर निवेश किया है। इसके सकारात्मक परिणाम बैंक को सभी स्तरों पर डिजिटल समझ एवं जोखिम के प्रति संवेदनशीलता में परिलक्षित होते हैं। हाल ही में टिवटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर अपनी मौजूदगी से बैंक ने अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाई है।

भारत सरकार द्वारा इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में जून 2012 में नियुक्ति के पूर्व आप तीन दशकों से अधिक समय तक बैंक ऑफ बड़ौदा में रहे, जहां आप महाप्रबंधक स्तर तक पहुंचे। आप इलाहाबाद बैंक फाइनेंस लि. के बोर्ड के निदेशक रहे एवं अभी हाल तक जनरल इश्योरंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी आरई) के बोर्ड में पदेन निदेशक भी रहे।

वर्तमान में श्री तिवारी यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड के गैर कार्यपालक-निदेशक एवं अध्यक्ष, स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक और बैंक के ओवरसीज़ सहायक अर्थात् यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। आप दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के पदेन निदेशक और ईसीजीसी लिमिटेड के एक नामित निदेशक भी हैं।

श्री अरुण तिवारी आईबीए के उपाध्यक्ष एवं जोखिम प्रबंधन एवं बासल कार्यान्वयन की स्थायी समिति के अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा गठित नाबार्ड के "वित्तीय समावेशन कोष" के सलाहकारी बोर्ड के सदस्य, काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मुंबई के सदस्य, उच्च स्तरीय गैर निष्पादक ऋणों से संबंधित मामलों के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सदस्य, फिक्की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। श्री तिवारी यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

जिज्ञासु पाठक तथा सतत ज्ञानार्जक श्री तिवारी ने आर्थर डी' लिटिल (बोस्टन), केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी (शिकागो), इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, आईआईटी मुंबई, एनआईबीएम, पुणे आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री तिवारी ने विश्व बैंक के तत्वावधान में भारत में निर्यातोन्मुखी लघु स्तरीय उद्योगों के लिए यूएसए तथा यूरोप में अध्ययन कार्य किया। श्री तिवारी उद्योग जगत एवं युवा पीढ़ी के बीच एक आदर्श प्रेरक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं।

Shri Arun Tiwari is the Chairman and Managing Director of Union Bank of India since December 26, 2013. A career banker with two stints overseas, and having passion for people development & digital deepening, Shri Tiwari has been spearheading a transformational journey at India's promising digital-savvy retail bank.

He joined Union Bank at a time when entire country was bracing for a change and banking sector was in midst of a deep stress. Shri Tiwari's first message to his team was: 'Aim for efficiency, Aspire for being more productive in whatever pursuits we have, and thus Achieve the Goal of becoming most efficient public sector bank by our Centenary Year, 2019'. A few changes outlined in his message included deliberate re-balancing of assets portfolio in favour of well-diversified and capital-light Retail, Agriculture, and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), together he termed as 'RAM' strategy. It is no surprise that more than half of loan-book of the Bank is under RAM sectors as of March 2017, a gain of 14 percentage points in domestic loan pie. Added to this, six percentage gain in low-cost liability share has made the Bank truly a retail financial hub for young & aspirational Indians.

His approach of portfolio rebalancing towards building a retail bank was supported by yet another strategy, which he named HDR framework that focused on building strengths in the areas of a) Human Capital, b) Digital Banking, and, c) Risk Management. The Bank has witnessed great shifts over recent years under Project Utkarsh initiatives, a brainchild of his. Union Bank has become younger and a gender diverse institution. Average age of officers is 37 years while women staffs make a quarter of workforce. His focus has been on building organisational capabilities through extensive training and experiential learning. Under his watch, the Bank has specially invested in skilling young recruits in areas of marketing, digital and risk management. It has yielded results with the Bank taking leadership in digital deepening, and risk sensitivity across the rank & file. With recent presence on Twitter, Facebook, Instagram & YouTube, Union Bank has further added to its brand value.

He was with Bank of Baroda for over three decades where he rose up to level of General Manager before being appointed by the Government of India as Executive Director in Allahabad Bank in June 2012. He was Director on the Board of AllBank Finance Ltd. and till very recently Ex-Officio Director on the Board of General Insurance Corporation of India (GIC Re).

Presently, Shri Tiwari is a Non-Executive Director & Chairman of Union Asset Management Company Pvt. Limited, Director on the Board of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, Chairman of Bank's overseas subsidiary i.e. Union Bank of India (UK) Ltd. He is also Ex-Officio Director on the Board of the New India Assurance Company Ltd. and a Nominee Director of ECGC Ltd.

Shri Arun Tiwari is the Deputy Chairman of IBA and also chairman of Standing Committee on Risk Management and Basel Implementation, Member of Advisory Board of "Financial Inclusion Fund" of NABARD constituted by Govt. of India, a Member of Governing Council of Indian Institute of Banking & Finance, Mumbai, a Member of the Committee constituted by the Govt of India, Ministry of Finance to look into the issues of High Level of Non Performing Loans, Chairman of FICCI Banking and Financial Institution committee. Shri Tiwari is also the Chairman of the Board of Trustee of Union Bank Social Foundation Trust.

Well-read, yet a continuous learner, Shri Tiwari has received training at prestigious institutions, like Arthur D'Little (Boston), Kellogg School of Management, Northwestern University (Chicago), Indian School of Business, IIT-Mumbai, NIBM (Pune) etc. Shri Tiwari earlier did a study assignment in the USA and Europe for export-oriented Small Scale Industries in India under aegis of the World Bank. No wonder, Shri Tiwari is a much in-demand thought speaker at industry forums and amongst young minds.



श्री विनोद कथूरिया
कार्यपालक निदेशक

Shri Vinod Kathuria
Executive Director

श्री विनोद कथूरिया ने 22 जनवरी, 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री विनोद कथूरिया दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि धारक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। 1983 में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्य ग्रहण किया था और बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं का इन्हें 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है।

पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान श्री कथूरिया 2 वर्षों से अधिक समय तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मुंबई में ट्रेजरी प्रभाग के प्रमुख भी रहे हैं। कॉर्पोरेट क्रेडिट में उन्हें लगभग तीन दशकों का व्यापक अनुभव है। यूनियन बैंक में पदभार संभालने से पूर्व श्री कथूरिया पंजाब नेशनल बैंक के आगरा अंचल के प्रमुख रहे, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य क्षेत्र को कवर करता है।

ट्रेजरी एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट के क्षेत्र में श्री कथूरिया की योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के गठन का कार्य सौंपा था, जिसमें वे कोर मैनेजमेंट टीम के सदस्य थे। इसी प्रकार श्री कथूरिया वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार द्वारा बासल III मानदंडों के अंतर्गत गठित टीयर-1 पर्येचुअल बांड्स समिति के सदस्य भी थे। विपणन परिचालनों में दक्षता के कारण श्री कथूरिया ने एमसीएक्स-एसएक्स बोर्ड के कार्यों के प्रबंधन हेतु सेबी द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

वे प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड में निदेशक, इंडिया फैक्टरिंग एण्ड फाइनेंस सॉल्यूशन प्रा. लि. में नामित निदेशक और पीएनबी इश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं।

वर्तमान में श्री कथूरिया यूनियन बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी यथा यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लि. (पहले यूनियन के.बी.सी. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) के गैर- कार्यपालक निदेशक हैं।

Shri Vinod Kathuria has joined Union Bank of India as an Executive Director on January 22, 2016.

Shri Vinod Kathuria is Masters in Commerce from Delhi University and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He joined Punjab National Bank as a Management Trainee in 1983 and has gained vast experience spanning over more than 32 years in various facets of Banking.

During his tenure at Punjab National Bank, Shri Kathuria headed the Treasury Division at Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai for 2 years plus. His exposure of Corporate Credit is almost of three decades. Before joining Union Bank of India, Shri Kathuria headed the Agra Zone of Punjab National Bank which covers the Central part of Uttar Pradesh State.

With knowledge and experience gained by Shri Kathuria in the field of Treasury and Corporate Credit, he was entrusted the assignment of formation of Bhartiya Mahila Bank by the Ministry of Finance (MoF) wherein he was member of the Core Management Team. Similarly, Shri Kathuria was also member of the Committee of Tier I Perpetual Bonds under Basel III Norms, the initiative taken by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF), Government of India. Having niche in market operations, Shri Kathuria also served as the member of the Committee formed by SEBI overseeing working of the Board of MCX-SX.

He was a Director on the Board of Principal Trustee Co. Pvt. Ltd., a Nominee Director on the Board of India Factoring and Finance Solutions Private Ltd. and Managing Director of PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.

Presently, Shri Kathuria is a Non-Executive Director of Union Asset Management Co. Pvt. Ltd. (formerly Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd.), an Asset Management Company of the Bank.



श्री राज कमल वर्मा
कार्यपालक निदेशक

Shri Raj Kamal Verma
Executive Director



श्री अतुल कुमार गोयल
कार्यपालक निदेशक

Shri Atul Kumar Goel
Executive Director

श्री राज कमल वर्मा 9 अगस्त, 2016 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक हैं।

श्री राज कमल वर्मा कला में स्नातक (ऑनर्स) हैं और भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। उन्होंने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत 1981 में बैंक ऑफ इंडिया से की तथा बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही परिचालनों का उन्हें 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उन्होंने शाखा प्रमुख, ऋण विभाग प्रमुख एवं अंचल प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय में वे निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, श्री वर्मा सितम्बर, 2012 से अक्टूबर, 2015 तक केन्या में समुद्रपारीय कारोबार के मुख्य कार्यपालक भी रहे हैं।

वर्तमान में कार्यपालक निदेशक के रूप में वे बैंक के प्रमुख कार्य- क्षेत्रों यथा एमएसएमई एवं ऋण नीति, वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन, केंद्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण, कॉर्पोरेट समूह, डिजिटल बैंकिंग, कार्मिक व मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं।

श्री वर्मा को संगीत, अध्ययन व खेलकूद में विशेष रुचि है। उनके नेतृत्व का तरीका है टीम भावना पर बल, कार्यनिष्पादन को पुरस्कृत करना तथा भविष्य में नेतृत्व करने वालों का मार्गदर्शन करना।

Shri Raj Kamal Verma is Executive Director of Union Bank of India since August 9, 2016.

Shri Raj Kamal Verma is Bachelor of Arts (Hons.) and is a Certified Associate of the Indian Institute of Banking & Finance. He has vast experience of more than 35 years in various facets of Banking, both in domestic and international operations, having started his career with Bank of India in the year 1981. He worked in various capacities including as branch head, credit head and zonal manager. He also headed Inspection & Audit Department of Bank of India at their Head Office. In addition, Shri Verma also had overseas stint at Kenya as Chief Executive from September 2012 to October 2015.

At present as an Executive Director, he is overseeing key functional areas viz. MSME & Credit Policy, Personal Banking & Operations, Central Audit & Inspection, Corporate Communications, Digital Banking, Personnel & Human Resources and Department of Information Technology.

Shri Verma has interest in music, reading and sports. His leadership style is focused on team-spirit, rewarding performance and mentoring future leaders.

श्री अतुल कुमार गोयल ने 15 सितम्बर, 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व वे भारत के सबसे प्राचीन बैंक- इलाहाबाद बैंक में महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) थे।

दिसम्बर, 1964 में जन्मे श्री गोयल वाणिज्य में ससम्मान स्नातक उपाधि धारक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सदस्य हैं। वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं। इलाहाबाद बैंक में सनदी लेखाकार के रूप में 27 मार्च, 1992 को कार्यग्रहण के साथ उन्होंने अपने बैंकिंग जीवन की शुरुआत की।

इलाहाबाद बैंक में अपने चौबीस वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाखाओं, अंचलीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में बैंकिंग परिचालन की प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उस अवधि के दौरान उन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट, विदेशी विनिमय कारोबार और ट्रेजरी का कार्यभार संभाला तथा बैंक के बाजार अंश को बढ़ाने हेतु परिणामोन्मुख प्रयासों को सक्रियता से कार्यान्वित किया। वे इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल के प्रमुख भी रहे हैं।

इलाहाबाद बैंक में महाप्रबंधक और सीएफओ के रूप में उन्होंने वित्त एवं लेखा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी एवं संयुक्त उद्यम पोर्टफोलियो को बखूबी संभाला। वे इलाहाबाद बैंक की अनुषंगी इकाई ऑल बैंक फ़ाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी रहे हैं।

श्री गोयल आईबीए की टैक्सेशन समिति के सदस्य हैं तथा एनआईबीएम पुणे, आईएमटी दिल्ली द्वारा संचालित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन्होंने सहभागिता की है। इसके अतिरिक्त सीएएफआरएएल के तत्वावधान में विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

Shri Atul Kumar Goel assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on September 15, 2016. Prior to his elevation as Executive Director he was General Manager and Chief Financial Officer (CFO) at India's oldest Bank, Allahabad Bank.

Born in December 1964, Shri Goel holds a Bachelor Degree with Honours in Commerce and member of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). His career in Banking began when he joined Allahabad bank as Chartered Accountant on March 27, 1992.

His twenty four years of service in Allahabad Bank saw him rise in his career with key responsibilities held in Branches, Zonal Office and Head Office covering a vast spectrum of banking operations. During that period he handled Corporate Credit, Foreign Exchange Business and Treasury & take proactive result oriented measures to garner market share. He also headed the Mumbai Zone of Allahabad Bank.

As a General Manager & CFO of Allahabad Bank his portfolio included Finance & Accounts, International Banking, Treasury & Joint Venture. He was also a Director on the Board of All Bank Finance Limited, a subsidiary of Allahabad Bank.

Shri Goel is a member of Taxation Committee of IBA and has attended prestigious training programme conducted by NIBM Pune, IMT Delhi. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.



डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा
सरकार द्वारा नामित
निदेशक

Dr. Madnesh Kumar Mishra
Government Nominee
Director

51 वर्षीय डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं तथा 22 जुलाई, 2016 से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से संस्थागत व्यवहार (ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर) में पीएचडी तथा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है।

डॉ. मिश्रा 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं। उन्होंने आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में सेंट्रल स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया है। वे भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के प्रथम मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मांट्रियल में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के संस्थापक सदस्य तथा हैदराबाद में क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणन एवं सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। शोध छात्र के रूप में योग, समत्व, मनोदशा, संस्था में निर्णयन क्षमता और संस्थागत सृजनात्मकता में विकृति आदि विषयों पर सेमिनार में वे 9 पर्चे प्रस्तुत कर चुके हैं। भारतीय वेद और बुद्धिमत्ता के परिप्रेक्ष्य में वे संगठन एवं मानव व्यवहार के प्रशिक्षक हैं।

Dr. Madnesh Kumar Mishra aged 51 years is a Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and has been appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. July 22, 2016. He has done Ph.D. in Organisational Behaviour from XLRI, Jamshedpur and B.Tech in Production Engineering.

Dr. Mishra is an officer of Indian Revenue Service (IRS) belonging to 1990 batch. He has worked in various capacities in Income Tax Department and on deputation in Ministry of Youth affairs and Sports as Executive Director of Sports Authority of India under Central Staffing Scheme. He was the first Chief Executive Officer of National Dope Testing Lab of Sports Authority of India, founding member of World Anti-Doping Agency representing India at Montreal, member of Regional Film Certification & Sensor Board at Hyderabad. As a Research Scholar, he has presented 9 papers in Seminars on topics related to Yoga, Samatva, Mindfulness, Distortion in sense making in Organization and Organisational Creativity. He is trainer in Organization and Human Behavior from the perspective of Indian Scriptures and Wisdom.



श्री अनिल कुमार मिश्रा
भारिबैं द्वारा नामित निदेशक

Shri Anil Kumar Misra
RBI Nominee Director

केंद्रीय बैंकर के रूप में अपना कैरियर आरंभ करने वाले तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में मुख्य महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार मिश्रा का लगभग 3 दशकों का वित्तीय क्षेत्र का अंतर-कार्यात्मक अनुभव है, जिसमें भारतीय बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग ऋण मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियम एवं पर्यवेक्षण संबंधी अनुभव विशेष उल्लेखनीय है।

इनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों में आरबीआई की ओर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफएसबी) में साढ़े चार वर्ष की प्रतिनियुक्ति भी शामिल है, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बासेल, स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित थी। एफएसबी (जो जी-20 की वित्तीय नियंत्रक इकाई है और वैश्विक वित्तीय स्थिरता के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण कार्य के समन्वयन में इसकी जी-20 अधिदेशित विशेष भूमिका है) के सचिवालय सदस्य के रूप में उन्हें अनेक वैश्विक प्रणालीगत मामलों के एक्सपोजर के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रगत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों के मूल्यांकन व उन्हें सुलझाने का अवसर मिला। वे 65 से अधिक देशों में स्थित 6 विश्वस्तरीय सलाहकार समूहों के माध्यम से एफएसबी आउटरीच स्ट्रेटजी के जरिये वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जी-20 द्वारा समर्थित प्रमुख वैश्विक पहलों के प्रसार में बारीकी से सम्मिलित थे। इन्होंने एफएसबी की जी-20 आदेशित गवर्नेंस सुधार प्रक्रिया को तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर हैं।

As a career central banker, Shri Anil Kumar Misra a Chief General Manager with the Reserve Bank of India (RBI), Central Office, Mumbai, has over three decades of cross-functional financial-sector experience, with significant exposure to regulation and supervision of the Indian banking and non-banking credit intermediaries.

His international experience includes four-and-a-half years' secondment from the RBI to the Financial Stability Board (FSB), hosted by the Bank for International Settlements, Basel, Switzerland. As a Member of Secretariat of the FSB (which is the financial-regulatory arm of the G20 and has a unique G20-mandated role in coordinating the work of the international standard setters for promoting global financial stability), he gained rich exposure to a range of global systemic issues and the evolution of various cross-sectoral International Financial Standards to address them. He was closely involved in disseminating the major G20-endorsed, global initiatives for financial sector reforms through the FSB's outreach strategy via its world-wide six Regional Consultative Groups, comprising over 65 countries. He also made critical contribution to evolving and implementing the G20-mandated governance reforms of the FSB, which led to structural changes in the FSB.

He holds Master's degrees in Business Management (Banaras Hindu University) and in Public Administration (Harvard University, USA).



डॉ. के. रमेश
अंशकालिक गैर सरकारी
निदेशक

Dr. K. Ramesha
Part time Non-Official
Director

डॉ. के. रमेश ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एण्ड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय में 4 वर्ष तक प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के पश्चात् 1986 में केरल कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल बैंकिंग में संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया। वर्ष 1996 में उन्होंने राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान में कार्य ग्रहण किया। एनआईबीएम में प्रोफेसर के रूप में डॉ. रमेश स्नातकोत्तर शिक्षण, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और शोध/ परामर्श गतिविधियों में सक्रिय हैं। पुणे विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को बैंकिंग और वित्त में मार्गदर्शन देने के अलावा डॉ. रमेश ने व्यावसायिक जर्नल और विख्यात पत्रिकाओं में सामान्य बैंकिंग, एसएमई वित्त, माइक्रो क्रेडिट/ एसएचजी, को-ऑपरेटिव बैंकिंग और रिटेल वित्त से संबंधित अनेक शोध लेख प्रकाशित किए हैं।

डॉ. रमेश ने एनआईबीएम में डीन, एज्यूकेशन के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वे डीन, शोध के रूप में पदस्थ हैं। उन्होंने बैंकों के लिए अनेक उच्च/ वरिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों की रूपरेखा तैयार कर इनका सफल आयोजन किया है। एनआईबीएम में कार्य ग्रहण करने से पूर्व एवं पश्चात् उन्होंने शोध एवं परामर्शी परियोजनाओं में सहभागिता एवं उनके समन्वय का कार्य किया है। वर्तमान में डॉ. रमेश सदरन इंडियन बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के बोर्ड में कार्यरत हैं।

Dr. K. Ramesha, after serving the Department of Post Graduate Studies and Research in Economics, University of Mysore as a Lecturer for 4 years, joined Kerala Agricultural University as an Assistant Professor in 1986. Subsequently, he worked for National Institute of Rural Banking as a member of faculty. He joined National Institute of Bank Management in 1996. As a Professor at NIBM, Dr. Ramesha is engaged in post graduate teaching, corporate training and research/consulting activities. Apart from guiding Ph.D students of University of Pune in the area of Banking and Finance, Dr. Ramesha has published several research papers in professional journals and reputed magazines mainly in the areas of General Banking, SME Finance, Micro Credit /SHGs, Co-operative Banking and Retail Finance.

Dr. Ramesha has served as Dean – Education in the past and currently serving as Dean – Research at NIBM. He has designed and organised several top/senior level training programmes, workshops and seminars for bankers. He has also participated and coordinated several research/consultancy assignments before and after joining NIBM. Currently, Dr. Ramesha is also serving on the Board of Southern Indian Banks Staff Training College.



**डॉ. रवींद्रराय हर्षदराय
धोलकिया**

शेयरधारक निदेशक

**Dr. Ravindrarai
Harshadrai Dholakia**
Shareholder Director

अहमदाबाद निवासी 64 वर्षीय, डॉ. धोलकिया आईआईएम अहमदाबाद में अर्थशास्त्र एवं पब्लिक सिस्टम के प्रोफेसर हैं और उन्हें 40 वर्षों का अनुभव है। वे मास्टर ऑफ आर्ट्स (गोल्ड मेडलिस्ट), पीएचडी अर्थशास्त्र (एमएसयू बड़ौदा) तथा पोस्ट- डॉक्टोरल फेलो (यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो) हैं।

वे अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं।

वे छठें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे तथा भारत सरकार एवं गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में उन्होंने विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य किया है। उन्होंने आर्थिक विकास एवं नीति के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें, विनिबंध एवं शोध पत्र प्रकाशित किये हैं।

Dr. Ravindrarai Harshadrai Dholakia from Ahmedabad aged 64 years is a Professor of Economics and Public Systems in IIM Ahmedabad and has 40 years of experience. He is Master of Arts (Gold Medalist), Ph.D. in Economics (MSU, Baroda) and Post-Doctoral Fellow (Univ. of Toronto).

He is a Director on the Boards of Adani Transmission Limited and Gujarat State Petroleum Corporation Limited.

He was a Member of the Sixth Central Pay Commission and has worked as an expert Member on numerous High Powered Committees appointed by the Government of India and State Government of Gujarat. He has published several books, monographs and research papers in the field of Economic Development and Policies.



श्री गोपाल कृष्ण लाठ
शेयरधारक निदेशक

**Shri Gopal Krishan
Lath**
Shareholder Director

लखनऊ निवासी 64 वर्षीय श्री लाठ लखनऊ विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक सहित वाणिज्य में स्नातक हैं तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रैक्टिस का उन्हें 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे 30 वर्षों से अधिक समय से मेसर्स ए. सचदेव एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लखनऊ के वरिष्ठ प्रबंध भागीदार हैं।

श्री लाठ आईसीएआई द्वारा "पीअर रिव्यू" के पैनल में नामित हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आईसीएआई विनियमों के अनुरूप विभिन्न सीए फर्मों की समकक्ष समीक्षा की है। बैंकिंग उद्योग की लेखापरीक्षा के व्यापक अनुभव के अतिरिक्त उन्होंने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कई निगमों, बीमा कंपनियों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी विभागों एवं विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा एवं अन्य कार्य किया है।

श्री लाठ "श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार" द्वारा नामित "स्थायी त्रिपक्षीय समिति" तथा न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री बोर्ड के भी सदस्य थे।

उत्तर प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस निर्धारण के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में भी उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया गया था।



डॉ. उत्तम कुमार सरकार
शेयरधारक निदेशक

Dr. Uttam Kumar Sarkar
Shareholder Director

Shri Gopal Krishan Lath from Lucknow aged 64 years is a commerce graduate with gold medal from Lucknow University and is a practicing Chartered Accountant with more than 40 years of experience. He is a senior managing partner of M/s. A. Sachdev & Co., Chartered Accountants, Lucknow since more than 30 years.

Shri Lath is in the panel of “Peer Reviewers” nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, local bodies, central cooperative societies, government departments and several World Bank aided projects.

Shri Lath was also a member of the “Standing Tripartite Committee” and “Minimum Wages Advisory Board” nominated by the “Ministry of Labour and Employment, Government of India”.

He was also nominated by the Government of UP in the High Powered Committee constituted for fixation of fees of private engineering colleges in U.P.

डॉ. उत्तम कुमार सरकार ने आईआईटी खड़गपुर से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में अपनी बी. टेक, एम.टेक तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एक बहुराष्ट्रीय डिजाइन आटोमेशन कंपनी में उच्च पद पर तथा आईआईटी दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के उपरान्त वर्ष 1997 से वे आईआईएम कलकत्ता में कार्यरत हैं, जहां वर्तमान में वे मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम ग्रुप में प्रोफेसर तथा न्यू इनिशिएटिव्स एण्ड एक्सटर्नल रिलेशंस के डीन भी हैं। उन्होंने 4 वर्ष तक फ्लोरिडा, यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य किया। उनकी मूल अध्यापन रुचियों में डाटा माइनिंग तथा बिजनेस एनालिटिक्स शामिल हैं। उनके शोध पत्र कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तथा आटोमेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के कई परामर्शी उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है।

Dr. Uttam Kumar Sarkar did his B.Tech, M.Tech, and Ph.D. in the Department of Computer Science and Engineering of IIT Kharagpur. Having served a Design Automation Multinational Industry in a senior position and IIT Delhi as an Assistant Professor, he is with IIM Calcutta since 1997 where he is presently a Professor in Management Information System Group and also the Dean of New Initiatives and External Relations. He had spent four years as a visiting faculty in a University in Florida, USA. His primary teaching interests include data mining and business analytics. His research publications appeared in major international journals and he carried consulting assignments for the Government of India in areas including education, food processing, agriculture and automation.

महा प्रबंधक - GENERAL MANAGER

1	श्री पंकज शर्मा	Shri Pankaj Sharma
2	श्रीमती रेखा पी नायक	Smt Rekha P Nayak
3	श्री आर के चौधरी	Shri R K Choudhary
4	श्री जी आर पाडलकर	Shri G R Padalkar
5	श्री एल डी रेवतकर	Shri L D Rewatkar
6	श्री ए के दीक्षित	Shri A K Dixit
7	श्री डी डी मिस्त्री	Shri D D Mistry
8	श्री पी सी पाणिग्रही	Shri P C Panigrahi
9	श्री आर कंडासामी	Shri R kandasamy
10	श्री संजय शर्मा	Shri Sanjay Sharma
11	श्री वी वी शेनाय	Shri V V Shenoy
12	श्री आर आर मोहंती	Shri R R Mohanty
13	श्री एच एन सक्सेना	Shri H N Saxena
14	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt Monika Kalia
15	श्री पी आर राजगोपाल	Shri P R Rajagopal
16	श्री वी पी उसारिया	Shri V P Usharia
17	श्री आर रामनाथन	Shri R Ramanathan
18	श्री एस के महापात्रा	Shri S K Mohapatra
19	श्री ब्रजेश्वर शर्मा	Shri Brajeshwar Sharma
20	श्री लाल सिंह	Shri Lal Singh
21	श्री डी सी चौहान	Shri D C Chauhan
22	श्री एस एन कौशिक	Shri S N Kaushik
23	श्री के एल राजू	Shri K L Raju
24	श्री पी के साहा	Shri P K Saha
25	श्री केशव बैजल	Shri Keshav Baijal
26	श्री आई ए खान	Shri I A Khan
27	श्री के पी आचार्य	Shri K P Acharya
28	श्री ए के सिंह	Shri A K Singh
29	श्री एम वेंकटेश	Shri M Venkatesh
30	श्री रवि कुमार गुप्ता	Shri Ravi Kumar Gupta
31	श्री सी एस सुलगंटे	Shri C S Sulgante

उप महा प्रबंधक - Dy. GENERAL MANAGER

1	श्री एस एच कंथारिया	Shri S H Kantharia	49	श्री आशीष पांडे	Shri Asheesh Pandey
2	श्री अनिल कुरील	Shri Anil Kuril	50	श्री एन आर सामल	Shri N R Samal
3	श्री वी एम काथवटे	Shri V M Kathavate	51	श्री जगमोहन सिंह	Shri Jagmohan Singh
4	श्री डी शिवगुरु	Shri D Sivaguru	52	श्री एस के गर्ग	Shri S K Garg
5	श्री नितेश रंजन	Shri Nitesh Ranjan	53	श्री आशुतोष कुमार शर्मा	Shri Ashutosh Kumar Sharma
6	श्री आर पी वायकुल	Shri R P Waykul	54	श्री एच सी मित्तल	Shri H C Mittal
7	श्री बी एस नागेन्द्र नाथ	Shri B S Nagendra Nath	55	श्रीमती सुचित्रा के नारकर	Smt Suchitra K Narkar
8	श्री सी आर पात्रा	Shri C R Patra	56	श्री पी के दास	Shri P K Das
9	श्री ए कृष्णास्वामी	Shri A Krishnaswamy	57	श्री डी बी कांबले	Shri D B Kambale
10	श्री डी ए कामत	Shri D A Kamath	58	श्री एस के सिंह	Shri S K Singh
11	श्री आर के कश्यप	Shri R K Kashyap	59	श्री आई पी यादव	Shri I P Yadav
12	श्री वी के श्रीवास्तव	Shri V K Srivastava	60	श्री एस दिलीप	Shri S Dilip
13	श्री डी के नायक	Shri D K Naik	61	श्री सी एम मिनोचा	Shri C M Minocha
14	श्री आर एस बंसल	Shri R S Bansal	62	श्री एन नारायणसेकर	Shri N Narayanasaker
15	श्री वी वी टेंभूर्णे	Shri V V Tembhurne	63	श्री अभिजीत बसाक	Shri Abhijit Basak
16	श्री एन के श्रीवास्तव	Shri N K Srivastava	64	श्री ए वी मराठे	Shri A V Marathe
17	श्री बी एस राव	Shri B S Rao	65	श्री अंकेश ए जैन	Shri Ankesh A Jain
18	श्री पी एस राजन	Shri P S Rajan	66	श्री ए एम कुलश्रेष्ठ	Shri A M Kulshrestha
19	श्री ओ पी निगम	Shri O P Nigam	67	श्री वी के एस सास्त्री	Shri V K S Sastry
20	श्री डी डी संधवी	Shri D D Sanghavi	68	श्री के एस यादव	Shri K S Yadav
21	श्री पी सत्यनारायण	Shri P Satyanarayana	69	श्री राकेश चोपड़ा	Shri Rakesh Chopra
22	श्री आई विश्वनाथन	Shri I Viswanathan	70	श्री अखिलेश कुमार	Shri Akhilesh Kumar
23	श्री वी एम जैन	Shri V M Jain	71	श्री वासुदेवन बीजू	Shri Vasudevan Biju
24	श्री आर के जगलान	Shri R K Jaglan	72	श्री एम पी सिंह	Shri M P Singh
25	श्री भोला प्रसाद	Shri Bholi Prasad	73	श्री डी चिरंजीवी	Shri D Chiranjeevi
26	श्री योगेन्द्र सिंह	Shri Yogendra Singh	74	श्री एन के राउत	Shri N K Rout
27	श्री प्रवीण शर्मा	Shri Pravin Sharma	75	श्रीमती राजश्री बगलरी	Smt Rajashri Baglari
28	श्री अतुल कुमार	Shri Atul Kumar	76	श्री जे एस तोमर	Shri J S Tomar
29	श्री एस के चन्द्रा	Shri S K Chandra	77	श्री टी सरावनै	Shri T Saravanai
30	श्री वी के सिंघल	Shri V K Singhal	78	श्री एन आर जैन	Shri N R Jain
31	श्री ए के सिरौही	Shri A K Sirohi	79	श्री राजीव मिश्र	Shri Rajiv Mishra
32	श्री के एस एन मूर्ति	Shri K S N Murthy	80	श्री सर्वेश रंजन	Shri Sarvesh Ranjan
33	श्री पी के सोनी	Shri P K Soni	81	श्री सुमित श्रीवास्तव	Shri Sumit Srivastava
34	सुश्री मीना आर खन्ना	Ms Meena R Khanna	82	श्री जी सी जोशी	Shri G C Joshi
35	श्री एस के पाणिग्रही	Shri S K Panigrahi	83	श्री अमरेन्द्र कुमार	Shri Amarendra Kumar
36	श्री एस एस सरोया	Shri S S Saroya	84	श्री डी के गुप्ता	Shri D K Gupta
37	श्री सी एम गुप्ता	Shri C M Gupta	85	श्री विकास कुमार	Shri Vikash Kumar
38	श्री बी बालकृष्ण	Shri B Balakrishna	86	श्री पी के श्रीवास्तव	Shri P K Srivastava
39	श्री आई ए नारायणन	Shri I A Narayanan	87	श्री के जे श्रीनिवास राव	Shri K J Srinivasa Rao
40	श्री सी बी झा	Shri C B Jha	88	श्री एम आर महाले	Shri M R Mahale
41	सुश्री आर ई ईरानी	Ms R E Irani	89	श्री जी के सुधाकर	Shri G K Sudhakar
42	श्री बी एस वेंटकेश	Shri B S Venkatesha	90	श्री ओ एस कारवा	Shri O S Karwa
43	श्री आर गणेशन	Shri R Ganesan	91	श्री रंजन कुमार	Shri Ranjan Kumar
44	श्री टी वी वेणुगोपाल	Shri T V Venugopal	92	श्री पी आर गुप्ता	Shri P R Gupta
45	श्री कल्याण कुमार	Shri Kalyan Kumar	93	श्री आर के गुप्ता	Shri R K Gupta
46	श्री ए के धर्बाई	Shri A K Dhabhai	94	श्री जे एन शेठ	Shri J N Sheth
47	श्री एस सी तेली	Shri S C Teli			
48	श्री एस के अग्रवाल	Shri S K Agrawal			

वर्ष 2016-17 की प्रमुख बातें

- ❑ 31 मार्च, 2017 को बैंक का कुल कारोबार 9.61% की वृद्धि के साथ ₹ 6,80,076 करोड़ रहा.
- ❑ 31 मार्च, 2017 को बैंक की कुल जमा राशियां 10.41% की वृद्धि के साथ ₹ 3,78,392 करोड़ रहीं.
- ❑ 31 मार्च, 2017 को बैंक के कुल अग्रिम 8.63% वृद्धि के साथ ₹ 3,01,684 करोड़ रहे.
- ❑ कासा जमा राशियों का अंश 31 मार्च, 2016 के 32.35% से सुधरकर 31 मार्च, 2017 को 34.44% हो गया.
- ❑ 31 मार्च, 2017 को अग्रिमों में रैम (रिटेल, कृषि, एमएसएमई) क्षेत्र में 15.19% की वृद्धि हुई तथा घरेलू ऋणों में इसका योगदान 53.80% हो गया.
- ❑ गैर ब्याज आय 36.70% की वृद्धि के साथ ₹ 3,632 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,965 करोड़ हो गयी.
- ❑ कोर शुल्क आय ₹ 1,879 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,068 करोड़ हो गयी.
- ❑ शुद्ध ब्याज आय 7.08% वृद्धि के साथ ₹ 8,314 करोड़ से बढ़कर ₹ 8,903 करोड़ हो गयी.
- ❑ परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2015-16 के ₹ 5,722 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 में 29.85% वृद्धि के साथ ₹ 7,430 करोड़ हो गया.
- ❑ 31 मार्च, 2017 को बासल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 9.00% की नियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 11.79% रहा. सामान्य इक्विटी टियर-1 अनुपात 7.71% रहा.
- ❑ 31 मार्च, 2017 को संपूर्ण भारत में बैंक की 4282 शाखाएं (4 ओवरसीज शाखाओं सहित) तथा 7518 एटीएम का नेटवर्क था.

Highlights for FY 2016-17

- ❑ Highlights for FY 2016-17
- ❑ Total Business of ₹ 6,80,076 crore as on March 31, 2017, an increase of 9.61%.
- ❑ Total Deposits of ₹ 3,78,392 crore as on March 31, 2017, an increase of 10.41%.
- ❑ Gross Advances of ₹ 3,01,684 crore as on March 31, 2017, an increase of 8.63%.
- ❑ Share of CASA deposit improved to 34.44% as on March 31, 2017 from 32.35% as of March 31, 2016.
- ❑ In Advances as of March 31, 2017, RAM sector (Retail, Agriculture & MSME) increased by 15.19% and contributes more than 53.80% of domestic loan book.
- ❑ Non Interest Income increased by 36.70% from ₹ 3,632 crore to ₹ 4,965 crore.
- ❑ Core Fee Income increased from ₹ 1,879 crore to ₹ 2,068 crore.
- ❑ Net Interest Income increased by 7.08% from ₹ 8,314 crore to ₹ 8,903 crore.
- ❑ Operating Profit for FY 2016-17 increased by 29.85% to ₹ 7430 crore from ₹ 5722 crore in FY 2015-16.
- ❑ Capital Adequacy Ratio (CRAR) under Basel III stood at 11.79% as on March 31, 2017 against the minimum regulatory requirement of 9.00%. Common equity tier 1 ratio stood at 7.71%.
- ❑ Pan India presence- Network of 4282 (including 4 overseas branches) and 7518 ATMs as on March 31, 2017.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण (प्रतिशत में)	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37	7.60
2	ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21	5.53
3	ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34	2.16	2.07
4	गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94	1.16
5	परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70	1.62	1.50
6	लागत आय अनुपात	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34	52.10	46.42
7	सकल (परि.) लाभ / ए डब्ल्यू एफ	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49	1.73
8	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84	2.86
9	अंतिम आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33	0.12
10	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35	0.13
11	अग्रिमों पर प्रतिफल	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63	8.72
12	जमाराशियों की लागत	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7.00	6.28
13	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95	0.00
14	ऋण जमा अनुपात	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69	81.45
15	ऋण + गैर एस एल आर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91	87.82
16	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बासल II)	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	11.89	10.74	11.14	12.91
	टियर - I	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23	8.13	7.60	8.23	9.35
	टियर - II	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22	3.76	3.14	2.91	3.56
17	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III)	-	-	-	-	-	-	10.80	10.22	10.56	11.79
	टियर - I	-	-	-	-	-	-	7.54	7.50	8.14	9.02
	टियर - II	-	-	-	-	-	-	3.26	2.72	2.42	2.77

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017
1	कर्मचारी (संख्या)	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806	35514	35473	36877
2	शाखाएं (संख्या)	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871	4081	4200	4282
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)*	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46	15.51	16.43
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40	16.13	20.15
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02	3.81	1.51
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)*	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80	130.96	141.50
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36	1.74
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32	0.13
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42	8.08
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51	277.76

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	: कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	: कुल गैर ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
परिचालन व्यय	: कुल व्यय में से ब्याज व्यय घटाये
परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	: परिचालन व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
आय लागत अनुपात	: परिचालन व्यय/ गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ / ए डब्ल्यू एफ	: सकल लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/ कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
अग्रिमों पर आय	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात	: कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश / शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	: कुल अग्रिम / ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां - अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)	
- जमाराशि अनुपात	: कुल अग्रिम + गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगी ईकाइयों में निवेश / ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	: औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	: औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें
प्रति शेयर बही मूल्य	: नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक **शुक्रवार, दिनांक 23 जून, 2017 को प्रातः 11.30 बजे रामा एण्ड सुंदरी वाटूमल आडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट, मंबई- 400020** में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2017** के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

मद क्र. 2

एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमान आवंटन आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन करने हेतु

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

“**संकल्प किया** कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम, 1998 यथा समय- समय पर संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक (“**आरबीआई**”), भारत सरकार (“**जीओआई**”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“**सेबी**”) और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम, 2009 (“**आईसीडीआर विनियम**”) यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय- समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (“**लिस्टिंग विनियमन**”) संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद “**दि बोर्ड**” कहा जायेगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाये एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/ प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर **₹ 4,950 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ पचास करोड़ मात्र)** के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) जो **₹ 687.44 करोड़ (रुपये छह सौ सत्तासी करोड़ एवं चवालीस लाख मात्र)** की वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित **₹ 3,000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़ मात्र)**, जो बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार की अंशधारिता

बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“**एनआरआई**”), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (**क्यूआईबी**), विदेशी संस्थागत निवेशकों (“**एफआईआई**”), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन (निश्चित आवंटन और/ या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए.”

“**पुनः संकल्प किया** कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधि आवंटन विकल्प सहित या रहित के जरिये होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आवंटन, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, आईसीडीआर विनियम, लिस्टिंग विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए.”

“**पुनः संकल्प किया** कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/ अभिगोपकों और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान सदस्य हों या नहीं.”

“**पुनः संकल्प किया** कि लिस्टिंग विनियमन के प्रावधानों, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों तथा सेबी, शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में “सम्यक प्राधिकारी” कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरियां (जिन्हें इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यक्षीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/

लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय- समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में उल्लेख है, के अनुसार आईसीडीआर विनियमों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी के 51% से कम न हो.”

“**पुनः संकल्प किया** कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

- ए) प्रतिभूतियों का आवंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.
- बी) आईसीडीआर विनियमन के विनियम 85(1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.
- सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी.”

“**पुनः संकल्प किया** कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आवंटन एवं सूचीयन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास विहित होगा.”

“**पुनः संकल्प किया** कि एनआरआई/ एफआईआई और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई हैं, का निर्गम और आवंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन, परंतु बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्वधीन होगा.”

“**पुनः संकल्प किया** कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्वधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई हो, के लिये पात्र होंगे.”

“**पुनः संकल्प किया** कि इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आवंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह

अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है.”

“**पुनः संकल्प किया** कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर्स, अभिगोपक, डिपाजिटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक तथा अन्य ऐसी एजेंन्सी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है.”

“**पुनः संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/ या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है.”

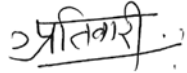
“**पुनः संकल्प किया** कि इनमें से ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है.”

“**पुनः संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है.”

“**पुनः संकल्प किया** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक/ निदेशकों की समिति को प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है.”

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 08 मई, 2017

नोटः

1. व्याख्यात्मक वृत्तांत

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक वृत्तान्त इसके साथ संलग्न है.

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में, जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा. वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक फार्म 'बी' के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा.

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में **कंपनी सचिव को निवेशक सेवायें प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021** के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 17 जून, 2017** को बैंक के कार्य-समाप्ति पर **सायं 5.00** बजे तक या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र, जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के

अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में, उक्त पते पर बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 17 जून, 2017 को कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक** या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ, पहले से ही छपे हुए अपेक्षित ब्योरे, ई-वोटिंग लॉग- इन आई डी व पासवर्ड के साथ, प्रेषित किया गया है. शेयरधारकों को यह विकल्प है कि वे ई-वोटिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं. लेकिन जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, वे एजीएम की तिथि पर, बैठक के स्थान पर उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा से अपना वोट डाल सकते हैं. इस प्रकार के शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में छपे हुए ब्योरे का सत्यापन करें और खाली स्थान, यदि कोई है, तो उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें. शेयरधारकों के परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'परोक्षी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को एजीएम के स्थान पर प्रवेश के समय सुपुर्द किया जाए.

5. अंतरण दायर करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र/ पत्रों को अंतरण हेतु बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाना चाहिए.

6. बुक क्लोजर

शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शनिवार, दिनांक 17 जून, 2017 से शुक्रवार दिनांक 23 जून, 2017 तक** (दोनों दिन मिलाकर) वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा.

7. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के आरटीए से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवायें प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की यह निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें 'अदत्त लाभांश खाते' में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त 'अदत्त लाभांश खाते' में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2008-09 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वर्ष 2009-10 से अदत्त लाभांश के ब्योरे हेतु संबंधित

शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक: www.unionbankofindia.co.in/Unclaimed_Dividend.aspx का अवलोकन कर सकते हैं।

8. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैडेट में परिवर्तन

(ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपाजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करता है। जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए; ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके। बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसे परिवर्तनों को केवल सदस्य के डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किया जाए।

(बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो, तो इसकी सूचना बैंक के आरटीए को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें :

डाटामैटिक्स फाइनांशियल सर्विसेज लि.,

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,

एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

(सी) बैंक का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है।

(डी) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को।

(ई) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

9. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स फाइनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें:

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन।

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड आदि सहित यदि पहले नहीं दिया गया हो।

10. फोलियो का समेकन

एक से अधिक खातों में एक जैसे नामों से या संयुक्त नामों से उसी क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों को एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स फाइनांशियल सर्विसेज लि. को प्रेषित करें।

11. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की भौतिक प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर सेवा द्वारा भेजी जायेंगी तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां ई-मेल द्वारा भेजी जायेंगी। बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को उपलब्ध कराया गया है। वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं।

12. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक** के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन तथा इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 68 के अनुसार सभी शेयरधारक, जो **कट-ऑफ तारीख अर्थात् शुक्रवार, 16 जून, 2017** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, तो वह उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा। इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही नामांकन करने, बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा।

13. लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके। जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे।

14. भौतिक रूप से धारित शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

शेयरों को भौतिक रूप से धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने शेयरों को डिमैटेरियलाइज रूप में परिवर्तित कराये, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, जहां वे अपना संबंधित डी-मैट खाता संचालित कर रहे हैं।

15. ई-वोटिंग

- I. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक साधारण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्यवाही की सुविधा प्रदान की गई है।
- II. वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- III. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं दे सकेंगे।
- IV. वार्षिक साधारण बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान (रिमोट ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तथा बैठक स्थल पर वोटिंग की सुविधा नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की जायेगी।
- V. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, दिनांक 20 जून, 2017 (प्रातः 9.00 बजे) से प्रारम्भ होकर गुरुवार, दिनांक 22 जून, 2017 (सायं 5.00 बजे) तक** रहेगी। बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख **शुक्रवार, 16 जून, 2017** को फिजिकल या डि-मैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं। इस अवधि के बाद नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- VI. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

ए. नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) से शेयरहोल्डर को ई-मेल मिलने की दशा में (उन शेयरधारकों के लिए जिनका ई-मेल बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत हैं):

- (i) ई-मेल खोलें और अपने ग्राहक आई.डी.या फोलियो नम्बर के द्वारा पी.डी.एफ. फाइल अर्थात **“remote e-voting.pdf”** खोलें। इस पी.डी.एफ. फाइल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड/पिन रहेगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड केवल आरम्भिक पासवर्ड है।

नोट: NSDL के पास पहले से ही पंजीकृत शेयरधारकों को पीडीएफ फाइल अर्थात **“remote e-voting.pdf”** प्राप्त नहीं होगी। ऐसे शेयरधारक अपना विद्यमान पासवर्ड प्रयोग करेंगे।

- (ii) निम्न यू.आर.एल.टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर आरम्भ करें

<https://www.evoting.nsdl.com/>

- (iii) **Shareholder - Login** पर क्लिक करें।
- (iv) उपर्युक्त मद क्र.(i) के अनुसार आरम्भिक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें। लॉगिन पर क्लिक करें।
- (v) पासवर्ड बदलने के लिए मेनू दिखेगा। अपनी पसन्द का नया पासवर्ड/ पिन परिवर्तित करें, जो 8 अंकों/ कैरेक्टर्स या दोनों मिलाकर हो सकता है। नया पासवर्ड नोट करें। **यह विशेष सलाह है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें।**
- (vi) रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलता है। रिमोट ई-वोटिंग: एक्टिव वोटिंग साइकल (Active Voting Cycles) पर क्लिक करें।
- (vii) **“यूनियन बैंक ऑफ इंडिया”** के **“EVEN”** को चुनें।
- (viii) अब आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब वोट करने के लिए पेज खुल गया है।
- (ix) यथोचित विकल्प का चयन कर वोट डाल दें और **“Submit”** तथा उसके बाद **“Confirm”** पर क्लिक करें।
- (x) पुष्टि (Confirmation) के बाद यह संदेश दिखेगा **“Vote cast successfully”**।
- (xi) संकल्प पर एक बार आपके द्वारा वोट करने के बाद आपके वोट में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- (xii) संस्थागत शेयरधारकों (व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, गैर निवासी भारतीयों आदि के अलावा) द्वारा वोट करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षरों के सत्यापन के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रतियां (पीडीएफ/ जेपीजी फॉर्मेट) जांचकर्ता को ई-मेल द्वारा **scrutinizer@snaco.net** तथा **evoting@nsdl.co.in** पर भेजना होगा।

बी. यदि शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठक की सूचना फिजिकल कापी द्वारा मिलती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनका ई-मेल बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं है या फिजिकल कापी की मांग की है):

- (i) आरम्भिक पासवर्ड वार्षिक साधारण बैठक की उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र में दिया गया है:
- (ii) वोट करने के लिए, उपर्युक्त मद क्रमांक (ii) से (xii) का पालन करें।

VII. किसी प्रकार की शंका होने की दशा में www.evoting.nsdl.com में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल में देखा जा सकता है या टोल फ्री नं.: **1800-222-990** पर संपर्क किया जा सकता है।

VIII. रिमोट वोटिंग के लिए यदि आप नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप वोट करने के लिए अपना विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन का प्रयोग कर सकते हैं।

IX. यूजर प्रोफाइल विवरण के फोलियो में आप अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं, जिनका उपयोग भविष्य के संवादों के लिए किया जा सकता है।

X. यदि कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद, बैंक के शेयर प्राप्त करता है और **कट-ऑफ तारीख शुक्रवार, दिनांक 16 जून, 2017** को शेयरधारक रहता है, ई-मेल पता evoting@nsdl.co.in या investorservices@unionbankofindia.com या ubiinvestors@dfssl.com पर अपने फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी का उल्लेख करते हुए अनुरोध प्रेषित कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

तथापि, यदि आप नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वोट करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password" विकल्प से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या नेशनल सेक्युरिटीज लिमिटेड (NSDL) के टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

XI. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा।

XII. बैठक स्थल पर वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, कंपनी सचिव, मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (SNACO) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

XIII. वार्षिक साधारण बैठक शुरू होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।

XIV. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर बैंक के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

16. वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल की वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट

www.unionbankofindia.co.in तथा NSDL की वेबसाइट: www.evoting.nsdl.com पर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा। ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे।

व्याख्यात्मक विवरण

बॉसल-III अधिनियम की अपेक्षानुसार बैंक को 31 मार्च, 2018 तक इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) के तहत न्यूनतम 5.5% व पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के रूप में 1.875%, टियर 1 अनुपात (सीसीबी सहित) 8.875% और समग्र सीआरएआर (सीसीबी सहित) को 10.875% बनाये रखना है।

प्रतिवर्ष (वित्त वर्ष 2019 तक) 0.625% पूंजी संरक्षण बफर की बढ़ती अपेक्षाओं, बैंक की भावी विस्तार एवं समृद्धि योजनाओं एवं फलस्वरूप पूंजी प्रभार के कारण पूंजी की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते बैंक को अपनी पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है; ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करते हुए बॉसल-III की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने **₹ 4,950 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ पचास करोड़ मात्र)** की इक्विटी पूंजी जुटाने का फैसला किया है, जो भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किये जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू), और/ या राइट इश्यू और/ या पात्र संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/ या सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जायेगा।

बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी) सहित पब्लिक इश्यू (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/ या राइट इश्यू और/ या पात्र संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/ या भारत सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से इक्विटी पूंजी को **₹ 3,200 करोड़ (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र)** तक बढ़ाने हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति दिनांक 27 जून, 2016 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त की थी, जो 26 जून, 2017 तक वैध है। मार्च 2017 में बैंक को भारत सरकार से आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में **₹ 541 करोड़ (रुपये पांच सौ इक्तालीस करोड़ मात्र)** की पूंजी प्राप्त हुई। तथापि, प्रतिकूल बाजारी स्थितियों के कारण अन्य तरीकों से पूंजी जुटाने पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया गया। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब इक्विटी पूंजी को **₹ 4,950 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ पचास करोड़ मात्र)** तक बढ़ाने की योजना है।

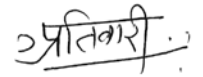
इस विशेष प्रस्ताव का उद्देश्य बोर्ड को यह अधिकार देना है कि वह ऐसे समय या समयों पर एक या अधिक बार में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा उन निवेशकों, जिनका उल्लेख वहां है तथा जिन्हें बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, को इक्विटी शेयर जारी करे। इक्विटी शेयरों का निर्गम कब और कितनी बार किया जाये, इससे संबंधित विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण बोर्ड द्वारा व्यापारिक बैंकरों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाये, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा।

उपर्युक्त के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के माध्यम से जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों के मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि:-

- i. सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII और/ या अन्य लागू विनियमों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्यन की संबंधित तिथि वह तिथि होगी, जिस तिथि को अधिनियम की धारा 81(1ए) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों तथा लागू अन्य नियमों, कानूनों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत समिति अपनी बैठक में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है.
 - ii. चूँकि प्रस्ताव का मूल्य बाद में ही निर्धारित किया जा सकता है, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है. तथापि यह आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998, समय-समय पर यथा संशोधित एवं लागू या अपेक्षित अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमों/ सहमतियों के अनुसार ही होगा.
 - iii. पूर्णतः चुकता शेयरों का निर्गम एवं आबंटन केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जायेगा तथा आबंटन का कार्य इस संकल्प के पारित होने के 12 महीनों के अंदर कर लिया जायेगा.
 - iv. प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत शर्तों एवं नियमों का निर्धारण बोर्ड द्वारा सलाहकारों, लीड मैनेजरों, अभिगोपकों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाये, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा.
 - v. अधि आबंटन, प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार यदि कोई हों, सहित इस प्रकार प्राप्त कुल राशि, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार बैंक के नेटवर्थ के 5 गुने से अधिक नहीं होगी.
 - vi. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के तहत समय- समय पर प्राप्त अनुमति को छोड़कर, आबंटन की तिथि से 1 वर्ष तक प्रतिभूतियां विक्रय/ अंतरण योग्य नहीं होंगी.
 - vii. आबंटित किये गये इक्विटी शेयर लाभांश सहित हर प्रकार से वर्तमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष मान्य होंगे.
- आपके निदेशकगण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.
- बैठक की कार्यसूची से किसी भी निदेशक का कोई व्यक्तिगत संबंध या हित नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 08 मई, 2017

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को वित्त वर्ष 2016-17 का 'लेखापरीक्षित तुलनपत्र', 'लाभ एवं हानि खाता', 'नकदी प्रवाह विवरण' और 'प्रबंधकीय चर्चा व विश्लेषण', पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 98वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष है. 'कॉर्पोरेट गवर्नंस रिपोर्ट' एवं कारोबारी दायित्व भी वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 का एक भाग है.

1. प्रमुख बातें

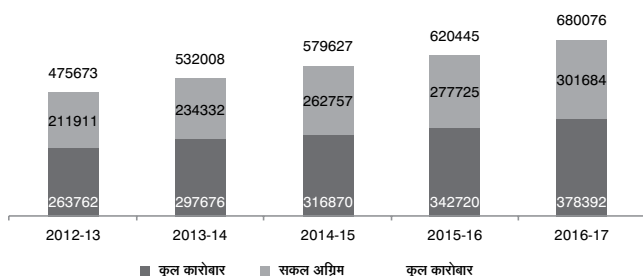
1.1 आपका बैंक चल रही डिजिटल इंडिया पहल में अग्रणी रहा है जिसके दो तिहाई डिजिटल लेनदेन डिजिटल माध्यमों से सम्पन्न होते हैं. वर्ष के दौरान, बैंक ने मुख्य रूप से अपनी ग्राहक सेवा को अनुकूलित करने और अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. इसके लिए, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कई आंतरिक प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज किया गया. वित्तीय सेवाओं को अधिक आसानी और कुशलता के साथ समाज के सभी वर्गों को वितरित करने पर बैंक द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है. विमुद्रीकरण के आने से यह चुनौतीपूर्ण बैंकिंग वातावरण और गहरा गया है हालांकि आपके बैंक ने इस पूरी अवधि के दौरान स्फूर्ति दिखायी है और हितधारकों की उम्मीदों पर खरा उतरा है.

1.2 वर्ष के दौरान नियामक परिदृश्य ने बैंकिंग के विकास को कई तरह से प्रभावित किया है. इसमें बेंचमार्क ऋण दर का नया ढांचा, नयी मौद्रिक नीति का ढांचा, इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता, सांविधिक तरलता अनुपात में चरणबद्ध कमी इत्यादि सम्मिलित है. सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत घोषणाओं से एक सकारात्मक प्रोत्साहन का माहौल बना हुआ था. आपके बैंक ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक और घरेलू व्यापक आर्थिक पर्यावरण के बीच संगठनात्मक क्षमता निर्माण में निवेश जारी रख लचीलापन दिखाया है जो दर्शाता है कि बैंक उभरते हुए भारत में भविष्य के अवसरों को प्राप्त करने के लिए तैयार है.

2. कारोबार

2.1 बैंक का कुल वैश्विक व्यापार 31 मार्च, 2016 के ₹ 6,20,445 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2017 को ₹ 6,80,076 करोड़ हो गया, जो 9.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है.

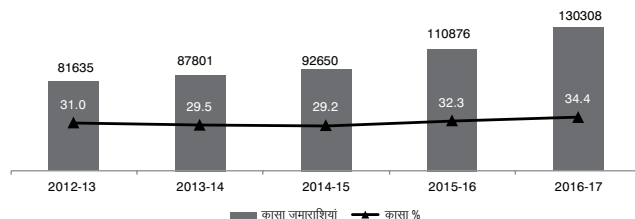
चार्ट 1: बैंक का कारोबार निष्पादन (₹ करोड़)



2.2 कुल जमाराशियां 31 मार्च, 2017 को ₹ 3,78,392 करोड़ हो गईं जो 31 मार्च, 2016 को ₹ 3,42,720 करोड़ थी, इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.4 प्रतिशत की वृद्धि नोट की गई. 31 मार्च 2017 तक कुल जमाराशियों में

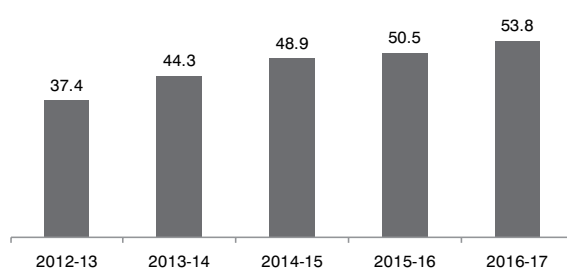
कासा (चालू खाते और बचत खाते) का भाग 34.4 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के 32.3 प्रतिशत में 210 आधार अंकों का सुधार दर्शाता है.

चार्ट 2: कासा जमाराशियों की स्थिति



2.3 सकल अग्रिम 31 मार्च, 2016 के ₹ 2,77,725 करोड़ में 8.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2017 को ₹ 3,01,684 करोड़ हो गया. बैंक ने कम पूंजी खपत वाले रैम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका इस वित्त वर्ष के अग्रिम वृद्धि में दो तिहाई योगदान है. रैम क्षेत्र समग्र रूप में 15.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू अग्रिम विकास दर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गयी, जो एक वर्ष पूर्व 4.3 प्रतिशत थी.

चार्ट 3: कुल अग्रिमों में रैम का शेयर



2.4 बैंक का समुद्रपारीय कारोबार 31 मार्च, 2016 के ₹ 32,706 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2017 को ₹ 36,062 करोड़ रहा. आपके बैंक की हांगकांग, डीआईएफसी (दुबई), एंटवर्प (बेल्जियम) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में चार समुद्रपारीय शाखाएँ हैं.

3. आय एवं व्यय

तालिका 1: आय एवं व्यय विवरण (₹ करोड़)

क्र.	मानदंड	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वार्षिक वृद्धि	
				वास्तविक	(%)
1	अर्जित ब्याज	32660	32199	461	1.4
2	अन्य आय	4965	3632	1333	36.7
3	कुल आय (1 + 2)	37625	35831	1794	5.0
4	व्यय किया गया ब्याज	23757	23886	-129	-0.5
5	शुद्ध ब्याज आय (1-4)	8903	8313	590	7.1
6	परिचालन व्यय	6438	6224	214	3.4
	जिसमें से स्थापना व्यय	3434	3620	-186	-5.1

तालिका 1: आय एवं व्यय विवरण (₹ करोड़)					
क्र.	मानदंड	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वार्षिक वृद्धि	
				वास्तविक	(%)
7	कुल व्यय (4 + 6)	30195	30108	86	0.3
8	परिचालन लाभ (3-7)	7430	5722	1708	29.8
9	प्रावधान	6874	4291	2583	60.2
10	शुद्ध लाभ	555.21	1352	-796	-58.9
11	प्रति शेयर आय (₹)	8.1	20.4	-12.3	-60.4

3.1 अतिरिक्त निधि प्रवाह और क्रेडिट मांग की कमी के चुनौतीपूर्ण वातावरण में, बैंक का लाभ मार्जिन संकुचित रहा। बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2015-16 के ₹ 8,313 करोड़ से बढ़कर 7.1 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 8,903 करोड़ रही। बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2016-17 में 36.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 4,965 करोड़ हो गई।

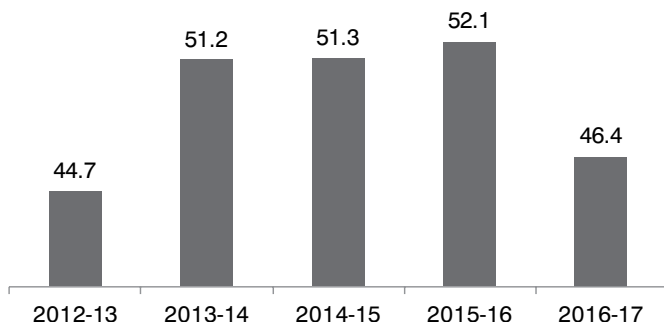
4. लाभप्रदता और दक्षता

4.1 विमुद्रीकरण जैसी विकट परिस्थितियों के बावजूद बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के ₹ 5,722 करोड़ की तुलना में 29.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 7,430 का परिचालन लाभ दर्शाया है।

4.2 बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2015-16 के ₹ 1,352 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 555.21 करोड़ रहा। विद्यमान री-स्ट्रक्चरिंग मानदंडों के कारण बैंक का प्रावधान वित्त वर्ष 2015-16 के ₹ 4,291 करोड़ से 49.3 प्रतिशत वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 6,874 करोड़ रहा।

4.3 आपके बैंक का लागत व्यय अनुपात बैंक की अन्य आय एवं परिचालन व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2015-16 के 52.1 प्रतिशत की तुलना में सुधरकर वित्त वर्ष 2016-17 में 46.4 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 4: आय अनुपात की लागत %



4.4 वर्ष 2016-17 के दौरान औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.13 प्रतिशत रहा, जबकि ईक्विटी पर प्रतिलाभ 2.91 प्रतिशत रहा।

तालिका 2: दक्षता अनुपात		
मानदंड (%)	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.13	0.35
इक्विटी पर प्रतिलाभ	2.91	6.84

4.5 वित्त वर्ष 2016-17 के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं:

तालिका 3: उत्पादकता अनुपात		
मानदंड	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (₹ करोड़)	16.4	15.5
प्रति शाखा औसत कारोबार (₹ करोड़)	141.5	131.0
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख)	20.2	16.1
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख)	1.5	3.8
प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ लाख)	13.0	32.2

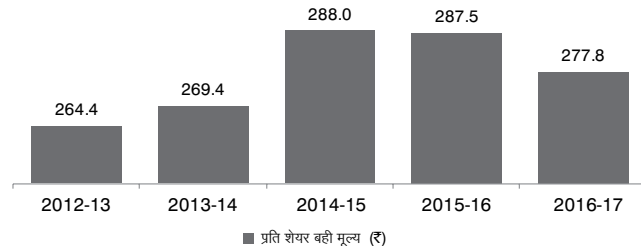
5. लाभांश

पूँजी पर्याप्तता अनुपात में बासल-III की संचरण व्यवस्था के अनुस्र वृद्धि करने हेतु लाभ को कारोबार में लगाते हुए निदेशक मंडल ने वर्ष 2016-17 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं करने तथा इसके बजाए रिजर्व में रखने का निर्णय लिया है।

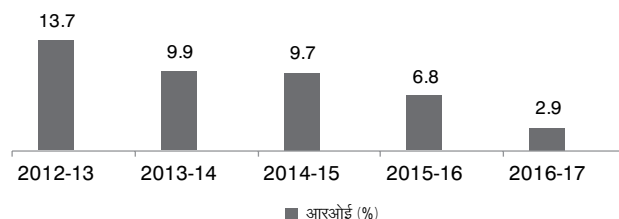
6. शेयरधारकों को प्रतिफल

6.1 बैंक की शुद्ध संपत्ति 31 मार्च, 2016 के ₹ 19,764 करोड़ से 31 मार्च, 2017 को ₹ 19,094 करोड़ हो गयी। मुख्यतया आस्थगित कर आस्तियां में वृद्धि होने के कारण शुद्ध संपत्ति में कमी देखने को मिली है। इस प्रकार मार्च, 2017 में प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 277.7 तथा प्रति शेयर अर्जन ₹ 8.08 रहा।

चार्ट 5 : प्रति शेयर बही मूल्य की स्थिति (₹)



चार्ट 6 : आरओई की स्थिति (%)

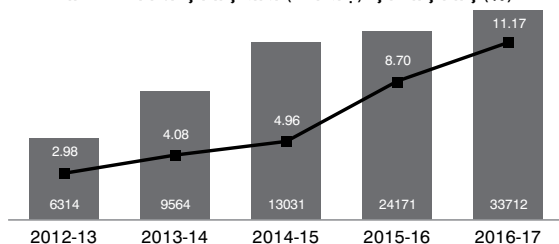


7. आस्ति गुणवत्ता:

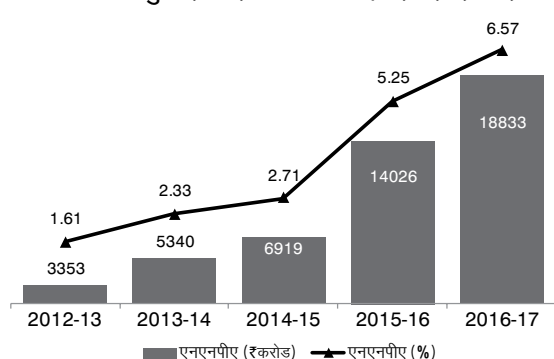
7.1 अपने बैंक का सकल एन.पी.ए. 31 मार्च, 2016 के ₹ 24,171 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को ₹ 33,712 करोड़ रहा। सकल एन.पी.ए. का प्रतिशत 31 मार्च, 2016 के 8.70 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2017 को बढ़कर 11.17 प्रतिशत हो गया।

7.2 बैंक का शुद्ध एन.पी.ए. 31 मार्च, 2016 के ₹ 14,026 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को ₹ 18,833 करोड़ रहा।

चार्ट 7 : सकल एनपीए राशि (₹ करोड़) एवं जीएनपीए (%)



चार्ट 8 : शुद्ध एनपीए राशि (₹ करोड़) एवं एनएनपीए (%)



8 पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

- 8.1 बासल III मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.79 प्रतिशत रहा. बैंक की कॉमन इक्विटी शेयर (सीईटी I) पूंजी मार्च, 2017 को 7.71 प्रतिशत रही जो विनियामक न्यूनतम से लगभग 100 बेसिस पॉइंट अधिक है.

तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासल III (₹ करोड़ में)			
पैरामीटर	भा.रि.बैं. के न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां	लागू नहीं	291204	273791
कुल पूंजीगत निधि		34334	28932
सीईटी 1 पूंजी		22463	21768
टियर 1 पूंजी		26280	22296
सीआरएआर(%)	10.25	11.79	10.56
सीईटी 1 (%)	6.75	7.71	7.95
टियर 1 (%)	8.25	9.02	8.14
टियर 2 (%)	लागू नहीं	2.77	2.42

नोट: सीआरएआर, सीईटी I एवं टियर I में 1.25 प्रतिशत सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) सहित भा.रि.बैं. का न्यूनतम बेंचमार्क. टियर II अनुपात हेतु कोई न्यूनतम निर्धारण नहीं.

- 8.2 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जुटाई पूंजी: वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक ने बासल III अनुपालित टियर I एवं टियर II बांड जारी कर ₹ 5250 करोड़ जुटाए हैं.

तालिका 5: वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जुटाए बांड

बांड का प्रकार	राशि (₹ करोड़)
अतिरिक्त टियर I (एटी 1)	3500
टियर II	1750
कुल	5250

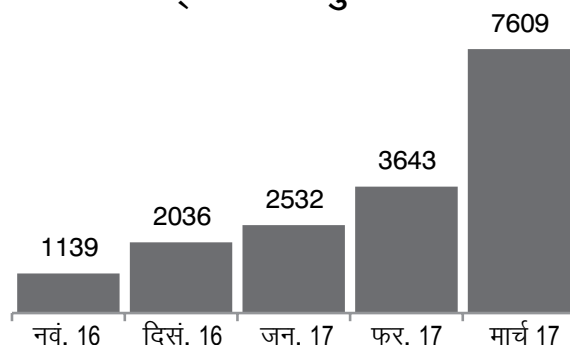
- 8.3 भारत सरकार द्वारा पूंजी का अंतःप्रवाह : बैंक की पूंजी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इंद्रधनुष योजना के तहत भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आपके बैंक में ₹ 541 करोड़ की पूंजी लगाई है. यह पूंजी बैंक के पास शेयर आवेदन निधि के स्तर में उपलब्ध है.

9 सोशल मीडिया

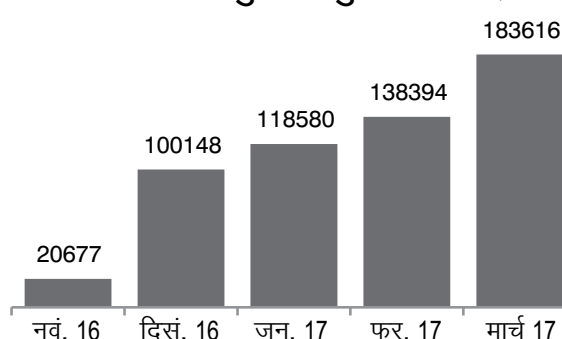
आपका बैंक सोशल मीडिया में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है. वित्त वर्ष 2016-17 में आपके बैंक ने अपने ग्राहकों व शेयरधारकों के साथ जुड़ने के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम और साथ ही यू-ट्यूब चैनल का शुभारंभ किया है. आपके बैंक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नए उत्पादों को विज्ञापित करने के कई अवसर प्राप्त किए हैं. अपनी सोशल मीडिया की उपस्थिति को उचित स्तर से संचालित करने पर बैंक को अपने ट्विटर हैंडल पर प्रशंसनीय प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है. प्रश्नों को वास्तविक समय पर उत्तरित किया जाता है. इस प्रकार की तकनीकी पहुँच आपके बैंक को अधिक ग्राहक केंद्रित बना देती है.



चार्ट 9 : ट्विटर पर अनुगामियों की संख्या



चार्ट 10 : फेसबुक पर कुल पेज लाईक



10 नेटवर्क:

- 10.1 आपके बैंक का नेटवर्क यथा 31 मार्च, 2017; 4,278 शाखाओं के साथ व्यापक रूप से देश भर में फैला हुआ है। विदेश में आपके बैंक की चार पूर्ण शाखाएं और तीन प्रतिनिधि कार्यालय हैं।
- 10.2 आपके बैंक के कुल एटीएम 31 मार्च, 2016 के 6,883 की तुलना में 31 मार्च, 2017 को 7,518 हो गए। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने देश के विभिन्न स्थानों में 50 नई ई-लॉबी एवं 68 कैशलेस कैपस का शुभारंभ किया।

- 10.3 देश में अपनी पहुंच को और विस्तारित करने के प्रयास स्वरूप बैंक के 5407 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (बीसी) बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 4892 करोड़ के कुल लेन-देन बी सी मॉडल के जरिये आरंभ किये गये।

11 पुरस्कार एवं उपलब्धियां:

- 11.1 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक को डिजिटल विस्तार, मानव संसाधन प्रबंधन और सतर्कता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

तालिका 6 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को प्राप्त पुरस्कार एवं उपलब्धियां			
क्षेत्र	पुरस्कार	संस्था द्वारा सम्मानित	सम्मान श्रेणी
मानव संसाधन	गोल्डन पीकॉक पुरस्कार	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का 10 वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	मानव संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता
	नवोन्मेषी एचआर प्रथाएँ	टाइम्स अरसेंट्स	50 पीएसयू संस्थाओं के अंतर्गत नवोन्मेषी प्रथाओं हेतु पहचान
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	सर्वश्रेष्ठ सीएसआर प्रथाओं का बैंक	विश्व सीएसआर कांग्रेस	सामाजिक उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान
	सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार	नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड	शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना
	बढ़ता वित्तीय समावेशन	सीएनबीसी टीवी 18	सीएसआर बजट को वित्तीय विज्ञापनों में चैनलाइज करना
वित्तीय समावेशन	सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल	भारतीय बैंक संघ	तकनीकी उत्कृष्टता के क्षेत्र में एक और उपलब्धि
	वित्तीय समावेशन हेतु स्कॉच अवार्ड	स्कॉच	वित्तीय समावेशन में मेरिट
एमएसएमई	वित्तीय संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादक	एफईसीओ	एमएसएमई
सतर्कता	सर्वश्रेष्ठ कार्पोरेट सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार वित्त वर्ष 2016-17	लोक उद्यम संस्थान	भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरूकरना
प्रौद्योगिकी और डिजिटल	वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय भुगतान में उत्कृष्टता पुरस्कार	नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	स्मै कार्ड जारी करना और ई-कॉमर्स लेनदेन

12 निदेशक

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।
- 12.1 श्री एस.के मिश्रा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक ने 10 अप्रैल, 2016 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
- 12.2 डॉ. के रमेश को भारत सरकार की अधिसूचना क्र. No.F.No.6/29/2015-BO-I दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के अनुसार दिनांक 25 अप्रैल, 2016 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 12.3 सुश्री अनुसूया शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक ने 5 मई, 2016 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
- 12.4 श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक 30 जून, 2016 को सेवानिवृत्त हुए।

- 12.5 श्री मदनेश कुमार मिश्रा को भारत सरकार की अधिसूचना क्र. No.F.No.6/3/2012-BO-I दिनांक 22 जुलाई, 2016 के अनुसार दिनांक 22 जुलाई, 2016 से श्री मिहिर कुमार के स्थान पर सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 12.6 श्री राज कमल वर्मा को भारत सरकार की अधिसूचना क्र. No.F.No.4/5(2)/2015-BO.I(pt.)/CNo.76820 दिनांक 9 अगस्त, 2016 के अनुसार दिनांक 9 अगस्त, 2016 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।
- 12.7 श्री अतुल कुमार गोयल को भारत सरकार की अधिसूचना क्र. No.F.No.4/5(4)/2016-BO.I दिनांक 15 सितंबर, 2016 के अनुसार 15 सितंबर, 2016 से यूनियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

- 12.8 श्री जग मोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 से बैंक के निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दिया।
- 12.9 सभी नए निदेशकों का स्वागत करते हुए निदेशक मंडल ने श्री राकेश सेठी, श्री मिहिर कुमार, श्री जग मोहन शर्मा, श्री एस.के. मिश्रा तथा सुश्री अनुसूया शर्मा द्वारा प्रदान की गयी बहुमूल्य सेवाओं को रेखांकित किया।

13. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन:

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को बनाए जाने के संबंध में निदेशकों द्वारा निम्न बातों की पुष्टि की गयी है:

- 13.1. लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है एवं निर्धारित लेखा मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- 13.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित लेखा नीति का पूर्ण पालन किया गया है।
- 13.3. तार्किक एवं विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमानों का इस प्रकार उपयोग किया गया है कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के क्रियाकलापों एवं 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ के लिए सही व उचित रहे।
- 13.4. भारत में बैंकों में लागू विधि के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव में पर्याप्त समुचित सावधानी रखी गयी है, और
- 13.5. निरंतरता के अनुसार खाते तैयार किए गए हैं।

14. कार्पोरेट गवर्नेंस:

बैंक का निदेशक मंडल कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गई है। वित्त वर्ष 2016-17 की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है।

15. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

- 15.1. आपका बैंक अपने सामाजिक पहुँच को अधिकतम बनाने के लिए निर्बाध प्रयास कर रहा है। अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के भावी उद्देश्य के रूप में, बैंक ने वर्ष 2006 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) की स्थापना की है जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या शिक्षा योजना, स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल विकास, स्वच्छता और प्रकृतिक आपदा

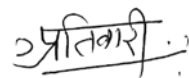
के समय राहत के माध्यम से सामाजिक उत्थान है। यूबीएसएफटी के अंतर्गत ग्रामीण विकास मिशन ने भी एक अनूठी ग्राम अपनाने की योजना "यूनियन आदर्श ग्राम" प्रारम्भ की है। इस योजना ने अभी तक 1440 ग्राम अपनाए हैं और विद्यालयों को संरचना विकास तथा स्वच्छता सुविधाएं भी प्रदान की हैं।

- 15.2. आपके बैंक ने उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए बैंक ने यूबीएसएफटी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। इस प्रकार बैंक द्वारा 23 गांवों को राहत प्रदान की गयी है।
- 15.3. "स्वच्छ भारत" अभियान के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आपके बैंक ने 273 स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लिए गत वर्ष ₹ 5 करोड़ का अनुमोदन किया है। आपके बैंक द्वारा 700 से अधिक ट्राई-साइकिल तथा दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग दान किए गए हैं।

15.4. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग व अन्य संस्थाओं से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए आभारी है। बोर्ड अपने माननीय शेयरधारकों, ग्राहकों एवं अन्य सभी स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्ठादन के लिए स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से,



(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2017

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमोबेश वसूली जारी रही. कैलेंडर वर्ष 2016 में नई अमेरिकी सरकार के नीतिगत सुधारों तथा अपेक्षित वित्तीय उत्प्रेरकों के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने वृद्धि के मजबूत संकेत दिए. संरक्षणवाद के विद्यमान जोखिमों तथा व्यापार एवं रोजगार पर इनके प्रतिकूल प्रभावों से अर्थव्यवस्था के विकास में कमी के संकेत भी मिलते रहे. चीनी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त राजकोषीय उत्प्रेरकों के कारण उभरते बाजारों में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) द्वारा लिए गए आपूर्ति नियंत्रण संबंधी निर्णय से कच्चे तेल के पूर्ववर्ती निम्न मूल्य में कुछ बढ़ोत्तरी हुई. प्रमुख केंद्रीय बैंकों की नीतियाँ विकासोन्मुख रहीं, जिससे मूल्य स्थिरता संबंधी समस्याओं का निदान किया जा सका. आर्थिक एवं राजनैतिक कारकों और विनिर्माण गतिविधियों की अपेक्षित चक्रीय वसूली के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक वृद्धि की दर कैलेंडर वर्ष 2016 के 3.1 प्रतिशत के सापेक्ष कैलेंडर वर्ष 2017 में 3.5 प्रतिशत, कैलेंडर वर्ष 2018 में 3.6 अनुमानित की गई है.

2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था अपने वृहद आर्थिक बुनियादी तत्वों के कारण उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकास में अग्रणी रही. वित्तीय वर्ष 2016-17 के उत्तरार्ध में अपने लक्ष्यों के अनुस्र रही तथा मुद्रा स्फीति अपने अपेक्षित स्तर पर बनी रही. सरकार की नीति सुधारों संबंधी त्वरित घोषणाओं ने बाहरी क्षेत्रों को तथा कारोबारी वातावरण को मजबूती प्रदान की. वर्ष के दौरान पर्याप्त वर्षा तथा निर्बाध ऋण आपूर्ति के कारण कृषि संबंधी गतिविधियों में सतत विकास हुआ. कम निवेश के कारण समग्र स्तर से औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निश्चल बने रहे. हालांकि विमुद्रीकरण के दौरान अर्थव्यवस्था को माँग में अल्पकालिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा फिर भी इसके तत्काल बाद नकदी के नये प्रवाह ने इस कमी को पूरा कर लिया. उपरोक्त सभी अस्थिरताओं के परिप्रेक्ष्य में देश का समग्र विकास वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.1% की अनुमानित दर पर सकारात्मक बना रहा.

2.2 वित्त वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट, नीतिगत पारदर्शिता और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष व्यय के साथ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छता (टीईसी) पर विशेष बल दिये जाने के कारण समाज के सभी संवर्गों के लिए संतुलित रहा. बजट में क्षेत्र विशेष पर ध्यान केन्द्रित किया जाना संसाधनों के न्याय-संगत संवितरण को दर्शाता है तथा अर्थव्यवस्था के सतत विकास को गति प्रदान करता है. वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा 3.2 प्रतिशत पर बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में राजकोषीय विवेकशीलता पर ध्यान दिया गया.

तालिका 1: जीडीपी और इसके घटकों की विकास दर (%)

	वित्त वर्ष 2016-17 के पूर्वानुमान	वित्त वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान
वास्तविक जीडीपी	7.1	7.9
कृषि	4.4	0.8
उद्योग	5.8	8.2
जिसमें उत्पादन	7.7	10.6
सेवा	7.9	9.8

स्रोत : सीएसओ

3. बाह्य क्षेत्र

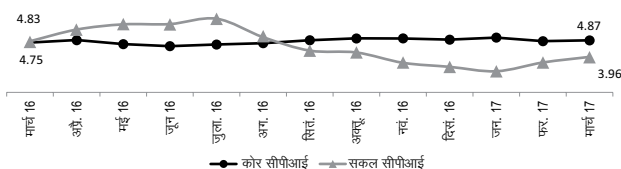
3.1 नवंबर 2016 से अर्थव्यवस्था में व्यापार निष्पादन में तेजी आई है. आयात निर्यात प्रदर्शन में सुधार ने अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया. वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में चालू खाता घाटा पिछली तिमाही के जीडीपी के 0.6 प्रतिशत से अधिक अर्थात् जीडीपी का 1.4 प्रतिशत रहा. वित्त वर्ष 2016-17 में विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) का प्रवाह 2015-16 के ₹ 18,176 करोड़ की तुलना में ₹ 48,411 करोड़ के साथ मजबूत रहा. स्वस्थ एफपीआई प्रवाह और निवेशकों का विश्वास बढ़ने से स्रया 31 मार्च 2016 को 66.3 यूएस डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2017 को 64.8 यूएस डॉलर पर पहुंच गया, जो 2.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है. रुपए की क्रमिक मूल्य वृद्धि ने अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र का विश्वास भी मजबूत किया है.

4. मूल्य परिदृश्य

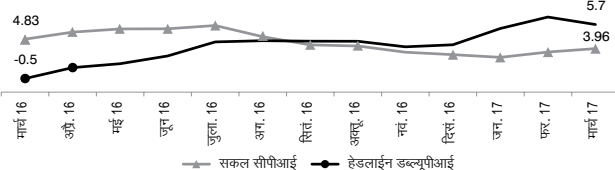
4.1 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल्य परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए. खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में आई भारी गिरावट के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2016 में विगत कई वर्षों के अपने न्यूनतम स्तर 3.6 प्रतिशत पर पहुंच गई. विमुद्रीकरण के कारण आई नकदी की कमी का असर उपभोग की मांग पर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भोजन, मुख्यतः सब्जियों की कीमतों में कमी आई. वित्त वर्ष 2016-17 के पूर्वार्ध में कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहीं; तथापि, अगस्त, 2016 में ओपेक देशों के समझौते से शुष्काती कम कीमत की स्थिति में प्रति-प्रवाह आया, जिसका परिणाम मूल्यों में क्रमिक वृद्धि के रूप में रहा. वित्त वर्ष 2016-17 में मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) औसत 4.9 प्रतिशत के आस पास बनी रही.

4.2 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बढ़ने की प्रवृत्ति रही. सत्रह महीनों तक लगातार नकारात्मक स्थिति में रहने के बाद अप्रैल, 2016 से थोक मूल्य सूचकांक में प्रति-प्रवाह (वृद्धि) की प्रवृत्ति शुरू हुई. विनिर्माण उत्पादों के मूल्यों, विशेषकर मध्यवर्ती लागतों में वृद्धि के कारण जून 2016 से थोक मूल्य सूचकांक में क्रमिक वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिली. सितम्बर 2016 के बाद थोक मूल्य सूचकांक की ओर अभिसारित होकर संवेग से कमोडिटी प्राइस इंडेक्स को पार कर गया.

चार्ट 1 : सीपीआई एवं कोर सीपीआई की स्थिति (%)



चार्ट 2 : डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई की स्थिति



स्रोत: सीएसओ

5. शेयरबाजार प्रदर्शन

- 5.1 विभिन्न वित्तीय और राजनीतिक गतिविधियों के कारण वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान इक्विटी बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहा। वित्त वर्ष 2016-17 में एस एंड पी सेंसेक्स में 16.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, निफ्टी में भी 18.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। बैंकेक्स 32.8 प्रतिशत चढ़ा। वित्त वर्ष 2016-17 के उत्तरार्ध में उल्लेखनीय नीतिगत पहल की पृष्ठभूमि में कारोबारी आत्मविश्वास में सुधार हुआ; तथापि विमुद्रीकरण के बाद विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों की धीमी गति ने, बाजार पर विपरीत प्रभाव डाला। अमेरिकी ट्रेजरी की आय में बढ़ोतरी ने विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बांड बाजारों में अस्थिरता लाई। प्रबल बाहरी अनिश्चितताओं यथा ब्रेक्सिट, अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों के बावजूद, भारतीय वित्त बाजार को मुख्य रूप से घरेलू नीति सुधारों और सरकार के सुधार एजेंडे से समय-समय पर काफी समर्थन मिला।

तालिका 2: वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बाजार प्रतिलाभ(वर्षानुवर्ष)		
	(%)	
सूचकांक	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16
सेंसेक्स	16.9	-9.4
बैंकेक्स	32.8	-11.9
सीएनएक्स निफ्टी	18.6	-8.9
सीएनएक्स पीएसयू बैंक	44.0	-28.2

6. बॉण्ड बाजार परिदृश्य

- 6.1 01 अप्रैल, 2016 को 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय 7.4 प्रतिशत थी, जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न वित्तीय और संरचनात्मक उतार चढ़ावों के कारण कम होकर 31 मार्च 2017 को 6.7 प्रतिशत हो गई। विमुद्रीकरण के पश्चात सरकारी प्रतिभूतियों की आय में भी ऊपरी उतार-चढ़ाव का दौर रहा। बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता आने से एसएलआर प्रतिभूतियों में स्वाभाविक रूप से उच्च निवेश हुए और बाजार में बॉण्ड की कीमतों में वृद्धि हुई है। बैंकों का एसएलआर निवेश मार्च, 2017 में बढ़कर 17.9 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2016 में 5.9 प्रतिशत था।

- 6.2 बजट की घोषणा के अनुसार, सरकार अपने वित्तीय अनुशासन के लक्ष्य का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए शुद्ध बाजार उधारी का लक्ष्य ₹ 3.5 ट्रिलियन है, जो वित्त वर्ष 2016-17 के ₹ 4.3 ट्रिलियन से कम है।

7. तरलता की स्थिति

- 7.1 मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो की आवश्यकतानुसार नीलामी के फलस्वरूप तरलता की स्थिति सुविधाजनक बनी रही। विमुद्रीकरण की शुरुआत के बाद अर्थव्यवस्था को तरलता समायोजन के लिए क्षणिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा; हालांकि, तरलता की स्थिति को संतुलित करने के नियामक के प्रयासों ने प्रणाली में नकदी प्रवाह की गति को फिर से हासिल करने में मदद की है। 31 मार्च, 2017 तक शुद्ध तरलता की मांग ₹ 3.2 लाख करोड़ रही। निधियों के अतिरिक्त प्रवाह के कारण, कई बैंकों ने अपनी एमसीएलआर दरों में कटौती की है, ताकि अतिरिक्त फंड को वे अपने ग्राहकों को अंतरित कर सकें।

- 7.2 अपनी पिछली मौद्रिक नीति में आरबीआई ने नीतिगत कोरिडोर को 7 अप्रैल, 2017 से 50 बीपीएस से कम करके 25 बीपीएस तक सीमित करने का निर्णय लिया। यद्यपि, रेपो रेट अपरिवर्तित रहा, रिवर्स रेपो रेट बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गया। यह नीतिगत कार्रवाई आरबीआई की अतिरिक्त तरलता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप है। सामंजस्य से तटस्थता की ओर जाने का रिजर्व बैंक का नीतिगत दृष्टिकोण मूल्य स्थिरता और तरलता प्रबंधन का परिचायक है। सिस्टम लेवल तरलता को तटस्थ बनाए रखना रिजर्व बैंक का एक दीर्घकालिक लक्ष्य है।

8. बैंकिंग वातावरण:

- 8.1 परिवर्तनशील वैश्विक एवं घरेलू वातावरण के बीच भारतीय बैंकिंग उद्योग वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि ऋण समस्याओं से जूझता रहा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2016-17 में बैंकिंग उद्योग के ऋण संविभाग में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण के चलते बैंकिंग उद्योग की सकल जमा राशियां दो अंकों के 11.8 स्तर तक पहुंच गईं। एमसीएलआर दर में कमी, एसएलआर दरों में क्रमिक कमी ने मौद्रिक नीति कोरिडोर को सीमित कर दिया तथा सामंजस्य से तटस्थता की ओर जाने वाले रिजर्व बैंक के नीतिगत दृष्टिकोण को चालू व अगले वित्त वर्ष के दौरान बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करने वाले अति महत्वपूर्ण सुधार के रूप में पहचान मिली।

- 8.2 खुदरा एवं कृषि क्षेत्र वर्ष के दौरान वृद्धिशील ऋण संवृद्धि के प्रमुख कारक रहे, तथापि, बैंकिंग उद्योग का समग्र ऋण संविभाग बुनियादी ढांचागत उद्योग की ओर केंद्रित रहा। लंबे समय तक धन की कमी और कमजोर ऋण सेवा अनुपात के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण बैंकों के तुलन पत्र को प्रभावित करते रहे हैं। प्रावधानों की आवश्यकताओं के लिए अधिक समायोजन करने के कारण बैंकों की लाभप्रदता में कमी आई। आस्ति गुणवत्ता समीक्षा(एक्यूआर) के अधीन तुलन पत्र की सुदृढ़ता सहित केंद्रीय बैंक की कड़ी विनियामक पहलों, रीस्ट्रक्चरिंग एवं प्रोविजनिंग मानदंडों में संशोधन, बड़े उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोजर लिमिट कम करते हुए जोखिम शमन उपायों के साथ-साथ अन्य विनियामक नियमितताओं में वृद्धि की गयी, ताकि सिस्टम आधारित आस्ति गुणवत्ता जोखिम में कमी लाते हुए बैंकिंग उद्योग के आस्ति संविभाग में सुधार किया जा सके।

8.3 बैंकिंग उद्योग ने डिजिटल फ्रंट पर बढ़ते विश्वास तथा रीवाइविंग आर्थिक वातावरण में बढ़ते कारोबारी मैट्रिक्स के साथ संवृद्धि के मिले जुले संकेत दिए हैं। पूंजी बाधाओं, बड़े औद्योगिक घरानों की धीमी भुगतान क्षमता तथा साइबर सुरक्षा जैसी कुछ चुनौतियां अभी भी हमारे समक्ष विद्यमान हैं, जिनके उचित समाधान से ही इस क्षेत्र की संवृद्धि को बहाल किया जा सकता है।

9. प्रोजेक्ट उत्कर्ष: एक रूपांतरण पहल

9.1 उच्च प्रौद्योगिकी कौशल, ग्राहक-संकेद्रित मानव संसाधन तथा मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाएं स्थापित करने हेतु आपके बैंक ने अपनी आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रियाओं में आदर्श परिवर्तन प्रक्रिया आरंभ की। इस परिवर्तन को प्रोजेक्ट उत्कर्ष नाम दिया। शुल्काती तौर पर निम्नांकित पांच प्रमुख क्षेत्रों में मौजूदा सामर्थ्य निर्माण तथा नवीन पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

9.1.1 शाखाओं, आस्ति एवं देयता प्रक्रियाओं में प्रक्रिया सुधार तथा डिजिटलीकरण के जरिये बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करना एवं बेहतर प्रक्रिया दक्षता;

9.1.2 आंतरिक ग्राहक डाटा आधारित स्मार्ट विश्लेषण के जरिये अधिक ग्राहकों को उत्पादों की क्रास-सेलिंग;

9.1.3 संपूर्ण संवितरण नेटवर्क तथा विपणन टीमों के अंतर्गत उच्च आस्ति व देयता उत्पादों में उच्च बिक्री उत्पादकता

9.1.4 बेहतर सेवा प्रदान करना तथा एटीएम, काल सेंटर, मोबाइल एवं इंटरनेट सहित विविध चैनलों का प्रयोग एवं विक्रय; तथा

9.1.5 प्रशिक्षण, कार्यनिष्पादन प्रबंधन, जनबल आयोजना, उत्तराधिकार आयोजना, नेतृत्व विकास में मजबूत एचआर नियोजन

9.2 उत्कर्ष के प्रथम चरण में प्रक्रिया सुधार तथा बिक्री में वृद्धि हेतु शाखा मॉडल की रीडिजाइन, टर्न एराउंड टाइम कम करने हेतु यूनियन लोन पाइंट (यूलपी) तथा सरल इकाइयों (केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र, क्रमशः खुदरा एवं एमएसएमई ऋणों के लिए) में सुधार, वैशिष्ट्य संवर्धन कार्यक्रम एवं ग्राहकों द्वारा डिजिटल चैनलों के प्रयोग पर बल तथा बहुविध तथा लक्षित अभियानों के जरिये क्रास सेलिंग हेतु कारोबार विश्लेषण यूनिट स्थापित करना शामिल है। वर्ष 2016-17 के दौरान 14 क्षेत्रों के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल कुल क्षेत्रों की संख्या 21 हो गयी है। यद्यपि 31 मार्च, 2017 को यूनियन उत्कर्ष के अंतर्गत यूलपी और सरल को मिलाकर कुल शाखाओं की केवल 14.6 प्रतिशत शाखाएं ही कवर की गयी हैं, तथापि, बैंक के खुदरा एवं एमएसएमई संविभाग में इनका योगदान 56 प्रतिशत है।

9.3 उत्कर्ष रूपान्तरण ने प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्यों से संबन्धित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। विमुद्रीकरण की अवधि (नवम्बर-दिसम्बर 2016) में भी कारोबार प्रदर्शन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के कार्यान्वयन के समय से कासा उत्पादकता में सार्थक वृद्धि दर्ज की गई, सभी क्षेत्रों में नए खुदरा ऋणों की मंजूरी में 32% प्रति माह की वृद्धि हुई।

9.4 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यूनियन उत्कर्ष के अगले चरण में निम्नांकित संरचनात्मक परिवर्तन किए गए:

9.4.1 बड़ी कंपनियों के कारोबार का सम्पूर्ण स्वामित्व: बड़ी कंपनियों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना परिचालनात्मक माडल के रूप में की गई है, जिसमें से औद्योगिक वित्त शाखाएँ (आईएफबी) दो नई भूमिकाओं अर्थात 'ग्राहक सेवा प्रमुख' (सीएसएच) और 'रिलेशनशिप प्रबंधक' (आरएम) के साथ एक संशोधित मॉडल में काम करना शुरू कर देंगी। मुंबई और दिल्ली में ये शाखाएँ क्रास-सेलिंग के माध्यम से नए कारोबार सृजन और उच्च आय सृजन पर ध्यान देने के लिए 'कॉर्पोरेट रिलेशनशिप हेड' के रूप में काम करेंगी। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता- तीनों केन्द्रों में औद्योगिक वित्त शाखाओं में लार्ज कारपोरेट वर्टिकल की नई संरचना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

9.4.2 होम लोन/ बंधक कारोबार का संपूर्ण स्वामित्व: नए खुदरा व्यापार के सृजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिल्डर टाई-अप और अन्य चैनलों के माध्यम से आवास ऋण और बंधक ऋण कारोबार की नई संरचना प्रारंभ की गई है। इस संरचना के अंतर्गत, 'नगरीय विक्रय प्रमुख' और 'रिलेशनशिप प्रबंधक' की भूमिका की शुरुआत की गई है। नई संरचना दो पायलट केंद्रों- बैंगलूर और पुणे में लागू की गई है।

9.4.3 कृषि व्यापार के लिए संकेद्रित दृष्टिकोण: बढ़ते कृषि व्यापार पर जोर देने के लिए प्रमुख ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं में कृषि कारोबार की वर्तमान संभावनाओं के आधार पर 'एरिया मैनेजर' के रूप में एक नई भूमिका की शुल्कात की गई है। वर्तमान में चार पायलट केन्द्रों में इस नए ढांचे को लागू किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान ऐसे 21 चयनित क्षेत्रों में इसे लागू किया जाना है।

9.5 कारोबार विश्लेषण: आपके बैंक ने कारोबार विश्लेषिकी पहल के तहत कई नई शुरुआतें की हैं। बैंक ने इन-हाउस टीम, सुनियोजित अभियानों के लिए उन्नत मॉडल इन हाउस लीड मैनेजमेंट टीम की स्थापना, अपनी सीबीएस प्रणाली में एन.पी.टी.बी (नेक्स्ट प्रॉडक्ट टू बाई) मेनू का समावेशन ग्रामीण शाखाओं की लीड देने के लिए किया है। साथ ही, लाइफ एंड हेल्थ इश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड एवं डिजिटल उत्पादों के डाटा को एकीकृत करके 'ग्राहक एक दृष्टि' जैसी सुविधा भी ईजाद की गई है। कारोबार विश्लेषण के कारण बहुत से अभियानों के मॉडलों को तैयार करने में सफलता मिली है तथा बैंक के वर्तमान उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्यांकन के पुनर्निर्धारण के अवसर प्राप्त हुए हैं।

10. संसाधन प्रबंधन:

10.1 वित्त वर्ष 2016-17 की बैंक की रणनीति में अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने में निवेश को जारी रखते हुए विकास, लाभप्रदता और जोखिम प्रबंधन के संतुलन पर जोर दिया गया है। एक चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक वातावरण के बावजूद बैंक ने 31 मार्च, 2016 के ₹ 3,42,720 करोड़ की तुलना में वैश्विक जमाराशि

चार्ट 3: देश में यूनियन उत्कर्ष की स्थिति



	प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत कवरेज	पूरे बैंक का कवरेज प्रतिशत में
कुल शाखाएं	624	14.6%
कुल यूलपी	36	50.0%
कुल सरल	19	95%
कुल कर्मचारी	8,805	23.9%
खुदरा + एमएसएमई		56%

में निरंतर सुधार के साथ जमाराशियों में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 31 मार्च, 2017 तक ₹ 3,78,392 करोड़ संग्रहित किए। ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार के लक्ष्य तथा विमुद्रीकरण के कारण घरेलू बचत जमाराशियों (एसबी) में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू बचल जमाराशियां (एसबी) ₹ 1 लाख करोड़ के लक्ष्य को पार कर गयीं। बैंक की चालू जमाराशियां 31 मार्च, 2017 को ₹ 26,236 करोड़ थीं जिससे कासा (चालू जमा तथा बचत बैंक खाता) 31 मार्च, 2016 के ₹ 1,10,876 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को ₹ 1,30,308 करोड़ पहुंच गया। कुल जमाराशि में कासा जमाराशि का हिस्सा 210 आधार अंकों के साथ बढ़कर 31 मार्च, 2016 के 32.3 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2017 को 34.4 प्रतिशत हो गया। बैंक अपनी नई डिजिटल पहल और ग्राहक प्राप्ति के नए मॉडल के माध्यम से इस राह में लगातार प्रगति की उम्मीद करता है।

तालिका 3: जमा की संरचना (₹ करोड़)				
पैरामीटर	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2015-16	वार्षिक वृद्धि
			वास्तविक	(%)
कुल जमा	378392	342720	35672	10.4
कासा जमा	130308	110876	19432	17.5
बचत जमा	104072	81133	22939	28.2
चालू जमा	26236	29743	-3507	-11.7
सावधि जमा	248083	231844	16239	7.0

11. क्रेडिट प्रबंधन:

11.1 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, अग्रिमों की बढ़ोतरी में कमी के बावजूद आपके बैंक ने पिछले वर्ष के वैश्विक अग्रिम संविभाग में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू अग्रिम में रैम में 53.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 50.5 प्रतिशत थी।

तालिका 4: अग्रिम (₹ करोड़)				
पैरामीटर	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
सकल अग्रिम	301684	277725	23959	8.6
खुदरा अग्रिम	40380	32765	7615	23.2
कृषि अग्रिम	44124	38819	5305	13.7
एमएसएमई अग्रिम	61913	55524	6389	11.5
लार्ज कॉर्पोरेट एवं अन्य अग्रिम	155267	150617	4650	3.1
रैम (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र)	146417	127108	19309	15.2
घरेलू श्रेयों में रैम का हिस्सा	53.8	50.5		

12. खुदरा ऋण

12.1 अर्थव्यवस्था में विद्यमान वर्तमान अवसरों को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने खुदरा ऋण संविभाग में उत्तरोत्तर विकास की गति को बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान खुदरा ऋण संविभाग पिछले वर्ष ₹ 32765 करोड़ की तुलना में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 40380 हो गया है।

तालिका 5: खुदरा ऋण प्रमुख उप क्षेत्र (₹ करोड़)				
योजनाएं	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
आवास ऋण	23126	21121	2005	9.5
ऑटो ऋण	3324	2746	578	21.0
शिक्षा ऋण	3020	2735	285	10.4
बंधक ऋण	2488	2091	397	18.9

12.2 खुदरा ऋण संविभाग में वृद्धि मुख्य रूप से गृह ऋण और जमानती बंधक ऋण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी से हुई है। गृह ऋण और बंधक ऋण व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए आपके बैंक ने प्रायोगिक तौर पर पुणे और बेंगलुरु में गृह ऋण और बंधक ऋण सेल के माध्यम से इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नए चैनल की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त बैंक ने खुदरा संविभाग ने यूनियन मार्गेज प्लस योजना नामक नए उत्पाद की शुल्कात की है। इसके अलावा बैंक ने होम लोन उत्पादों का सम्पूर्ण डिजिटलीकरण कर होम लोन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है।

13. कृषि :

13.1 कृषि अग्रिम 31 मार्च 2017 को ₹ 44,124 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अर्न्तगत कुल संवितरण ₹ 21,654 करोड़ रहा, जो लक्ष्य ₹ 20,500 करोड़ का 105.6 प्रतिशत है। वित्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 1.81 लाख नए किसानों को वित्त पोषण किया गया एवं 1.95 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड ₹ 3,033 करोड़ की ऋण सुविधा के साथ जारी किए गए।

13.2 बैंक द्वारा उन किसानों के लाभ के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) कार्यान्वित की गई है, जो विपरीत मौसम का सामना करते हैं और उन्हें क्षति होती है। बंटाईदार किसान एवं किराये पर खेती करने वाले किसानों सहित सभी किसान, जो चिह्नित क्षेत्रों में निर्धारित फसलें उगाते हैं, पीएमएफबीवाई के दायरे में आते हैं।

13.3 कृषि अग्रिमों को फोकस करने के लिए 56 नई कृषि फोकस शाखाएं शुरू की गई हैं और अब कृषि फोकस शाखाओं की कुल संख्या 765 हो गई है। आपके बैंक ने संबंधित क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए 30 क्षेत्र विशेष योजनाएं बनायी हैं। कृषि ऋण, कासा जमाराशि एवं एनपीए वसूली के लिए 21 नए कृषि क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें से 4 ने 31 मार्च, 2017 से पहले ही काम करना प्रारम्भ कर दिया है। कृषि अग्रिम पर जोर देने के लिए नर्सरी इकाइयों, पाल्ट्री इकाइयों, ड्रिप सिंचाई, अन्तर्देशी मत्स्य पालन में वित्तीयन के लिए नयी योजनाएं भी प्रारम्भ की गयी हैं।

13.4 किसानों/ व्यापारियों/ प्रोसेसर/ आढ़तियों को वेयर हाउस रसीदों के पेटे ऋण प्रदान करने के लिए संपार्थिक प्रबंधन सेवाओं हेतु बैंक ने मेसर्स एडल्वीस इंटीग्रेटेड कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड (ईआईसीएमएल) के साथ टाई-अप भी किया है। बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वेयर हाउस रसीद के पेटे वित्तीयन के लिए एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड (एनईएमएल) के साथ भी टाई-अप किया है।

14 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

14.1 आपके बैंक में एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए अनेक उत्पाद व योजनाएं विद्यमान हैं तथा एमएसएमई ऋणों के त्वरित मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु 320 समर्पित कारोबारी बैंकिंग शाखाएं (बीसीबी) हैं तथा 20 सरल हैं। सरल के ढांचे की विस्तृत समीक्षा की गयी है तथा हामीदारी मानकों एवं टर्न अराउंड समय में सुधार हेतु प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अन्तर्गत इनकी पुनः समीक्षा की गयी है तथा अपेक्षित सुधार किया गया है।

14.2 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 11.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए आपके बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2017 को ₹ 61,913 करोड़ रहा। 13.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए एमएसई पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2017 को ₹ 47,150 करोड़ रहा, जो कुल एमएसएमई पोर्टफोलियो का 76.2 प्रतिशत रहा।

तालिका 6: एमएसएमई पोर्टफोलियो का विश्लेषण (₹ करोड़ में)				
योजना	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(प्रतिशत)
सूक्ष्म उद्यम	19411	15921	3490	21.9
लघु उद्यम	27739	25525	2214	8.7
मध्यम उद्यम	14763	14078	685	4.9
एमएसएमई अग्रिम	61913	55524	6389	11.5

14.3 आपके बैंक ने सरकार की 'स्टार्ट अप इंडिया' योजना के अन्तर्गत स्टार्ट अप के रूप में पहचानी गयी कारोबारी इकाइयों के लिए बैंक सक्षम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनियन स्टार्टअप योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत रियायती ब्याज दर पर एवं प्रक्रिया प्रभारों तथा अन्य प्रभारों को कम करके ₹5 करोड़ तक कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2017 तक आपके बैंक ने 560 स्टार्ट-अप उद्यमों को ₹109 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

14.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को उनके कारोबारी लेनदेनों में डिजिटल नकदी रहित चैनलों को अपनाने के लिए वित्तीय हेतु 'यूनियन टर्नओवर प्लस' योजना प्रारम्भ की गयी है। 50 प्रतिशत से अधिक डिजिटल विक्रय टर्नओवर करने वाले एमएसई को डिजिटल भाग के 30 प्रतिशत तथा शेष भाग के 25 प्रतिशत तक बैंक वित्त की सुविधा प्रदान की जायेगी।

14.5 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, आपके बैंक ने आरटीओ (हल्के वाणिज्यिक वाहन) के वित्तीयन के लिए विभिन्न निर्माताओं से टाई-अप व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीयन की विशेष योजना बनायी है। इन टाई-अप व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बैंक ने 28,224 हल्के वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण हेतु ₹706 करोड़ का ऋण दिया है।

14.6 इसके अतिरिक्त यूनियन प्रोग्रेस, यूनियन रेंट, यूनियन एसएमई प्लस एवं यूनियन लिक्वी प्रापर्टी जैसी एमएसएमई योजनाओं का वर्ष के दौरान पुनर्निर्माण किया गया एवं उन्हें ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया गया।

15. कारपोरेट ऋण

आपके बैंक ने लार्ज कारपोरेट की निवेश ग्रेड परियोजनाओं में उचित रूप से ऋण का सवितरण किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके वैश्विक लिंकेज में वृद्धि के अवसरों में सहभागिता की है। 31 मार्च, 2017 को वर्षानुवर्ष 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए लार्ज कारपोरेट अग्रिम ₹1,55,267 करोड़ रहा। देश भर में स्थित 8 औद्योगिक वित्त शाखाएं विशेष रूप से लार्ज कारपोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है

16. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम :

16.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का वित्तपोषण करना बैंक का प्रमुख लक्ष्य रहा है। वित्त वर्ष 2016-17 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रिम 31 मार्च, 2017 को ₹ 1,11,861 करोड़ रहा तथा गत वर्ष की तुलना में 9.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी, जो कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 42.5 प्रतिशत है और बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए एएनबीसी के निर्धारित 40.00 प्रतिशत के बेंचमार्क से आगे निकल गया।

तालिका 7: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (₹ करोड़)					
मद	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वर्ष दर वर्ष (प्रतिशत)	एएनबीसी से %	भारिबे बेंचमार्क मार्च 2017 (प्रतिशत)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	111861	102596	9.03	42.46	40
कृषि क्षेत्र*	50758	45417	11.76	19.27	18
लघु एवं सीमांत कृषक	24142	21727	11.12	9.16	8
एमएसएमई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	43576	40237	8.30	-	-
खुदरा प्राथमिकता	16787	16045	4.62	-	-
कमजोर वर्ग को ऋण	33016	28849	14.44	12.53	10
महिला लाभार्थियों को ऋण	17635	16042	9.93	9.89	5

* कृषि क्षेत्र के अग्रिमों में भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) और पीटीसी शामिल है।

16.2 कृषि अग्रिम समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 19.3 प्रतिशत रहा एवं 18 प्रतिशत के निर्धारित बेंचमार्क से ऊपर रहा। 31 मार्च, 2017 को बैंक का लघु एवं सीमान्त कृषकों को अग्रिम ₹24,142 करोड़ रहा, जो एएनबीसी के निर्धारित 8 प्रतिशत बेंचमार्क की तुलना में 9.2 प्रतिशत रहा।

16.3 सामाजिक उत्थान हेतु विशेष ऋण:

16.3.1 **महिला लाभार्थी** : महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे बैंक ने महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर प्रोत्साहित किया है। 31, मार्च 2017 को बैंक ने 9.23 लाख महिला लाभार्थियों को वित्तपोषण किया है। 31 मार्च, 2017 को महिला लाभार्थियों को कुल बकाया ऋण 31 मार्च, 2016 के ₹ 16,042 करोड़ से बढ़कर ₹ 17,635 करोड़ हो गया अर्थात् भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित 5.0 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी का 6.7 प्रतिशत रहा। इस संवर्ग में बैंक ने 9.9 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है।

16.3.2 **अल्प संख्यक समुदाय** : अल्प संख्यक समुदाय के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में हमारा बैंक अल्प संख्यक समुदाय जैसे सिख, मुस्लिम, इसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन के लोगों को वित्त प्रदान कर रहा है। 31 मार्च, 2017 को अल्प संख्यक समुदाय को बकाया ऋण ₹ 11,367 करोड़ रहा।

16.3.3 **कमजोर वर्ग** : बैंक, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के वित्त पोषण में सक्रिय सहभागिता निभा रहा है। एएनबीसी के निर्धारित 12.5 प्रतिशत एवं भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित 10 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च, 2017 को कमजोर वर्ग के वित्तीयन में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक ऋण ₹28,898 करोड़ से बढ़कर ₹ 33,016 करोड़ हो गया।

16.3.4 **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)**: गरीबों को अपने रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने एवं उन्हें पूँजी की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से लागू सूक्ष्म ऋण योजना एक प्रभावी व्यवस्था है। वर्ष के दौरान बैंक ने 85,312 एसएचजी गठित किए हैं तथा 68,249 एसएचजी को क्रेडिट से लिंक किया गया। एसएचजी को मार्च, 2017 को बकाया ऋण राशि ₹ 2315 करोड़ रही। महिला सशक्तिकरण में एसएचजी की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा महिला एसएचजी (डब्ल्यूएसएचजी) के गठन एवं उनके वित्तीयन पर जोर दिया जा रहा है। बैंक द्वारा 250 चिन्हित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लाभ के राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अन्तर्गत ब्याज अनुदान योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

16.3.5 **ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)**: ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बैंक ने उन जिलों में, जहां वह अग्रणी बैंक की भूमिका में है, 14 आरसेटी स्थापित किए हैं। मार्च, 2017 तक हमारे आरसेटी में 53,199 प्रतिभागी प्रशिक्षित हुए, जिसमें से 30,817 प्रतिभागी रोजगार में लग गए। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 हेतु 10320 व्यक्तियों के प्रशिक्षण के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 10355 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मूल्यांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान हमारे 14 आरसेटी में 11 आरसेटी को "एए" ग्रेड मिला, जबकि 3 आरसेटी को "एबी" ग्रेड मिला।

16.4 **अग्रणी बैंक योजना** : बैंक 4 राज्यों के 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 8: अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत जिले	
राज्य	जिला
बिहार	खगड़िया एवं समस्तीपुर
केरल	एर्णाकुलम एवं इडुक्की
मध्य प्रदेश	रीवा, सीधी तथा सिंगरौली
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ एवं वाराणसी

16.5 अग्रणी जिलों में बैंक की 640 शाखाएं हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में इन जिलों में बैंक की जमाराशियां 12.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए विगत वर्ष के ₹ 34,902 करोड़ की तुलना में ₹ 39,314 करोड़ हो गईं। इन अग्रणी जिलों में अग्रिम की राशि ₹ 11138 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को ₹ 11,241 करोड़ हो गयीं।

16.6 **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)**: हमारा बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी) का प्रवर्तक बैंक है। इसकी 444 शाखाएं हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों यथा वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, भदोही एवं अम्बेडकर नगर में स्थिति हैं। वित्त वर्ष 16-17 के दौरान केजीएसजीबी का कारोबार 18.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 13,106 करोड़ पहुंच गया। 62.5 प्रतिशत कासा जमाराशि के साथ कुल जमाराशियां ₹ 10,116 करोड़ रहीं। अग्रिम ₹ 2,990 करोड़ रहा, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का भाग 79.7 प्रतिशत एवं कृषि का भाग 48.4 प्रतिशत योगदान रहा। तकनीक के प्रयोग में केजीएसजीबी लगातार प्रगति कर रहा है। 31 मार्च, 2017 तक 43 एटीएम लगाए जा चुके हैं, जिसमें बोलने वाले एटीएम भी शामिल हैं। हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किसानों की सुविधा के लिए एटीएम समर्थित केसीसी की शुल्कात की है। दुतगामी सेवा प्रदान करने के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी सेवा एवं डिजिटल अथारिटी चेक प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्राहकों को नियमित संव्यवहारों के एसएमएस एलर्ट एवं एसएमएस बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

17. वित्तीय समावेशन :

17.1 समाज के आर्थिक रूप से वंचित लोगों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर आपका बैंक 'अर्थपूर्ण वित्तीय समावेशन' में श्रेष्ठ बैंक है। परिवारों को बैंकिंग दायरे में लाने, खातों एवं स्रे कार्ड को सक्रिय करने, खातों में आधार एवं मोबाइल संख्या दर्ज करने आदि में आपका बैंक अपने समकक्ष अन्य बैंकों में सबसे आगे है। आपके बैंक ने 31 मार्च, 2017 तक विभिन्न राज्यों में एसएलबीसी द्वारा आबंटित 5,407 उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में आयोजना एवं रणनीतिक गतिविधियां चलायी हैं। जिसमें 18,439 ग्रामों को कवर किया गया है।

17.2. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक ने पीएमजेडीवाई खातों के माध्यम से लघु बचतों एवं संवितरणों को प्रोत्साहन दिया है, जिसकी प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है :

तालिका 9: वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत प्रगति				
मद	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वर्ष दर वर्ष वृद्धि	
			वास्तविक	(प्रतिशत)
कुल खाते(संख्या)	6806109	5821379	984730	16.9
वर्ष के दौरान खुले पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	1765330	993377	771953	77.7
पीएमजेडीवाई खातों में शेषराशि (₹लाख)	135385	85807	49578	57.8
आधार अंकित खाते(संख्या)	4453217	1743376	2709841	-
आधार अंकित खातों का प्रतिशत	65.43 प्रतिशत	29.95 प्रतिशत	-	3548 बीपीएस
पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट(संख्या)	8415	7393	1022	13.8
पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट राशि (₹लाख)	195.74	158.85	36.89	23.2
खातों में मोबाइल संख्या अंकन(संख्या)	3397573	लागू नहीं	-	-
मोबाइल संख्या दर्ज खातों का प्रतिशत	49.92 प्रतिशत	लागू नहीं	-	-

17.3 वर्ष के दौरान आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत कार्यनिष्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां प्रारम्भ की हैं. 5,407 आर्बिट्रि एसएसए के अतिरिक्त आपका बैंक 119 गैर-एसएसए में भी सक्रिय है. वर्ष के दौरान बी.सी. मॉडल के माध्यम से कुल 25.7 प्रतिशत संव्यवहार किए गए एवं 31 मार्च, 2017 को 90.6 प्रतिशत बैंक मित्र सक्रिय थे.

17.4 आपके बैंक ने एटीएम एवं एसएमएस के माध्यम से ओवरड्राफ्ट के आटोमेशन द्वारा पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट के लिए एक सरल प्रक्रिया बनायी है. इससे आपके बैंक को ओवरड्राफ्ट प्रक्रिया के लिए 24 घंटे के लगने वाले समय (TAT) को बनाए रखने में सहायता मिली है.

17.5 आपके बैंक ने डीएफएस एवं आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, बीसी मॉडल के संशोधित पारिश्रमिक ढांचे को लागू किया है. बैंक मित्रों को पारिश्रमिक का भुगतान भी एस्क्रो तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है. आपके बैंक ने प्रशिक्षण एवं आईआईबीएफ सर्टीफिकेशन प्रक्रिया से बैंक मित्रों की क्षमता निर्माण के लिए कार्य किया है. अन्तिम छोर पर बैठे ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्रों की दैनिक गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है.

17.6 बैंक के सेवा क्षेत्र में 5,407 सूक्ष्म एटीएम लगाये गए हैं, जो एईपीएस एवं स्वे आधारित संव्यवहारों को करने में सक्षम हैं. बैंक ने क्षेत्रों में बी.सी. को 100 प्रतिशत सूक्ष्म एटीएम उपलब्ध कराया है.

17.7 डीबीटी एवं डीबीटीएल के अन्तर्गत प्रगति: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्षेत्र में आपके बैंक ने 593 जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने नियत बैंक के रूप में 2,91,60,282 लाभार्थियों के खातों में जमा के लिए ₹ 698 करोड़ की राशि प्राप्त की है. प्रायोजक बैंक के रूप में 26,043 खातों में ₹ 525 करोड़ की राशि प्रेषित की थी. वर्ष के दौरान 2,56,89,086 एलपीजी लाभार्थियों (डीबीटीएल) के खातों में सीधे सब्सिडी जमा करायी गयी, जिससे आपके बैंक को ₹ 251 करोड़ कमीशन अर्जित हुआ.

17.8 **मुद्रा योजना:** सूक्ष्म इकाइयों के विकास एवं पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए भारत सरकार ने मुद्रा योजना प्रारम्भ की है. समावेशी, स्थायी एवं मूल्य आधारित उद्यमिता के वातावरण को निर्मित करने के लिए आपके बैंक ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) की खरीद, लघु कारोबारी उद्यम आदि की स्थापना आदि के वित्तपोषण हेतु प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 तक कुल ₹2,567 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है.

तालिका 10: मुद्रा योजना के अन्तर्गत कार्यनिष्पादन (₹ करोड़)			
मानदंड	संवितरण		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
शिशु	855	168	19.6
किशोर	1545	1623	105.1
तरुण	800	777	97.1
कुल	3200	2567	80.2

18. वित्तीय साक्षरता पहल

18.1 आपके बैंक के सभी 14 अग्रणी जिलों के साथ केरल के कुछ और जिलों में 30 वित्तीय साक्षरता केन्द्र(एफएलसीजे) हैं, जिनके द्वारा ग्राहकों के लिए वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता तथा बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूकता के लिए 4,254 ग्राम शिविर आयोजित किए गए थे. 31 मार्च, 2017 तक 1,15,856 लोगों को इन शिविरों में परामर्श दिया गया. 36,229 लोगों के खाते खोल कर एवं ऋण सुविधाएं प्रदान कर उन्हें बैंकिंग दायरे में लाया गया.

तालिका 11: वित्तीय साक्षरता के अन्तर्गत प्रगति (वास्तविक संख्या)		
विवरण	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16
आयोजित किए गए वित्तीय साक्षरता शिविर	4118	3051
आयोजित किए गए मेगा जागरूकता शिविर	124	62
शिविर में शामिल लाभार्थियों की संख्या	106849	65774
आऊटरीच कार्यक्रमों की संख्या	63072	62928

18.2 बैंक ने अपने वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों के माध्यम से, विशेष रूप से केरल एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में ग्रामीण शाखाओं द्वारा निश्चित अंतरालों पर नियमित रूप से आयोजित होने वाले शिविरों के साथ- साथ विभिन्न डिजिटल जागरूकता शिविर आयोजित किए।

19. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग:

19.1. रिपोर्टिंग मानकों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) कार्यान्वित किए हैं। एफएटीसीए/सीआरएस के तहत रिपोर्ट किए जाने वाले आवश्यक डेटा को प्राप्त करने के लिए प्रणाली को उचित रूप से संशोधित किया गया है।

19.2. निर्यात ऋण 31 मार्च, 2016 के ₹ 9507 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को ₹ 10,047 करोड़ रहा। बैंक की एनआरआई जमाराशियाँ 31 मार्च, 2016 के ₹ 19,535 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को ₹ 18,222 करोड़ रहीं। इस अवधि के दौरान, एफसीएनआर फंड 2013 में आरबीआई के स्वैप विंडो के तहत जुटाई गई राशि परिपक्व हुई। 2016-17 के दौरान, आपके बैंक ने अधिकृत लेन-देन (एडी) शाखा के रूप में एक और शाखा उदयपुर मुख्य (उदयपुर) को वर्गीकृत किया, जिससे ऐसी शाखाओं की संख्या 93 हो गयी।

19.3 आपके बैंक ने वैश्विक वित्तीय बाजार की खोज और संभावित संसाधनों के संग्रहण की संभावनाओं का पता लगाने में गहन भूमिका निभाई है। यूके में एक सब्सिडीयरी, आबूधाबी(यूएई), बीजिंग एवं शंघाई (चीन) में तीन प्रतिनिधि कार्यालयों सहित हांगकांग, दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), एंटवर्प (बेल्जियम) में अपनी उपस्थिति पहले ही दर्ज करा चुका है।

20. विदेशी कारोबार:

20.1 विदेशी परिचालनों से कुल कारोबार 12.5 प्रतिशत बढ़ा है एवं 31 मार्च, 2017 को यह 5,575 मिलियन यूएस डालर रहा।

तालिका 12: विदेशी परिचालन (राशि यूएस डालर मिलियन)				
मद	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
विदेशी जमाराशियाँ	1020	1001	19	1.9
विदेशी अग्रिम	4555	3953	602	15.2
कुल विदेशी कारोबार	5575	4954	621	12.5

21. ट्रेजरी परिचालन:

21.1 ट्रेजरी अनुभाग घरेलू ट्रेजरी परिचालन, विदेशी परिचालन, स्थायी आय, डेरेवेटिव उत्पाद, इक्विटी एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति वर्गों का कार्य करता है। बैंक की ट्रेजरी देशभर में फैले अपने ग्राहकों को ट्रेजरी संबंधी सुविधाएं देने तथा बाजार की नवीनतम हलचलों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलाने हेतु अत्याधुनिक डीलिंग स्म से लैस है। इसके द्वारा आधुनिक तकनीकी प्लेटफार्म से बैंक के ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय उत्पाद जैसे वायदा, विकल्प, ब्याज दर स्वैप एवं मुद्रा स्वैप आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

21.2 निवेश पोर्टफोलियों में सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने के लिए निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियों एवं गैर सांविधिक तरलता निवेशों में इक्विटी शेयर, कारपोरेट ऋण पत्र, पीएसयू बांड, वाणिज्यिक पेपर, जमा प्रमाण पत्र म्यूचुअल फंड, उपक्रम पूंजी कोष, सब्सिडीयरी, संयुक्त उपक्रम एवं सुरक्षा पावती आदि शामिल हैं।

21.3 बैंक ने अपने शुद्ध लाभ को बढ़ाने के लिए ऋण प्रतिभूतियों से लाभ निर्धारित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में ब्याज दर में नरमी के बावजूद प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन किया। ट्रेजरी के इक्विटी डेस्क ने अपने पोर्टफोलियों को सक्रिय रूप से बढ़ाते हुए आईपीओ में भाग लिया और नियमित अंतराल पर लाभ को निर्धारित किया। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, 'निवेश की बिक्री पर लाभ' का आकलन राजकोषीय वित्त वर्ष 2015-16 के ₹ 914 करोड़ के मुकाबले ₹ 2,056 करोड़ किया गया, तथा 125% की वार्षिक वृद्धि की गयी।

21.4 बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों की ब्याज दर और विदेशी विनिमय जोखिम कम करने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों जैसे ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), मुद्रा स्वैप, ब्याज दर फ्यूचर्स, वायदा और विकल्प का विशिष्ट समाधान प्रस्तुत किया है। प्रोप्राइटी ट्रेडिंग डेस्क, उपलब्ध विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय में सक्रिय रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, विनिमय आय वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹ 687 करोड़ की तुलना में ₹ 691 करोड़ रही। घरेलू ट्रेजरी परिचालनों से गैर-ब्याज आय विगत वर्ष के ₹ 1,604 करोड़ के सापेक्ष 70.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 2,743 करोड़ रही।

22. संपदा प्रबंधन सेवाएं:

22.1 मूल्य वर्धित सेवाओं के रूप में, बैंक हमारे अखिल भारतीय शाखा नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे विभिन्न उत्पादों के वितरण द्वारा अपनी वित्तीय, निवेश और संरक्षण की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने ग्राहकों की मदद कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 55 करोड़ के सापेक्ष उत्पादों के वितरण के माध्यम से 41.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करते हुए ₹ 78 करोड़ आय अर्जित की है।

22.2 **जीवन बीमा:** आपका बैंक अपने संयुक्त उद्यम, स्टार यूनिनन दार्ड-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने जीवन बीमा कारोबार से ₹ 59 करोड़ कमीशन अर्जित किया है। बैंक ने सुड लाइफ जीवन बीमा के लिए नई आशियाना सुरक्षा- समूह क्रेडिट जीवन बीमा (घर और बंधक ऋण ग्राहकों के लिए), आदर्श - पारंपरिक बचत और सुरक्षा के लिए जीवन बीमा उत्पाद, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना की गारंटी तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आशीर्वाद-चाइल्ड लाभ नीति जैसे एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस उत्पादों की शुल्कात की है।

22.3 **सामान्य बीमा:** वर्ष के दौरान, खुदरा और वाणिज्यिक क्षेत्रों के तहत न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गैर-जीवन बीमा उत्पादों से ₹ 6 करोड़ की आय अर्जित की।

22.4 **स्वास्थ्य बीमा:** वर्ष के दौरान, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस के सहयोग से यूनिनन बैंक ऑफ इंडिया को स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से ₹ 4 करोड़ की आय अर्जित हुई।

22.5 **म्यूचुअल फंड:** ग्राहकों की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी यूनियन आस्ति प्रबंधन के माध्यम से म्यूचुअल फंड का संवितरण कर रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार से ₹ 8 करोड़ आय अर्जित की।

23. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

23.1 चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद, आपके बैंक ने ₹ 1051 करोड़ के खातों का अपग्रेडेशन किया तथा ₹ 1388 करोड़ नकद वसूली से प्राप्त किये। वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एनपीए में दोगुनी कमी आयी है। वर्ष की सभी चार तिमाहियों में पिछली वर्ष के मुकाबले कम नये स्लीपेज हुए। एनपीए प्रबंधन हेतु सतत प्रयासों तथा सुनियोजित कार्यनीति से ही एनपीए में यह कमी तथा स्लीपेज पर नियंत्रण संभव हो सका है।

तालिका 13: एनपीए की स्थिति (₹ करोड़)		
विवरण	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16
सकल एनपीए (प्रारम्भिक)	24171	13031
बढोत्तरी	13244	12953
घटाया, कमी	3703	1812
(I) अपग्रेडेशन	1051	178
(II) वसूली	1388	844
(III) राइट ऑफ	1264	790
सकल एनपीए (अन्तिम)	33712	24171
शुद्ध एनपीए		
- प्रारम्भिक	14026	6919
- अन्तिम	18832	14026

23.2 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान व्याप्त गतिशील व्यापक आर्थिक वातावरण में आपके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता पर दबाव कम करने हेतु सक्रिय कदम उठाए तथा स्लीपेज कम करने के साथ साथ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने में सफल रहा। वित्त वर्ष 2016-17 में कुल स्लीपेज ₹ 13244 करोड़ रहा। बैंक ने सघन वसूली अभियानों के जरिये वित्त वर्ष 2015-16 के ₹ 1123 करोड़ सकल नकद वसूली की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 1951 करोड़ की वसूली की। अपग्रेडेशन भी वित्त वर्ष 2015-16 के ₹ 178 करोड़ की तुलना में सुधर कर वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 1051 करोड़ हो गया। तथापि, आस्ति गुणवत्ता में ह्रास एवं स्लीपेज बैंक के लिए मुख्य मुद्दे बने रहे।

23.3 बैंक द्वारा ₹ 50 करोड़ से अधिक की राशि के एनपीए खातों की निगरानी/समाधान के लिए केंद्रीय कार्यालय स्तर पर "डिफिकल्ट एसेट रिजोल्यूशन टीम(जार्ट) तथा ₹ 20 करोड़ से ऊपर के बड़े एनपीए खातों की निगरानी/समाधान के लिए आस्ति वसूली शाखा मुंबई में टर्मिनल एसेट रिकवरी डिविजन (टार्ट) की स्थापना की है। बैंक ने एक विशेष निपटान योजना 2017 तैयार की है जो ₹ 25 लाख तक के एनपीए खातों के त्वरित निपटारे के लिए शाखाओं को सशक्त बनाने की एक भेदभाव रहित योजना है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 305 करोड़ की एनपीए वसूली की गई। इसके अलावा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टेलीफोन के जरिये खुदरा और छोटे आकार के ऋणों/ अन्य ऋणों की वसूली हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कदम उठा रही है।

23.4 सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत आपके बैंक ने 3713 ग्राहकों को नोटिस भेजी, जो कुल राशि ₹ 2653 करोड़ के थे, इससे ₹ 838 करोड़ की वसूली हुई। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने कुल 8223 मामले ऋण वसूली प्राधिकरण को अंतरित किए, जिसमें से 6256 मामलों में निर्णय हुआ तथा ₹ 3068 करोड़ की वसूली हुई। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस) के अंतर्गत ₹ 182 करोड़ एवं विशेष समझौता योजना (एसएसएस) के अंतर्गत ₹ 305 करोड़ की राशि वसूल की।

24. डिलीवरी चैनल:

24.1. आपके बैंक के पास पूरे भारत भर में डिलीवरी चैनलों का एक विस्तृत नेटवर्क है। यह नेटवर्क ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान करता है जिसमें परंपरागत शाखा नेटवर्क और एटीएम के साथ ही मोबाइल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और 24x7 कॉल सेंटर शामिल है तथा ग्रीन पिन समाधान, यूनियन कनेक्ट, यू कंट्रोल, भारत क्यूआर आदि जैसे नए उत्पादों को लॉन्च कर डिलीवरी चैनलों के विस्तार में निरंतर सुधार की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

24.2 वर्ष के दौरान 82 शाखाएं खोली गईं, जिनमें से 20 शाखाएं बैंक रहित क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा इन खोली गई शाखाओं में से 60% शाखाएँ ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में खोली गई हैं।

24.3 ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य और परिचालन लागत को कम करने के साथ, बैंक 245 शाखाओं और उसके निकटवर्ती एटीएम में सौर ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है, इस प्रकार बैंक ने अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार की गति को बनाए रखा है।

तालिका 14: शाखा नेटवर्क का निर्माण						
विवरण	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	मेट्रो	विदेशी	कुल
शाखाओं की संख्या	1243	1280	848	907	4	4282
शाखाएं (%)	29	29.9	19.8	21.2	0.1	100

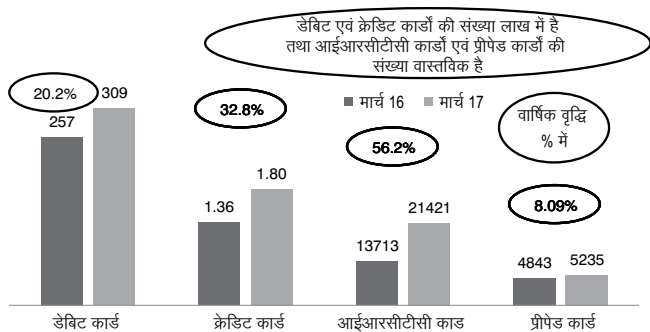
24.4 वर्ष के दौरान 635 अतिरिक्त एटीएम खोले गए, जिससे 31 मार्च, 2017 तक एटीएम नेटवर्क 7,518 तक बढ़ गया। वर्ष के दौरान एटीएम से शाखाओं का अनुपात 1.76 हो गया, जो इस उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है। अपनी शाखाएं नकदी रिसाइकल मशीन, बंच नोट एक्सेप्टर, सिंगल नोट एक्सेप्टर, चेक डिपॉजिट मशीन, सेमी ऑटोमेटिक पास बुक प्रिंटर आदि जैसे अधिक उन्नत समाधानों से लैस हैं। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 50 नई ई-लॉबीयां खोली हैं, जहां ग्राहकों को स्वचालित बैंकिंग समाधान प्रदान किए जाते हैं, जो ग्राहकों की सुविधा के लिए 24x7 खुले रहते हैं।

तालिका 15: एटीएम और ई-लॉबी (निरपेक्ष इकाइयां)		
चैनल	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16
एटीएम	7518	6883
जिनमें से नकद पुनर्चक्रण मशीनें और बंच नोट स्वीकारकर्ता	805	121
जिनमें से एकल नोट स्वीकारकर्ता	625	608
ई-लॉबी	151	101
चेक जमा मशीनें	370	66
अर्द्ध स्वचालित पास बुक प्रिंटर	1258	845

24.5 **कैशलेस भारत:** भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग के प्रति लोगों में जागरूकता, विशेष रूप से ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के विमुद्रीकरण के बाद, फैलाते हुए उन्हें बड़े पैमाने पर विभिन्न डिजिटल लेन-देनों के प्रति शिक्षित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बैंकिंग के प्रति प्रभावी रूप से जागरूकता फैलाने के लिए आपके बैंक ने प्रत्येक अग्रणी जिले में गांवों को अपनाया है। "यूनियन डिजिगांव" पहल की गई है, 14 जिलों के 60 गांवों की पहचान की गई और बैंक के भुगतान और व्यापारियों से किये जाने वाले लेन-देनों हेतु डिजिटल चैनल उपलब्ध कराते हुए, उनमें जागरूकता फैला कर, ग्राहकों/ व्यापारियों को शिक्षित कर और प्रत्येक गांव में शिविरों का आयोजन कर इन गांवों को डिजिटल बनाया। बैंक महानगरीय और शहरी शाखाओं में भी ग्राहक आधार को सक्रिय रूप से शिक्षित कर रहा है और वैकल्पिक चैनलों के प्रति उनकी प्राथमिकताओं में परिवर्तन ला रहा है।

24.6 **भुगतान प्रणाली:** वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने मौजूदा भुगतान प्रणाली उत्पादों में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करने के साथ-साथ अनेक प्रेषण उत्पादों को प्रारंभ किया है।

चार्ट 4: वर्ष 2016-17 के दौरान संप्रेषण उत्पादों की संवृद्धि



24.7 **डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन समाधान:** आपके बैंक ने 'डिजिटल और पेपरलेस इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत 2016-17 के दौरान 'ग्रीन पहल' और अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं पेश की हैं। ग्रीन पिन समाधान द्वारा किसी भी यूनियन बैंक एटीएम पर डेबिट कार्ड धारक द्वारा एक सरल और परेशानी मुक्त पिन जेनरेट किया जा सकता है। कार्डधारक नया पिन जेनरेट कर सकता है और इस समाधान के माध्यम से अपनी मौजूदा पिन को बदल सकता है।

24.8 आपके बैंक ने प्रीमियम ग्राहकों के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1 लाख की बड़ी हुई दैनिक खर्च सीमा के साथ एक नया संस्करण 'वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड' पेश किया है। एचयूएफ और साझेदारी खाते के लिए क्लासिक डेबिट कार्ड को एक लाख से कम औसत तिमाही बैलेंस बनाए रखने वाले एचयूएफ और साझेदारी खातों हेतु प्रारंभ किया गया है, इस प्रकार ग्राहकों में हमारी पहुंच बढ़ रही है।

24.9 आपके बैंक ने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए एक नया मोबाइल आधारित एप्लिकेशन यू कंट्रोल को लॉन्च किया है, जिससे कार्डधारक किसी भी विशिष्ट चैनल के लिए अपने क्रेडिट कार्ड लेनदेन को अक्षम / सक्षम कर सकता है। इसके अलावा ग्राहक कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं और

स्वीकृत सीमा के अंदर अपनी व्यय सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

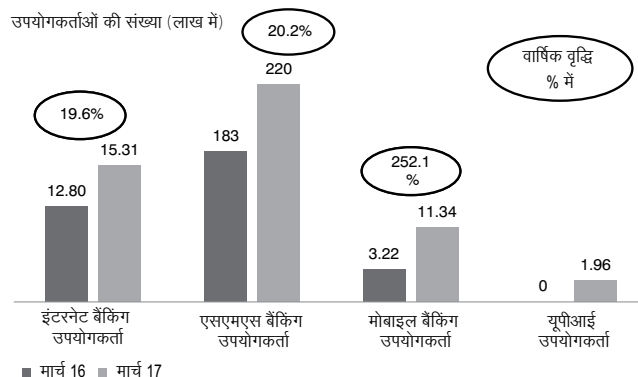
24.10 **विमुद्रीकरण के दौरान** आपके बैंक ने ग्राहकों को नकद निकासी की सेवा प्रदान करने हेतु शाखाओं में 360 'पीओएस पर नकदी' डिवाइसें स्थापित कीं। 31 मार्च, 2017 तक आपके बैंक के पीओएस टर्मिनलों में 87.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 51,891 पीओएस टर्मिनल थे, जिनसे 5,31,68,307 लेनदेन किए गए।

24.11 **डिजिटल भुगतान चैनल:** बैंक की अपने ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने की पहल की दिशा में प्रौद्योगिकी एक मजबूत स्तंभ बनी रही। इस प्रवृत्ति के अनुसार, आपके बैंक ने भुगतान तकनीक में गतिशीलता, डिजिटलीकरण और नवाचारों का लाभ उठाने के लिए अनेक नये कदम उठाए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, आपके बैंक ने एक स्मार्ट फोन के माध्यम से सूचना तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, 2 डी बारकोड जैसी एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड को पेश किया जिसे भारत क्यूआर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यह कोड अधिग्राहक बैंक द्वारा एक व्यापारी को आवंटित किया जाता है और इसमें उस व्यापारी का विवरण शामिल होता है जिसे कोड आवंटित किया जा रहा है। इस प्रकार व्यापारी स्कैन और भुगतान एप्लिकेशन के माध्यम से उपभोक्ता के स्मार्टफोन में उपलब्ध क्यूआर कोड द्वारा भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।

24.12 हाल में आरंभ किये गये नए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के माध्यम से, ग्राहक एक स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करके एकल पहचान यथा, आधार नंबर, आईएफएससी के साथ खाता नंबर या बैंक खाते की जानकारी को साझा किये बिना वर्चुअल भुगतान पता के जरिये 24x7 धनराशि को भेज/प्राप्त कर सकते हैं।

24.13 इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में वृद्धि के साथ, आपका बैंक नीचे दिखाए गए अनुसार वैकल्पिक चैनल के अंतर्गत ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि दर्ज करता रहा।

चार्ट 5: वर्ष 2016-17 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की संवृद्धि



25. संव्यवहार बैंकिंग

25.1 **करेंसी चेस्ट:** आपके बैंक ने नकद जमा / भुगतान / छंटनी सेवाओं के लिए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया है जिससे बैंक की गैर-ब्याज आय सुदृढ़ होने की संभावना है। वर्तमान में, बैंक के पास 67 करेंसी चेस्ट हैं और वर्ष के दौरान, बैंक ने 1226 शाखाओं को नोट सॉर्टिंग मशीनें उपलब्ध

कराने का कार्य पूरा कर लिया है। आपके बैंक ने पूरे देश में विभिन्न शाखाओं में 50 सिक्का वेंडिंग मशीनें (सीवीएम) भी स्थापित की हैं।

25.2 नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस): नकदी प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से, आपका बैंक कॉरपोरेट्स और सरकारी विभागों को उनके आगमों और भुगतानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। सीएमएस संग्रह और भुगतान प्रणाली बेहद कुशल और लागत प्रभावी है और इस सेवा का इस्तेमाल कई कंपनियों द्वारा उनके व्यवसाय में दक्षता लाने हेतु किया जा रहा है। सीएमएस डिजीवन वर्तमान में विभिन्न सीएमएस उत्पादों के अंतर्गत लगभग 400 कॉरपोरेट्स और सरकारी विभागों की सेवाएं प्रदान कर रहा है और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹ 52 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। सीएमएस भुगतान हब और सीएमएस शाखाओं ने कॉर्पोरेटों के नियमित भुगतानों के अलावा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बीएसएनएल, सरकारी विभागों के छात्रवृत्ति और कल्याणकारी भुगतानों सहित, प्रति माह ₹ 900 करोड़ के 8 लाख औसत भुगतान किए। लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए), हिमालय ड्रग कंपनी, भारत की हज समिति आदि के लिए आवक एनईएफटी / आरटीजीएस के लिए वर्चुअल खाता सेवाओं द्वारा बैंक को मूल्यवान कासा जमा प्राप्त हुई है। आपके बैंक ने प्रायोजक बैंक के साथ ही एक अंतिम लक्ष्य बैंक के रूप में सीएमएस संग्रहण एवं भुगतानों के एक हिस्से के रूप में एनपीसीआई की राष्ट्रीय ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।

25.3 मर्चेन्ट बैंकिंग: आपका बैंक लाभांश / ब्याज भुगतान और बांड मोचन इत्यादि के लिए ग्राहकों के लिए एक भुगतान बैंकर के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। इक्विटी के लिए 'एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉकड अमाउंट्स(एएसबीए) पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आपका बैंक डी-मेट खातों का संग्रहण करने और इस सेगमेंट में ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेगा।

26. सूचना प्रौद्योगिकी

26.1 बैंक खातों को खोलने से कहीं भी पैसा स्थानांतरित करने के लिए, बैंक की तकनीक ग्राहकों को अपने घरों या कार्यालयों से बाहर जाए बिना अपनी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है। आपके बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहकों की सर्वोत्तम संतुष्टि के लिए सभी सेवाओं का समयबद्ध, वैयक्तिकृत और त्रुटि मुक्त सेवा सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप उपलब्ध कराता है। आपका बैंक अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और गतिशील कार्यबल के साथ बैंकिंग में तकनीकी नवाचार और सुविधा के मामले में सबसे आगे रहा है। डिजिटल लेनदेन और कम नकदी अर्थव्यवस्था पर सरकार की पहल के अनुक्रम में मोबाइल एप्लिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स, डेबिट / क्रेडिट कार्ड आधारित लेनदेन के लिए समर्थन और आधार सक्षम भुगतान आवेदनों का बेहतर ग्राहक अनुभव, विश्वसनीयता और समृद्ध कार्यक्षमता के लिए उन्नयन किया गया है।

26.2 पेपरलेस बैंकिंग: निर्बाध ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उनके कारोबार परिचालन में निरंतर अनुकूल परिवर्तन लाना आपके बैंक का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत है। बैंक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ई-केवाईसी समाधान ने पेपरलेस केवाईसी सत्यापन को सक्षम किया है, वरिष्ठ नागरिकों

के लिए जीवन प्रमाण ने सुरक्षा, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के साथ भौतिक दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता का हल किया है। कारोबार प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और प्रशासनिक दक्षता जैसे दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीकृत खाता खोलने के विस्तार, ऋण प्रस्ताव के डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं।

26.3 अगली पीढ़ी भुगतान: प्रौद्योगिकी चालित भुगतान प्रणाली में अग्रणी होने के नाते, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एटीएम स्विच को नवीनतम वर्जन में अपग्रेड किया गया है जो वित्त वर्ष 2016-17 में डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम के लिए आवश्यक एपीआई समर्थित है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), ऋण खाते में निधि अंतरण, मोबाइल बैंकिंग बिल भुगतान की सुविधा की सक्षमता और आधार समर्थित व्यापारी भुगतान को पेश कर मोबाइल बैंकिंग को समृद्ध किया गया है।

26.4 ग्रीन इंडिया: ग्रीन इंडिया मिशन में एक अग्रणी होने के नाते, आपके बैंक ने एटीएम पिन को पुनः बनाने के लिए ग्रीन पिन समाधान प्रारंभ किया है। पारंपरिक पासबुक को मोबाइल पासबुक (एमपासबुक) में बदल दिया है और डिजिटल पासबुक की उपलब्धता की सुविधा दी है। आपके बैंक के क्लाउड पर्यावरण पर ई-लर्निंग मॉड्यूल भी उपलब्ध हैं।

26.5 टेलर मेड उत्पाद: 24x7 सेवाएं प्रदान करने के लिए, इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन खाते खोलने, समृद्ध गुणों वाली इंटरनेट बैंकिंग, इंटरसोल लेनदेन और खातों में स्थाई निर्देशों की सुविधा, सुकन्या समृद्धि योजना, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड इत्यादि के बिना स्वयं यूजर क्रिएशन का बनाया जाना प्रारंभ किया गया है।

26.6 निर्बाध बैंकिंग अनुभव: कारोबार निरंतरता योजना और आपदा वसूली प्रबंधन रणनीति के भाग के रूप में, आपके बैंक ने महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों के लिए लाइव स्विच-ओवर और स्विच-बैक ड्रिल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, इस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया हेतु बैंक की तत्परता को बढ़ाया जा रहा है।

26.7 शासन संचालन: आपके बैंक ने डाटा सेंटर और आपदा राहत साइट के लिए आईएसओ 27001: 2013 और आईएसओ 22301:2012 प्रमाणन हासिल कर लिया है। यह प्रमाणन बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुपालन के साक्षी हैं। आपका बैंक भारत में बीएफएसआई क्षेत्र के बीच बिजनेस निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) प्रमाणीकरण यानी आईएसओ 22301:2012 को सबसे पहले अपनाने वाले बैंकों में से एक है।

26.8 वैकल्पिक एमपीएलएस कनेक्टिविटी: बैंक ने शाखाओं को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वैकल्पिक एमपीएलएस की शुरूआत की है ताकि शाखाओं द्वारा बेहतर ग्राहक अनुभव उपलब्ध कराया जा सके।

26.9 सूचना तकनीक जोखिम: आपके बैंक ने भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति अपनायी है। सूचना सुरक्षा नीति(आईएसपी) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना एवं सूचना सिस्टम गोपनीयता, शुद्धता एवं सही उपलब्धता की दृष्टि से इनको अनधिकृत एक्सेस, उपयोग, प्रकटन, व्यतिक्रम, संशोधन तथा विनाश से बचाया जा सके। साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार, साइबर सुरक्षा जोखिमों के समाधान के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) स्थापित की गई है।

- 26.10. बैंक की नाजुक कारोबारी आस्तियों की सुरक्षा हेतु बैंक द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र लागू किया गया है। बैंक ने नाजुक आस्तियों एवं बैंक नेटवर्क की सुरक्षा एवं अनुश्रवण हेतु सेक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) स्थापित किया है, जो 24x7x365 समर्पित है।
- 26.11. प्रभावी सूचना सुरक्षा गवर्नंस की प्राप्ति हेतु बैंक ने अपने डाटा सेंटर तथा आपदा बचाव स्थल हेतु आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम(आईएसएमएस) लागू किया है। बैंक ने अपनी नाजुक आस्तियों/एप्लीकेशनों के लिए आईएसओ 22301:2012 कारोबार निरंतरता प्रबंधन सिस्टम(बीसीएमएस) लागू किया है ताकि कारोबार प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। बीसीएमएस प्रमाणीकरण संस्था के विघटन के पहले, विघटन के दौरान और विघटन के बाद भी संस्था का संरक्षण सुनिश्चित करता है।
- 26.12. बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों, तृतीय पक्ष विक्रेताओं तथा ठेकेदारों के लिए नियमित रूप से सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं और ग्राहकों को सूचना सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी भी प्रदान की जाती है।
- 27. जोखिम प्रबंधन:**
- 27.1. बैंक का जोखिम प्रबंधन के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण है। इसके जोखिम दर्शन में जोखिम प्रवृत्तियों और विनियामक ढांचे के अंतर्गत एक स्वस्थ संविभाग का विकास और रखरखाव शामिल है। बैंक लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जोखिम प्रबंधन कार्य व कारोबारी कार्य के संयोजन से शेयरहोल्डर मूल्य में वृद्धि हो और उपलब्ध पूंजी का अधिकतम उपयोग हो सके।
- 27.2. बैंक में जोखिम प्रबंधन, शीर्ष स्तर पर जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति के जरिए बोर्ड द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है, जो विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन हेतु उच्च कार्यपालकों की परिचालन स्तरीय समितियों द्वारा समर्थित है। बैंक का निदेशक मण्डल जोखिम रणनीति और जोखिम नीतियों का अनुमोदन करता है। जोखिम प्रबंधन और आस्ति देयता प्रबंधन की निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति, जोखिम रणनीति और नीतियों का कार्यान्वयन, जोखिम की दिशा व उसके स्तर की समीक्षा और विवेकसम्मत अधिकतम सीमा, संविभाग विविधीकरण और जोखिम रिपोर्टिंग की जांच की निगरानी करती है। जोखिम रणनीति और नीतियाँ बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को प्रभावी रूप से भेजी जाती हैं।
- 27.3. बैंक समुचित नीतियों, संगठनात्मक ढांचे, जोखिम मापन तकनीकों, पर्याप्त पद्धतियों, प्रणालियों, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तंत्र के जरिये ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के निवारण का कार्य है। बैंक में एक सुस्पष्ट जोखिम क्षमता नीति तथा स्वतंत्र जोखिम कार्य विद्यमान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने जोखिम क्षमता ढांचे के अंतर्गत कार्य करे।
- 27.4. **ऋण जोखिम प्रबंधन :** ऋण जोखिम प्रबंधन समिति(सीआरएमसी) बैंक के ऋण जोखिम कार्य का पर्यवेक्षण करती है। बैंक के पास पहचान, मापन, अनुश्रवण व ऋण जोखिम एक्सपोजर के नियंत्रण हेतु सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम निर्धारण प्रणाली है। ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, ऋण अनुमोदन समिति, विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित ब्याज निर्धारण, पूंजी की जोखिम समायोजित विवरणियाँ, संविभाग प्रबंधन आदि ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न साधन हैं। ऋण जोखिम टीम भी क्रेडिट रेटिंग और पूंजी संगणना में शामिल हैं।
- 27.5. बैंक उधारकर्ता, ग्रुप, सेक्टर, रिटेल, योजनाओं, उद्योग व भौगोलिक क्षेत्रों आदि की निगरानी करता है तथा ऋण गुणवत्ता में लगातार सुधार का प्रयास करता है और जोखिम प्रोफाइल को बनाए रखता है जो उधारकर्ता, उत्पादों, औद्योगिक प्रकार व भौगोलिक आधार पर वैविध्यपूर्ण हैं।
- 27.6. **क्रेडिट रेटिंग और अनुमोदन :** बैंक का ऋण संविभाग आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अध्यक्षीन है। रिटेल उत्पादों के लिए बैंक, स्कोर कार्ड और आंतरिक रेटिंग मॉडल आधारित अवधारणा का प्रयोग करता है। कॉर्पोरेट एक्सपोजर के विभिन्न संवर्गों के ऋण जोखिम आकलन हेतु अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हैं। रेटिंग गुणवत्ता में सुधार, सशक्त रेटिंग डाटाबेस बनाने तथा रेटिंग माडलों के बेहतर प्रशासन हेतु केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीकृत रेटिंग पूल स्थापित है। केन्द्रीयकृत रेटिंग पूल, शाखा स्तर पर तैयार किए गए कॉर्पोरेट लेनदारों की रेटिंग के निर्धारण एवं अंतिम रूप देने का कार्य करता है। बैंक की क्रेडिट रेटिंग व्यापक रेटिंग प्रमाणीकरण तंत्र के अध्यक्षीन हैं। खुदरा संविभाग के लिए बैंक स्कोर कार्ड आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। बैंक ने सभी अग्रिमों हेतु बैंक की मानकीकृत एवं पूर्ण परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया अपनायी है, जिसमें ऋण मंजूरी हेतु समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है एवं विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियाँ कार्यरत हैं।
- 27.7. **पूँजी संगणना :** आपके बैंक ने मार्च 2009 से नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को कार्यान्वित किया है। ऋण जोखिम हेतु बैंक ने मानक प्रणाली को अपनाया है एवं ऋण जोखिम के उन्नत अप्रोच की न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ आगे की ओर अग्रसर है। आईआरबी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक पूँजी आकलन समाधान लागू किया जा रहा है एवं एफआईआरबी की ओर माइग्रेशन प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन प्रतिष्ठित बाहरी सलाहकार द्वारा किया जा रहा है। ऋण जोखिम घटकों यथा चूक की संभावना (पीडी), हानि जनित चूक (एलजीडी), एक्सपोजर चूक (ईएडी) और परिपक्वता (एम) की गणना करने के लिए बैंक ने आवश्यक फ्रेमवर्क तैयार किया है और डाटा के समेकन की प्रक्रिया चल रही है। खुदरा ऋण की दिशा में, रिटेल पूल्स तैयार करने तथा उनके पीडी, एलजीडी, तथा ईएडी के मूल्यांकन का प्रयास किया जा रहा है।
- 27.8. **बाजार जोखिम प्रबंधन :** आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति एवं बाजार जोखिम नीति प्रबंधन वर्ग के लिए बैंकिंग एवं ट्रेडिंग कारोबार में बाजार जोखिम का निवारण करने में सहायक होती हैं। बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंध समिति की है। अर्जन परिप्रेक्ष्य एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य से इसका मुख्य जोर मूल्य संवर्धन पर है। बैंकिंग एवं ट्रेडिंग कारोबार में बाजार जोखिम का प्रबंधन क्रमशः एएलएम डेस्क और ट्रेजरी मिड ऑफिस द्वारा किया जाता है। आस्ति देयता प्रबंध समिति की नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा, संमिश्र, अवधि, मूल्य एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है। आस्ति देयता प्रबंध समिति आस्तियों और देयताएं का मूल्य-निर्धारण भी करती है। यह मुख्यता ब्याज दर जोखिम पहचान, मापन, अनुश्रवण एवं प्रबंधन करती है। बैंक सक्रिय तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है, दबावग्रस्त परिदृश्य परिकल्पित करता है तथा आकस्मिक तरलता योजना रखता है।
- 27.9 बैंक के पास ट्रेजरी में एक स्वतंत्र मिड ऑफिस कार्यरत है, जो जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करता है। यह ऑफिस, एक्सपोजर लिमिट,

निर्धारित ऋण सीमा अनुश्रवण तथा जोखिम संवेदनशील मानदंडों यथा जोखिम पर मूल्य, अवधि, विफलताकरण अवधि आदि से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करता है। वर्तमान में, बाजार जोखिम का आकलन, मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली (एसएमएम) द्वारा किया जाता है।

27.10. बैंक ने तरलता मानक पर बासल III के ढांचे के आधार पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तरलता जोखिम प्रबंधन को अंगीकृत किया है। इसमें अंतर दिवसीय तरलता प्रबंधन तथा तरलता कवरेज अनुपात(एलसीआर) शामिल है।

27.11. **परिचालन जोखिम प्रबंधन :** परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु प्राथमिक रूप में व्यापक प्रणाली और प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है। परिचालन जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नये उत्पादों को नव-उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। विद्यमान उत्पादों में अंतर तथा आउटसोर्सिंग गतिविधियों में जोखिम की भी समीक्षा की जाती है। बैंक ने विगत ग्यारह वर्षों के दौरान परिचालनगत हानियों से संबंधित आंकड़ों का समेकन किया है तथा सुधारात्मक कदम उठाने हेतु उनका विश्लेषण किया जाता है; ताकि आगे ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति न हो। बैंक के विभिन्न उत्पादों की प्रक्रियाओं में अवशिष्ट जोखिमों के आकलन हेतु जोखिम एवं नियंत्रित स्व-मूल्यांकन सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु मूल जोखिम संकेतक चिन्हित किए गए हैं और प्रारम्भिक सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

27.12. वर्तमान में आपके बैंक द्वारा परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी आकलन हेतु प्राथमिक संकेतक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। परिचालन जोखिम हेतु बैंक को समानांतर आधार पर 'मानकीकृत अप्रोच (टीएसए)' को भी कार्यान्वित करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक से मिली है। एएमए की ओर माइग्रेशन हेतु बैंक द्वारा बाहरी सलाहकार के मार्गदर्शन में ओआरएम प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है। परिचालन जोखिम के लिए उन्नत अप्रोच के तहत पूंजी संगणना हेतु भी एक सॉल्यूशन लागू किया जा रहा है।

27.13. बैंक ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, अच्छे कार्पोरेट गवर्नंस के उपाय के रूप में प्रकटन नीति बनायी है। कारोबार बाधा एवं सिस्टम विफलता के प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के महत्व को समझते हुए बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की गयी है, जिसमें हानिकारक वातावरण में अपने स्टाफ, आस्तियों और ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए विस्तृत खाका तैयार किया गया है।

27.14. **बॉसल पिलर I** मानदंडों के अनुपालन हेतु बैंक ने एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी) लागू की है, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। इससे बैंक आंतरिक दृष्टि से उन पिलर II जोखिमों, जो पिलर I में या तो शामिल ही नहीं थीं, या पर्याप्त रूप में शामिल नहीं थीं, का पता लगाने एवं मूल्यांकन करने एवं साथ ही सामान्य तथा तनावयुक्त स्थितियों में जोखिमों के प्रबंधन हेतु समुचित रणनीति बनाने में सक्षम हो सका है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यापक तनाव जांच फ्रेमवर्क भी लागू किया गया है, जो अपवादस्वरूप

किन्तु संभाव्य घटनाक्रमों में बैंक के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की सक्षमता का आकलन करने में सहायक है। यह फ्रेमवर्क किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अपनायी जाने वाली उचित रणनीतियों में सहायक सिद्ध होता है।

27.15. **निष्पादन मूल्यांकन एवं लाभप्रदता प्रबंधन :** अपनी निष्पादन निर्धारण प्रणाली विकसित करने के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच हमारा बैंक अग्रणी है। बैंक ने एक सुदृढ़ और वैज्ञानिक निधि अंतरण मूल्य प्रणाली यथा मैचड फंड ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम जनित प्रणाली, मूल्य अंतरण व्यवस्था को बहुत ही छोटे स्तर जैसे खाता स्तर पर भी अंतरण प्राइसिंग को समर्थ बनाती है तथा अंतरण दर, बाजार दर से जुड़ी होती है। यह प्रणाली ब्याज दर जोखिम को केन्द्रीय फंडिंग यूनिट(सीएफयू) में केन्द्रीकृत करने में सहायक होती है, जहां उसका बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। आपके बैंक ने लागत व आय निर्धारण हेतु भी मॉड्यूल लागू किये हैं, जिससे विभिन्न व्यावसायिक पहलुओं को नापा जा सके। यह भविष्य में जोखिम आधारित निष्पादन मूल्यांकन में सहायक होगी।

27.16. **बॉसल-III का कार्यान्वयन :** आपके बैंक द्वारा बासल-III मानकों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक निर्धारण, तरलता अनुपातों तथा लिवरेज अनुपातों को सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2010 से बासल-III दिशानिर्देशों के प्रभावों को जानने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये जा रहे मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) में बैंक की प्रतिभागिता रही है। बासल-III के तहत प्रकटन मानदंडों का पालन भी किया जा रहा है। बैंक की पूंजी, बासल-III अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक है। बासल-III दिशानिर्देशों के अनुसार, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी) के एक भाग के रूप में पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया भी अपनायी जाती है तथा पूंजी बढ़ाने के उपायों का मूल्यांकन व तदनुसार योजना बनायी गयी है।

27.17. **समूह जोखिम प्रबंधन:** आपका बैंक, विविधीकृत वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, प्रतिभूति एवं पूंजी बाजार, बीमा एवं खुदरा आस्ति आदि के कारोबार कार्य में शामिल है। बैंक द्वारा सामान्य तथा तनावग्रस्त स्थितियों में अपने समूह प्रतिष्ठानों, आंतरिक नियंत्रणों, निवारण उपायों तथा पूंजी संगणना में जोखिमों के आकलन हेतु एक प्रतिष्ठित बाहरी सलाहकार के सहयोग से व्यवस्थित नीति / फ्रेमवर्क लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बैंक, अपनी समूह जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से ग्रुपवार अप्रोच लागू करने की ओर अग्रसर है; ताकि कारोबार संचालन में जोखिम के प्रमुख पहलुओं, जो सभी कारोबार समूहों को प्रभावित करते हैं, की ओर ध्यान दिया जा सके।

27.18. **धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन:** बैंक की एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति है। शाखा द्वारा रिपोर्ट की गई सभी धोखाधड़ी संबंधी मामलों को विश्लेषित किया जाता है और बैंक के संबंधित वर्टिकल द्वारा सुझाए गए संशोधित दिशानिर्देशों और सुधारात्मक उपायों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, ताकि धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति न हो। बैंक की धोखाधड़ी समीक्षा परिषद सभी धोखाधड़ी मामलों/प्रयासित धोखाधड़ी की जांच करती है और सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रियाएं बनाए रखने के लिए वर्टिकल्स को सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। बोर्ड को

₹ 1 लाख या उससे अधिक राशि के सभी धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग के अलावा, बैंक ₹ 100 लाख के या उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग बोर्ड की विशेष समिति को करता है, बोर्ड/विशेष समिति के दिशानिर्देशों को अनुपालित करता है और कार्यवाही रिपोर्ट/ अनुपालन की रिपोर्ट बोर्ड / विशेष समिति को प्रस्तुत की जाती है। बैंक स्टाफ की जबाबदेही और इन धोखाधड़ी मामलों के संबंध में पुलिस / सीबीआई प्राधिकारी को शिकायत दर्ज करना भी सुनिश्चित करता है। बैंक, संदिग्ध / धोखाधड़ीग्रस्त लेनदेनों पर समग्र नजर बनाए रखने के लिए उद्यमवार जोखिम प्रबंधन समाधान लागू करने की ओर अग्रसर है जिससे धोखाधड़ी को रोका / जल्दी पता लगाया जा सके।

28. अनुपालन :

28.1. आपके बैंक में सुस्पष्ट दस्तावेजीकृत अनुपालन नीति के साथ एक मजबूत अनुपालन प्रणाली विद्यमान है। अनुपालन कार्य के अंतर्गत संपूर्ण बैंक में नियामक अनुपालन, सांविधिक अनुपालन, स्व-नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित / प्रस्तावित उचित व्यवहार संहिता एवं अन्य संहिताओं से संबंधित अनुपालन, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों एवं धन शोधन तथा अवैध गतिविधियों के निधिकरण पर रोक संबंधी अनुपालन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

28.2. बैंक द्वारा नियामक एवं सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वप्रमाणन प्रक्रिया स्थापित की गयी है; नियामकों / मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुश्रवण, नियंत्रण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक अनुपालन पैकेज स्थापित किया गया है। अनिवार्य दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवधिक अनुपालन टेस्ट इसकी जांच करती है।

29. आंतरिक लेखापरीक्षा:

29.1. आपके बैंक की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंध लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा और विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा हेतु एक सुस्पष्ट लेखापरीक्षा नीति है, जिसमें बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा कई बार सुधार किये गये हैं।

29.2. लेखापरीक्षा हेतु लक्षित 3612 शाखाओं के सापेक्ष 3697 शाखाओं की लेखापरीक्षा की गयी। ₹ 102.63 करोड़ के आयक्षरण का पता लगाया गया, तथापि कोई भी शाखा 'अत्यंत उच्च जोखिम' और 'बहुत उच्च जोखिम' रेटिंग के अंतर्गत नहीं पायी गयी। 'उच्च जोखिम' शाखाओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2015-16 के 485 से घटकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 300 हो गयी है। 62 क्षेत्रीय कार्यालयों, 10 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों, 24 केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल्स और 2 सहायक कंपनियों की प्रबंध लेखापरीक्षा की गयी और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 20 सूचना प्रणालियों की लेखापरीक्षा की गयी।

29.3. नये विकसित सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन से केंद्रीय ओएमसी (ऑफसाइट अनुश्रवण कक्ष) और क्षेत्रीय ओएमसी दोनों की ऑफसाइट अनुश्रवण प्रणाली में सुधार किया गया। आपके बैंक द्वारा लेखापरीक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रतिशत लेखापरीक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया और उनके कार्य निष्पादन को मूल्यांकन किया गया।

29.4. वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति(एसीबी) की 13 बैठकें और कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति(एसीई) की 6 बैठकें आयोजित की गयीं, जिसमें समितियों द्वारा परिचालन दक्षता में सुधार तथा

सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करने हेतु सुझाव दिये गये। निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति(एसीबी) और कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति(ईसीबी) के निर्देशों का विभिन्न विभागों द्वारा अनुपालन किये जाने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संबंधित समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है।

30. मानव संसाधन प्रबंधन :

30.1. आपके बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार हेतु सक्रिय कदम उठाए हैं। आपका बैंक युवा कर्मचारियों को आकर्षित कर रहा है, जिन्हें परामर्श/मार्गदर्शन दिया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों के मध्य संबंध और संतुष्टि बनाए रखने में हर संभव प्रयास कर रहा है। कर्मचारी लाभों की केंद्रीयकृत मंजूरी हेतु एचआर सुविधा के आरंभ से कर्मचारियों का संतुष्टि स्तर बढ़ा है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में ऐसे कई अन्य प्रयास किये गये, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को व्यस्त, प्रतिस्पर्धी और तर्कसंगत बनाना है।

30.2. **भर्ती एवं पदोन्नति :** वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 3,353 कर्मचारियों की भर्ती की, जिसमें 929 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 517 विशेषज्ञ अधिकारी, 1,236 लिपिक और 671 अधीनस्थ स्टाफ शामिल हैं। इन भर्तियों से, कर्मचारियों की औसत उम्र 39 वर्ष से नीचे आने से आपका बैंक एक युवा बैंक हो गया है। वर्ष के दौरान, 4,688 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। 31 मार्च 2017 को बैंक के कुल कर्मचारियों का संवर्गवार विभाजन निम्नानुसार है:

सारणी 16 : कर्मचारी संवर्ग				
संवर्ग	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
कुल कर्मचारी	20017	11870	4990	36877
जिसमें से अनुसूचित जाति (एससी)	3504	2397	1732	7633
जिसमें से अनुसूचित जनजाति (एसटी)	1516	829	433	2778
जिसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग	4832	3319	1377	9528
मेमो मर्दे				
दिव्यांग	425	274	96	795
भूतपूर्व सैनिक	206	1098	518	1822
महिलाएं	4628	3228	706	8562
अल्प संख्यक समुदाय	1624	966	391	2981

30.3. **ज्ञान वृद्धि और दक्षता निर्माण:** बैंक ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञानधार और कौशल के लगातार उन्नयन को प्रोत्साहित कर रहा है और बैंकिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है। 'ज्ञान कसौटी' एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, जो कर्मचारियों के बैंकिंग ज्ञान को अपडेट करने के लिए नियमित आधार पर आयोजित की जाती है, जिसे सभी संवर्ग के कर्मचारियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

30.4. **कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली:** पिछले वर्ष की तरह, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भी, कर्मचारियों के मूल परिणाम क्षेत्रों (केआरए)

और प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की जांच की गई है ताकि उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक उद्देश्यपूर्ण, व्यापार उन्मुख और अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके।

30.5. नवोन्मेष पोर्टल : नवोन्मेष पोर्टल का उद्देश्य कर्मचारियों की रचनात्मकता को क्रियाशील बनाना है और यह युवा जनबल के मध्य बेहद लोकप्रिय है। केंद्रीय कार्यालय में विशेषज्ञों द्वारा इसके माध्यम से प्राप्त सुझावों की विधिवत जांच की जाती है और इस तरह के कई विचारों को क्रियान्वित भी किया गया है, जिससे लेनदेन की प्रक्रियाओं को आसान बनाने और उत्पाद सुविधाओं में परिवर्तन लाने में मदद मिली है। इससे बैंक के उत्पादों के सुधार में मदद मिली है और साथ ही साथ बैंक का परिचालन सिस्टम अधिक यूजर फ्रेंडली हुआ है।

30.6. एचआर विश्लेषण : आपके बैंक ने हाल ही में उत्तराधिकारी प्रक्रियाधीन के लिए प्रतिभा की पहचान और प्रतिधारण, संगठनात्मक लाभप्रदता पर एचआर प्रभाव का विश्लेषण और मानवीय पूंजी की सामरिक तैनाती के लिए मानव संसाधन जानकारी का लाभ उठाने के बुनियादी उद्देश्यों के साथ एचआर विश्लेषण इकाई स्थापित की है। निकट भविष्य में विशिष्ट कार्यों के लिए उचित अधिकारी की पहचान करने में एचआर विश्लेषण एक गाइडिंग टूल की तरह कार्य करेगी।

30.7. एचआर आपके द्वार : एक शिकायत निवारण पोर्टल: 'एचआर आपके द्वार' कर्मचारियों के शिकायत के निवारण हेतु सक्रिय है और कर्मचारी संबंधों में व्याप्त आपसी संघर्ष को कम करने में मदद करता है। आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा पहला बैंक है, जिसने ऑनलाइन शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया है। इस मंच पर उठाए गए मुद्दों का वास्तविक समय में निवारण किया जाता है। यह पोर्टल सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों को कवर करने के लिए इस आशय से शुरू किया गया था कि स्थानीय स्तर पर एक संवेदनशील तथा कर्मचारी अनुकूल मानव संसाधन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्टाफ प्रशासनिक कार्यों के लिए युक्तिसंगत टीएटी बनायी जा सके। यह पोर्टल सभी स्टाफ सदस्यों को उनकी उनकी शिकायतों/ समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए एक आसान एवं सुलभ मंच प्रदान करता है। यह प्रणालियों, प्रक्रियाओं व स्टाफ संबंधी प्रशासनिक कार्यों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करता है।

30.8. प्रशिक्षण: व्यक्ति और संगठन के विकास के लिए निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना हमारे प्रशिक्षण का मिशन है। इसलिए, प्रशिक्षण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रशिक्षण में प्राप्त शिक्षा से कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता हो। इस उद्देश्य के साथ, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा 27,521 स्टाफ सदस्यों को कवर करते हुए 830 कैलेंडर कार्यक्रम, 189 स्थानीयकृत कार्यक्रम और 48 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, 402 अधिकारियों को प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु नामित किया गया। वर्टिकलों और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार क्रेडिट, वित्तीय समावेशन, ऋण अनुश्रवण और प्रलेखन, अधिकारियों के लिए ऋण स्वचालन समाधान द्वारा क्रेडिट प्रोसेसिंग, अधिकारी के लिए डिजिटल बैंकिंग और सब-स्टाफ के लिए सॉफ्ट कौशल पर 189 स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 6,431 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण

प्रणाली ने भी अपने श्रवण शक्ति विहीन कर्मचारियों को बैंकिंग की मुख्यधारा में प्रभावी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु सक्षम करने के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।

30.9. कर्मचारी संबंध: बहुसंख्यक ट्रेड यूनियनों के साथ निरंतर बातचीत और सभी विवादास्पद मुद्दों को समय से सुलझाते जाने से बैंक में कर्मचारी सम्बन्ध का परिदृश्य सौहार्दपूर्ण रहा। अनुशासनात्मक विषयों से जुड़े मामले मानवता के साथ बड़े विवेकपूर्ण ढंग से शीघ्र ही निपटान किए गए थे।

30.10. राजभाषा कार्यान्वयन: वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी सरकारी प्रावधानों का पालन करने का पूरा प्रयास किया गया, जो कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा राजभाषा व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए आपके बैंक को प्रदत्त 55 पुरस्कारों/ इनामों से स्पष्ट है। आपके बैंक ने हिन्दी पुस्तक "कृषि विकास-विविध आयाम" एवं "सतर्कता के विविध आयाम", हिंदी में राजभाषा पर कॉमिक्स "बैंकिंग-सरल, सहज और शीघ्र", हिंदी गृह पत्रिकाएँ व समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंकिंग विषयों पर हिंदी में संदर्भ साहित्य का प्रकाशन किया। आपके बैंक ने राजभाषा व बैंकिंग पर क्रमशः कार्यपालकों व विदेशी शाखाओं/ प्रतिनिधि कार्यालयों में पदस्थ स्टाफ सहित सभी स्टाफ के सदस्यों के लिए ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन उनके नियमित कार्यकलापों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आपके बैंक ने, बैंक में हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने हेतु कार्यपालकों को राजभाषा नीति, अधिनियम / नियमों के साथ परिचित करने के लिए 9 राजभाषा संगोष्ठियों को सफलतापूर्वक आयोजन किया।

30.11. मुंबई की एक प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था 'आशीर्वाद' ने आपके बैंक को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक में राजभाषा के उत्कृष्ट उपयोग के लिए रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के तहत भाषाई क्षेत्र 'ख' में आपके बैंक को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया है।

31 सतर्कता

31.1 आपके बैंक में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक भली भांति संरचित सतर्कता प्रणाली है एवं यह संचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। सतर्कता और जागरूकता की भावना को जगाने की आकांक्षा से बैंक में सतर्कता की संरचना की गई है जो कि बैंक के रोजमर्रा के कामकाज में मूलभूत स्तर पर अनुपालन और प्रणाली की कमजोरियों को समाप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और इसी प्रकार व्यवसाय के विकास में साझेदारी करती है।

31.2 वित्तीय वर्ष 2016-17 में, सतर्कता मामलों कम हो कर 79 हो गये जो कि, वित्तीय वर्ष 2015-16 में 119 थे। जांच पड़ताल आयोजित करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगने वाले टर्न अराउंड समय और जांच का निपटान करने की औसत अवधि में भी 90 दिनों से 44 दिनों की कमी आई है। सतर्कता कार्यवाई का नियमित रूप से शीघ्र निपटान होने से संचालन स्तर पर निर्णय लेने के आत्मविश्वास के स्तर में इजाफा हुआ है।

31.3 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सिस्टम/प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता एवं क्षेत्र कर्मियों को गैर-अनुपालन के नुकसान के बारे में संवेदनशील करने के लिए विभिन्न शाखाओं में 1411 निवारक सतर्कता दौरे किए गए।

31.4 **सतर्कता जागरूकता पहल:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर 2016 से 5 नवंबर 2016 तक "सत्यनिष्ठा के प्रोत्साहन और भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सार्वजनिक भागीदारी" थीम के तहत मनाया गया. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (ई-प्रतिज्ञा) एवं ग्राम सभा के रूप में दो नई पहल की गई जैसा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सुझाया गया था एवं इसका कार्यान्वयन भी प्रभावी ढंग से किया गया. इसी प्रकार आपके बैंक ने 319 जिलों में 3546 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए ग्राम सभाएं आयोजित की जिसमें बैठकें, प्रतियोगिताएं, मेला, संध्या चौपाल आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया. लगभग 1,51,882 लोगो ने ग्राम सभा गतिविधियों में प्रतिभागिता की. बैंकिंग के विभिन्न संचालन मुद्दों पर क्या करें और क्या नहीं जैसे विषय पर निवारक 'सतर्कता मैनुअल' जैसी अद्वितीय पुस्तक का प्रकाशन किया गया. इस पुस्तक में क्षेत्र कर्मियों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को देखते हुए संचालन के सभी क्षेत्रों के लिए व्यवहारिक युक्तियाँ दी गई हैं. यूनियन बैंक पहला ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने संचालन संबंधी मैनुअल प्रकाशित किया है.

32. परिदृश्य:

32.1 भारत के उत्थान में बैंकिंग क्षेत्र की महाकाय भूमिका को कम नहीं आँका जा सकता. बैंकिंग क्षेत्र की यात्रा चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनशील है. भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से आज तक बैंकिंग से जुड़ी जनसंख्या लगभग तीन गुनी हो चुकी है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का 70 प्रतिशत से अधिक क्रेडिट के साथ बैंकिंग परिदृश्य में निरंतर वर्चस्व है. पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न वसीयती मुद्दों एवं वैश्विक और घरेलू व्यापक आर्थिक मंदी के कारण कई बड़ी परियोजनाएं अवरोध हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप पीएसबी की लाभप्रदता में कमी आई है. हालांकि वित्तीय वर्ष 2017 में इनकी लाभप्रदता इतनी कम होने की संभावना नहीं है, लेकिन लाभ के आंकड़ों में एक घातीय वृद्धि अगले 1-2 वर्षों में कम होने की संभावना है.

32.2 इस पृष्ठभूमि के खिलाफ एवं पर्यावरण में जारी उद्विकास के साथ आपके बैंक ने विकास, मुनाफे और जोखिम प्रबंधन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है. यह रणनीति आपके बैंक को मुख्य वित्तीय मानदंडों में जारी सुधारों, एक सुदृढ़ जमा संविभाग, एक बृहद एवं विस्तारित

नेटवर्क एवं एक स्वस्थ पूंजी स्थिति के साथ अपनी स्थिति को आगे चल कर और मजबूत करने में सहायक होगी; इससे आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि के लिए एक प्लेटफार्म तैयार होगा.

32.3 अगले वित्त वर्ष के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र की ऋण वृद्धि मंद होने की उम्मीद है, साथ ही कॉर्पोरेट क्षेत्र की ओर से दबी मांग द्वारा खुदरा ऋण की मजबूत मांग की कमी पूरी हो रही है. यद्यपि खुदरा अस्तित्व गुणवत्ता स्थिर रहेगी तथापि कॉर्पोरेट क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों में भी कुछ हद तक कमी आने की संभावना है. इस तरह से अगले वित्तीय वर्ष के लिए आपका बैंक पर्यावरण के विकास की जांच करते हुए सुअवसरों का लाभ उठा कर अपनी सुदृढ़ निधिशील प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए अग्रसक्रिय प्रयास करेगा; डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और इसके अतिरिक्त लघु एवं मध्यम उद्योग, अनियोजित क्षेत्र एवं दूरस्थ सेवाविहीन क्षेत्र जो विमुद्रीकरण एवं 'डिजिटल इंडिया' के कारण स्ट्रीमलाइन पर आ गए हैं, इनके वित्तपोषण को बढ़ावा दे कर अपने ग्राहक आधार को मजबूत करेगा. आपका बैंक अधिकतम रिटर्न हेतु लागत क्षमता एवं पूंजी क्षमता पर भी इसी प्रकार ध्यान केन्द्रित करता रहेगा जिससे बैंक स्टेकधारकों के हितों में उत्तरदायित्व के साथ उल्लेखनीय तौर पर वृद्धि की जाए.

32.4 सारांश रूप से वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक ने कारोबार, नेटवर्क, तकनीकी क्षमताएं और संचालन तथा वित्तीय मानदंडों को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया था. इसी दौरान बैंक पर्यावरण के जोखिम से अवगत हुआ, तदनुसार इसकी समीप से जांच की. इस वर्ष की विभिन्न सकारात्मक नीतियों के साथ - भविष्य के लिए बैंक का सकारात्मक दृष्टिकोण है जो कि बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान दबाव को कम करने एवं भारत की व्यापक क्षमता को समझ कर विकास पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद करता है. बैंक का मजबूत एवं विविध कार्यबल, बृहद वितरण नेटवर्क, स्वस्थ पूंजी स्थिति एवं तुलन-पत्र एवं लाभप्रदता में सतत् उन्नति, बैंक को लाभप्रद विकास अर्जित करने के लिए भविष्य में आने वाले सुअवसरों का लाभ उठाने हेतु सक्षम बनाते हैं. इसके अतिरिक्त, आपका बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि यह बैंक नियामक अनुपालन और उच्चतम नैतिकता के अनुपालन के मानकों की रूपरेखा के अंतर्गत जोखिम का सामना करने के साथ विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है.

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

- 1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस को अंगीकृत करने की परम्परा रही है। शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है।
- 1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है।
- 1.3 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की संहिता तैयार की है। यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है। इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :
- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
 - अनुपालन
 - शेयरधारकों के साथ संबंध
 - निदेशकों द्वारा प्रकटन
 - कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
 - अन्य विविध मामले जैसे आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि।

- 1.4 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का इस प्रकार अनुपालन करता है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी बैंक पर लागू होने वाले निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो।

2. निदेशक मंडल

- 2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।
- 2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं।
- 2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं।
- 2.4 31 मार्च, 2017 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा तीन कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त छः गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

2.5 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2017 निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता यथा 31.03.17	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप यथा 31.03.2017)
1	श्री अरुण तिवारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)	26-12-2013	सीएसी-1 सीडीआरसीएफ, सीएससीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), सीईएसडी, एचआरएससीबी, एमसीबी, आरसीएनसीबी, आरसीडब्ल्यूडीबी, आरएमसीबी,	शून्य	3	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त। दि. 30.06.2017 या अधिवर्षिता तिथि या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक पद पर बने रहेंगे। वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं:- i. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि., ii. यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लि. iii. स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि.

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता यथा 31.03.17	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप यथा 31.03.2017)
			एससीएमएफ, एससीआर एण्ड एएलएम, ईडीसी				iv. दि न्यू इन्डिया एश्योरेंस कं. लि. v. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फायनैस vi. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन vii. ईसीजीसी लि.
2	श्री विनोद कथूरिया कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	22-01-2016	सीएसी-1 सीडीआरसीएफ सीएससीबी सीईएसडी एचआरएससीबी आईटीएससी एमसीबी आरएमसीबी एससीआर एण्ड एएलएम एसआरसी एसटीसीबी	शून्य	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970 की धारा 9 (3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, दि. 31.07.2018 या अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. वे यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लि. के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं.
3	श्री राज कमल वर्मा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	09-08-2016	एसीबी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ सीएससीबी सीईएसडी एचआरएससीबी आईटीएससी एमसीबी आरएमसीबी एससीएमएफ एससीआरएण्ड एएलएम एसआरसी एसटीसीबी	शून्य	2	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(ए) के अधीन पूर्ण कालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, दि. 28.02.2019 या अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.
4	श्री अतुल कुमार गोयल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	15-09-2016	सीएसी-1 सीडीआरसीएफ सीएससीबी सीईएसडी एचआरएससीबी आईटीएससी एमसीबी आरएमसीबी एससीआर एण्ड एएलएम, एसआरसी, एसटीसीबी	शून्य	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970 की धारा 9 (3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति से 3 वर्ष यथा दि. 14.09.2019 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे. वे यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि. के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं.

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता यथा 31.03.17	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप यथा 31.03.2017)
5	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा सरकार नामित निदेशक (गैर - कार्यपालक)	22-07-2016	एसीबी, सीएससीबी, डीपीसी, डीपीसी(v), एचआरएससीबी, एनसी, आरसी, आरएमसीबी, एससीएमएफ, एससीआर एण्ड एलएम, ईडीसी	शून्य	1	0.	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.
6	श्री अनिल कुमार मिश्रा भारिबैं नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	06-07-2015	एसीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), एमसीबी, आरसी, ईडीसी	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.
7	डॉ. के. रमेश अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक)	25-04-2016	सीएससीबी, आईटीएससी, एमसीबी, एनसी, आरसी, एससीएमएफ, एसआरसी	शून्य	1	1	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिसूचना 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि यथा 24.04.2019 या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त.
8	डॉ. आर.एच. धोळकिया शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	सीईएसडी, एचआरएससीबी, एमसीबी, आरसीएनसीबी, आरसीडब्ल्यूडीबी, एससीएमएफ, एससीआर एण्ड एलएम	200	2	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन. दि 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित. वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं: - अदानी ट्रांसमिशन लि., - गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता यथा 31.03.17	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप यथा 31.03.2017)
9	श्री गोपाल कृष्ण लाठ, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	एसीबी, सीएससीबी, आरसी, आरसीएनसीबी, एससीआर एण्ड एएलएम, एसआरसी	100	2	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई)के अधीन 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित .
10	डॉ.उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	एचआरएससीबी, आईटीएससी, एमसीबी, आरसीडब्ल्यूडीबी, एसआरसी	100	1	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दि. 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित.

एसीबी	-	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
सीएससी - I	-	ऋण अनुमोदन समिति- I
सीडीआरसीएफ	-	पूंजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति
सीईएसडी	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों का चुनाव समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
डीपीसी	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी(वी)	-	अनुशासनिक कार्यवाही समिति- सतर्कता/ गैर-सतर्कता
ईडीसी	-	निर्वाचन विवाद समिति
एचआरएससीबी	-	बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति
आईटीएससी	-	बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंध समिति
एनसी	-	नामांकन समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
आरसीएनसीबी	-	गैर-सहयोगी उधारकर्ता के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण हेतु समीक्षा समिति
आरसीडब्ल्यूडीबी	-	बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति
आरएमसीबी	-	बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति
एससीएमएफ	-	₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति
एससीआर एण्ड एएलएम	-	जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआरसी	-	हितधारकों की संबंध समिति
एसटीसीबी	-	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

2.6 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन:

नियुक्तियां: वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
1	डॉ. के. रमेश	60	25-04-2016	24-04-2019	अर्थशास्त्र	डॉ. के. रमेश ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीस एण्ड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय में 4 वर्ष प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के पश्चात 1986 में केरल कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया। तदनंतर उन्होंने संकाय सदस्य के रूप में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल बैंकिंग में कार्य किया। वर्ष 1996 में उन्होंने राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान(एनआईबीएम) में कार्य ग्रहण किया। एनआईबीएम में प्रोफेसर के रूप में डॉ. रमेश स्नातकोत्तर शिक्षण, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और शोध /परामर्श गतिविधियों में सक्रिय हैं। पुणे विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को बैंकिंग और वित्त में मार्गदर्शन देने के अलावा डॉ. रमेश ने व्यावसायिक जर्नल और विख्यात पत्रिकाओं में सामान्य बैंकिंग, एसएमई वित्त, माइक्रो क्रेडिट/ एसएचजी, को-ऑपरेटिव बैंकिंग और रिटेल वित्त से संबंधित अनेक शोध लेख प्रकाशित किए हैं। डॉ. रमेश ने एनआईबीएम में डीन, एज्यूकेशन के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वे डीन,शोध के रूप में पदस्थ हैं। उन्होंने बैंकों के लिए अनेक उच्च/ वरिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों की रूपरेखा तैयार कर इनका सफल आयोजन किया है। एनआईबीएम में कार्य ग्रहण करने से पूर्व एवं पश्चात उन्होंने शोध एवं परामर्शी परियोजनाओं में सहभागिता एवं उनके समन्वय का कार्य किया है। वर्तमान में डॉ. रमेश सदरन इंडियन बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के बोर्ड में कार्यरत हैं।
2	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा	51	22-07-2016	अगले आदेशों तक	प्रबंधन	51 वर्षीय डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं तथा 22 जुलाई, 2016 से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से संस्थागत व्यवहार (ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर) में पीएचडी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है। डॉ. मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1990 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में सेंट्रल स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया है। वे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के प्रथम मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के संस्थापक सदस्य के रूप में मांटेनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया एवं रिजनल फिल्म सर्टीफिकेशन एण्ड सेंसर बोर्ड, हैदराबाद के सदस्य रहे हैं। शोध विद्वान के रूप में योग, समत्व, मनोदशा, संस्था में निर्णय लेने में विकृति और संस्थागत सृजनात्मकता से संबंधित विषयों पर सेमिनार में वे 9 पर्व प्रस्तुत कर चुके हैं। भारतीय वेद और बुद्धिमत्ता के परिप्रेक्ष्य में वे संस्था एवं मानव व्यवहार के प्रशिक्षक हैं।

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
3	श्री राज कमल वर्मा	58	09-08-2016	28-02-2019	बैंकिंग	श्री राज कमल वर्मा 09 अगस्त, 2016 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक हैं। श्री राज कमल वर्मा कला स्नातक (ऑनर्स) हैं और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टीफाइड एसोसिएट हैं। उन्हें बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों के परिचालन का 35 वर्ष से अधिक का विशद अनुभव प्राप्त है। उन्होंने अपना बैंकिंग कैरियर वर्ष 1981 से बैंक ऑफ इंडिया में शुरू किया था। उन्होंने शाखा प्रमुख, ऋण प्रमुख एवं अंचल प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर काम किया है। बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय में वे निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा, श्री वर्मा सितम्बर, 2012 से अक्टूबर, 2015 तक केन्या में ओवरसीज मुख्य कार्यपालक रहे हैं। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति के बाद, वे विभिन्न प्रमुख कार्य क्षेत्रों को देख रहे हैं अर्थात् एमएसएमई एवं क्रेडिट पॉलिसी, वैयक्तिक बैंकिंग और परिचालन, केंद्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण, कॉर्पोरेट सम्प्रेषण, डिजिटल बैंकिंग, कार्मिक व मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। श्री वर्मा को संगीत, पठन और खेलकूद में रुचि है। उनके नेतृत्व का तरीका है टीम भावना, कार्यनिष्पादन को पुरस्कृत करना तथा भविष्य में नेतृत्व करने वालों का मार्गदर्शन करना।
4	श्री अतुल कुमार गोयल	52	15-09-2016	14-09-2019	बैंकिंग एवं वित्त	श्री अतुल कुमार गोयल ने 15 सितम्बर, 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति से पूर्व वे भारत के सबसे पुराने बैंक इलाहाबाद बैंक में महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रह चुके हैं। दिसम्बर, 1964 में जन्मे श्री गोयल वाणिज्य में ससम्मान स्नातक उपाधि धारक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सदस्य हैं। वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टीफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। इलाहाबाद बैंक में सनदी लेखाकार के रूप में 27 मार्च, 1992 को कार्यग्रहण के साथ उन्होंने अपने बैंकिंग जीवन की शुरुआत की। इलाहाबाद बैंक में अपने चौबीस वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाखाओं, अंचलीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में बैंकिंग परिचालन की प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उस अवधि के दौरान उन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट, विदेशी विनिमय कारोबार और ट्रेजरी का कार्यभार संभाला तथा बैंक के बाजार अंश को बढ़ाने हेतु परिणामोन्मुख उपायों को सक्रियता से कार्यान्वित किया। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल का नेतृत्व किया है। इलाहाबाद बैंक में महाप्रबंधक और सीएफओ के रूप में उन्होंने वित्त एवं लेखा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी एवं संयुक्त उद्यम पोर्टफोलियो को बखूबी संभाला। वे इलाहाबाद बैंक की अनुषंगी इकाई ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी रहे हैं। श्री गोयल आईबीए की टैक्सेशन समिति के सदस्य हैं और उन्होंने एनआईबीएम पुणे, आईएमटी दिल्ली द्वारा संचालित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की है। साथ ही, उन्होंने CAFRAL के तत्वावधान में विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

कार्यकाल समापन: निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2016 -17 के दौरान पूर्ण हुआ:

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि	कारण
1.	श्री श्री कांत मिश्रा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	10-04-2016	कार्यकाल पूर्ण
2.	सुश्री अनुसूया शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	05-05-2016	कार्यकाल पूर्ण
3.	श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक	30-06-2016	अधिवर्षिता
4.	श्री मिहिर कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक	21-07-2016	श्री मदनेश कुमार मिश्रा के स्थानापन्न में
5.	श्री जग मोहन शर्मा	सनदी लेखाकार निदेशक	05-10-2016	त्यागपत्र

2.7 निदेशकों का परस्पर संबंध:

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं है.

2.8 निदेशकों की समिति सदस्यता:

वर्ष 2016 - 17 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं /सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं न ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है.

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता / अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां जहां वे निदेशक थे यथा 31.03.2017 का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.	निदेशक का नाम	पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम #	सदस्य/ अध्यक्ष
1	श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड	एसीबी	अध्यक्ष
2	श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	ईसीजीसी लि.	एसीबी	सदस्य
3	श्री विनोद कथूरिया	कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
4	श्री राज कमल वर्मा	कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
5	श्री राज कमल वर्मा	कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
6	श्री अतुल कुमार गोयल	कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
7	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
8	श्री अनिल कुमार मिश्रा	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
9	डॉ. के. रमेश	अंश-कालिक गैर सरकारी निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	अध्यक्ष
10	डॉ.आर.एच. धोळकिया	शेयरधारक निदेशक	अदानी ट्रांसमिशन लि.	एसीबी	सदस्य
11	डॉ.आर.एच. धोळकिया	शेयरधारक निदेशक	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	एसीबी	अध्यक्ष
12	श्री जी.के.लाठ	शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	अध्यक्ष
13	श्री जी.के.लाठ	शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
14	डॉ. उत्तम कुमार सरकार	शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

2.9 निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौरा :

निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

<http://www.unionbankofindia.co.in/familiarisation.aspx>

3 वार्षिक सामान्य बैठक

बैंक के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक सोमवार, दिनांक 27 जून, 2016 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1.	श्री अरुण तिवारी	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री राकेश सेठी	-	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री विनोद कथूरिया	-	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जग मोहन शर्मा	-	निदेशक- सनदी लेखाकार, हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य
5.	डॉ. के.रमेश	-	अंश-कालिक गैर सरकारी निदेशक
6.	डॉ.आर.एच.धोळकिया	-	शेयरधारक निदेशक

4 निदेशक मंडल की बैठकें और कार्यवाहियां

- वित्तीय वर्ष 2016 -17 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का ब्यौरा:

क्र	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या
1	22-04-2016	10	8
2	12-05-2016	10	10
3	13-05-2016	10	9
4	26-05-2016	10	7
5	30-06-2016	10	9
6	05-08-2016	9	7
7	06-08-2016	9	7
8	10-09-2016	10	9
9	20-10-2016	10	8
10	04-11-2016	10	10
11	28-11-2016	10	8
12	28-12-2016	10	9
13	24-01-2017	10	8
14	08-02-2017	10	8
15	25-02-2017	10	9
16	22-03-2017	10	9

- निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	16	16
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	16	15
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	9	9
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	8	7
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	5	3
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, भारिबै नामित निदेशक	11	7
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबै नामित निदेशक	16	11
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	8	8
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	15	15
डॉ.आर.एच. धोळकिया, शेयरधारक निदेशक	16	14
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	16	15
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	16	9

5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कारपोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/ अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं। महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं -

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशक की पर्यवेक्षण समिति (एससीआर एवं एएलएम)
4. रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
6. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)
7. निदेशकों की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
8. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)
9. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)
10. नामांकन समिति (एनसी)
11. पारिश्रमिक समिति (आरसी)
12. निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
13. अनुशासनिक कार्यवाही समिति- सतर्कता/ गैर सतर्कता (डीपीसी-वी)
14. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
15. ऋणी को गैर सहयोगी ऋणी वर्गीकृत करने के लिए बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)
16. बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी)
17. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों का चुनाव समिति
18. चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)
19. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
20. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खंड 13 के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में यथा 31.03.2017 को निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: -

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- कार्यपालक निदेशक/कों,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3) (सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन.

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.1.2 कार्य:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/ समीक्षा, ऋण समझौता/ अपलेखन प्रस्ताव, सीएसी - I के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

5.1.3 एमसीबी बैठकों की उपस्थिति:

वर्ष 2016-17 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 26 बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	26	26
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	7	6
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	26	24
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	18	18
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	15	13
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक	26	18
सुश्री अनुसूया शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	3	3
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	23	22
डॉ. आर.एच. धोळकिया, शेयरधारक निदेशक	26	23
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	5	5
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	21	13

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं :

- कार्यपालक निदेशक, आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी

- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- धारा 9(3)(जी) के अन्तर्गत दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से एक सामान्यतः सनदी लेखाकार निदेशक होना चाहिए।

अन्य कार्यपालक निदेशक/ कों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि कार्यसूची में उनके क्षेत्र से संबंधित कोई मद चर्चा के लिए शामिल हो।

श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक जो सनदी लेखाकार हैं समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा।

5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद की अपेक्षा के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:-

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
 - अंतर-शाखा समायोजन खाते
 - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो।
 - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
 - धोखाधड़ी।
 - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र।
3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है।
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूपप्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है।
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, विसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है।

5.2.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की 13 बैठकें हुईं एवं उपस्थिति विवरण निम्नानुसार है :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक, समिति के अध्यक्ष	13	13
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	2	2
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	8	8
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	10	1
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक	13	9
श्री जगमोहन शर्मा, सीए निदेशक	7	7

5.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एण्ड एएलएम):

5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है। समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- कार्यपालक निदेशक एवं
- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक।

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है

5.3.3 एससीआर एवं एएलएम बैठक में उपस्थिति:

वर्ष 2016 -17 में समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के अध्यक्ष	4	3
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	0
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	1
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	1	1
डॉ आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	3	1
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	1

5.4 ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति (एससीएमएफ)

5.4.1 संघटन:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा/ अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है। एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे। यह विशेष समिति ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी।

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है।

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिजर्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.4.2 कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकें।
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/ अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान की जा सके।
- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके।
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जा सके।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जा सके।
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू किए जा सकें।

5.4.3 एससीएमएफ बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2016 -17 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के अध्यक्ष	4	3
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	0
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	1
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	2	2
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	4	4
डॉ आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	2	2

5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी है। यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5.5.3 आरएमसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2016 -2017 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	1	0
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	2	2
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	2	2
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2

5.6 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

5.6.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक में ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित की गयी है। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशकगण
- सरकार द्वारा नामित निदेशक चार गैर-कार्यपालक निदेशक

इनके अतिरिक्त, इन बैठकों में आंतरिक लोकपाल तथा दो विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.6.2 कार्य:

समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:

- सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना

5.6.3 सीएससीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2016 -17 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई जिसमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	3
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	0
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	2
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक	2	2
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	3	3
डॉ. आर.एच. धोलकिया, शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	3	1
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	1

5.7 बोर्ड की एचआर उप-समिति (एचआरएससीबी)

5.7.1 संघटन :

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं।

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.7.2 कार्य:

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और समीक्षा:

- एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.
 - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
 - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
 - उत्तराधिकार की योजना
- बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
 - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी कार्यनिष्पादन आकलन
 - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
- बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
 - पुरस्कार व प्रोत्साहन
 - पदोन्नति
 - तैनाती
- प्रशिक्षण
 - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
 - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/ पुनश्चर्चा
- एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

5.7.3 एचआरएससीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2016 -17 के दौरान समिति की 6 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	6
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	2	1
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	6	6
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	2
डॉ. आर.एच. धोळकिया, शेयरधारक निदेशक	6	5
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	1

5.8 हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)

5.8.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है।

डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर- कार्यपालक निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.8.2 कार्य :

यह समिति बैंक के प्रतिभूति धारकों की शेयर अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाण पत्र, लाभांश आदि की अप्राप्ति के संबंध में शिकायतों का अनुश्रवण करती है।

5.8.3 एसआरसी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2016 -2017 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री जगमोहन शर्मा, सनदी लेखाकार निदेशक, अध्यक्ष #	1	1
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक, अध्यक्ष #	4	4
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	2	2
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	4	4
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	3

श्री जग मोहन शर्मा 05.10.2016 तक समिति के अध्यक्ष थे और तत्पश्चात डॉ. के. रमेश को समिति का अध्यक्ष चयनित किया गया।

5.8.4 अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के अनुक्रम में श्री दीपक डी. संघवी, कंपनी सचिव, को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

5.8.5 वर्ष 2016 -17 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण:

31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है:-

विवरण		31.03.17 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.16 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
ए.	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	2	0
बी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	249	783
सी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या	251	781
डी.	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	2

5.9 आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

5.9.1 संघटन:

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- कार्यपालक निदेशकगण
 - दो गैर - कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
 - एक बाहरी आईटी विशेषज्ञ
 - मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, महाप्रबंधक)
- डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.9.2 कार्य:

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है।
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है।
- सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी के निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों।
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना।

- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना।
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो।
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं।
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना।

5.9.3 आईटीएससी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	2	2
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	4	4
महाप्रबंधक -आईटी	4	4

5.10 नामांकन समिति (एनसी)

5.10.1 संघटन:

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट "योग्य एवं उपयुक्त" मानदंड निर्धारित किए हैं। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शेयरधारक निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण हेतु

समुचित सावधानी प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन किया है, जिसमें तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल किये गए हैं।

5.10.2 कार्य:

- समुचित सावधानी के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित शेयरधारक निदेशकों की "योग्य एवं उपयुक्त" स्थिति की जांच करना।
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) अनुभव एवं क्षेत्र की विशेषज्ञता (iii) ट्रैक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में स्कावट तो पैदा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार/ नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी।
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर यह समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या न करने का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी/ व्यक्तियों से संदर्भ प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

5.10.3 एनसी बैठकों में उपस्थिति :

नामांकन समिति के लिए निर्धारित कार्यवाह (कोरम) संख्या तीन है। वर्ष 2016 - 17 के दौरान बैंक के बोर्ड पर कुल 11 गैर - कार्यपालक निदेशकों में से 5 पद अधिकांश समय रिक्त थे। इसके अलावा, 4 गैर - कार्यपालक निदेशक यथा भारिबैं नामित निदेशक और 3 शेयरधारक निदेशक नामांकन समिति में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हैं। अतः नामांकन समिति में नियुक्ति हेतु कोई गैर - कार्यपालक निदेशक उपलब्ध नहीं था और आवश्यक तीन सदस्यों की कार्यवाह (कोरम) संख्या के अभाव में दो सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन नहीं हो पाया।

हालांकि, बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार नामांकन समिति द्वारा पिछली बार किए गए "योग्य एवं उपयुक्त" कार्य की स्थिति की तारीख से वर्तमान चयनित शेयरधारक निदेशकों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

5.11 पारिश्रमिक समिति (आरसी)

5.11.1 संघटन:

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना घोषित की है। भारत सरकार की सूचना के अनुसार बोर्ड की एक उप समिति बनाई गई है, जिसे "पारिश्रमिक समिति" कहा गया है। समिति के गठन में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया है:

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

5.11.2 कार्य:

भारत सरकार के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना।

5.11.3 आरसी बैठकों में उपस्थिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक. एफ.नं.12/1/2014 -बीओए दिनांकित 18.08.2015 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015 - 16 से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक में परिवर्तन किया गया है तथा विस्तृत कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर सचिव (वित्तीय सेवाएँ) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए वित्तीय वर्ष 2015 - 16 से बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन को तय करने में पारिश्रमिक समिति की कोई भूमिका नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 2016 -17 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

5.12 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

5.12.1 संघटन :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति के लिए 'निदेशक पदोन्नति समिति' का गठन किया गया है। इस समिति में निम्न सदस्य हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

भारत सरकार ने अपने पत्रांक एफ.नं.4/3/1/2012 - आईआर दिनांक 08.012.2016 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को बोर्ड की सहमति से पदोन्नति प्रक्रिया के लिए चयन समिति की संरचना तय करने की स्वायत्तता प्रदान की है। बोर्ड निदेशकों ने समिति के पुनर्गठन को निम्नानुसार अनुमोदित किया है।

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- मानव संसाधन संविभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
- क्षेत्र विशेष (डोमेन) ज्ञान सहित दो बाहरी विशेषज्ञ (स्वतंत्र सदस्य)

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.12.2 कार्य:

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन वर्ग वेतनमान VII में चयन/ अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है।

5.12.3 डीपीसी बैठकों में उपस्थिति:

निदेशकों की पदोन्नति समिति की वर्ष 2016 -17 में तीन बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	3	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	1	1
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक	2	2

नोट: 28.12.2016 से डीपीसी का पुनर्गठन किया गया है। उस तारीख से पूर्व सरकार द्वारा नामित निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक समिति के सदस्य थे। मानव संसाधन संविभाग के कार्यपालक निदेशक एवं डोमेन ज्ञान सहित दो बाहरी विशेषज्ञों को पुनर्गठन की तारीख से समिति में शामिल किया गया है।

5.13 अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता/ गैर-सतर्कता (डीपीसी -वी)

5.13.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक की अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता/ गैर सतर्कता को यह निर्देश दिया है कि अर्ध वार्षिक आधार पर सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों व विभागीय जांच की समीक्षा की जानी चाहिए। इस समिति में निम्न सदस्य हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.13.2 कार्य:

यह समिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है।

5.13.3 डीपीसी - सतर्कता बैठकों में उपस्थिति:

समिति की वर्ष 2016 -17 के दौरान 2 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	2	2
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक	2	2

5.14 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

5.14.1 संघटन:

इस समिति में कार्यपालक निदेशकों, मुख्य अनुपालन अधिकारी/ मुख्य वित्तीय अधिकारी और महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक / सहायक महा प्रबंधक - बोर्ड सचिव शामिल हैं।

श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.14.2 कार्य:

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं।

5.14.3 एसटीसीबी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष के दौरान, समिति ने शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 37 बैठकें आयोजित की।

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	27	25
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक, समिति के अध्यक्ष	37	33
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	9	6
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	24	23
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	20	18
पदवार उपस्थिति		
मुख्य विधि अधिकारी	27	24
मुख्य अनुपालन अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी	10	8
उप महा प्रबंधक - बोर्ड सचिव	37	35

नोट: 28.12.2016 से एसटीसीबी का पुनर्गठन किया गया है। उस तारीख के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य विधि अधिकारी समिति के सदस्य थे। मुख्य अनुपालन अधिकारी/ मुख्य वित्तीय अधिकारी को पुनर्गठन तारीख से समिति में शामिल किया गया है।

5.15 असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण पर बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)

5.15.1 संघटन:

अनुमोदन समिति द्वारा पारित असहयोगी उधारकर्ता के वर्गीकरण पर आदेशों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर उधारकर्ता के असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण पर बोर्ड की समीक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- दो स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.15.2 कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा।
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा।
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न एवं सहकारी संव्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है।

5.15.3 आरसीएनसीबी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है। चूंकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अतः वर्ष 2016 -17 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

5.16 बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी)

5.16.1 संघटन:

जानबूझकर चूककर्ताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जानबूझकर चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कोई दो स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.16.2 कार्य :

- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण पर कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समीक्षा व पारित आदेश की पुष्टि।

5.16.3 आरसीडब्ल्यूडीबी बैठकों में उपस्थिति:

समिति की वर्ष 2016 -17 के दौरान 5 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	5	5
डॉ. आर.एच. धोलकिया, शेयरधारक निदेशक	5	5
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	2	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	3

5.17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति (सीईएसडी)

5.17.1 संघटन:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थानों सहित अन्य कंपनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी शेयर धारण करते हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अन्य कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की एक समिति का गठन करना होता है। समिति में शामिल हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशकगण
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

5.17.2 कार्य:

सभी बिन्दुओं अर्थात् विभिन्न उम्मीदवारों की शिक्षा, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर एक निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही, पीएसबी के शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

5.17.3 सीईएसडी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है। चूंकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अतः वर्ष 2016 -17 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

5.18 चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)

5.18.1 संघटन:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकों) विनियमन, 1998 के अनुसार शेयरधारक निदेशक के चयन में योग्यता या अयोग्यता अथवा चुने जाने

की घोषणा या चुनाव की वैधता आदि के विषय में कोई संदेह या विवाद होने पर उसे निर्णय के लिए चुनाव विवाद समिति के पास भेजा जायेगा. समिति में शामिल होंगे :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप - धारा (3) के खण्ड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक

5.18.2 कार्य:

चुनाव विवाद समिति, आवश्यकता अनुसार जांच करेगी और यदि यह पाती है कि वह चुनाव, वैध चुनाव था, तो वह घोषित चुनाव के परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे लगे कि चुनाव वैध नहीं था तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समिति जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर तदनुसार आदेश पारित करेगी, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराने सहित इस प्रकार के आदेश जारी करेगी.

5.18.3 ईडीसी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अतः वर्ष 2016 -17 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

5.19 ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी-1)

5.19.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. हमारे बैंक में यह समिति ₹ 400 करोड़ तक के किसी एक ऋण प्रस्ताव तथा ₹ 800 करोड़ तक के समूह ऋणों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी और यदि ऋण इस सीमा से अधिक है, तो बोर्ड की प्रबंधन समिति इस पर विचार करेगी. सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.19.2 कार्य:

अग्रिम से संबंधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/ समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/ बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव, जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-1 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

5.19.3 सीएसी -I की बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2016 - 17 के दौरान समिति की 26 बैठकें आयोजित की गईं और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	26	26
श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक	6	5
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	26	21
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	17	16
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	15	14
पदवार उपस्थिति		
महाप्रबंधक प्रभारी ऋण	26	26
महाप्रबंधक प्रभारी वित्त / सीएफओ	26	25
महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन	26	26

5.20 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

5.20.1 संघटन:

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कायपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

श्री अरुण तिवारी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.20.2 कार्य:

समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है करने के लिए प्राधिकार है लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, किश्तों (ट्रांच) की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/ या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं, बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्वधीन हैं.

5.20.3 सीडीआरसीएफ बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2016 -17 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	4	3

6. साधारण सभा की बैठकें

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक	27 जून, 2014 प्रातः 11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	1. ₹ 192.83 के प्रीमियम पर ₹ 202.83 की दर से ₹ 111 करोड़ के कुल 11.10 करोड़ पीएनसीपीएस (पर्पेचुयल नॉन - संचयी अधिमानी शेयर) शेयरों को परिवर्तन के द्वारा वरीयता आधार पर भारत सरकार को 5472563 इक्विटी शेयर जारी करना. 2. अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से ₹ 1,386 करोड़ से अनधिक राशि के इक्विटी शेयर जारी करना.
तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक	26 जून, 2015 प्रातः 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	1. एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी आदि के माध्यम से ₹ 3,700 करोड़ तक (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) पूंजी में वृद्धि करना. 2. बैंक के शेयरधारकों में से केंद्र सरकार के अलावा तीन निदेशकों का चुनाव करना.
असाधारण सामान्य बैठक	18 सितम्बर, 2015 प्रातः 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	₹ 199.05 प्रीमियम के साथ ₹ 209.05 की दर पर एवं कुल मिलाकर ₹ 1080 करोड़ तक के 5,16,62,281 इक्विटी शेयर जारी करना.
चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 जून, 2016 प्रातः 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	ऑफर दस्तावेज/ प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी आदि के जरिए ₹ 3200 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
असाधारण सामान्य बैठक	23 फरवरी, 2017 प्रातः 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	1. ₹ 128.76 के प्रीमियम सहित ₹ 138.76 की दर से ₹ 541 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 3,89,88,181 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना. 2. ₹ 128.76 के प्रीमियम सहित ₹ 138.76 की दर से ₹ 180 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 1,29,72,038 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.

7. प्रकटन

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधान उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं, परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय हैं, पर उस सीमा तक ही लागू होंगे कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है.

खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

बैठक शुल्क (फीस):

बैठक में भाग लेने की फीस का निर्धारण राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17(1) की शर्तों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को छोड़कर, सभी गैर कार्यकारी निदेशकों को सरकार की अधिसूचना क्र.15/1/2011-बीओ.1 दिनांक 20-07-2015 के अनुसार, बैठकों के लिए फीस का भुगतान किया जाता है.

बोर्ड की बैठकें - ₹ 20,000/- प्रति बैठक.

समिति की बैठकें - ₹ 10,000/- प्रति बैठक.

उक्त जानकारी बैंक की वेब साइट पर भी, निम्न लिंक के तहत उपलब्ध है : <http://www.unionbankofindia.co.in/making-payment.aspx>

यात्रा एवं विराम भत्ता:

अपने लिये पात्र फीस के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

7.2 महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेनदेन प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो.

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों के हितों वाली फर्मों/ कंपनियों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती हो.

7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन:

बैंक के गैर - कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक फीस के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है.

7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम:

बैंक ने 23.02.2017 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में अधिमानी आधार पर भारत सरकार को औसतन ₹ 541 करोड़ (भाग-I) तथा ₹ 180 करोड़ (भाग -II) तक के इक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए शेयरधारकों से अनुमति प्राप्त की है. भारत सरकार के पत्रांक एफ.नं. 7/38/2014 - बीओए दिनांक 31.03.2017 के अनुसार बैंक को भारत सरकार से 31.03.2017 को ₹ 541 करोड़ कैपिटल इंफ्यूजन शेयर आवेदन राशि के रूप में प्राप्त हुई है. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2 - बी)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार की स्वीकृति पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का आबंटन किया जाएगा. शेयर आवेदन राशि आबंटन किए जाने तक अलग खाते में रखा जाएगा.

बैंक को भारत सरकार से ₹ 180 करोड़ कैपिटल इंफ्यूजन के भाग II के पेटे कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है.

बैंक ने समय - समय पर प्रोमिसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के स्वरूप में प्रतिभूति - रहित अपरिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं. रिपोर्ट के अनुच्छेद 9.1 में संबंधित ब्यौरा का उल्लेख किया गया है.

7.5 दंड या आक्षेप :

गत तीन वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

7.6 गुप्त सूचना नीति:

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है :

http://www.unionbankofindia.co.in/Whistle_blower_policy.aspx.

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

7.7 महत्वपूर्ण सब्सिडियरी निर्धारण की नीति:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने महत्वपूर्ण सब्सिडियरी निर्धारण की नीति निरूपित की है तथा इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है.

http://www.unionbankofindia.co.in/Policy_For_Determining_Material_Subsiary.aspx

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई महत्वपूर्ण सब्सिडियरी नहीं है.

7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति:

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति निरूपित की गयी है. इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है.

http://www.unionbankofindia.co.in/RelatedPartyTransactionPolicy_forWebsite.aspx

7.9 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण:

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7.10 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट:

बैंक ने संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई एवं एनएसई को प्रस्तुत किया.

7.11 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार:

बैंक ने सूचीयन विनियम के उप - विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया है.

8 संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये गये हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं.

9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है: -

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2017 -18 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान शेयर एक्सचेंज को 30 अप्रैल, 2017 से पूर्व कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में आरक्षित गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं। 31 मार्च 2017 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

शृंखला	मात्रा (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन क्र.
बॉण्ड सिरीज XI- प्रथम खंड (लोअर टियरII)	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35% ब्याज दर स्थिर	आईएनई692A09134
बॉण्ड सिरीज XI- द्वितीय खंड	200	12.12.2007	स्थायी	9.90% 10वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 10.40% तक, यदि मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है।	आईएनई692A09142
बॉण्ड सिरीज XII (स्थायी)	200	09.09.2008	स्थायी	11.15% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 11.65% तक यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09159
बॉण्ड सिरीज XII (लोअर टियर II)	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95% ब्याज दर स्थिर	आईएनई692A09167
बॉण्ड सिरीज XII (लोअर टियर II)	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50% ब्याज दर स्थिर	आईएनई692A09175
बॉण्ड सिरीज XII (लोअर टियर II)	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60% ब्याज दर स्थिर	आईएनई692A09183
बॉण्ड सिरीज XII (स्थायी)	140	30.03.2009	स्थायी	9.10% 10 वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.60% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09191
बॉण्ड सिरीज XIV-ए (स्थायी)	200	16.06.2009	स्थायी	8.85% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 9.35% यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09209
बॉण्ड सिरीज XIV-बी (अपर टियर II)	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	8.65% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 9.15%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09217
बॉण्ड सिरीज XIV-सी (अपर टियरII)	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	8.55% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 9.05% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09225
बॉण्ड सिरीज XV-ए (अपर टियर II)	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	8.48% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 8.98% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692A09233
बॉण्ड सिरीज XVI-बी (लोअर टियर II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%	आईएनई692A09241
बॉण्ड सिरीज XVII-ए (बेसल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%	आईएनई692A09266
बॉण्ड सिरीज XVIII (बेसल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1,000	29.03.2016	29.03.2026	8.61%	आईएनई692A09274
बॉण्ड सिरीज XIX (बेसल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1,000	22.08.2016	22.08.2026	8.00% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक	आईएनई692A08011

शृंखला	मात्रा (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन क्र.
बॉण्ड सिरीज XX (बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड)	1,000	15.09.2016	स्थायी	9.50% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख पर	आईएनई692A08029
बॉण्ड सिरीज XXI (बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड)	1,000	04.11.2016	स्थायी	9.00% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख पर	आईएनई692A08037
बॉण्ड सिरीज XXII (बेसल III अनुपालन टियर II बॉण्ड)	750	24.11.2016	24.11.2026	8.00%	आईएनई692A08045
बॉण्ड सिरीज XXIII खण्ड - 1 (बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड)	250	29.03.2017	स्थायी	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख पर	आईएनई692A08052
बॉण्ड सिरीज XXIII खण्ड - 2 (बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड)	750	30.03.2017	स्थायी	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख पर	आईएनई692A08060
बॉण्ड सिरीज XXIII खण्ड - 3 (बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड)	500	31.03.2017	स्थायी	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख पर	आईएनई692A08078
कुल	12,490				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वि.व. 2017-18 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

9.2 लाभान्श:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में संवर्धन हेतु लाभ को कारोबार में लगाये जाने को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल ने वर्ष 2016 - 17 के लिए लाभान्श घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है।

9.3 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

लेखों और लाभान्श पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	08 मई, 2017
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	शुक्रवार दि. 23 जून, 2017 को प्रातः 11.30 बजे रामा एण्ड सुन्दरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	बुधवार 31 मई, 2017 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	17 जून, 2017 से 23 जून, 2017

9.4 वित्तीय कैलेंडर:

वित्तीय वर्ष 2017 -18 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	06 अगस्त, 2017 तक
30 सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	06 नवम्बर, 2017 तक
31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	08 फरवरी, 2018 तक
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम	12 मई, 2018 तक

9.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण, विधिवत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिनों के अंदर कर दिया जाए. बैंक ने शेयरों के अंतरण और उनसे संबंधित मामलों पर विचार के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति बनाई है.

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा मेसर्स डाटामैटिक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है. निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं.

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)

मेसर्स डाटामैटिक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.

यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन,

एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई- 400 093.

फोन- (022) 66712151-60

फैक्स- (022) 28213404

ई-मेल: ubiinvestors@dfssl.com

कंपनी सचिव

निवेशक सेवाएं प्रभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,

239, विधान भवन मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

फोन- (022) 2289 6636

फैक्स- (022) 22025238

ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

9.6 अन्य सूचनाएं:

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

I. छमाही कार्यनिष्पादन

II. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुरूप कॉर्पोरेट गवर्नंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना.

9.7 शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्क्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तीकरण करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, **INE692A01016** है.

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तीकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि

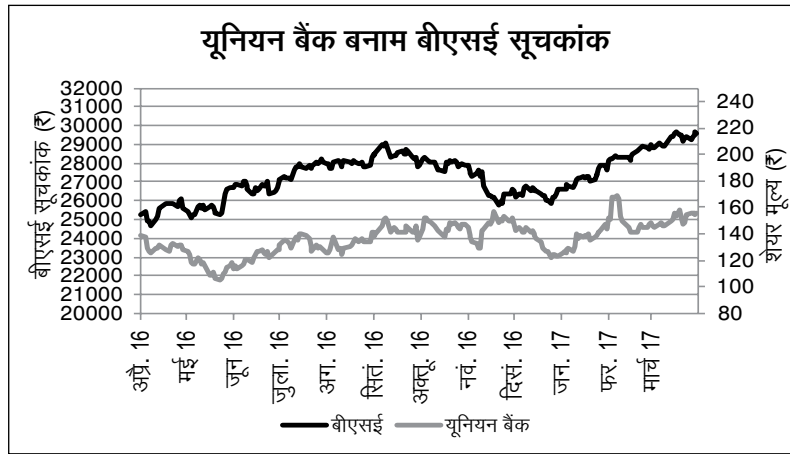
बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है। इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा। 31.03.2017 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:-

संवर्ग	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	59,221	1,30,09,766	1.89
डीमैट			
एनएसडीएल	1,07,711	22,00,58,556	32.01
सीडीएसएल	74,437	45,43,72,795	66.10
कुल	2,41,369	68,74,41,117	100.00

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत सनदी लेखाकार/ कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है। शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है।

9.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा:

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल, 16	141.15	123.50	1,02,81,120	141.20	123.60	8,27,94,858	26,100.54	24,523.20
मई, 16	128.75	104.50	1,26,28,821	128.80	104.50	10,21,96,259	26,837.20	25,057.93
जून, 16	129.85	112.20	1,42,25,040	130.00	112.30	11,18,94,483	27,105.41	25,911.33
जुलाई, 16	143.70	125.65	1,60,66,368	143.75	125.65	12,94,73,356	28,240.20	27,034.14
अगस्त, 16	144.10	122.10	1,44,16,215	144.50	122.40	12,10,63,258	28,532.25	27,627.97
सितम्बर, 16	154.20	131.80	1,14,71,978	154.20	132.45	9,38,00,907	29,077.28	27,716.78
अक्टूबर, 16	154.80	136.70	94,06,881	155.00	136.10	8,40,35,822	28,477.65	27,488.30
नवम्बर, 16	159.60	116.25	1,68,36,210	159.60	116.00	14,13,00,173	28,029.80	25,717.93
दिसम्बर, 16	153.00	119.80	93,75,594	153.00	119.80	6,93,39,107	26,803.76	25,753.74
जनवरी, 17	151.95	121.95	1,00,70,903	152.50	121.50	7,53,11,704	27,980.39	26,447.06
फरवरी, 17	172.65	140.35	1,65,61,659	172.50	140.30	12,60,54,891	29,065.31	27,590.10
मार्च, 17	158.75	143.20	94,23,578	158.90	143.25	7,49,03,407	29,824.64	28,716.21
31.03.2017 को अन्तिम मूल्य	₹ 155.95			₹ 155.90				
बाजार पूंजीकरण	₹ 10,720.64 करोड़			₹ 10,717.21 करोड़				



* स्रोत-NSE/BSE वेबसाइट (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

9.9 शेयरधारिता का वितरण:

बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता ₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के 43.61 करोड़ शेयरों की है. इस प्रकार ₹ 687.44 करोड़ की कुल निर्गमित एवं आवेदित पूंजी में से ₹ 436.11 करोड़ भारत सरकार के पास है. दिनांक 31.3.2017 तथा 31.3.2016 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है:

शेयरधारिता	यथा 31/03/2017				यथा 31/03/2016			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %
500 तक	2,16,474	89.68	3,02,92,802	4.41	2,18,144	89.71	3,05,55,830	4.44
501 से 1000	18,017	7.46	1,23,15,508	1.79	18,180	7.47	1,23,51,399	1.80
1001 से 2000	4,334	1.80	61,36,488	0.89	4,330	1.78	60,88,580	0.89
2001 से 3000	1,003	0.42	25,21,023	0.37	1,007	0.41	25,27,328	0.37
3001 से 4000	399	0.17	14,28,312	0.21	384	0.16	13,66,046	0.20
4001 से 5000	248	0.10	11,64,346	0.17	219	0.09	10,23,058	0.15
5001 से 10000	387	0.16	27,80,782	0.40	386	0.16	27,91,246	0.40
10001 से अधिकतम	507	0.21	63,08,01,856	91.76	504	0.21	63,07,37,630	91.75
कुल	2,41,369	100.00	687441117	100.00	243154	100.00	68,74,41,117	100.00

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10/- है.

9.10 शेयरधारिता का पैटर्न:

दिनांक 31.3.2017 तथा 31.03.2016 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा:-

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31/03/2017		यथा 31/03/2016	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	43,61,06,597	63.44	43,61,06,597	63.44
अनिवासी(एफआईआई/ओसीबी/ एनआरआई)	3,55,32,068	5.17	6,10,30,994	8.88
बैंक/ वित्तीय संस्थान/ बीमा कं.	7,70,27,187	11.20	7,54,88,481	10.98
म्युच्युअल फंड/ यूटीआई	6,60,29,658	9.61	4,26,93,840	6.21
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	1,30,70,096	1.90	1,34,48,185	1.96
निवासी भारतीय	5,96,75,511	8.68	5,86,73,019	8.53
कुल	68,74,41,117	100.00	68,74,41,117	100.00

9.11 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2017 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का%
1	भारत के राष्ट्रपति	43,61,06,597	63.44
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	7,04,21,019	10.24
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि-एचडीएफसी मिड कैप अपारच्युनिटीज फंड	3,27,63,128	4.77
4	आईसीआईसीआई प्रुडेनशियल बैलेन्स एडवांटेज फंड	1,07,75,294	1.57
5	एल एण्ड टी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लि - एल एण्ड टी इक्विटी फंड	72,78,300	1.06
6	डीएसपी ब्लॉकरोक बैलेन्स फंड	59,90,934	0.87
7	दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड	26,07,657	0.38
8	डाइमेंशियल इमरजिंग मार्केट वैल्यू फंड	24,51,981	0.36
9	वेनगार्ड इमरजिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड, वेनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की एक सीरीज	22,98,774	0.33
10	जीएमओ इम्लिमेंटेशन फंड ए सीरीज ऑफ जीएमओ ट्रस्ट	22,87,714	0.33
	कुल	57,29,81,398	83.35

9.12 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश:

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का %	अंतरण की प्रस्तावित तिथि
लाभांश 2009-10	55%	09-08-17
लाभांश 2010-11	80%	08-08-18
लाभांश 2011-12	80%	06-08-19
लाभांश 2012-13	80%	06-08-20
अंतरिम लाभांश 2013-14	27%	18-02-21
अंतिम लाभांश 2013-14	13%	05-08-21
लाभांश 2014-15	60%	05-08-22
लाभांश 2015-16	19.50%	08-08-23

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

9.13 अदावाकृत शेयर:

ए) डीमैट रूप में:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका (पहले सूचीयन करार 5 ए -I) के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2016 को शेष	230	28,479
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	5	983
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	5	983
31.03.2017 को डीमैट उचंत खाते में शेष	225	27,496

ऊपर बताए गए 27,496 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

बी) भौतिक रूप में :

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका (पहले सूचीयन करार 5 ए -II) के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सर्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2016 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2017 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते है.

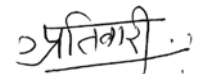
10 सूचीबद्ध विनियमन की स्वनिर्णयगत अपेक्षा के अनुपालन की स्थिति:

क्र.	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1.	निदेशक मंडल एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है.	निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अतः यह खण्ड लागू नहीं होता है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
2.	शेयरधारकों के अधिकार विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अनुपालन किया गया है.
3.	लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत सूचीबद्ध कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अतः इसका अनुपालन हुआ है.
4.	अध्यक्ष एवं सीईओ के अलग-अलग पद कंपनी द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक/ सीईओ नियुक्त किया जा सकता है .	लागू नहीं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है. हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई प्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है.

11. आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 08 मई, 2017

प्रति
निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई.

संदर्भ : सेबी के विनियम 17 (8)(सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- [ए] हमने वर्ष (2016-17) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- (i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो.
 - (ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया है.
- [बी] हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.
- [सी] हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.
- [डी] हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है.
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन.
 - (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और
 - (iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(बी श्रीनिवास राव)

उप महाप्रबंधक व सीएफओ

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.

दिनांक : 08 मई, 2017

कार्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के सेबी के विनियम 17 (8) (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है।

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा अभिकथन है कि हितधारकों की संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है।

कृते जी.पी. कपाडिया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 104768डबल्यू

(निमेष भिमानी)

भागीदार

सदस्य सं. 030547

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(एस.श्रीधर)

भागीदार

सदस्य सं. 025504

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(संजीव नारायण)

भागीदार

सदस्य सं. 084205

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(दिलीप अग्रवाल)

भागीदार

सदस्य सं. 055420

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142डबल्यू

(तनसुख छेड़ा)

भागीदार

सदस्य सं. 047157

कृते एस भंडारी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(पी पी पारीक)

भागीदार

सदस्य सं. 071213

स्थान: मुंबई.

दिनांक: 08 मई, 2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट:

- हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, (1 ट्रेजरी शाखा सहित), 18 क्षेत्रीय कार्यालयों, 23 कार्यालयों/केन्द्रों एवं सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2121 शाखाओं तथा स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4 विदेशी शाखाओं के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं एवं अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण हेतु शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों में 2137 शाखाओं, 44 क्षेत्रीय कार्यालयों और 96 कार्यालयों/केन्द्रों के विवरणों का भी समावेश है, जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। लेखापरीक्षा न की गई इन शाखाओं के अग्रिम बैंक के अग्रिमों के 4.88%, जमा राशियाँ बैंक की जमा राशियों की 24.88%, कुल ब्याज आय 6.66% और कुल ब्याज व्यय 24.41% है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- इन वित्तीय विवरणों को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्दिष्ट लेखामानकों में निर्धारित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों में बैंक के लिए लागू सिद्धांतों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसूच तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश सारवान गलती से रहित हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा दायित्व अपने लेखापरीक्षण के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है।
- लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलत कथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है। इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिए बैंक की तैयारी और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतिकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, न कि बैंक आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर सम्मति प्रकट करता है। किसी भी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है।
- हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सम्मति

- हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शित है, हमारे मत के अनुसार:
 - तुलन पत्र और उसके नोट सभी आवश्यक विवरण वाला एक सम्पूर्ण और सही तुलन पत्र है, जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बैंक के यथा 31 मार्च 2017 के कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने लाने के लिए उचित प्रकार से बनाया गया है।
 - लाभ हानि खाते और उसके नोट सभी आवश्यक विवरण वाला एक सम्पूर्ण और सही तुलनपत्र है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए उस वर्ष का सही लाभ दर्शाते हैं और
 - नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- ऊपर पैरा 1 से 5 में दी गई लेखापरीक्षाओं की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

- बी. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारियों के अधिकार में किए गए हैं. तथा
सी. बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

9. हम आगे सूचित करते हैं कि :

- (ए) इस रिपोर्ट में निहित तुलन पत्र व लाभ हानि खाता लेखा बहियों तथा विवरणियों के अनुस्र है.
(बी) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई तथा रिपोर्ट तैयार करने में उन पर विचार किया गया है.
(सी) हमारे मत से तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुस्र हैं.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(निमेष भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

(संजीव नारायण)
भागीदार
(एम. सं. 084205)

(तनसुख छेड़ा)
भागीदार
(एम. सं. 047157)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

कृते एस भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(एस. श्रीधर)
भागीदार
(एम. सं. 025504)

(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
(एम. सं. 055420)

(पी. पी. पारीक)
भागीदार
(एम. सं. 071213)

स्थान: : मुंबई
दिनांक : 08 मई, 2017.

31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र

(₹ 000 में)

	अनुसूची	यथा 31.3.2017	यथा 31.3.2016
पूंजी और देयतायें			
पूंजी	1	6,87,44,11	6,87,44,11
आरक्षित एवं अधिशेष	2	2,27,47,75,59	2,22,03,76,58
शेयर एप्लिकेशन निधि		5,41,00,00	-
जमाराशियां	3	37,83,91,57,55	34,27,20,00,92
उधार	4	4,12,25,87,30	3,09,57,35,18
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	91,10,79,47	81,27,33,45
कुल		45,27,04,44,02	40,46,95,90,24
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष	6	1,65,20,44,74	1,56,04,72,09
बैंकों में जमाशेष और मांग अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	1,63,02,05,45	1,36,71,49,95
निवेश	8	11,21,48,95,95	8,92,08,34,61
अग्रिम	9	28,64,66,57,70	26,73,54,00,19
अचल आस्तियां	10	38,94,41,50	39,39,87,28
अन्य आस्तियां	11	1,73,71,98,68	1,49,17,46,12
कुल		45,27,04,44,02	40,46,95,90,24
संभाव्य देयतायें	12	23,16,00,86,31	39,37,16,40,14
संग्रहण के लिए बिल		1,61,19,39,73	1,50,30,34,09
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं

(धीरेंद्र जैन)

सहायक महाप्रबंधक

(बी श्रीनिवास राव)

उप महाप्रबंधक व सीएफओ

(अतुल कुमार गोयल)

कार्यपालक निदेशक

(राज कमल वर्मा)

कार्यपालक निदेशक

(विनोद कथूरिया)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)

निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)

निदेशक

(डॉ. के रमेश)

निदेशक

(डॉ. आर. एच. धोळकिया)

निदेशक

(जी के लाठ)

निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू

(निमेष भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(संजीव नारायण)

भागीदार

(एम. सं. 084205)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(दिलीप अग्रवाल)

भागीदार

(एम. सं. 055420)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(तनसुख छेड़ा)

भागीदार

(एम. सं. 047157)

कृते एस भंडारी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(पी. पी. पारीक)

भागीदार

(एम. सं. 071213)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 08 मई, 2017.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

(₹ 000 में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	3,26,59,98,01	3,21,98,80,08
अन्य आय	14	49,64,59,89	36,31,73,54
कुल		3,76,24,57,90	3,58,30,53,62
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	2,37,56,64,48	2,38,85,70,21
परिचालन व्यय	16	64,37,84,48	63,02,21,57
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		68,74,87,63	42,91,01,61
कुल		3,70,69,36,59	3,44,78,93,39
III. वर्ष का लाभ/(हानि)		5,55,21,31	13,51,60,23
जोड़ें: आगे लाया गया लाभ		36	41,62
कुल		5,55,21,67	13,52,01,85
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित को अंतरण		1,38,75,00	4,05,50,00
पूंजी आरक्षित को अंतरण		2,31,46,67	44,84,70
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		0	5,48,17,00
प्रस्तावित लाभांश		0	1,34,05,10
पीएनसीपीएस पर डिवीडेंड हेतु प्रावधान		0	0
लाभांश कर		0	27,44,69
विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(VIII)]		1,85,00,00	1,92,00,00
लाभ व हानि लेखे में शेष			36
कुल		5,55,21,67	13,52,01,85
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (₹ में)		8.08	20.42
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(धीरेंद्र जैन)

सहायक महाप्रबंधक

(अतुल कुमार गोयल)

कार्यपालक निदेशक

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)

निदेशक

(डॉ. आर. एच. धोळकिया)

निदेशक

(राज कमल वर्मा)

कार्यपालक निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)

निदेशक

(जी के लाठ)

निदेशक

(बी श्रीनिवास राव)

उप महाप्रबंधक व सीएफओ

(विनोद कथूरिया)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डॉ. के रमेश)

निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू

(निमेष भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(संजीव नारायण)

भागीदार

(एम. सं. 084205)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(दिलीप अग्रवाल)

भागीदार

(एम. सं. 055420)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(तनसुख छेड़ा)

भागीदार

(एम. सं. 047157)

कृते एस मंडारी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(पी. पी. पारीक)

भागीदार

(एम. सं. 071213)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2017.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017

31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.3.2017

यथा 31.3.2016

अनुसूची 1 - पूंजी :

I. प्राधिकृत :

₹ 10 प्रति शेयर की दर से 300,00,00,000 इक्विटी शेयर

30,00,00,00

30,00,00,00

II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त:

i. ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 43,61,06,597 इक्विटी शेयर
केंद्रीय सरकार द्वारा धारित
(पिछले वर्ष 43,61,06,597 इक्विटी शेयर)

4,36,10,66

4,36,10,66

ii. ₹ 10 प्रति शेयर की दर से 25,13,34,520 शेयर जनता द्वारा धारित
(पिछले वर्ष 25,13,34,520 इक्विटी शेयर)

2,51,33,45

2,51,33,45

कुल

6,87,44,11

6,87,44,11

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :

I. सांविधिक आरक्षित :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

65,31,86,10

1,38,75,00

61,26,36,10

4,05,50,00

65,31,86,10

II. पूंजी आरक्षित :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

8,48,09,83

2,31,46,67

8,03,25,13

44,84,70

8,48,09,83

III. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि
वर्ष के दौरान कमी

25,81,23,72

0

1,24,43,95

14,24,70,51

12,13,09,62

56,56,41

25,81,23,72

IV. शेयर प्रीमियम :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

44,84,37,91

0

44,84,37,91

34,57,12,14

10,27,25,77

44,84,37,91

V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :

i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि
वर्ष के दौरान कमी

49,60,42,75

1,13,49,00

0

47,64,88,00

5,48,17,00

3,52,62,25

कुल

50,73,91,75

49,60,42,75

ii) आयकर अधिनियम 1961 की विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

26,90,00,00

1,85,00,00

कुल

28,75,00,00

24,98,00,00

1,92,00,00

26,90,00,00

iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

1,07,75,91

-27,71

कुल

1,07,48,20

50,36,81

57,39,10

1,07,75,91

77,58,18,66

VI. लाभ-हानि खाते में शेष

कुल

36

2,27,47,75,59

36

2,22,03,76,58

31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.3.2017

यथा 31.3.2016

अनुसूची 3 - जमाराशियां :

ए)				
I.	मांग जमाराशि			
i)	बैंकों से	4,99,72,53	5,54,54,65	
ii)	अन्य से	2,57,36,55,69	2,91,88,59,95	2,97,43,14,60
II.	बचत बैंक जमाराशियां		10,40,72,42,64	8,11,32,61,70
III.	मीयादी जमाराशियां			
i)	बैंकों से	75,23,06,22	1,03,27,18,56	
ii)	अन्य से	24,05,59,80,47	22,15,17,06,06	23,18,44,24,62
	कुल	37,83,91,57,55		34,27,20,00,92
बी)				
	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	37,17,75,66,53		33,60,86,39,68
	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	66,15,91,02		66,33,61,24
	कुल	37,83,91,57,55		34,27,20,00,92

अनुसूची 4 - उधार :

ए)	उधार : पूंजी लिखत			
I.	शाश्वत बांड	42,40,00,00		10,40,00,00
II.	अपर टियर II पूंजी	15,00,00,00		22,50,00,00
III.	लोअर टियर II पूंजी	67,50,00,00		52,00,00,00
बी)	भारत में उधार			
I.	अन्य बैंक	14,40,35,26	4,14,15,39	
II.	अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियां	17,51,18,59	12,52,60,08	16,66,75,47
सी)	भारत से बाहर उधार	2,55,44,33,45		2,08,00,59,71
	कुल	4,12,25,87,30		3,09,57,35,18

उपर्युक्त (बी)I एवं (बी) II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	6,41,11,76	9,56,19,34

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान :

I.	देय बिल	14,95,55,51	17,45,34,68
II.	उपचित ब्याज	16,54,79,81	10,40,14,36
III.	आस्थगित कर देयताएँ	0	0
IV.	अन्य(प्रावधान सहित)	59,60,44,15	53,41,84,41
	कुल	91,10,79,47	81,27,33,45

अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष:

I.	धारित नकदी		
	(इसमें विदेशी करेंसी मुद्रा एवं स्वर्ण शामिल)	10,30,79,64	11,24,81,40
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष		
	चालू खाते में	1,54,89,65,10	1,44,79,90,69
	कुल	1,65,20,44,74	1,56,04,72,09

31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.3.2017

यथा 31.3.2016

अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन

I.	भारत स्थित बैंकों के पास जमाशेष				
	(i) ए) चालू खातों में	39,30,18		51,95,54	
	बी) अन्य जमाखातों में	56,08,93,29		35,44,79,43	
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	ए) बैंकों के साथ	0		3,00,00,00	
	बी) अन्य संस्थानों के साथ	0	56,48,23,47	20,45,91	39,17,20,88
II.	भारत से बाहर जमाशेष				
	i) चालू खातों में	1,31,89,42		25,20,95,90	
	ii) अन्य जमाखातों में	1,03,42,39,11		71,91,81,48	
	iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्त धन	1,79,53,45	1,06,53,81,98	41,51,69	97,54,29,07
	कुल		1,63,02,05,45		1,36,71,49,95

अनुसूची 8 - निवेश :

I.	भारत में निवेश				
	i) सरकारी प्रतिभूतियां	8,75,49,12,35		7,14,68,97,51	
	ii) शेयर	20,06,06,19		12,37,04,82	
	iii) डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,72,21,70,14		1,33,53,37,71	
	iv) सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	2,27,31,69		1,29,43,76	
	v) अन्य				
	- वाणिज्यिक पत्र	14,68,95,73		1,43,30,28	
	- म्युचुअल फंड	10,13,61,21		8,60,05,50	
	- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	7,58,42,34	32,40,99,28	5,80,61,08	15,83,96,86
	कुल		11,02,45,19,65		8,77,72,80,66
II.	भारत से बाहर निवेश				
	i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित.)	9,41,79,29		5,91,34,80	
	ii) शेयर	40,32		40,32	
	iii) अन्य निवेश (बॉण्ड)	4,47,22,18		5,30,44,33	
	iv) सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	5,14,34,51		3,13,34,50	
	कुल		19,03,76,30		14,35,53,95
	कुल		11,21,48,95,95		8,92,08,34,61
III.	i) भारत में निवेश				
	सकल मूल्य	11,14,29,54,89		8,83,26,60,78	
	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	11,84,35,24		5,53,80,12	
	निवल मूल्य	11,02,45,19,65		8,77,72,80,66	
	ii) भारत के बाहर निवेश	19,03,76,29		14,35,53,95	
	सकल मूल्य/निवल मूल्य				
	कुल		11,21,48,95,95		8,92,08,34,61

31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.3.2017	यथा 31.3.2016
अनुसूची 9 - अग्रिम		
ए. i) खरीदे और भुनाये गये बिल	1,18,24,74,43	82,30,60,56
ii) नकद साख,ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	13,32,53,28,33	13,17,79,77,73
iii) मीयादी ऋण	14,13,88,54,95	12,73,43,61,90
कुल	28,64,66,57,70	26,73,54,00,19
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	24,96,01,06,14	21,90,80,04,87
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	1,11,23,87,13	1,29,10,52,85
iii) अप्रतिभूत	2,57,41,64,44	3,53,63,42,47
कुल	28,64,66,57,70	26,73,54,00,19
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण		
I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	10,42,19,00,27	9,50,48,45,13
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,67,62,97,70	1,33,12,66,33
iii) बैंक	26,51,94,23	8,57,98,91
iv) अन्य	13,42,20,18,32	13,23,20,65,86
कुल	25,78,54,10,52	24,15,39,76,23
II. भारत से बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	84,71,56,56	75,74,20,51
ii) अन्यो से देय		
ए) खरीदे एवं भुनाये गये बिल	83,29,30,75	44,99,00,97
बी) सिंडीकेटड ऋण	3,59,61,38	8,53,21,66
सी) अन्य	1,14,51,98,49	1,28,87,80,82
कुल	2,86,12,47,18	2,58,14,23,96
कुल	28,64,66,57,70	26,73,54,00,19
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां		
ए. मूर्त अस्तियां		
I. परिसर		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान वृद्धि	37,22,51,94	24,17,82,46
वर्ष के दौरान कमी	79,73,10	13,04,69,48
	3,86,00	-
	37,98,39,04	37,22,51,94
घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	8,28,65,12	6,79,08,37
	29,69,73,92	30,43,43,57
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	11,78,33	4,13,62
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर वर्ष के दौरान वृद्धि	9,43,45	9,22,27
वर्ष के दौरान कमी	28,40	1,57,56
	20,93,38	11,78,33
III. भूमि	72,68,05	61,66,84
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर वर्ष के दौरान वृद्धि	3,62,29	11,01,21
वर्ष के दौरान कमी	76,30,34	72,68,05
घटायें: वर्ष के दौरान कमी	4,66,14	3,80,37
	71,64,20	68,87,68

31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.3.2017

यथा 31.3.2016

IV. अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर के साथ)			
ए) पट्टे पर दी गई संपत्तियां पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर			
	26,53,52		26,53,52
घटायें : आज की तारीख तक अवमूल्यन	26,53,52		26,53,52
	-		-
बी) अन्य			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/ मूल्यांकन पर	22,47,94,72		20,74,55,70
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,01,06,12		2,38,26,53
	24,49,00,84		23,12,82,23
वर्ष के दौरान कमी	47,52,15		64,87,51
	24,01,48,69		22,47,94,72
घटायें: आज की तारीख तक अवमूल्यन	15,93,01,43	8,08,47,26	14,54,42,17
			7,93,52,55
बी. अमूर्त अस्तियां कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,96,87,02		1,75,35,22
वर्ष के दौरान वृद्धि	22,71,72		21,51,80
वर्ष के दौरान कमी	4,36,22		0
	2,15,22,52		1,96,87,02
आज की तारीख तक परिशोधन	1,91,59,78	23,62,74	1,74,61,87
कुल		38,94,41,50	39,39,87,28

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां:

I. अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)	14,86,17,49		19,67,49,20
II. उपचित ब्याज	23,78,73,99		22,94,92,65
III. आस्थगित कर अस्तियां	22,94,16,00		4,15,55,00
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	3,15,27		3,74,87
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	3,90		03,90
VI. अन्य	1,12,09,72,03		1,02,35,70,50
कुल	1,73,71,98,68		1,49,17,46,12

अनुसूची 12 - संभाव्य देयतायें :

I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	35,32,46,29		38,57,15,36
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिये देयतायें	59,20		59,20
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयतायें	18,04,39,10,57		34,74,37,04,38
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी			
ए) भारत में	1,45,66,77,78		1,36,49,82,25
बी) भारत से बाहर	5,18,67,48	1,50,85,45,26	3,22,71,60
			1,39,72,53,85
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यतायें	3,00,31,19,04		2,74,60,11,35
VI. अन्य मदें, जिनके लिये बैंक संभाव्य रूप से उत्तरदायी है			
ए) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	24,29,83,75		2,84,06,00
बी) डी इ ए एफ योजना - 2014 को अंतरित राशि	82,22,20	25,12,05,95	7,04,90,00
कुल		23,16,00,86,31	39,37,16,40,14

31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	31.3.2017 को समाप्त वर्ष	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	2,29,43,10,10	2,36,58,06,09
II. निवेशों पर आय	86,95,09,60	75,35,14,54
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	8,80,53,76	8,16,13,85
IV. अन्य	1,41,24,55	1,89,45,60
कुल	3,26,59,98,01	3,21,98,80,08
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	4,68,72,64	4,09,76,74
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल घटाये : हानि	20,58,66,29	9,16,36,59
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) घटाये : हानि	25,83,22	-1,79,14
IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ - निवल घटाये : हानि	9,52,33,80	9,77,60,93
V. विविध आय	14,59,03,94	13,29,78,42
कुल	49,64,59,89	36,31,73,54
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज:		
I. जमाराशियों पर ब्याज	2,19,99,09,38	2,20,77,44,46
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	4,80,60,80	5,40,83,38
III. अन्य	12,76,94,30	12,67,42,37
कुल	2,37,56,64,48	2,38,85,70,21
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किये गये भुगतान और उनके लिये प्रावधान	34,34,20,28	3,69,92,90
II. किराया, कर और बिजली	5,11,33,33	4,70,04,83
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	58,12,21	51,75,64
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	66,98,32	69,25,01
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,36,03,98	2,44,11,42
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	83,73	1,19,35
VII. प्रबंध/कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	72,39	71,83
VIII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	41,12,88	35,04,69
IX. विधि प्रभार	21,86,12	21,41,97
X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	78,95,96	75,70,80
XI. मरम्मत और रखरखाव	1,14,15,34	1,13,29,13
XII. बीमा	3,77,00,03	3,26,85,59
XIII. अन्य खर्च	14,96,49,91	11,93,52,28
कुल	64,37,84,48	63,02,21,57

वर्ष 2016-2017 के लेखों की अनुसूचियां

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1 लेखा पद्धति

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हो, भारत में लेखाबंदी हेतु सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी), जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं), बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों/ दिशानिर्देशों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन करते हुए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुस्र, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित देश में लागू व्यवहार के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

2 अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसके परिणाम ज्ञात/ सारवान हैं।

3 राजस्व की पहचान :

- I. जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- II. गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है।
- III. अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- IV. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:
 - ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/ शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।
 - बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।
- V. जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।

4 नकदी प्रवाह विवरण :

नकद तथा नकद तुल्य मद में नकद शेष, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग या अल्प सूचना की राशियां शामिल हैं।

5 निवेश

- i) बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के ग्रास ए की अपेक्षाओं के अनुस्र, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है
 - ए) सरकारी प्रतिभूतियां
 - बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - सी) शेयर
 - डी) ऋणपत्र एवं बांड
 - ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
 - एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. DBR.No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के दिशानिर्देशों के अधीन पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यथा:

- ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
 - बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और
 - सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)
- ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाए गए हैं :
 - ए) 'परिपक्वता तक धारित' में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर: अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।
 - बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है
 - सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
 - डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है।
 - ई) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभाषित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है।

एफ) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्ति के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹ 1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
ई	ऋण पत्र/ बांड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर

एच	उद्यम पंजी निधियाँ (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

- iii) अंतर बैंक रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.
- iv) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :
 - विक्रय के लिए उपलब्ध/ ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर; यदि कोई ह्रास है, तो लगाया गया है.
 - परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में
 - यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर
 - यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर
- इस प्रकार से स्थानांतरित प्रतिभूतियां, तत्काल पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं तथा ह्रास का पूर्ण प्रावधान किया जाता है.
- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.
- v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/ प्रावधान किया गया है.
- vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

- vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/ नामे की गई है।
- viii) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है।

6 डेरीवेटिव संविदा

- i) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वेप (आईआरएस) उपयुक्त आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वेप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है स्वेप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वेप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- ii) ट्रेडिंग स्वेप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं।
- iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडरॉई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

7 अग्रिम

7.1 भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र क्र. DBR.BP.BC No.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसूच आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

7.2 भारिबै द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैर निष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण आस्तियां गैर निष्पादित आस्तियां(एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

- i. मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।
- ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता अनियमित रहता है यथा यदि बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो अथवा यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों

- ii. खरीदे गए /रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहती है;
- iii. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।
- iv. लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।
- v लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।

7.3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है:

- i. अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है।
- ii. संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है।
- iii. हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से साइट ऑफ नहीं की गई है।

7.4 विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है :

अवमानक आस्तियां:	i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15% ii. ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो। iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्करो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों।
संदिग्ध-सुरक्षित भाग	i. एक वर्ष तक - 25% ii. एक से तीन वर्ष - 40% iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
संदिग्ध-असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्ति	100%

- 7.5 अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है।
- 7.6 विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं।
- 7.7 पुनर्गठित/पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है।
- 7.8 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 7.9 पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुकाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है।
- 7.10 मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है।

8. स्थायी आस्तियां एवं ह्रास

- i) परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को, मूल्य ह्रास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो) समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण की लागत एवं आस्ति को प्रयोग में लाने तक के व्यय शामिल हैं और उसमें से प्राप्त छूट को घटा दिया गया है। इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को तभी पंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई गई है। पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है।
- ii) एप्लीकेशन साफ्टवेयर को पूँजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है। कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर पर ह्रास कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम का एक भाग है जिस पर भरिबै के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर ह्रास लगाया जाता है।

- iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है :

	आस्ति का प्रकार	मूल्य ह्रास की दर
I.	परिसर	5 %
II.	अन्य स्थायी आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10 %
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/स्ट्रांग स्म आदि	15 %
	- परिवहन वाहन	20 %
	- यू पी एस. उपकरण	33.33 %
III.	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

- iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है।
- v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है।
- vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।
- vii) पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है।

9. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है। क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हानि कम

होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती।

10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

11.1 विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11(विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है। जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- ए) एकीकृत परिचालन एवं
- बी) गैर एकीकृत परिचालन।

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है।

ए एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

- i. आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।
- ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।
- iii. गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं।
- iv. परिणामी विनिमय अंतरों की पहचान आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है।
- v. वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

बी. गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

- i. आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है

- ii. विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है।
- iii. आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है।
- iv. परिणामी विनिमय अंतरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग 'विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व' खाते में रखा जाता है।

12. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है। अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में नामे की जाती है। भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

ग्रेज्युटी, देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है।

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए परिभाषित 'अंशदायी योजना' नामक नई पेंशन योजना है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस अंशदान तक सीमित होती है। इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया गया है।

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/ विनियमों के अनुसार किया गया है।

13. खंडवार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- (क) ट्रेजरी परिचालन,
- (ख) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,
- (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और
- (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन

14. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया गया है। बैंक द्वारा लीज/ किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है। अतिरिक्त किराये/ लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी गई है।

15. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है।

16. कराधान

चचआचझ एवं आस्थगित दोनों करों के लिए प्रावधान किया गया है कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है

आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है; जब भविष्य में ऐसी आस्तियों के होने की निश्चितता हो। वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की गतिविधियों के अनुसार प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है; जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूला हयोग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये गये हैं।

वर्ष 2016-2017 के लेखों की अनुसूचियां (स्टैंड एलोन)

अनुसूची 18 : लेखों पर नोट्स:

अ. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है.

1.1 पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशा- निर्देशों का अनुपालन कर रहा है. 31 मार्च, 2019 तक बेसल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-I पूंजी, कॉमन इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टियर- I से बनी है.

बेसल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2017 तक न्यूनतम 5.5% सीईटी I एवं न्यूनतम 7% टियर I सीआरएआर के साथ पूंजी का जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 9% रखना आवश्यक है.

फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात (सीईटी1) (%)		
	बेसल II	शून्य	शून्य
	बेसल III	7.71	7.95
ii)	टियर -I पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	9.35	8.23
	बेसल III	9.02	8.14
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	3.56	2.91
	बेसल III	2.77	2.42
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)(%)		
	बेसल II	12.91	11.14
	बेसल III	11.79	10.56
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%)	63.44	63.44
vi)	उगाही की गई इक्विटी पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	शून्य	51.66
vii)	उगाही की गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी की राशि (₹ करोड़ में)	3500.00	शून्य
Viii)	उगाही गई टियर- 2 पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	1750.00	1000.00
	इसमें से ऋण पूंजी लिखत: (₹ करोड़ में)	1750.00	1000.00

नोट:

- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान (अर्थात 2016-17) में बैंक द्वारा अतिरिक्त टियर- I बॉन्ड (एटी- I) जारी कर ₹3500 करोड़ तथा अतिरिक्त टियर II बॉन्ड जारी कर ₹1750 करोड़ की राशि एकत्रित की गई.
- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान (अर्थात 2016-17) में भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक 7/38/2014-BOA दिनांक 31 मार्च 2017 के माध्यम से ₹541 करोड़ की राशि प्रदान की गई, जिसका नियंत्रण शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन के माध्यम से किया जा रहा है.

2. निवेश

- 2.1 बैंक निवेश का विवरण एवं बैंक निवेश पर मूल्य ह्रास, संचरण के लिए किए गए प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1	निवेशों का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य	1,11,942.41	88,640.36
	(ए) भारत में	1,11,427.66	88,326.61
	(बी) भारत के बाहर	514.75	313.75
	ii) मूल्यह्रास का प्रावधान	1,182.46	553.80
	(ए) भारत में	1,182.46	553.80
	(बी) भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	iii) निवेशों का निवल मूल्य	1,10,759.95	88,086.57
	(ए) भारत में	1,10,245.20	87,772.82
	(बी) भारत के बाहर	514.75	313.75
2	निवेशों पर मूल्यह्रास के पेटे किए गए प्रावधानों का संचरण		
	i) आरंभिक शेष	553.80	404.52
	ii) जोड़ा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	720.16	480.77
	iii) घटाया: वर्ष के दौरान राइट-आफ/ राइट बैंक किया गया आधिक्य प्रावधान	91.50	331.49
	iv) अंतिम शेष	1,182.46	553.80

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

नीचे दिए गए तालिका में सूचित अवधि के सामने रेपो व रिवर्स रेपो रेट अंतरणों, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत खरीदे व बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	दिनांक 31.03.2016 को बकाया
A	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	2.00	11,155.71	1,506.28	13,335.13
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
B	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	10.00	24,594.00	3,797.72	3,100.00
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.3 गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर- एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता समिश्र :

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में जारीकर्ता समिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	गैर- निर्धारित प्रतिभूतियां**	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	पीएसयू	11,350.23	10,781.41	शून्य	0.58	0.58
ii)	वित्तीय संस्थाएं	1,252.44	491.80	शून्य	शून्य	शून्य
iii)	बैंक	315.45	254.00	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	निजी कार्पोरेट	8,613.33	5,696.79	141.37	14.85	196.59
v)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम *	741.66	741.66	शून्य	शून्य	शून्य
vi)	अन्य	1,841.92	1,172.04	शून्य	शून्य	शून्य
vii)	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान	(904.21)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	23,210.82	19,137.70	141.37	15.43	197.17

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
शेयर	1,782.46	1,237.45
ऋण-पत्र व बाण्ड्स	17,221.70	13,353.37
सहायक कम्पनियां/ संयुक्त उद्यम	741.66	410.86
अन्य	3,465.00	1,583.97
योग	23,210.82	16,585.65

नोट: आरबीआई द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना की योजना

हेतु 13 जून, 2016 को जारी व बैंक द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के विक्रय हेतु दिशानिर्देशों हेतु 1 सितंबर, 2016 में परिचालित परिपत्र के अनुसार मूल्यहास प्रावधान शेष ₹ 111.50 करोड़ है.

**दर्शाई गई गैर-निर्धारित एवं गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में आरबीआई द्वारा दिनांक 01.07.2015 को जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार केवल प्रतिभूतियों की रेटिंग और लिस्टिंग शामिल है.

नोट: आरबीआई ने अपने परिपत्र RBI/2015-16/127 DBR.BP.BC. NO.31/21.04.018/2015-16 दिनांक 16 जुलाई, 2015 के द्वारा सलाह दी है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास पड़ी जमा को अनुसूची 11- तुलन पत्र के अन्य आस्तियों के उप श्रेणी अन्य के अंतर्गत रखना है. नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी को आरआईडीएफ़ एक्सपोजर दिनांक 31/03/2017 को कुल मिलकर ₹ 8,693.68 करोड़ अन्य आस्तियों में सम्मिलित है. पिछले वर्ष की समाप्ति पर 31/03/2016 को यह ₹ 8,076.88 करोड़ थी.

ii. गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में सकल गैर निष्पादक निवेशों में संचलन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
आरंभिक शेष	244.19	203.02
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,853.35	51.38
वर्ष के दौरान कमी	6.06	10.21
अंतिम शेष	2,091.48	244.19
कुल धारित प्रावधान	502.51	132.60

2.4 एचटीएम संवर्ग से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय या उसमें अंतरण नहीं किया है. वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा निदेशक मण्डल की अनुमति से एक बार एचटीएम श्रेणी से/को क्रमशः कुल ₹11,922.95 करोड़ अंकित मूल्य और ₹12,230.56 करोड़ बही मूल्य की प्रतिभूतियों का अंतरण किया है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: आरबीआई/2015-16/261 डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी. 65/21.04.141/2015-16, दिनांक 10 दिसंबर, 2015 के माध्यम से बैंकों को एचटीएम श्रेणी में रखी अपनी एसएलआर प्रतिभूतियों को क्रमिक स्तर से कम करने के निर्देश दिये गये थे. इसके अनुपालन में बैंक ने एचटीएम श्रेणी में विद्यमान कुल ₹998.87 करोड़ (अंकित मूल्य) और ₹1,012.10 करोड़ (बही मूल्य) की प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी के तहत ₹3,435.86 करोड़ की प्रतिभूतियों का विक्रय किया.

3. डेरीवेटिव्स

3.1 वायदा दर अनुबंध/ ब्याज दर स्वेप

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	16,181.10	18,456.77
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि	62.58	49.80
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्थिक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य*	(10.30)	(13.56)

* आईआरएस डील के एमटीएम के साथ हेजिंग डील पर प्राप्त ब्याज.

नोट:

- भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.
- बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.
- हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स:

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखतवार) ए) ब्याज दर फ्यूचर्स क्रय विक्रय	3,962.51 3,945.51	7,440.02 8,195.32
ii)	31 मार्च 2017 को बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	लिखत बकाया 759GS2026 20.82	लिखत बकाया 759GS2026 10.00 772GS2025 10.00 788GS2030 5.00
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और ₹ अत्यंत प्रभावी न हुई कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	लिखत बकाया 759GS2026 20.82	लिखत बकाया 759GS2026 10.00 772GS2025 10.00 788GS2030 5.00
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और अत्यंत प्रभावी न हुई मार्कट मूल्य (लिखतवार)	लिखत एमटीएम 759GS2026 (0.06)	लिखत एमटीएम 759GS2026 0.03 772GS2025 0.02 788GS2030 (0.001)

3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

ए. गुणात्मक प्रकटन

1) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन बैंक दो समूहों में संव्यवहार करता है:

- काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार
- एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वेप, क्रॉस करेंसी स्वेप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है. एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह में बैंक करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरीवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन बाजारों (एक्सचेंजों) में करेंसी फ्यूचर्स में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. इन बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ दैनिक संव्यवहार (मार्कट टू मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों के अनुरूप निपटाए जाते हैं.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. इन बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ दैनिक संव्यवहार (मार्कट टू मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामकों द्वारा किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप निपटाए जाते हैं.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/ मार्केट मेकिंग पोजीशन रखा ब्याज दर स्वेप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है. जबकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर- ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं. किन्तु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं:

ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है:

- फ्रंट ऑफिस- डीलिंग स्म, बैंक की नीति और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.
- मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
- बैंक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में लेनदेनों तथा आधियों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन प्रभाग के ध्यान में लाता है। मिड ऑफिस एमटीएम के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक बाजार पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है।

कार्पोरेट ग्राहकों के मामले में लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पालिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं। बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोजर) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है।

- 2) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरिवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश, अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टाप लास सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है।

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। जोखिम मानदण्डों यथा पीवी 01, स्टाप लास, प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर के लिए हैं। आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है। और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर आप्शन डेरिवेटिव संविदाओं से कुल पीवी 01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे।

- 3) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है। बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है। हेज लेनदेनों को नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है और इन लेनदेनों पर पीवी 01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकलित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है। हेज प्रभावित वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है। हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है।

- 4) हेज/ अन हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है। सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकार्ड की जाती है।

आप्शन कान्ट्रैक्ट के मामले में आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय- समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है।

क्रेडिट जोखिम के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लीमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है। बैंक प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है। डेरिवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं। अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरिवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग्राहक से संबंधित डेरिवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है।

बी. मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	
		करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव (काल्पनिक मूल राशि)		
ए.	हेजिंग के लिए	0.00	4,275.00
बी.	ट्रेडिंग के लिए	2,961.22	5,120.82
ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन (1)		
ए.	आस्तियां (+)	36.56	34.38
बी.	देयताएं (-)	(22.25)	(45.88)
iii)	ऋण एक्सपोजर (2)	248.74	152.69
iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित असर (100*पीवी01)		

क्र.	विवरण	31.03.2017	
		करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
ए.	हेजिंग डेरीवेटिव पर	शून्य	162.53
बी.	ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	0.27	7.46
v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01		
1	अधिकतम		
ए.	हेजिंग पर	शून्य	164.04
बी.	ट्रेडिंग पर	0.30	32.77
2	न्यूनतम		
ए.	हेजिंग पर	शून्य	29.72
बी.	ट्रेडिंग पर	0.18	1.46

* ब्याज दर डेरीवेटिव के क्रेडिट एक्सपोजर में हेजिंग डील पर एक्सपोजर भी शामिल है.

4 आस्ति गुणवत्ता :

4.1 गैर निष्पादक आस्तियां

सकल गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए), शुद्ध एनपीए एवं प्रावधानों के संचरण का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	6.57	5.25
ii)	एनपीए का संचरण (सकल)		
	(क) आरंभिक शेष	24,170.89	13,030.87
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	12,755.27	12,952.87
	(ग) वर्तमान एनपीए के शेष में वृद्धि	488.62	-
	उप - योग (क)	37,414.78	25,983.74
	घ) घटाया :-		
	(i) अपग्रेडेशन	1,050.00	177.73
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	1,388.36	843.54
	(iii) तकनीकी/ विवेकाधीन राइट-ऑफ	999.19	645.68
	(iv) राइट-ऑफ (iii) के अतिरिक्त	264.45	145.90
	उप - योग (ख)	3,702.50	1,812.85
	(ई) अंतिम शेष (क - ख)	33,712.28	24,170.89
iii)	एनपीए का संचरण (शुद्ध)		
	(क) आरंभिक शेष	14,025.94	6,918.97
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	7,211.99	8,297.83
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	2,405.83	1,190.86
	(घ) अंतिम शेष	18,832.10	14,025.94
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचरण		
	(क) प्रारंभिक शेष	10,144.95	6,111.90
	(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	6,031.90	4,655.03
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ/ राइट बैक	1,296.68	621.98
	(घ) अंतिम शेष	14,880.17	10,144.95

इन प्रावधानों में एनपीए के स्तर में वर्गीकृत किये गये पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में हुए हास के प्रावधानों को शामिल किया गया है. एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में दावाकृत खातों में वसूली/ प्राप्त ईसीजीसी दावा राशि को शामिल किया गया है और क्रमशः ₹ 86.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 52.12 करोड़) तथा ₹ 1.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.67 करोड़) की राशि को समायोजन हेतु लंबित रखा गया है.

4.2 वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना का प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		वर्षों में लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर भारत औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना के लिए आवेदन के पूर्व	लचीली संरचना के लिए आवेदन के पश्चात
पिछला वित्तीय वर्ष (01-04-2015 से 31-03-2016)	14	2944.69	1188.67	6.89	17.45
वर्तमान वित्तीय वर्ष (01-04-2016 से 31.03.2017 तक)	2	448.88	शून्य	8.90	17.30

4.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना का प्रकटीकरण (खातों जो वर्तमान में स्थिर अवधि में हैं)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिनपर एसडीआर लागू की गई है.	31.03.2017 तक बकाया :राशि		जिन खातों में ऋण को इक्विटी में बदलना लंबित है उनकी 31.03.2017 तक बकाया राशि		जिन खातों में ऋण को इक्विटी में बदला जा चुका है उनकी 31.03.2017 तक बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
30	4,281.07	3,131.70	1,935.83	2,814.91	2,345.24	316.79

4.4 एसडीआर योजना के अलावा स्वामित्व में किए गए परिवर्तनों का प्रकटन (खातों जो वर्तमान में स्थिर अवधि में हैं)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिनपर बैंक ने स्वामित्व परिवर्तित किया जाना तय किया है.	31.03.2017 तक बकाया राशि		जिन खातों में ऋण को इक्विटी/ इक्विटी शेयर की लागू गिरवी में बदलना लंबित है उनकी 31.03.2017 तक बकाया राशि		जिन खातों में ऋण को इक्विटी/ इक्विटी शेयर की लागू गिरवी में बदला जा चुका है उनकी 31.03.2017 तक बकाया राशि		जिन खातों में नए शेयरों को जारी करने या प्रमोटर्स द्वारा शेयर बेच कर स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है उनकी 31.03.2017 तक बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
2	536.42	-	-	-	-	-	536.42	-

4.5 कार्यान्वयन के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (खातों जो वर्तमान में स्थिर अवधि में हैं)

(राशि ₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनपर बैंक ने स्वामित्व परिवर्तित किया जाना तय किया है.	31.03.2017 तक बकाया :राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
7	311.66	106.60	632.11

4.6 दिनांक 31.03.2017 के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों की सतत् संरचना (एस4ए) की योजना का प्रकटन,

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिनमें एस4ए लागू है.	सकल बकाया राशि	बकाया राशि*		प्रावधान किया गया
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत (खातों की संख्या 6)	1,539.35	66.90	60.51	25.48
एनपीए के रूप में वर्गीकृत (खातों की संख्या 2)	142.30	60.27	50.98	52.87

* एक मानक एवं एक एनपीए खाते से संबंधित बकाया राशि. शेष खातों में एस4ए योजना का कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2017 तक लंबित है.

(₹ करोड़ में)

4.7 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डीबीआर.बीपी.बीसी.क्र. 63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 द्वारा ""लेखों पर नोट्स"" के तहत संदर्भ अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुछ अतिरिक्त प्रकटन निर्धारित किए हैं, न तो आरबीआई द्वारा अतिरिक्त प्रावधानिकृत आवश्यकताओं का मूल्यांकन न ही आरबीआईओ द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए बैंक द्वारा प्रकाशित कर भुगतान करने के बाद शुद्ध लाभ एवं वृद्धिशील सकल एनपीए से अधिक नहीं हुआ है.

4.8 पुनर्गठित खातों का विवरण

क्र.	पुनर्गठन का प्रकार	सीडीआर प्रक्रिया के अन्तर्गत	एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अन्तर्गत									
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
	परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण											
	विवरण											
1	1 अप्रैल को वित्त वर्ष 2016-17 हेतु पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े)		15 (27)	16 (13)	21 (3)	0 (0)	52 (43)	413 (571)	121 (118)	6,547 (7,517)	282 (318)	7363 (8,524)
	बकाया राशि		2,092.16 (3,869.57)	1,133.24 (1,435.14)	3,770.86 (204.20)	0.00 (0.00)	6,996.26 (5,498.91)	761.47 (788.73)	166.03 (517.23)	540.81 (236.17)	5.03 (40.32)	1,473.34 (1,582.45)
	उस पर प्रावधान		10.25 (361.73)	92.86 (171.13)	265.82 (43.83)	0.00 (0.00)	368.93 (576.69)	7.15 (32.97)	0.87 (26.50)	31.36 (14.38)	0.33 (2.17)	39.71 (76.02)
2	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान नये पुनर्स्थापना		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (23)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (24)
	बकाया राशि		0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.67)	0.00 (36.12)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (36.79)
	उस पर प्रावधान		0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.04)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.04)
3	वित्त वर्ष 2016- 17 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन		2 (2)				2 (2)	21 (12)				21 (12)
	बकाया राशि		257.46 (330.99)				257.46 (330.99)	9.16 (29.85)				9.16 (29.85)
	उस पर प्रावधान		41.15 (2.84)				41.15 (2.84)	0.03 (0.07)				0.03 (0.07)
4	वित्त वर्ष 2016-17 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और /अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम, जिनकी वजह एचए उच्च प्रावधान किया जाना था और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाया गया		0 (0)				0 (0)	60 (2)				60 (2)
	बकाया राशि		0.00 (0.00)				0.00 (0.00)	23.97 (4.29)				23.97 (4.29)
	उस पर प्रावधान		0.00 (0.00)				0.00 (0.00)	0.21 (0.00)				0.21 (0.00)
5	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन			3 (14)	4 (8)	0 (0)	7 (22)		77 (133)	8 (25)	0 (0)	85 (158)
	बकाया राशि			202.03 (880.72)	575.99 (1,879.50)	0.00 (0.00)	778.02 (2,760.22)		531.06 (142.37)	0.06 (51.64)	0.00 (0.00)	531.12 (194.01)
	डाउनग्रेड पर प्रावधान			1.15 (25.89)	70.65 (87.59)	0.00 (0.00)	71.80 (113.48)		4.09 (0.11)	0.00 (0.60)	0.00 (0.00)	4.09 (0.71)
6	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ		0 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	2 (1)
	बकाया राशि		0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	173.92 (48.84)	0.00 (0.00)	173.92 (48.84)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	7.41 (33.80)	0.00 (0.00)	7.41 (33.80)
7	31 मार्च को वित्त वर्ष 2016-17 हेतु पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)		11 (15)	3 (16)	31 (21)	1 (0)	46 (52)	218 (413)	76 (121)	5750 (6547)	245 (282)	6289 (7363)
	बकाया राशि		2,245.39 (2,092.16)	202.03 (1,133.24)	4,615.98 (3,770.86)	98.60 (0.00)	7,162.00 (6,996.26)	402.98 (761.47)	594.14 (166.03)	518.38 (540.81)	26.87 (5.03)	1542.37 (1,473.34)
	उस पर प्रावधान		103.32 (10.25)	1.15 (92.86)	309.99 (265.82)	0.00 (0.00)	414.46 (368.93)	4.67 (7.15)	5.58 (0.87)	11.28 (31.36)	0.31 (0.33)	21.84 (39.71)

क्र.	पुनर्गठन का प्रकार	अन्य					कुल				
		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	योग
	परिसम्पत्तियों वर्गीकरण										
	विवरण										
1	1 अप्रैल को वित्त वर्ष 2016-17 हेतु पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आकड़े)	9751 (9,428)	1,375 (926)	21371 (23,785)	1,187 (1,215)	33,684 (35,354)	10,179 (10,026)	1,512 (1,057)	27,939 (31,305)	1,469 (1,533)	41,099 (43,921)
	बकाया राशि	5,718.81 (9,009.95)	1,013.59 (1,453.56)	1,999.81 (557.19)	426.03 (25.64)	9,158.24 (11,046.34)	8,572.44 (13,658.25)	2,312.86 (3,405.93)	6,311.48 (997.56)	431.06 (65.96)	17,627.84 (18,127.70)
	उस पर प्रावधान	112.15 (205.43)	22.67 (33.30)	41.46 (23.72)	1.23 (1.67)	177.51 (264.12)	129.55 (600.13)	116.40 (230.93)	338.64 (81.93)	1.56 (3.84)	586.15 (916.83)
2	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान नये पुनर्संचना	0 (1,008)	0 (2)	0 (1)	0 (0)	0 (1,011)	0 (1,031)	0 (3)	0 (1)	0 (0)	0 (1,035)
	बकाया राशि	0.00 (1,295.69)	0.00 (66.26)	0.00 (572.12)	0.00 (0.00)	0.00 (1,934.07)	0.00 (1,296.36)	0.00 (102.38)	0.00 (572.12)	0.00 (0.00)	0.00 (1,970.86)
	उस पर प्रावधान	0.00 (28.36)	0.00 (2.81)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (31.17)	0.00 (28.40)	0.00 (2.81)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (31.21)
3	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	248 (330)				248 (330)	271 (344)				271 (344)
	बकाया राशि	20.28 (17.27)				20.28 (17.27)	286.90 (378.11)				286.90 (378.11)
	उस पर प्रावधान	0.39 (0.59)				0.39 (0.59)	41.57 (3.50)				41.57 (3.50)
4	वित्त वर्ष 2016-17 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भासित अग्रिम, जिनकी वजह एचट उच्च प्रावधान किया जाना था और इस लिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाया गया	350 (9)				350 (9)	410 (11)				410 (11)
	बकाया राशि	171.35 (45.39)				171.35 (45.39)	195.32 (49.68)				195.32 (49.68)
	उस पर प्रावधान	10.08 (0.67)				10.08 (0.67)	10.29 (0.67)				10.29 (0.67)
5	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन		1623 (519)	89 (0)	9 (0)	1721 (519)		1770 (591)	122 (0)	9 (0)	1901 (591)
	बकाया राशि		662.06 (299.48)	820.20 (0.00)	84.56 (0.00)	1566.82 (299.48)		1685.15 (1359.53)	2751.34 (0.00)	84.56 (0.00)	4521.05 (1359.53)
	उस पर प्रावधान		12.75 (14.10)	1.23 (0.00)	0.35 (0.00)	14.33 (14.10)		38.75 (127.40)	89.42 (0.00)	0.35 (0.00)	128.52 (127.40)
6	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइटआफ	0 (0)	0 (0)	9 (2)	0 (0)	9 (2)	0 (0)	0 (0)	12 (11)	0 (0)	12 (11)
	बकाया राशि	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	200.46 (64.46)	0.00 (0.00)	200.46 (64.46)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	283.10 (332.18)	0.00 (0.00)	283.10 (332.18)
7	31 मार्च को वित्त वर्ष 2016-17 हेतु पुनर्गठित खाते (अंतिम आकड़े)	9751 (9,428)	1375 (926)	21371 (23,785)	1,187 (1,215)	33,684 (35,354)	10,179 (10,026)	1,512 (1,057)	27,939 (31,305)	1,469 (1,533)	41,099 (43,921)
	बकाया राशि	5,718.81 (9,009.95)	1,013.59 (1,453.56)	1,999.81 (557.19)	426.03 (25.64)	9,158.24 (11,046.34)	8,572.44 (13,658.25)	2,312.86 (3,405.93)	6,311.48 (997.56)	431.06 (65.96)	17,627.84 (18,127.70)
	उस पर प्रावधान	112.15 (205.43)	22.67 (33.3)	41.46 (23.72)	1.23 (1.67)	177.51 (264.12)	129.55 (600.13)	116.40 (230.93)	338.64 (81.93)	1.56 (3.84)	586.15 (916.83)

4.9 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	खातों की संख्या	8	3
ii)	एससी/ आरसी कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)		
	ए) एनपीए खाते	204.42	132.05
	बी) अपलिखित खाते	शून्य	शून्य
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य
iii)	कुल प्रतिफल		
	ए) एनपीए खाते	188.70	101.50
	बी) अपलिखित खाते	19.00	शून्य
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	1.58	2.25
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल आय/ हानि		
	ए) एनपीए खाते	(15.72)	(31.00)
	बी) अपलिखित खाते	19.00	शून्य
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य

4.10 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे :

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य
2	क. इसमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्तियां	शून्य	शून्य

ग. प्रतिभूति रसीदों में एनपीए द्वारा समर्थित निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रूप से विक्रय		अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रूप से विक्रय		योग	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	814.42	658.19	13.49	15.30	827.91	673.49

घ. प्रतिभूति रसीदों में एसएमए द्वारा समर्थित निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनपीए द्वारा अंतर्निहित के रूप में सुरक्षित बैंक द्वारा मौलिक रूप से विक्रय		अंतर्निहित के रूप में एसएमए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रूप से विक्रय		योग	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बहीमूल्य	257.82	257.82	शून्य	शून्य	257.82	257.82

4.11 मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.3.2016
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	515.37	(100.58)

बैंक द्वारा 31 मार्च, 2017 को मानक आस्तियों हेतु किया गया प्रावधान ₹ 2041.11 करोड़ है. (विगत वर्ष में ₹ 1522.32 करोड़)

5. कारोबार

अनुपात

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	7.60	8.37
ii)	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	1.16	0.94
iii)	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रूप में प्रतिशत	1.73	1.49
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.13	0.35
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹ करोड़ में)	16.43	15.51
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.02	0.04

6. आस्ति देयता प्रबंधन:

31 मार्च, 2017 तक जमाराशि, उधारी, अग्रिम एवं निवेश की परिपक्वता अवधि, निम्न पर आधारित है:

- एएलएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश
- आस्ति एवं देयताओं का व्यावहारिक अध्ययन, जिसमें निहित विकल्प के लिए कोई निश्चित परिपक्वता नहीं है.
- तुलन पत्र आस्ति एवं देयताओं में विदेशी मुद्रा

	जमाराशि	अग्रिम	निवेश	उधारी	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयता
1 दिन	1,725.88	4,935.01	15,325.13	1,129.28	3,353.60	2,987.24
2-7 दिन	8,358.68	11,047.20	2,316.89	1,504.90	1,576.78	1,060.04
8-14 दिन	6,736.29	6,792.61	215.00	389.30	881.19	473.03
15 से 30 दिन	10,914.51	10,265.21	1.36	1,199.60	5,851.55	2,529.11
31 दिन से 2 माह	12,610.53	5,145.78	52.51	647.66	7,671.71	3,046.11
2 माह से अधिक और 3 माह तक	24,678.19	15,253.43	261.64	2,875.46	5,783.29	4,697.76
3 माह से अधिक और 6 माह तक	31,305.21	16,415.64	964.14	5,388.82	7,763.00	7,646.35
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	37,487.90	31,875.15	8,352.88	2,141.02	8,024.15	4,873.13
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	51,757.25	1,20,984.33	16,572.89	7,009.89	4,679.62	7,736.14
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष	39,041.30	31,732.54	20,953.27	7,649.95	9,524.71	11,591.11
5 वर्ष से अधिक	1,53,775.85	32,019.67	47,133.25	11,290.00	1,803.67	490.36
योग	3,78,391.58	2,86,466.58	1,12,148.95	41,225.87	56,913.27	47,130.37

7. एक्सपोजर्स:

7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

क्र.	संवर्ग	31.03.2017	31.03.2016
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
I.	आवासीय बंधक- आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये संपत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं. - उपर्युक्त के अंतर्गत ₹20 लाख तक व्यक्तिगत आवास ऋण .	32,300.62 13,148.83	26,991.39 12,259.11
II.	वाणिज्यिक रियल इस्टेट- वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय, भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं:	4,441.09	3,754.42
III.	बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	शून्य शून्य	शून्य शून्य
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	9,607.20	11,595.96
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	46,348.91	42,341.77

7.2 पूँजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.	संवर्ग	31.03.2017	31.03.2016
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	1,220.89	902.31
ii)	शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	3.89	4.12
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	1.58	2.05
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है.	26.89	1.20
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेंकर्स की ओर से जारी गारंटियां	622.12	551.41
vi)	शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	322.94	240.05
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोक्षण	शून्य	शून्य
x)	वेंचर पूँजी निधियों के सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएंगे और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूँजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. **	480.58	530.30
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	2,678.90	2,231.44

** 2016-17 के लिए ₹136.84 करोड़ की वेंचर पूँजी अनाहरित पूँजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं. (विगत वर्ष ₹142.00 करोड़).

7.3 जोखिम संवर्गवार कंट्री एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2017	शुद्ध एक्सपोजर यथा 31.03.2016	प्रावधान यथा 31.03.2017	प्रावधान यथा 31.03.2016
अपर्याप्त	14,839.43	13,376.83	शून्य	शून्य
अल्प	7,634.06	4,731.32	शून्य	शून्य
सामान्य	257.62	398.71	शून्य	शून्य
उच्च	1.03	2.16	शून्य	शून्य
अत्यधिक उच्च	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सीमित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आफ-क्रेडिट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	22,732.14	18509.02	शून्य	शून्य

कंट्री जोखिम नीति 2016-17 व 2017-18 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है.

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कंट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम दिनांक 31.03.2017 को अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है.

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) को दी गई सीमा से अधिक का ब्यौरा:

(दिनांक 31.03.2016 को पूंजी ₹ 28932 करोड़)

(₹ करोड़ में)

क्र.		उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोजर (₹)	पूंजी निधि का एक्सपोजर%	31.03.16 की स्थिति	पूंजी निधि की % स्थिति
1.	व्यक्तिगत उधारकर्ता	भारतीय खाद्य निगम	4,339.80	10,000.00	34.56	7,612.70	26.31%
2.	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- व्यक्तिगत ऋण लेने की एक्सपोजर सीमा कैपिटल फंड का 15% है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार बोर्ड से अनुमोदन के बाद 5% अतिरिक्त एक्सपोजर लिया गया।
- बुनियादी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 5% वाली एकल इकाइयों व्यक्ति (कैपिटल फंड का 20%)
- भारत सरकार द्वारा तेल बांड जारी की हुई तेल कंपनियों (जिनके पास एसएलआर स्टेटस नहीं है) की एकल इकाइयों व्यक्तियों के लिए कैपिटल फंड का 25%.
- समूह निवेश की सीमा- 40%
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, समूह एक्सपोजर सीमा 50% है
- बोर्ड की अनुमति से अतिरिक्त एक्सपोजर लिया जा सकता है.

7.5 बेजमानती अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथारिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्थिक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक ओडी.बीपी.बीसीसं/ 83/ 08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सड़क/राजमार्ग परियोजनाएं और टोल संग्रह अधिकार से संबंधित अग्रिम, बिल्ड आपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) के तहत वार्षिकी वृत्ति द्वारा समर्थित हैं.

8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : ₹ 8.43 लाख, (गत वर्ष ₹ 6.26 लाख)

बी. लेखा मानकों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा दिशानिर्देश जारी किए हैं.

9. राजस्व पहचान (एएस 9)

सार्थक लेखा नीति की अनुसूची 17 की लेखा नीति सं. 3.3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर ही माना गया है; तथापि इस प्रकार की आय को शामिल नहीं किया गया है.

10. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

10.1 परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना :

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष की बीमाकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है. प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
i)	पारिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी :				
	वर्ष के आरंभ में देयता	1,110.33	9,619.00	1,088.16	8,218.43
	ब्याज लागत	88.72	775.29	83.52	638.22
	चालू सेवा लागत	47.72	134.46	50.12	150.00
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(148.80)	(624.25)	(186.00)	(681.00)
	बीमाकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	30.71	533.48	74.53	1,293.35
	वित्तीय धारणा पर बीमाकिक बीमाकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	(13.96)	793.17	1,110.33	9,619.00
	वर्ष के अंत में देयताएं	1,114.72	1,231.15	शून्य	शून्य
ii)	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,251.27	9,525.70	1,264.00	7,861.00
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	99.98	767.77	105.21	777.24
	अंशदान	88.16	1,019.42	38.26	1,413.35
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	लाभ भुगतान	(148.80)	(624.25)	(186.00)	(681.00)
	प्रदत्त लाभ योजना आस्तियों पर बीमाकिक अर्जन/ (हानि)	42.42	526.25	29.80	155.11
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला	1,333.03	1,1214.89	1,251.27	9,525.70
	कुल चिन्हित बीमाकिक अर्जन/(हानि)	16.75	1326.65	(44.73)	(1,138.24)
		(25.67)	(800.40)	(44.73)	(1,138.24)
iii)	संक्रमणकालीन देयता की पहचान:				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	99.98	767.77	105.21	777.24
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	42.42	526.25	29.80	155.11
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	142.40	1294.02	135.01	932.35

	विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
v)	आय विवरण में चिह्नित व्यय:				
	वर्तमान सेवा लागत	47.72 (11.26)	134.46 7.52	50.12 83.52	150.00 638.22
	ब्याज लागत	शून्य	शून्य	(105.21)	(777.24)
	यो ाना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक लाभ या हानि	(25.67)	800.40	44.73	1,138.24
	लाभ हानि खाते में चिह्नित व्यय	10.79	942.38	73.16	1,149.22
vi)	तुलन पत्र समाधान:				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता(पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिह्नित शुद्ध राशि)	(140.94)	93.30	(175.84)	357.43
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	10.79	942.38	73.16	1,149.22
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	(88.16)	(1,019.42)	(38.26)	(1,413.35)
	तुलन-पत्र में चिह्नित राशि	(218.31)	16.26	(140.94)	93.30
vii)	अन्य ब्यौरे:				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यक्षीन है.	37,120 162.08	18,059 96.58	35,716.00 148.54	19,670.00 107.98
	ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रु10,00,000.00 या बैंक की योजना के अनुसार हो.	शून्य	137.01	शून्य	349.86
	वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/ हानि की गणना की गई है.				
	वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या				
	वेतन प्रति माह				
	अगले वर्ष के लिए अंशदान				
viii)	आस्तियों का संवर्ग:				
	भारत सरकार की आस्तियां	121.75	366.40	146.02	473.14
	कार्पोरेट बांड	251.89	1,771.02	267.72	1532.83
	विशेष जमा योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	राज्य सरकार	139.50	344.00	443.41	2442.38
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	113.85	1,246.48	90.39	974.77
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	706.04	7,486.99	303.73	4102.58
	योग	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70

	विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
ix)	मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	8.04	8.06	7.99	7.95
	पिछली छूट दर	8.04	8.06	8.70	8.70
	पिछली यो ाना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	5.00	5.00	5.00	5.00
	पिछली वेतन वृद्धि	2.00	2.00	2.00	2.00
	पिछली एट्रीशन दर	7.20	7.45	8.04	8.06
	चालू छूट दर	7.20	7.45	8.04	8.06
	वर्तमान यो ाना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	5.00	5.00	5.00	5.00
	वर्तमान वेतन वृद्धि	2.00	2.00	2.00	2.00
	वर्तमान एट्रीशन दर				

योजना में अधिशेष/ कमी :	ग्रेच्युटी योजना (₹ करोड़ में)				
तुलन पत्र में चिह्नित राशि	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
वर्ष के अंत में देयताएं	1,114.72	1,110.33	1088.16	1060.13	1000.86
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1,333.03	1,251.27	1264.00	1081.23	1037.22
अंतर	218.31	140.94	175.84	21.10	36.36
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	65.00	130.00
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	218.31	140.94	175.84	86.10	166.36

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	ग्रेच्युटी योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	(13.96)	शून्य	(21.18)	123.74	21.60
योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	42.42	29.80	38.03	(20.00)	(24.43)

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन				
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
वर्ष के अंत में देयताएं	11,231.15	9,619.00	8218.43	6683.81	5991.02
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	11,214.89	9,525.70	7861.00	6104.73	4774.08
अंतर	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(579.08)	(1216.94)
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	338.00	761.00
पहचानी नहीं गई परिवर्तन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(241.08)	(455.94)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.14	31.03.13
योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	793.17	1399.16	731.44	661.38	251.18
योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	526.25	155.11	210.89	-233.23	-103.10

10.2 पारिभाषित अंशदान योजना:

बैंक द्वारा अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है, जो दिनांक 01 अगस्त, 2010 से सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकारी के अधीन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। एनपीएस के लिए नेशनल सिक्कुरिटीज डीपाजिटरी लिमिटेड को केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा एनपीएस को ₹68.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 58.52 करोड़) का अंशदान किया गया है।

10.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.17	31.03.16
1.	पेंशन	942.00	1149
2.	अवकाश नकदीकरण	58.00	75
3.	अवकाश यात्रा रियायत	(3.69)	10
4.	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

3.4 वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 79 करोड़ का भुगतान एक अपवाद मद के रूप में किया, जो दसवें द्विपक्षीय वेतन समझौते के अंतिम कार्यान्वयन पर पूर्व के वर्षों के बकाया वेतन से संबंधित है।

11. क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17)

		(₹ करोड़ में)	
कारोबार क्षेत्र		स्टैंड अलोन वर्ष की समाप्ति	
		(समीक्षित)	(समीक्षित)
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व;		
1	ट्रेजरी परिचालन	12,508.55	10,177.19
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	10,293.19	10,221.26
3	कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	14,586.86	15,236.62
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	334.31	264.76
5	गैर आवंटित	शून्य	शून्य
	योग	37,722.91	35,899.83
	घटाया: अंतर क्षेत्रवार राजस्व	98.33	69.29
	कुल राजस्व	37,624.58	35,830.54
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेजरी परिचालन	3,418.00	2,146.01

		(₹ करोड़ में)	
कारोबार क्षेत्र		स्टैंड अलोन वर्ष की समाप्ति	
		(समीक्षित)	(समीक्षित)
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	679.02	667.62
3	कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	-3,933.55	-1,173.31
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	179.12	125.07
5	गैर आवंटित	शून्य	शून्य
	कर पूर्व कुल लाभ	342.59	1,765.39
(सी)	आयकर	-212.62	413.77
(डी)	ऊचजष आचचच	555.21	1,351.60
(ई)	क्षेत्रवार आस्तियां		
1	ट्रेजरी परिचालन	1,49,452.25	1,24,187.02
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,01,247.61	93,320.72
3	कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	1,96,700.94	1,83,281.67
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
5	गैर आवंटित	5,303.64	3,906.49
	योग	4,52,704.44	4,04,695.90
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेजरी परिचालन	1,42,297.16	1,17,469.24
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	97,183.59	88,934.90
3	कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	1,88,805.48	1,74,667.92
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
5	गैर आवंटित	442.01	732.63
6	पूंजी, निधियां एवं अधिशेष	23,976.20	22,891.21
	योग	4,52,704.44	4,04,695.90

टिप्पणियां:

1. बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेजरी, रिटेल, कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है। उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है। बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है। विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, (एएस) 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं। अतः बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है।
2. सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं।
3. पिछले वर्ष के बारह महीनों/ तिमाही के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहीकृत/ प्रस्तुत किया गया है; ताकि वर्तमान बारह महीनों/ तिमाही के वर्गीकरण/ प्रस्तुति के अनुसूच हो।

12 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस -18)

12.1 संबंधित पार्टियों की सूची

(ए) समनुषंगी :

- यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनियन बैंक आफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.

(बी) संयुक्त उद्यम :

- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(सी) एसोसिएट :

- बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक

(डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2015-16 के दौरान सेवा ग्रहण करने/सेवानिवृत्त होने वाले
श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक	लागू नहीं
श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक	30 जून 2016 को सेवा समाप्त
श्री विनोद कथूरिया	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री राजकमल वर्मा	कार्यपालक निदेशक	9 अगस्त, 2016 को सेवा ग्रहण
श्री अतुल कुमार गोयल	कार्यपालक निदेशक	15 सितंबर, 2016 को सेवा ग्रहण

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए:

एएस-18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर- ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, को प्रकटित नहीं किया गया है।

12.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.23	#0.28
कार्यपालक निदेशकगण	0.50	#0.44
योग	0.73	0.72

मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई क्रमशः 0.06 करोड़ व ₹ 0.09 करोड़ की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है। मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई।

12.3 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है।

प्रति शेयर अर्जन की गणना नीचे दी गयी है :

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	8.08	20.42
ii	इविट्टी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	555.21	1351.60
iii	इविट्टी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	68.74	66.18
iv	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10	10

14 कर प्रावधान

14.1 आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	179.37	187.71
2	कर्मचारी लाभ	266.59	266.59
3	पूर्व वर्षों में दावाकृत, वर्ष के दौरान विक्रित निवेशों पर मूल्यह्रास	शून्य	60.35
4	अवकाश नकदीकरण	97.21	83.89
5	अन्य प्रावधानों के कारण	2,727.01	1,435.06
	योग	3,270.18	2,033.60
	आस्थगित कर देयताएं		
1	निवेशों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान	शून्य	91.23
2	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	22.31	29.24
3	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	607.89
4	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	953.71	889.69
	योग	976.02	1618.05
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	2,294.14	415.55
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

14.1 प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर देयताओं सहित)	-212.62	413.78

15. संयुक्त उपक्रम में निवेश: (एएस-27)

निवेश के अंतर्गत ₹ 65 करोड़ (गत वर्ष ₹ 65 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दार्ड-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बैंक की हित राशि है। यह कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई है।

16. आस्तियों की हानि (मानक लेखा-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो।

17. आकस्मिक देयताएँ (एएस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र.(i) व (vi)(i) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है।

अतिरिक्त प्रकटन

17.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड़ में)

लाभ हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	31.03.2017	31.03.2016
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान/ (रिवर्सल)	630.40	149.28
एनपीए के लिए प्रावधान	6032	4655.03
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	503.33	(107.47)
आयकर (आईटी)/ सम्पत्ति कर/ आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के लिए शुद्ध प्रावधान	(203.76)	413.78
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	1.81	5.74
- अग्रिमों का पुनर्गठन	66.02	(623.25)
- अन्य	(155.62)	(202.09)
योग	6874.18	4291.02

17.2 काउंटर साइक्लीकल प्राविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	फ्लोटिंग प्रावधान में प्रारंभिक शेष यथा 01.04.2016	293.20	293.20
ii)	लेखावर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
iii)	लेखावर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	0.00	0.00
iv)	अंतिम शेष	293.20	293.20

18. आरक्षिती से आहरण :

बैंक द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान आरक्षिती से शून्य आहरण किया गया था (विगत वर्ष यह ₹ 0.02 करोड़ था)

19. शिकायतों का प्रकटन:

ए. ग्राहक शिकायतें

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	446	336
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1,97,651	171,128
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	1,97,752	171,018
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	345	446

बी. बैंक द्वारा जारी एटीएम कार्ड के संबंध में शिकायत:

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	155	203
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	51,455	85,810
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	51,610	85,858
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	155

उक्त के अलावा उन शिकायतों का ब्यौरा, जो विशेष रूप से अन्य बैंकों से संबद्ध हैं:

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	55	198
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	25,520	69,338
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	25,572	69,481
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	55

सी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	शून्य	3
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	1	3
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	1	6
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

20. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	3,474.45	3701.91
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	10,900.12	10,722.18
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	10,280.68	10,949.65
वर्ष के अन्त में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	4,093.89	3,474.45

21. कवरेज अनुपात का प्रावधान (पीसीआर):

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
कवरेज अनुपात का प्रावधान (%)	51.41	50.98

22. बैंकाश्योरेंस कारोबार का प्रकटन:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.	आय का स्वरूप	31.03.2017	31.03.2016
1.	जीवन बीमा पालिसी	58.67	42.07
2.	गैर-जीवन बीमा पालिसी	6.36	7.33
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य

23. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

23.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	26,881.52	34,760.99
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	7.10%	10.14%

23.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम	23,530.68	24608.97
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	7.80%	7.02%

23.3 एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	65,240.42	58,509.47
बैंक के कुल ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	10.62%	11.70%

23.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	5,564.33	3,846.67

24.4 क्षेत्रवार अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2016-17)			विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2015-16)		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एन पी ए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमो से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमो से एनपीए का %
ए	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	44,139	2,927	6.63	38,962	2,336	6.00
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण	19,195	2,853.00	14.86	12,030	1,347	11.20
3	सेवाएं	24,068	1,952	8.11	21,439	1,337	6.24
4	वैयक्तिक ऋण	15,461	539	3.49	15,609	499	3.20
	उप-योग (ए)	10,2863	8,271	8.04	88,040	5,519	6.27
बी	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	476	211	44.33	515	203	39.42
2	उद्योग	1,42,224	22,644	15.92	1,22,611	16,376	13.36
3	सेवाएं	27,105	1,838	6.78	51,112	1,780	3.48
4	वैयक्तिक ऋण	29,015	748	2.58	15,447	293	1.90
	उप-योग (बी)	1,98,820	25,441	12.80	1,89,685	18,652	9.83
	योग (ए+बी)	3,01,683	33,712	11.17	2,77,725	24,171	8.70

उप क्षेत्र, जहां वित्त वर्ष 2016-17 में बकाया अग्रिम, बकाया कुल अग्रिम के 10% से अधिक रहा, निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.	उप क्षेत्र	क्षेत्र	बकाया	क्षेत्र में कुल अग्रिम से %
1	अनाज उगाना	कृषि	20,853	52.82
2	विद्युत उत्पादन	उद्योग	14,517	10.78
3	एनबीएफसी सामान्य उद्देश्य ऋण	सेवा	14,260	19.66
4	अन्य सभी एनईसी ऋण	वैयक्तिक	5,470	17.61
5	स्टाफ के अतिरिक्त आवास ऋण	वैयक्तिक	21,019	67.68

25. एनपीए का संचरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1 अप्रैल 2016 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	24,170.88	13,030.87
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये)एनपीए	13,243.89	12,952.86
वर्तमान एनपीए में वृद्धि	शून्य	शून्य
उप योग (ए)	37,414.78	25,983.73
घटाएं:		
(i) उन्नयन	1,050.48	177.73
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	1,388.36	843.54
(iii) अप लेखन	1,263.66	791.58
उप योग (बी)	3,702.50	1,812.85
31 मार्च 2017 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	33,712.28	24,170.88

26. स्टॉक का तकनीकी राइट-ऑफ (₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन खातों का प्रारम्भिक शेष	4,391.90	3940.20
ii)	जोड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	999.19	645.68
iii)	उप-योग (ए)	5,391.09	4585.88
iv)	घटाया: पूर्व में खातों में किए गए तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन में वर्ष के दौरान वसूली (बी)	343.31	193.98
v)	अन्तिम शेष (ए-बी)	5047.78	4391.90

27. ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
कुल आस्तियां	37,756.96	31639.49
कुल एनपीए	2,872.41	1,145.58
कुल राजस्व	1,046.96	986.84

28. बैंक द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी ऑफ बैलेंस शीट नहीं है.

29. अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
पेंशन		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य

30. क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप:

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप संव्यवहार नहीं किया.

31. इंद्रा गुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017
इंद्रा गुप एक्सपोजर की कुल राशि	1,54,193.52
20 बड़े इंद्रा गुप एक्सपोजर्स की कुल राशि	78,747.82
बैंक के कुल ऋणियों/ ग्राहकों के इंद्रा गुप एक्सपोजर में 20 बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के इंद्रा गुप एक्सपोजर का प्रतिशत	25.11%
इंद्रा गुप एक्सपोजर पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य

32. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) में अन्तरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
डीईएफ को अन्तरित राशि का प्रारम्भिक शेष	704.90	610.36
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएफ में अन्तरित की गयी राशि	139.03	122.33
घटाया : डीईएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	21.71	27.79
डीईएफ को अन्तरित राशि का अन्तिम शेष	822.22	704.90

33. अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर एक नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को जोड़कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोजर के लिए प्रावधान ₹ 12.90 करोड़ (31.03.2016 में ₹ 33.30 करोड़) किया गया.

34. सिक्यूरीटाइजेशन संबंधी प्रकटन

31 मार्च, 2017 तक सुरक्षा संबंधी अंतरणों हेतु बैंक में कोई स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) नहीं थी.

35. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) :

ए. गुणात्मक प्रकटन:

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित

करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है।

एलसीआर = एचक्यूएलए / 30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह

एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता आरबीआई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए 80% निर्धारित की गयी है। एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है।

एचक्यूएलए:

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्थिक के रूप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें भार रहित अर्थात् विधिक, नियामक अथवा परिचालनात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए। ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती हैं, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं।

एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं। स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है।

स्तर 1

स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रूप से सीआरआर का आधिक्य, एसएलआर का आधिक्य, एमएसएफ (एनडीटीएल का 2%) एवं एफएलएलसीआर में कमी (एनडीटीएल का 9%) सहित नकदी शामिल होता है।

स्तर 2ए आस्तियां

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की जाती है। स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से बैंक/ वित्तीय संस्थान/ एनबीएफसी द्वारा जारी न की गयी 20% जोखिम भारित प्रतिभूतियां, बैंक/ वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा जारी न किए गए एए- अथवा उससे ऊपर रेटेड कारपोरेट बांड, एवं एए- अथवा उससे ऊपर रेटिंग वाले वाणिज्यिक पेपर भी स्तर 2ए आस्तियों के भाग होते हैं।

स्तर 2 बी आस्तियां

स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की जाती है। स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं

होती हैं। स्तर 2बी आस्तियां मुख्य रूप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से कम जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां अर्थात् बीबीबी क्रेडिट रेटिंग से नीचे न हो एवं बैंक/ वित्तीय संस्थान/ एनबीएफसी द्वारा इक्विटी शेयर जारी एवं इंडेक्स कम्पोनेंट न किए गए हों, शामिल होती हैं।

शुद्ध नकदी प्रवाह

लगातार 30 कैलेंडर दिवसों में कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह प्राप्त होता है। विभिन्न श्रेणियों में बकाया राशियों को गुणा करने, देयताओं के प्रकार व ऑफ- बैलेंस शीट में प्रतिबद्ध दर, जिस दर में उन्हें प्रवाहित और मंद होना है, के आधार पर कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का आकलन किया जाता है। कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप जिसमें उनके प्रवाहित होने का अनुमान किया जाता है, के संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अगले 30 दिनों कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह = बहिर्प्रवाह - (अंतर्प्रवाह; बहिर्प्रवाह का 75%)

बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

आरबीआई निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी, 2017 से बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर एलसीआर का आकलन किया जाना है। मार्च, 2017 तिमाही की सभी कार्य दिवसों हेतु बैंक द्वारा एलसीआर का आकलन किया गया है। 66 पॉइंट्स की दैनिक पर्यवेक्षण का औसत आकलन किया गया है। भारिबैं द्वारा वर्ष 2017 हेतु निर्धारित 80% के सापेक्ष बैंक द्वारा न्यूनतम अपेक्षा से अधिक एलसीआर बरकरार रखा गया।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का वार्षिक एलसीआर तिमाही एलसीआर का औसत है

एचक्यूएलए:

बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां हैं जिससे कि उसका एलसीआर नियामक द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक है। स्तर 1 आस्ति एचक्यूएलए का मुख्य चालक है, जिसका बैंक के कुल एचक्यूएलए में लगभग 84% योगदान है।

बहिर्प्रवाह एवं अंतर्प्रवाह:

बैंक में निधियों के लिए विविध स्रोत हैं, जिनमें से खुदरा जमा राशियां बैंक की निधियों का मुख्य स्रोत हैं। बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रुपये में है। भारिबैं के वर्गीकरण के अनुसार, बहिर्प्रवाह गैर- वित्तीय कॉर्पोरेट के मीयादी जमा (रुपये) से प्रभावित रहें।

एलसीआर प्रकटन यथा 31 मार्च, 2017 (समेकित)			
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां		
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	80,890.39	78,635.03
	नकदी बहिर्प्रवाह		
2	खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	2,34,477.16	20,215.58
	(i) स्थिर जमा राशियां	64,642.78	3,232.14
	(ii) घटाया स्थिर जमा राशियां	1,69,834.38	16,983.44
3	बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से	1,02,435.79	51,239.44
	(i) परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	शून्य	शून्य
	(ii) गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	85,327.25	34,130.90
	(iii) बेजमानती ऋण	17,108.54	17,108.54
4	जमानती थोक निधियां	8,380.12	3,309.41
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	18,057.79	1,583.71
	(i) डेरीवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्थिक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	10.91	10.91
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	शून्य	शून्य
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	18,046.88	1,572.80
6	अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	1,132.24	1,132.24
7	अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	32,104.14	965.20
8	कुल नकदी बहिर्प्रवाह	3,96,587.25	78,445.59
	नकदी अंतर्प्रवाह		
9	जमानती उधार (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	2,593.09	शून्य
10	पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	4,456.87	4,456.87
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	1,705.93	11,988.70
12	कुल नकद बहिर्प्रवाह	24,095.89	16,445.57
			कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एचक्यूएलए		78,635.03
22	कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह		62,000.02
23	तरलता कवरेज अनुपात (%)		126.83

तरलता कवरेज अनुपात संबंधित उपर्युक्त उल्लिखित जानकारी में 31 मार्च, 2017 के लेखा परीक्षित व 65 आंकड़ों पॉइंट्स के गैर लेखा परीक्षित आंकड़ों का उचित अनुपालन किया गया.

वित्त वर्ष 2016-17 हेतु एलसीआर प्रकटन - लेखापरीक्षित			
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	67,919.35	65,971.43
नकदी बहिर्प्रवाह			
2	खुदरा जमाराशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	2,11,978.08	18,852.55
	(i) स्थिर जमाराशियां	46,905.15	2,345.26
	(ii) घटाया स्थिर जमाराशियां	1,65,072.93	16,507.29
3	बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से	64,771.12	38,048.96
	(i) परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	शून्य	शून्य
	(ii) गैर-परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां)	44536.94	17814.78
	(iii) बेजमानती ऋण	20234.18	20234.18
4	जमानती थोक निधियां	6064.92	3136.96
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	18242.00	1936.42
	(i) डेरीवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	2.73	2.73
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	शून्य	शून्य
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	18239.27	1933.69
6	अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	966.89	966.89
7	अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	30778.82	923.88
8	कुल नकदी बहिर्प्रवाह	332801.83	63865.66
नकदी अंतर्प्रवाह			
9	जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	5888.73	शून्य
10	पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	3243.95	3243.95
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	18762.11	13041.18
12	कुल नकद बहिर्प्रवाह	27894.78	16285.13
			कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एचक्यूएलए		65971.43
22	कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह		47580.53
23	तरलता कवरेज अनुपात (%)		138.65%

ऊपर दी गई जानकारी जून, 2016, सितंबर, 2016, दिसंबर, 2016 व मार्च, 2017 को समाप्त तिमाहियों की एलसीआर के भारित औसत पर आधारित है। जून, 2016, सितंबर, 2016, दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही की जानकारी का अप्रैल, 2016, मई, 2016, जून, 2016, जुलाई, 2016, अगस्त, 2016, अक्टूबर, 2016, नवंबर, 2016 के गैर लेखा परीक्षित आंकड़ों व जून, 2016, सितंबर, 2016 के लेखा परीक्षित के आंकड़ों के साथ अनुपालन किया गया है। मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही हेतु 31 मार्च 2017 को एलसीआर का 65 आंकड़ों पॉइंट्स के गैर लेखा परीक्षित आंकड़ों व लेखा परीक्षित आंकड़ों के साथ अनुपालन किया गया है।

36. अचल आस्तियां:

- ए) बैंक द्वारा धारित ₹ 31.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 36.43 करोड़) की ह्रासित मूल्य की 3 (पिछले वर्ष 5) अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।
- बी) भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30.11.2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर फिर से पुनर्मूल्यांकित किया गया था। इन पुनर्मूल्यांकनों में हुई मूल्य वृद्धि अर्थात् दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹ 456.59 करोड़ और 30.11.2007 के अनुसार ₹ 1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर ₹ 56.56 करोड़ के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹ 34.62 करोड़) को उसमें से घटाया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुछ संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व बढ़कर ₹ 1213.10 करोड़ हो गया।

37. धोखाधड़ी के पता लगाये गये/ रिपोर्ट किये गये मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान पता लगाये गये धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	धोखाधड़ी के पता लगाये गये मामलों की संख्या	ऐसी धोखाधड़ी में अंतर्निहित राशि	31/03/2017 तक बकाया राशि	31/03/2017 तक किया गया प्रावधान	31/03/2017 तक अपरिशोधित प्रावधान
कुल	127	896.42	888.83	647.31	241.52

38. बहियों का मिलान, अंतरशाखा/ बैंक लेनदेनों का मिलान :

- (i) विदेशी बैंकों व अन्य बैंकों में राशि की पुष्टि/ मिलान प्राप्त कर लिया गया है/ किया गया है।
- (ii) उच्चतम खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/ कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है।

उसकी (i) एवं (ii) की लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

39. भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.क्र. 76/21.07.001/22015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था। तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है। उक्त परिपत्र में अपेक्षित नियमों के अनुसार बैंक द्वारा 30 नवंबर, 2016 को 30 सितंबर, 2016 को समाप्त छमाही की आईएनडी- एडी वित्तीय विवरण का प्राप्त भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया।

40. कॉर्पोरेट कर निर्धारण:

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दिनांक 29 सितंबर, 2016 को अधिसूचित धारा 145(2) के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आय गणना व प्रकटन मानक (आईसीडीएस) लागू है तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कर प्रावधान एवं विलंबित कर के प्रभावों पर विचार करने के पश्चात् इसका आकलन किया गया।

बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक उपयुक्त संभावना के आधार पर भविष्य में प्राप्त होने वाले कराधीन आय, जिससे ऐसे डीटीए प्राप्त किए जा सकते हैं, के आधार पर कुल ₹ 1878.61 करोड़ (पैनल वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 867.79 करोड़) मूल्य के विलंबित कर आस्तियों की पहचान की गई।

वर्ष के दौरान विधि, वर्तमान विधिक स्थिति और विधिक राय के अनुसार, बैंक ने उस अवधि तक के अधिक प्रावधान किए गए आयकर की राशि ₹ 644.01 करोड़ को वापस समायोजित कर लिया है, जिस अवधि तक की अपील पर माननीय आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। आयकर विभाग द्वारा उसके विरुद्ध दायर की गई याचिका उच्च न्यायालय के विचारधीन है।

41. निवेश :

- I. परिपक्वता तक धारित श्रेणी की प्रतिभूतियों से हुई बिक्री से अर्जित लाभ ₹ 493.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 97.97 करोड़) को प्रारम्भ में लाभ और हानि खाते में ले लिया गया.
 - II. परिपक्वता तक धारित श्रेणी के संदर्भ में, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति क्रमांक 4 (ii)(ए) में कहा गया है, वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत की आधिक्य राशि ₹ 188.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 134.48 करोड़) को परिशोधित किया गया है.
 - III. कुल शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों व इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयों/ उद्यम पूंजी कोष में किया गया निवेश व शेयरों के सापेक्ष कुल अग्रिम ₹ 1,701.49 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 1,432.61 करोड़ रहा).
- 42 चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है एवं लेखा नीति (एस-5 के अनुसार) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एस-24 के अनुसार).
- 43 जहां-कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.
- अनुसूची 1 से 18 तक के हस्ताक्षरकर्ता

(धीरेंद्र जैन)

सहायक महाप्रबंधक

(अतुल कुमार गोयल)

कार्यपालक निदेशक

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)

निदेशक

(डॉ. आर. एच. धोळकिया)

निदेशक

(राज कमल वर्मा)

कार्यपालक निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)

निदेशक

(जी के लाठ)

निदेशक

(बी श्रीनिवास राव)

उप महाप्रबंधक व सीएफओ

(विनोद कथूरिया)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डॉ. के रमेश)

निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू

(निमेष भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(संजीव नारायण)

भागीदार

(एम. सं. 084205)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(दिलीप अग्रवाल)

भागीदार

(एम. सं. 055420)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(तनसुख छेड़ा)

भागीदार

(एम. सं. 047157)

कृते एस भंडारी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(पी. पी. पारीक)

भागीदार

(एम. सं. 071213)

स्थान: : मुंबई

दिनांक : 08 मई, 2017.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

		(₹ लाख में)	
क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2017	समाप्त वर्ष 31.03.2016
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह		
	कर से पहले निवल लाभ/(हानि)	3,42,60	17,65,39
	के लिए समायोजन:		
	अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	2,36,04	2,44,11
	निवेश आस्तियों पर मूल्य ह्रास	6,32,43	1,55,02
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	60,31,90	46,55,03
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	4,43,26	(9,39,76)
	स्टाफ संबंधी व्यय हेतु प्रावधान	37,46	84,04
	अन्य प्रावधान	(20,11)	6,94
	अचल आस्तियों की बिक्री अथवा निपटान पर लाभ / (हानि)	(25,83)	1,79
	ऋण राशियों पर ब्याज : पूंजीगत लिखतों	8,83,24	7,06,27
	उप योग	85,60,99	66,78,83
	निम्न के लिए समायोजन		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	3,56,71,57	2,58,50,09
	पूंजीगत लिखतों के अलावा अन्य ऋण में वृद्धि / (कमी)	62,68,52	(43,52,63)
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	5,23,25	3,73,37
	सहायक कंपनियों / जे. वी. / एसोसिएट्स के अलावा अन्य निवेश में वृद्धि / (कमी)	(2,32,34,16)	48,37,68
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(2,52,10,50)	(1,57,31,21)
	अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	(5,75,92)	(81,09,05)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	(15,39,51)	(7,89,26)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	4,64,24	87,57,82
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह:		
	अचल आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	(1,84,00)	(15,60,34)
	सहायक कंपनियों / जे. वी. / एसोसिएट्स में निवेश में वृद्धि / (कमी)	(3,38,88)	(1,08,07)
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(5,22,88)	(16,68,41)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
	प्राप्त इक्विटी शेयर आवेदन राशि	5,41,00	0
	वरीयता आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों को जारी करना	0	51,66
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (शेयर निर्गम व्यय को घटाकर)	0	10,27,26
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	40,00,00	(50,00)
	ऋण राशियों पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(7,74,74)	(7,55,72)
	लाभांश का भुगतान (लाभांश कर सहित)	(1,61,34)	(4,64,41)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी) :	36,04,92	(1,91,21)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

		(₹ लाख में)	
क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2017	समाप्त वर्ष 31.03.2016
	नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	35,46,28	68,98,20
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,92,76,22	2,23,78,02
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	<u>3,28,22,50</u>	<u>2,92,76,22</u>
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,56,04,72	1,50,63,08
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	1,36,71,50	73,14,94
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	<u>2,92,76,22</u>	<u>2,23,78,02</u>
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,65,20,45	1,56,04,72
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	1,63,02,05	1,36,71,50
	वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	<u>3,28,22,50</u>	<u>2,92,76,22</u>

जहां कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण / प्रस्तुतीकरण के अनुसूच पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(अतुल कुमार गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राज कमल वर्मा)
कार्यपालक निदेशक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र:

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षकों ने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3, ठनकदी प्रवाह विवरण के अनुसूच अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और 08 मई, 2017 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है।

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू

(निमेष भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(एस. श्रीधर)
भागीदार
(एम. सं. 025504)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(संजीव नारायण)
भागीदार
(एम. सं. 084205)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
(एम. सं. 055420)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(तनसुख छेड़ा)
भागीदार
(एम. सं. 047157)

कृते एस भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(पी. पी. पारीक)
भागीदार
(एम. सं. 071213)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2017.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

- हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक'), इसके सबसीडियरी, एसोसिएट एवं संयुक्त उपक्रम ('समूह') के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2017 का समेकित तुलन पत्र, वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि खाता, समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है।
- इन सीएफएस में समाविष्ट है :
 - हमारे द्वारा लेखा परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 8 मई, 2017 के माध्यम से बैंक के लेखापरीक्षित खाते, जिसमें 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आस्ति ₹ 452704 करोड़, कुल राजस्व ₹ 37625 करोड़, लाभ ₹ 555 करोड़ एवं शुद्ध नकदी प्रवाह ₹ 3546 करोड़ है, का लेखा परीक्षण किया गया।
 - अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित तीन सबसीडियरी एवं एक संयुक्त उपक्रम का लेखा परीक्षण, जिनके 31 मार्च, 2017 के वित्तीय विवरणों से स्पष्ट है कि कुल आस्ति में ग्रुप का शेयर ₹ 2964 करोड़, वर्ष के लिए कुल राजस्व में ग्रुप का शेयर ₹ 621 करोड़ तथा शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह में ग्रुप का शेयर ₹ 257 करोड़ है, का लेखा परीक्षण किया एवं
 - एक एसोसिएट के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण किया, जिसके वर्ष के लाभ में ग्रुप का शेयर ₹ 5.89 करोड़ है।**समूह की संस्थाएं, जिनके वित्तीय विवरणों में समेकित वित्तीय विवरण शामिल हैं, अनुसूचित 18 खातों के नोट्स में सूचीबद्ध हैं जो समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में हैं।**
- हमने इसके सबसीडियरी, संयुक्त उपक्रम एवं एक एसोसिएट के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है। इनके वित्तीय विवरणों को हमारे सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था क्योंकि इनकी राशियों में अन्य संस्थाओं की राशियां शामिल थीं जो पूर्णरूप से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है, जो बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह की भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं भारत में स्वीकृत सामान्यतः अन्य लेखा सिद्धांतों की आवश्यकता के अनुरूप लेखा मानक-21 "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक -23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश के लिए लेखांकन" एवं लेखा मानक-27 "संयुक्त उपक्रम में हित के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग" शुद्ध एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाते हैं। बैंक प्रबंधन के इस उत्तरदायित्व में समूह के समेकित वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल है, जो सत्य व स्पष्ट छविपूर्ण हों तथा धोखाधड़ी या त्रुटिवश सारवान गलती से रहित हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षणों के मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नीतियों का पालन करें एवं उपयुक्त आश्रय के लिए लेखा परीक्षण करें चाहे समेकित विवरण पूर्णतया गलत तथ्यों से मुक्त ही क्यों न हों।
- लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों एवं प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। चयनित की गयी प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय के साथ समेकित वित्तीय विवरणों के गलत तथ्यों के जोखिम, जो धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो सकते हैं, के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। जोखिम के मूल्यांकन में लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुकूल परन्तु बैंक के आन्तरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर मत प्रकट न करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षण के लिए खाका तैयार करने के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक की तैयारी एवं स्पष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए संबंधित आन्तरिक नियंत्रणों पर विचार करते हैं। लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में प्रयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा अनुमानित लेखांकन के उचित होने तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

7. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.
8. बैंक की सब्सीडियरी/संयुक्त उपक्रम/एसोसिएट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट/प्रबंधन प्रमाण पत्र हमें प्रेषित किए गए हैं एवं हमारी रिपोर्ट तैयार की गयी है एवं हमारा मत पूर्णतया अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/प्रबंधन प्रमाण पत्रों पर ही आधारित है.

सम्मति

9. उपरिलिखित पैरा 1 से 8 में इंगित सीमाओं, एवं सब्सीडियरी, संयुक्त उपक्रम एवं एक एसोसिएट के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारा लेखा परीक्षण आधारित है . हमारे मत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

ए. समेकित तुलन पत्र के संबंध में बैंक की स्थिति यथा 31 मार्च, 2017

बी. समेकित लाभ एवं हानि खाता के संबंध में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ एवं

सी. समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू
(निमेष भिमानी)
भागीदार
सदस्य सं. 030547

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन
(आदित्य कुमार)
भागीदार
सदस्य सं. 506955

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू
(योगेश अमल)
भागीदार
सदस्य सं. 111636

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस
(एस. श्रीधर)
भागीदार
सदस्य सं. 025504

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085ई
(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
सदस्य सं. 055420

कृते एस भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000560सी
(पी डी बैद)
भागीदार
सदस्य सं. 072625

स्थान: : मुंबई

दिनांक : 19 मई, 2017.

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2017 के अनुसार

(₹ 000 में)

	अनुसूची	यथा 31.03.2017	यथा 31.03.2016
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1	6,87,44,11	6,87,44,11
आरक्षित और आधिक्य	2	2,28,83,63,86	2,23,60,67,17
शेयर आवेदन		5,41,00,00	-
अल्पमत हिस्सेदारी	2A	-	-
जमाराशियां	3	37,96,87,26,45	34,41,17,50,91
उधार	4	4,12,25,49,65	3,06,36,61,48
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	1,06,43,88,14	95,62,32,69
कुल		45,56,68,72,21	4,07,36,45,56,36
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	1,65,22,37,31	1,56,06,91,64
बैंक में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	1,63,83,55,05	1,40,09,88,93
निवेश	8	11,34,41,26,41	9,05,73,21,38
अग्रिम	9	28,79,49,82,85	26,82,49,56,42
अचल अस्तियां	10	39,05,40,86	39,51,85,47
अन्य आस्तियां	11	1,74,66,29,73	1,49,73,12,52
कुल		45,56,68,72,21	40,73,64,56,36
अनुषंगी दायित्व	12	23,18,86,43,50	39,74,37,13,90
संग्रहण के लिये बिल		1,61,19,39,73	1,50,30,34,09
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(धीरेंद्र जैन)
सहायक महाप्रबंधक
(अतुल कुमार गोयल)
कार्यपालक निदेशक
(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)
निदेशक
(डॉ. आर. एच. धोळकिया)
निदेशक

(राज कमल वर्मा)
कार्यपालक निदेशक
(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक
(जी. के. लाठ)
निदेशक

(बी श्रीनिवास राव)
उप महाप्रबंधक व सीएफओ
(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक
(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डॉ. के. रमेश)
निदेशक
(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू
(निमेष भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)
कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस
(एस. श्रीधर)
भागीदार
(एम. सं. 025504)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन
(आदित्य कुमार)
भागीदार
(एम. सं. 506955)
कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085ई
(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
(एम. सं. 055420)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू
(योगेश अमल)
भागीदार
(एम. सं. 111636)
कृते एस भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000560सी
(पी डी बैद)
भागीदार
(एम. सं. 072625)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 19 मई, 2017.

समेकित लाभ हानि लेखा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिये

		(₹ 000 में)	
	अनुसूची	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	3,28,16,97,89	3,23,15,66,64
अन्य आय	14	54,29,98,59	39,34,43,52
कुल		3,82,46,96,48	3,62,50,10,16
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	2,37,76,30,56	2,38,94,04,33
परिचालन व्यय	16	70,21,29,16	67,15,91,85
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		68,82,61,81	42,97,24,63
कुल		3,76,80,21,53	3,49,07,20,81
III. सहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ		5,66,74,95	13,42,89,35
जोड़:- सहायक कंपनियों में लाभ का अंश		5,89,49	4,51,99
अल्पमत शेयर धारकों का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ (घटाएं) अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा		5,72,64,44	13,47,41,34
वर्ष विशेष हेतु समूह के लिए समेकित लाभ		5,72,64,44	-9,02,98
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		36	13,56,44,32
विनियोजन के लिये उपलब्ध राशि		5,72,64,80	13,56,85,94
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित को अंतरण		1,38,75,00	4,05,50,00
पूंजी आरक्षित को अंतरण		2,31,46,67	44,84,70
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण/ समायोजन		17,42,77	5,53,01,09
प्रस्तावित लाभांश			1,34,05,10
लाभांश कर			27,44,69
विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा 36(i)(viii)]		1,85,00,00	1,92,00,00
लाभ व हानि लेखे में शेष		36	36
कुल		5,72,64,80	13,56,85,94
प्रति शेयर आय(बेसिक एवं डाइल्यूटेड ₹ में)	18	8.33	20.50
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का एक अभिन्न अंग हैं

(धीरेंद्र जैन)

सहायक महाप्रबंधक

(अतुल कुमार गोयल)

कार्यपालक निदेशक

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)

निदेशक

(डॉ. आर. एच. धोळकिया)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू

(निमेष भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

(बी श्रीनिवास राव)

उप महाप्रबंधक व सीएफओ

(विनोद कथूरिया)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डॉ. के. रमेश)

निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)

निदेशक

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(आदित्य कुमार)

भागीदार

(एम. सं. 506955)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(दिलीप अग्रवाल)

भागीदार

(एम. सं. 055420)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(योगेश अमल)

भागीदार

(एम. सं. 111636)

कृते एस भंडारी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(पी डी बैद)

भागीदार

(एम. सं. 072625)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 19 मई, 2017.

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.03.2017

यथा 31.03.2016

अनुसूची 1 - पूंजी :

I. प्राधिकृत :

i. ₹10/- प्रति शेयर की दर से 300,00,00,000 इक्विटी शेयर

30,00,00,00

30,00,00,00

II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :

i. ₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 43,61,06,597 इक्विटी शेयर
सरकार द्वारा धारित (गत वर्ष इक्विटी शेयर
43,61,06,597 इक्विटी शेयर)

4,36,10,66

4,36,10,66

ii. ₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 251,334,520 इक्विटी शेयर
जनता द्वारा धारित (गत वर्ष इक्विटी शेयर 251,334,520)

2,51,33,45

2,51,33,45

कुल

6,87,44,11

6,87,44,11

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :

I. सांविधिक आरक्षित :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

65,31,86,10

1,38,75,00

66,70,61,10

61,26,36,10

4,05,50,00

65,31,86,10

II. ए) पूंजी आरक्षित :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

8,48,09,83

2,31,46,67

10,79,56,50

8,03,25,13

44,84,70

8,48,09,83

II. बी) समेकन पर पूंजी आरक्षित

22,06,93

56,95,00

III. शेयर प्रीमियम :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

44,84,37,91

44,84,37,91

34,57,12,14

10,27,25,77

44,84,37,91

IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि
वर्ष के दौरान कमी

25,81,23,72

1,24,43,95

24,56,79,77

14,24,70,51

12,13,09,62

56,56,41

25,81,23,72

V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :

i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां :

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
*वर्ष के दौरान वृद्धि
वर्ष के दौरान कमी

50,43,61,21

1,42,60,82

1,72,57 **

48,41,48,82

5,54,96,80

3,52,62,25

कुल

51,84,49,46

50,43,83,36

घटाया:- अल्पमत हिस्सेदारी

कुल

-22,16

22,16

50,43,61,21

* समेकन समायोजन के बाद निवल

* केजीएसबी के गत वर्ष लाभ का समायोजन

ii) विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि

26,90,00,00

1,85,00,00

28,75,00,00

24,98,00,00

1,92,00,00

26,90,00,00

iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन

पिछले तुलन पत्र के अनुसार
वर्ष के दौरान वृद्धि
वर्ष के दौरान कमी

1,24,53,04

-

14,03,37

55,09,31

69,43,73

-

कुल

1,10,49,67

81,70,21,29

1,24,53,04

78,58,14,25

VI. लाभ-हानि खाते में शेष

कुल

2,28,83,63,86

2,23,60,67,17

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.03.2017	यथा 31.03.2016
अनुसूची 2 ए- अल्पमत हिस्सेदारी :		
प्रारंभिक शेष	-	8,80,81
जोड़े/(घटाये):- वर्ष के दौरान (वृद्धि)/कमी	-	-8,80,81
कुल अल्पमत हिस्सेदारी	-	0
अनुसूची 3 - जमाराशियां :		
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां		
I. मांग जमाराशियां		
i) बैंकों से	4,99,66,05	5,54,44,05
ii) अन्यो से	2,58,19,92,07	2,92,36,14,44
	2,63,19,58,12	2,97,90,58,49
II. बचत बैंक जमाराशियां	10,40,87,57,67	8,11,43,32,08
III. मियादी जमाराशियां		
i) बैंकों से	77,54,58,43	1,07,57,99,48
ii) अन्यो से	24,15,25,52,23	22,24,25,60,86
	24,92,80,10,66	23,31,83,60,34
कुल	37,96,87,26,45	34,41,17,50,91
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां	37,14,18,25,57	33,60,58,19,23
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	82,69,00,88	80,59,31,68
कुल	37,96,87,26,45	34,41,17,50,91
अनुसूची 4 - उधार :		
ए) उधार : पूंजी लिखत		
i. शाश्वत बांड	42,39,62,35	10,39,61,00
ii. अपर टियर II बांड	15,00,00,00	22,50,00,00
iii. टियर II बांड	67,50,00,00	52,00,00,00
	1,24,89,62,35	84,89,61,00
बी) भारत में उधार		
ii. अन्य बैंक	14,40,35,26	4,14,15,39
iii. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियां	17,51,18,59	12,52,60,08
	31,91,53,85	16,66,75,47
सी) भारत से बाहर उधार	2,55,44,33,45	2,04,80,25,01
कुल	4,12,25,49,65	3,06,36,61,48
उपर्युक्त (बी)I एवं (बी) II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	6,41,11,76	9,56,19,34
अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान :		
I. देय बिल	14,95,55,69	17,45,34,68
II. उपचित ब्याज	16,59,84,30	10,36,28,33
VI. आस्थगित कर देयताएँ		
VII. अन्य(प्रावधान सहित)	74,88,48,15	67,80,69,68
कुल	1,06,43,88,14	95,62,32,69

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	(₹ 000 में)	
	यथा 31.03.2017	यथा 31.03.2016
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष :		
I. धारित नकदी	10,32,72,21	11,27,00,95
(इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)		
II. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमाशेष (चालू खाते में)	1,54,89,65,10	1,44,79,90,69
कुल	1,65,22,37,31	1,56,06,91,64
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
ए) चालू खातों में	44,49,30	59,37,32
बी) अन्य जमाखातों में	56,33,93,29	35,64,79,43
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
ए) बैंकों के साथ		3,00,00,00
बी) अन्य संस्थाओं के साथ		20,45,91
	56,78,42,59	39,44,62,66
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	1,37,80,29	25,66,91,10
ii) अन्य जमाखातों में	1,03,87,78,72	74,56,83,48
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्त धन	1,79,53,45	41,51,69
	1,07,05,12,46	1,00,65,26,27
कुल	1,63,83,55,05	1,40,09,88,93
अनुसूची 8 - निवेश :		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	8,81,51,59,49	7,19,43,28,58
ii) अन्य अनुमोदित अनुभूतियां	1,75,85,34	1,86,37,41
iii) शेयर	23,72,12,08	16,38,09,25
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,75,06,12,74	1,35,93,61,39
v) सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम	2,34,87,29	1,82,39,46
vi) अन्य		
- वाणिज्यिक पत्र	14,68,95,73	1,43,30,28
- अन्य	1,45,17,35	1,81,82,11
- म्यूचुअल फंड	10,79,84,63	8,86,04,78
- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	7,58,42,34	5,80,61,08
	11,18,92,96,99	8,93,35,54,34
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां(स्थानीय प्राधिकारियों सहित.)	11,00,66,92	6,74,06,42
i) शेयर	40,32	40,32
iii) अन्य निवेश (बॉण्ड)	4,47,22,18	5,63,20,30
iv) सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
कुल	15,48,29,42	12,37,67,04
कुल	11,34,41,26,41	9,05,73,21,38
III. भारत में निवेश		
सकल मूल्य	11,30,77,32,23	8,98,89,34,46
घटायें: प्रावधान एवं मूल्यहास	11,84,35,24	5,53,80,12
भारत में निवेश का निवल मूल्य	11,18,92,96,99	8,93,35,54,34
IV) भारत के बाहर निवेश		
सकल मूल्य	15,48,29,42	12,37,67,04
घटायें: प्रावधान एवं मूल्यहास		
भारत में निवेश का निवल मूल्य	15,48,29,42	12,37,67,04
कुल	11,34,41,26,41	9,05,73,21,38

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31.03.2017	यथा 31.03.2016
अनुसूची 9 - अग्रिम		
I. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	1,18,24,74,43	82,30,60,56
ii) नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय बिल	13,32,37,22,20	13,16,67,36,84
iii) मियादी ऋण	14,28,87,86,22	12,83,51,59,02
कुल	28,79,49,82,85	26,82,49,56,42
II. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	25,11,00,37,42	22,00,88,01,99
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	1,11,23,87,13	1,29,10,52,85
iii) अप्रतिभूत	2,57,25,58,30	3,52,51,01,58
कुल	28,79,49,82,85	26,82,49,56,42
ए. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	10,42,19,00,27	9,50,48,45,13
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,67,62,97,70	1,33,12,66,33
iii) बैंक	23,27,69,23	5,22,93,76
iv) अन्य	13,42,22,55,51	13,23,23,36,13
कुल	25,75,32,22,71	24,12,07,41,35
बी. भारत से बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	84,82,32,88	76,51,56,14
ii) अन्य से देय	-	-
ए) खरीदे और भुनाये गए बिल	83,29,30,75	44,99,00,97
बी) सिंडीकेट किए गए ऋण	3,59,61,38	8,53,21,66
सी) अन्य	1,32,46,35,13	1,40,38,36,30
कुल	3,04,17,60,14	2,70,42,15,07
	28,79,49,82,85	26,82,49,56,42
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां		
ए. मूर्त आस्तियां		
I. परिसर		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	37,28,11,82	24,23,25,14
वर्ष के दौरान वृद्धि	79,76,93	13,04,86,84
	38,07,88,75	37,28,11,98
वर्ष के दौरान कमी	3,97,30	16
	38,03,91,45	37,28,11,82
घटायें: आज की तारीख तक मूल्यहास	8,31,63,70	6,81,58,03
	29,72,27,75	30,46,53,79
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	12,52,62	4,28,92
वर्ष के दौरान वृद्धि	9,45,45	9,81,26
वर्ष के दौरान कमी	49,18	1,57,56
	21,48,89	12,52,62
III. भूमि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	72,68,05	61,66,84
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,62,29	11,01,21
वर्ष के दौरान कमी		
	76,30,34	72,68,05
घटायें: आज की तारीख तक मूल्यहास	4,66,14	3,80,37
	71,64,20	68,87,68

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

यथा 31.3.2017

यथा 31.3.2016

IV. अन्य अचल संपत्तियां				
(फर्नीचर एवं फिक्सचर के साथ)				
ए) पट्टे पर दी गयी संपत्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	26,53,52		26,53,52	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	26,53,52		26,53,52	
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	26,53,52		26,53,52	
बी) अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत /	22,65,95,40		20,91,42,78	
मूल्यांकन पर				
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,03,71,93		2,39,83,27	
	24,69,67,33		23,31,26,05	
वर्ष के दौरान कमी	48,51,99		65,30,65	
	24,21,15,34		22,65,95,40	
घटायें आज की तारीख तक अवमूल्यन	16,07,10,99	8,14,04,35	14,67,33,56	7,98,61,84
बी. अमूर्त आस्तियां				
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2,14,33,34		1,90,62,92	
वर्ष के दौरान वृद्धि	24,21,52		23,71,76	
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	5,22,08		1,34	
	2,33,32,78		2,14,33,34	
आज की तारीख तक परिशोधन	2,07,37,11	25,95,67	1,89,03,80	25,29,54
कुल		39,05,40,86		39,51,85,47
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :				
I. अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)	14,86,17,49		19,67,49,20	
II. उपचित ब्याज	24,06,28,82		23,14,47,37	
III. प्रदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	28,91		16,23	
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	3,15,27		3,74,87	
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	3,90		3,90	
VI. आस्थगित कर आस्तियां	22,97,27,30		4,18,59,06	
VII. अन्य	1,12,73,08,04		1,02,68,61,89	
कुल	1,74,66,29,73		1,49,73,12,52	
अनुसूची 12 - संभाव्य देयताएं :				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के स्तर में स्वीकार नहीं किया गया है	35,36,66,60		38,59,06,85	
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिये देयताएं	59,20		59,20	
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	18,06,06,42,94		34,74,37,04,38	
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां				
i) भारत में	1,45,66,77,78		1,36,49,82,25	
ii) भारत से बाहर	5,51,85,07		3,22,71,60	
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	3,00,45,74,29		2,74,60,11,35	
VI. आकस्मिक देयताओं की अन्य मदे	65,77,21		37,17,92,28	
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	24,30,38,21		2,84,95,99	
ii) डीईएफ योजना 2014 में अंतरित की गई राशि	82,22,20		7,04,90,00	
कुल	23,18,86,43,50		39,74,37,13,90	

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	2,30,04,84,20	2,36,84,48,50
II. निवेशों पर आय	87,88,93,08	76,23,69,96
III. भारिबैं के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	8,81,96,06	8,18,02,59
IV. अन्य	1,41,24,55	1,89,45,59
कुल	3,28,16,97,89	3,23,15,66,64

अनुसूची 14 - अन्य आय :

I. कमीशन, विनिमय और दलाली	4,49,91,22	3,98,58,72
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ- (निवल)	21,48,73,62	8,76,28,48
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / हानि (निवल)	25,83,22	-1,79,14
IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ-(निवल)	9,52,33,80	9,77,60,93
V. विविध आय	18,53,16,73	16,83,74,53
कुल	54,29,98,59	39,34,43,52

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज:

I. जमाराशियों पर ब्याज	2,20,05,24,69	2,20,77,16,22
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	4,94,03,82	5,49,42,62
III. अन्य	12,77,02,05	12,67,45,49
कुल	2,37,76,30,56	2,38,94,04,33

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :

I. कर्मचारियों को किये गये भुगतान और उनके लिये प्रावधान	35,09,39,85	37,68,05,35
II. किराया, कर और प्रकाश	5,23,40,84	4,81,78,59
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	58,77,68	52,32,70
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	74,08,67	72,63,43
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,40,82,34	2,48,97,89
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	3,50,21	3,93,18
VII. प्रबंध/कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	72,39	71,83
VIII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	41,67,36	35,64,30
IX. विधि प्रभार	26,23,82	25,39,88
X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	80,68,19	77,28,56
XI. मरम्मत और रखरखाव	1,18,05,67	1,16,23,81
XII. बीमा	3,65,62,47	3,15,39,57
XIII. अन्य खर्च	19,78,29,67	15,17,52,76
कुल	70,21,29,16	67,15,91,85

वर्ष 2016-2017 के लेखों की अनुसूचियां (समेकित)

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1 लेखा पद्धति

ये वित्तीय विवरण, जहां तक लागू हों, भारत में लेखाबंदी हेतु सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी), जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (भरिबैं), बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड/दिशा निर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन किया गया है, के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुस्र, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं। विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है।

2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरण की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय जहां कहीं पर अनुमान लगाया है वे विश्वसनीय एवं तार्किक हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसके परिणाम ज्ञात/सारवान हैं।

3. समेकन का आधार

3.1 निम्न के आधार पर समूह का समेकित वित्तीय विवरण (सी एफ एस) (जिसमें 3 सहायक, 1 एसोसिएट व 1 संयुक्त उपक्रम शामिल है) बनाया गया है:

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (मूल) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- अंतर -समूह शेषों/ संव्यवहारों को हटाने के बाद, परिसम्पत्ति, देयताओं, आय व व्यय की प्रत्येक मद का, आईसीएआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 21 के अनुसार, 'उनके संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित, सहायकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अप्राप्त लाभ/ हानि 'समेकित वित्तीय विवरणों' का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ समेकन,
- आईसीएआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश हेतु लेखांकन" के आधार पर इक्विटी पद्धति के अंतर्गत 'एसोसिएट' में निवेश हेतु लेखांकन
- संयुक्त उपक्रम का समेकन - "आईसीएआई द्वारा जारी मानक लेखांकन - 27" के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन '

3.2 घरेलू एसोसिएट/सब्सिडियरी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, एसोसिएट/सब्सिडियरी एवं संयुक्त उपक्रम की भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सब्सिडियरी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां महत्वपूर्ण नहीं थीं।

3.3 सहायकों में समूह का अपना निवेश व सहायकों में समूह के इक्विटी के भाग के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व के रूप में पहचाना गया है।

3.4 समेकित सब्सिडियरी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में अल्प संख्यक हित शामिल है:

- सब्सिडियरी में निवेश की तिथि पर माइनारिटी मे एट्रीब्यूटेबल इक्विटी की राशि एवं
- जबसे मूल संस्था व सब्सिडियरी का संबंध अस्तित्व में आया हो, राजस्व रिजर्व/ हानि एवं इक्विटी में गतिविधियों का माइनारिटी अंश.
- आधिक्य एवं अल्पसंख्यक में आगे होने वाली किसी हानि का, अल्प संख्यक के बराबर मात्रा के अतिरिक्त अनिवार्य जिम्मेदारी, जितनी क्षति के लिए पात्र हैं, को बड़े ब्याज के पेटे समायोजन किया जाता है

4 राजस्व की पहचान

4.1 बैंकिंग निकाय

4.1.1 जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।

4.1.2 गैर निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है।

4.1.3 अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों (SDV) का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।

4.1.4 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।

बी. शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।

4.1.5 जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।

4.2 गैर - बैंकिंग निकाय

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (सेवा कर के बाद निवल) जब देय है तब आय के रूप में पहचाना गया है। लिंकड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की गई तब प्रीमियम के रूप में पहचाना गया है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रूप में लिया गया है। कालातीत पालिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में पहचाना गया है, जब पालिसियां

बहाल हुई हैं। पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रूप में तब परिवर्तित किया गया है, जब पुनर्बीमा के रूप में परिवर्तित हुआ है।

ii) लिंकड फंड से आय

लिंकड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आवंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल हैं, जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंकड कोष से वसूल किया गया है।

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है। पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है।

iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, तो शामिल की गई है। मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है। उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना की गई है। लिंकड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण को, जब एसोसिएट यूनिट्स निरस्त हुए हैं तब संबंधित योजना में गणना की गई है। दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावे हैं।

v) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत वह लागत है, जिसमें घटना - बढ़ना जारी रहता है और प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित है और उसी अवधि में खर्च किए गए जिस अवधि से संबंधित है।

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता

स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता अस्तित्व में है, नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा पता लगाया गया है।

आस्ति प्रबंधन

- निवेश प्रबंधन शुल्क को सेवा कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फंड योजना (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों को प्रतिशत के रूप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- निवेश सलाहकारी शुल्क की ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर पहचान की गई है।

- ब्याज आय की समय अनुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर पहचान की गई है।
- लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो।

5 निवेश

5.1 वर्गीकरण

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारूप "ए" की अपेक्षाओं के अनुरूप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है
 - सरकारी प्रतिभूतियां
 - अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - शेयर
 - ऋणपत्र एवं बांड
 - अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
 - अन्य निवेश
- बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुनः निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यथा:
 - परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
 - बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और
 - व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

5.2 मूल्यांकन का आधार :

मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :

- “परिपक्वता तक धारित” में निवेश की गई प्रतिभूतियां अधिग्रहण लागत पर :

अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश, संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
- अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
- ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है।
- एएफएस व एचएफटी श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है।

vi) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

i	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
ii	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड	एफ आई एम एम डी ए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
iii	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो, तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों नहीं होने पर ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
iv	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
v	ऋण पत्र/बांडस	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
vi	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii	राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
viii	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो ₹1/- प्रति वीसीएफ.
ix	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

5.3 अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

5.4 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

5.4.1 विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, हास है, तो लगाया गया है.

5.4.2 परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर
- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

5.4.3 विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

5.4.4 इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया है.

5.5 गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास/प्रावधान किया गया है.

5.6 किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

5.7 प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

5.8 भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

6 डेरीवेटिव संविदा

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

- i) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.
- ii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

7 अग्रिम

7.1 भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हों, लागू किए गए हैं।

7.2 अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है।

7.3 मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को “अन्य देयताओं और प्रावधानों” में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है।

8 स्थायी आस्तियां एवं मूल्यहास

8.1 परिसर तथा अन्य स्थायी आस्तियों को, मूल्यहास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो) समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है। आस्ति की खरीद मूल्य में व्यापारिक बट्टा तथा छूट को घटाकर, पात्र ऋण राशि प्राप्त करने और आस्ति के प्रयोग में लाने तक के व्ययों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जिनसे आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है। पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा हास की राशि को उसमें से घटाया गया है।

8.2 अचल आस्तियों के मूल्यहास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है:

आस्ति का प्रकार	मूल्यहास की दर
I. परिसर	5%
II. अन्य स्थायी आस्तियां	
- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/स्ट्रांग स्म आदि	15%
- परिवहन वाहन	20%
- यू पी एस. उपकरण	33.33%
III. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

8.3 एप्लीकेशन साफ्टवेयर को पूंजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है। कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर पर हास कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम का एक भाग है, जिस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर हास लगाया जाता है।

8.4 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यहास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है

8.5 भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है

8.6 वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है।

8.7 पट्टे की प्राथमिक अवधि के संदर्भ में पट्टे पर ली गयी आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति दर के आधार पर लगाया गया है।

8.8 देश के बाहर स्थित स्थायी आस्तियों एवं सबसीडियरी/एसोसियेट्स की स्थायी सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुस्र मूल्यहास लगाया गया है।

9 आस्तियों में क्षरण

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार के क्षरण संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है। क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती।

10 प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

11 विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

11.1 विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11(विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव) के अनुसार किया जाता है। जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है।

11.2 एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

11.2.1 आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।

11.2.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।

11.2.3 गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं।

11.2.4 परिणामी विनिमय अन्तरो की पहचान आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है।

11.2.5 वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

11.3 गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

11.3.1 आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।

11.3.2 विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है।

11.3.3 आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है।

11.3.4 परिणामी विनिमय अन्तरो की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग “विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व” खाते में रखा जाता है।

12 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है। अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है। भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

ग्रेजुटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का

प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है।

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कर्मिकों के लिए, परिभाषित ‘अंशदायी योजना’ नामक नई पेंशन योजना है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस अंशदान तक सीमित होती है। इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया जाता है।

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

13 खंडवार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कारोबार खंड को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है:

14 लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है। बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है। अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी जाती है।

15 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बढ़ते शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है।

प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है।

16 कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए प्रावधान किया गया है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं,

जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरो एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है जब भविष्य में ऐसी आस्तियों के होने की निश्चितता हो. वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं की गतिविधियों के अनुसार प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है.

17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान

करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं हों. ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान, जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है.

18 शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

वर्ष 2016-2017 के लिए लेखों की अनुसूचियां (समेकित)

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

- 1 बैंक (पैरेंट) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के विवरण वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.17 को बैंक (पैरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन असेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.	यूनाइटेड किंगडम	100%

31.03.2016 को यूनियन असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में पैरेंट का 51% स्वामित्व था. वर्ष के दौरान शेष 49% स्वामित्व इन सहायक कंपनियों में पैरेंट द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2017 को 100% स्वामित्व प्राप्त हुआ.

- 2 समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं :

संयुक्त उपक्रम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	25.10%

- 3 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

एसोसिएटों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	भारत	35%

फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

क्र	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी अनुपात(सीईटी1) (%)		
	बेसल II	शून्य	शून्य
	बेसल III	7.76	8.00
ii)	टियर I पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	9.35	8.29
	बेसल III	9.07	8.20

31 मार्च, 2017 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹741.66 करोड़ रहा, जिसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में माना गया है.

- 4 सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण समेकन के लिये उपयोग किए गये हैं, जो उसी अवधि के हैं, जिस अवधि, यथा, 31 मार्च 2017, के पैरेंट के हैं.

- 5 31.03.2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, , यूनियन असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कं. प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड और काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं.

- 6 निरंतर आधार पर उच्चतम खातों, सुदृढ़ जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समामेलन वक्तव्य और विभिन्न अंतर-शाखा / कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है.

उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है.

- 7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

7.1 ए. पूंजी

बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिये निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के अधीन किया जाता है. 31 मार्च, 2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2017 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 9% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 5.5% और न्यूनतम टियर I सीआरएआर 7% तक बनाए रखना आवश्यक है.

क्र	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)		
	बेसल II	3.50	2.90
	बेसल III	2.77	2.42
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)		
	बेसल II	12.85	11.19
	बेसल III	11.84	10.62
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	63.44	63.44
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी : (₹ करोड़ में)	शून्य	51.66
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टियर-1 पूंजी की राशि : (₹ करोड़ में)	3,500.00	शून्य
	इसमें से परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट : (₹ करोड़ में)	3,500.00	शून्य
viii)	अगाही गई टियर-II पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में)	1,750.00	1,000.00
	इसमें से डेब्ट केपिटल इंस्ट्रूमेंट : (₹ करोड़ में)	1,750.00	1,000.00

7.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप	31.03.2017	31.03.2016
निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	630.62	149.28
एनपीए के लिए प्रावधान	6032.00	4655.03
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान (प्रति प्रविष्टि)	512.72	(107.47)
आयकर (आइटी)वेल्थ कर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के लिये प्रावधान	(207.99)	415.07
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	1.81	5.74
- पुनर्संचित अग्रिम	66.02	(623.25)
- अन्य	(152.56)	(197.15)
योग	6882.62	4297.25

7.3 काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफ़र / फ्लोटिंग प्रोविजनिंग बफ़र (पेरेट बैंक)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	प्रारंभिक शेष	293.20	293.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि	शून्य	शून्य
iv)	लेखाबंदी शेष	293.20	293.20

8. कर्मचारी लाभ (15 के समान - संशोधित)

परिभाषित लाभ योजनाएं - कर्मचारी की पेंशन योजना और उपदान योजना:

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के बीमाकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक के अनुसार बैंक कर्मचारी लाभ के लिए जिम्मेदार है.

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017		31.03.2016	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
i)	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दिखाने वाली तालिका:				
	वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	1,110.33	9,619.00	1,088.16	8,218.43
	ब्याज लागत	88.72	775.29	83.52	638.22
	चालू सेवा लागत	47.72	134.46	50.12	150.00
	पिछली सेवा लागत(परिशोधित निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्व ट्रांसफर इन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्व ट्रांसफर आउट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(148.80)	(624.25)	(186.00)	(681.00)
	बाध्यताओं पर बिमाकिक (अर्जन)/हानि, वित्तीय अनुमान			74.53	1,293.35
	के कारण परिवर्तन	30.71	533.48	1,110.33	9,619.00
	बाध्यताओं पर वित्तीय धारणा में बिमाकिक (अर्जन)/हानि	(13.96)	793.17	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में दायित्व	1,114.72	1,1231.15	शून्य	शून्य
ii)	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारिणी:				
	वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,251.27	9,525.70	1,264.00	7,861.00
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित लाभ	99.98	767.77	105.21	777.24
	अन्य कंपनियों से अंतरित	88.16	1,019.42	38.26	1,413.35
	अंशदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(148.80)	(624.25)	(186.00)	(681.00)
	योजना आस्तियों पर बिमाकिक अर्जन/(हानि)	42.42	526.25	29.80	155.11
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,333.03	1,1214.89	1,251.27	9,525.70
	अवधि के लिये बाध्यताओं पर बिमाकिक (अर्जन)/हानि	16.75	1326.65		
	अभिज्ञात किए जाने वाला कुल बिमाकिक अर्जन/(हानि)	(25.67)	800.40	(44.73)	(1,138.24)
iii)	संक्रमणकालीन देयताओं की पहचान:				
	वर्ष के प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में संक्रमणकालीन देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण		31.03.2017		31.03.2016	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
iv)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :				
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	99.98	767.77	105.21	777.24
	योजना आस्तियों पर बीमाकिक अर्जन/(हानि)	42.42	526.25	29.80	155.11
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	142.40	1,294.02	135.01	932.35
v)	आय विवरण में पहचाने गये व्यय :				
	चालू सेवा लागत	47.72	134.46	50.12	150.00
	ब्याज लागत	(11.26)	7.52	83.52	638.22
	योजना आस्तियों में अपेक्षित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	(105.21)	(777.24)
	पहचाने गए गत सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचाने गए गत सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वास्तविक अर्जन या हानि	(25.67)	800.40	44.73	1,138.24
	लाभ व हानि में व्ययों की पहचान	10.79	942.38	73.16	1,149.22
vi)	तुलन पत्र समाधान:				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन पत्र में चिन्हित राशि)	(140.94)	93.30	(175.84)	357.43
	उपर्युक्तानुसार व्यय	10.79	942.38	73.16	1,149.22
	अन्य कंपनी से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	(88.16)	(1,019.42)	(38.26)	(1,413.35)
	तुलन पत्र में चिन्हित राशि	(218.31)	16.26	(140.94)	93.30
vii)	अन्य विवरण :				
	पेंशन प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 1/66 वेतन की दर से देय है, अधिकतम 50% के अधीन.				
	उपदान प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, अधिकतम ₹10,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार.				
	घटना के वर्ष में बीमाकिक लाभ / हानि का लेखा है।				
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा सलाह पर दी जाती है, जो कर्मचारियों को पदोन्नति और मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योगिक व्यवहार के अनुस्र है.				
	सदस्यों की संख्या	37,120	18,059	35,716	19,670
	वेतन प्रतिमाह	162.08	96.58	148.54	107.98
	आगामी वर्ष के लिये अंशदान	शून्य	137.01	शून्य	349.86

विवरण		31.03.2017		31.03.2016	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
viii)	आस्तियों का संवर्ग:				
	भारत सरकार आस्तियां	121.75	366.40	146.02	473.14
	कॉर्पोरेट बांड	251.89	1,771.02	267.72	1,532.83
	विशेष जमा योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	राज्य सरकार	139.50	344.00	443.41	2,442.38
	सम्पत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	113.85	1,246.48	90.39	974.77
	बीमादाता प्रबंधित निधियां	706.04	7,486.99	303.73	4,102.58
	योग	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70
ix)	मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)				
	पिछली डिस्काउंट दर	7.99	8.06	7.99	7.95
	पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.99	8.06	8.70	8.70
	पिछली वेतन बढ़ौतरी	5.00	5.00	5.00	5.00
	पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
	चालू डिस्काउंट दर	7.20	7.45	8.04	8.06
	चालू योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.20	7.45	8.04	8.06
	चालू वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
	चालू एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

योजना में अधिशेष/कमी:	उपदान योजना (₹ करोड़ में)				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
वर्ष के अंत में देयता	1,114.72	1,110.33	1,088.16	1,060.13	1,000.86
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,333.03	1,251.27	1,264.00	1,081.23	1,037.22
अंतर	218.31	140.94	175.84	21.10	36.36
पिछली पहचान न की गई सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	65.00	130.00
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	218.31	140.94	175.84	86.10	166.36

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	उपदान योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
योजना देयता पर (अर्जन)/हानि	(13.96)	शून्य	(21.18)	123.74	21.60
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	42.42	29.80	38.03	(20.00)	(24.43)

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
वर्ष के अंत में देयता	11,231.15	9,619.00	8,218.43	6,683.81	5,991.02
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	11,214.89	9,525.70	7,861.00	6,104.73	4,774.08
अंतर	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(579.08)	(1,216.94)
पहचानी नहीं गई पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	338.00	761.00
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(241.08)	(455.94)

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
योजना देयता पर (अर्जन)/हानि	793.17	1,399.16	731.44	661.38	251.18
योजना आस्तियों पर (हानि) /अर्जन	526.25	155.11	210.89	-233.23	-103.10

9.1 परिभाषित अंशदान योजना:

बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण के संरक्षण में संचालित की जा रही है। नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक द्वारा एनपीएस में ₹ 68.69 करोड़ (पिछले साल ₹ 58.52 करोड़) का योगदान किया गया।

9.2 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के विभिन्न दीर्घकालिक लाभ के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.17	31.03.16
1	पेंशन	942.00	1,149.00
2	अवकाश नकदीकरण	58.00	75.00
3	अवकाश किराया रियायत	(3.69)	10.00
4	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

संयुक्त उद्यम कंपनी के मामले में मैसर्स स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च 2017 को लागू होने वाली जीवन नीतियों के लिए देनदारी प्रावधान कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा की गई है और उनके अनुसार ऐसे मूल्यांकन हेतु धारणाएं भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसू हैं।

10. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

		(₹ करोड़ में)	
कारोबार क्षेत्र		समेकित	
		को समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2017	31.03.2016
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेजरी परिचालन	12508.54	10177.19
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	10293.19	10221.26
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	14586.86	15236.62
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	334.31	264.76
5	गैर निर्धारित	622.39	419.56
	योग	38345.29	36319.39
	घटाएं अंतर क्षेत्र राजस्व	98.33	69.29
	कुल राजस्व	38246.96	36250.10
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेजरी परिचालन	3418.00	2146.01
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	679.02	667.62
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	(3933.55)	(1173.31)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	179.13	125.07
5	गैर निर्धारित	22.05	6.13
	कर से पूर्व कुल लाभ	364.65	1771.52
(सी)	आयकर	(207.99)	415.08
(डी)	शुद्ध लाभ	572.64	1342.89
(ई)	क्षेत्रवार आस्तियां		
1	ट्रेजरी परिचालन	149452.25	124187.02
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	101247.61	93320.72
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	196700.94	183281.67
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर निर्धारित	8267.92	6575.15
	योग	455668.72	407364.56
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेजरी परिचालन	142297.16	117469.24
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	97183.59	88934.90

(₹ करोड़ में)			
कारोबार क्षेत्र		समेकित	
		को समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2017	31.03.2016
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	188805.48	174667.92
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर निर्धारित	3270.41	3244.17
	योग	431556.64	384316.23
(जी)	नियोजित पूंजी(क्षेत्रवार आस्तियां-क्षेत्रवार देयताएं)		
1	ट्रेजरी परिचालन	7155.09	6717.78
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	4064.02	4385.82
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	7895.46	8613.75
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर निर्धारित	4997.51	3330.98
	योग	24112.08	23048.33

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, खुदरा, कॉर्पोरेट / थोक और अन्य बैंकिंग परिचालन करता है. इन क्षेत्रों की पहचान उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद एएस -17 में क्षेत्रवार रिपोर्ट की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस -17 में निर्धारित राजस्व और अन्य मानदंड एएस -17 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के अंदर हैं और इसलिए बैंक के पास रिपोर्ट करने हेतु केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र है.
2. प्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं किए जाने योग्य क्षेत्रवार आय, व्यय, नियोजित पूंजी को प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट करने वाले क्षेत्र को आवंटित किया गया है.
3. वर्तमान बारह महीनों के वर्गीकरण / प्रस्तुति के अनुसूच होने के लिए जहां जरूरी समझा गया है, पिछले वर्ष / बारह महीनों के आंकड़े फिर से एकत्र / पुनर्गठन किए गए हैं।

11. संबंधित पार्टी प्रकटन (एएस-18)

संबंधित पार्टियों की सूची

1. सहायक कंपनियां

- यूनियन असेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.

2. संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दार्ज-इची इंश्योरेंस कं.

3. एसोसिएट

- पैरेंट बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंक यथा, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक

4. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2016-17 के दौरान सेवा ग्रहण/सेवानिवृत्त
श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लागू नहीं
श्री राकेश सेठी	कार्यपालक निदेशक	30 जून 2016 को सेवा निवृत्त
श्री विनोद कथूरिया	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री राज कमल वर्मा	कार्यपालक निदेशक	9 अगस्त 2016 को सेवा ग्रहण
श्री अतुल कुमार गोयल	कार्यपालक निदेशक	15 सितंबर 2016 को सेवा ग्रहण

12. पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

संबंधित पक्षों के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यक नहीं है, जो लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्यमी हैं। आगे, एएस 18 के पैरा 5 के संदर्भ में, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है।

12.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - प्रदत्त पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.23	#0.28
कार्यपालक निदेशक	0.50	#0.44
योग	0.73	0.72

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान क्रमशः बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों को प्रदत्त कार्यनिष्पादन से लिंक प्रोत्साहन राशि ₹0.06 करोड़ और ₹0.09 करोड़ शामिल हैं। मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन से जुड़ी किसी भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

13. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति इक्विटी शेयर बेसिक आय का आकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर की डाइल्यूट अर्जन की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण		31.03.2017	31.03.2016
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	8.33	20.50
ii	इक्विटी शेयरधारकों के लिये कर के उपरांत शुद्ध लाभ	₹ करोड़ में	572.64	1,356.44
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या करोड़ में	68.74	66.18
iv	प्रति शेयर नोमिनल मूल्य	₹	10	10

14. करों के लिये प्रावधान:

आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	179.37	187.71
2	कर्मचारी लाभ	266.59	266.59
3	वर्ष के दौरान पूर्व वर्षों में विक्रित दावाकृत निवेशों पर मूल्यहास	शून्य	60.35
4	अवकाश नकदीकरण	97.21	83.89
5	अन्य प्रावधानों के लिये	2727.01	1,435.06

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
6	अप्रयुक्त हानि एवं कर क्रेडिट के लिए	3.11	3.04
	योग	3273.29	2,036.64
	आस्थगित कर देयताएं		
1	निवेशों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान	शून्य	91.23
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	22.31	29.24
3	प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत ब्याज	शून्य	607.89
4	36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष राजस्व	953.71	889.69
	योग	976.02	1,618.05
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	2297.27	418.59
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	शून्य	शून्य

15. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

16. जहां कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

(धीरेंद्र जैन)

सहायक महाप्रबंधक

(अतुल कुमार गोयल)

कार्यपालक निदेशक

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)

निदेशक

(डॉ. आर. एच. धोळकिया)

निदेशक

(राज कमल वर्मा)

कार्यपालक निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)

निदेशक

(जी. के. लाठ)

निदेशक

(बी श्रीनिवास राव)

उप महाप्रबंधक व सीएफओ

(विनोद कथूरिया)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डॉ. के. रमेश)

निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू

(निमेष भिमानी)

भागीदार

(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(एस. श्रीधर)

भागीदार

(एम. सं. 025504)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(आदित्य कुमार)

भागीदार

(एम. सं. 506955)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(दिलीप अग्रवाल)

भागीदार

(एम. सं. 055420)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(योगेश अमल)

भागीदार

(एम. सं. 111636)

कृते एस भंडारी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(पी डी बैद)

भागीदार

(एम. सं. 072625)

स्थान: : मुंबई

दिनांक : 19 मई, 2017.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

		(₹ लाख में)	
क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2017	समाप्त वर्ष 31.03.2016
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह		
	कर से पहले निवल लाभ	3,64,65	17,71,52
	निम्न के लिए समायोजन		
	अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	2,40,82	2,48,98
	निवेश आस्तियों पर मूल्य ह्रास	6,32,43	1,55,02
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	60,31,90	46,55,03
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	4,46,38	(9,34,82)
	स्टाफ संबंधी व्यय हेतु प्रावधान	37,46	84,04
	अन्य प्रावधान	(20,11)	6,94
	अचल आस्तियों की बिक्री अथवा निपटान पर लाभ /(हानि)	(25,83)	1,79
	सहायक कंपनियों का आय में हिस्सा	(5,89)	(4,52)
	अल्पमत हित में वृद्धि /(कमी)	0	(9,03)
	ऋण पर ब्याज : पूंजीगत साधन	8,83,24	7,06,27
	उप योग	85,85,05	66,81,22
	निम्न के लिए समायोजन		
	जमाराशियों में वृद्धि /(कमी)	3,55,69,75	2,66,67,17
	उधार में वृद्धि /(कमी)	65,88,87	(44,81,38)
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	6,08,26	3,33,49
	निवेश में वृद्धि /(कमी)	(2,35,00,48)	(49,10,08)
	अग्रिमों में वृद्धि /(कमी)	(2,57,32,17)	(1,69,83,47)
	अन्य आस्तियों में वृद्धि /(कमी)	(6,14,36)	15,59,11
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	(15,40,55)	(7,89,26)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	(35,63)	80,76,80
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह		
	अचल आस्तियों में वृद्धि /(कमी)	(2,86,07)	(8,85,34)
	सहायक कंपनियों की आय में हिस्सा	5,89	4,52
	अल्पमत हित में वृद्धि /(कमी)	0	9,03
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(2,80,18)	(8,71,79)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह		
	प्राप्त शेयर आवेदन राशि	5,41,00	0
	वरीयता आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी करना	0	51,66
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (शेयर निर्गम व्यय को घटाकर)	0	10,27,26
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	40,00,00	(50,00)
	ऋण राशियों पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(7,74,74)	(7,55,72)
	लाभांश का भुगतान (लाभांश कर सहित)	(1,61,34)	(4,64,41)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

		(₹ लाख में)	
क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2017	समाप्त वर्ष 31.03.2016
	वित्तपोषण कार्यों में निवल नकदी प्रवाह (सी)	36,04,92	(1,91,21)
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	32,89,11	70,13,80
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,96,16,81	2,26,03,01
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	3,29,05,92	2,96,16,81
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	1,56,06,92	1,50,63,87
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	1,40,09,89	75,39,14
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	2,96,16,81	2,26,03,01
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		
	नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	1,65,22,37	1,56,06,92
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	1,63,83,55	1,40,09,89
	वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समकक्ष	3,29,05,92	2,96,16,81

जहां कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण / प्रस्तुतीकरण के अनुसूच पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(अतुल कुमार गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राज कमल वर्मा)
कार्यपालक निदेशक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षकों ने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस -3, "नकदी प्रवाह विवरण" के अनुसूच अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 के जखरतों के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 19 मई, 2017 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुसूच हैं।

कृते जी. पी. कापड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 104768डब्ल्यू

(निमेष भिमानी)
भागीदार
(एम. सं. 030547)

कृते सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004201एस

(एस. श्रीधर)
भागीदार
(एम. सं. 025504)

कृते अश्विनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000497एन

(आदित्य कुमार)
भागीदार
(एम. सं. 506955)

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085ई

(दिलीप अग्रवाल)
भागीदार
(एम. सं. 055420)

कृते जीबीसीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103142डब्ल्यू

(योगेश अमल)
भागीदार
(एम. सं. 111636)

कृते एस भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000560सी

(पी डी बैद)
भागीदार
(एम. सं. 072625)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 19 मई, 2017.

जोखिम प्रबंधन

पूँजी नियमन बेसल III के अंतर्गत प्रकटन - पिलर III

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल III, पूँजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों के लिए बेसल III, पूँजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किये गये हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Basel-III_Disclosures_mar17.pdf

कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट वि. व. 2016-17

अनुभाग ए: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। मुंबई स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन् 1921 में किया गया था। पिछले 97 वर्षों में बैंक ने लगातार तेजी से वृद्धि और विकास किया है जो इस बात का प्रतीक है कि बैंक द्वारा बिना अवसर गंवाये विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया जाता है। उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देते समय बैंक का ध्यान कारोबारी गुणात्मक विकास पर केंद्रित रहता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आरिस्त की गुणवत्ता कमजोर न हो। इससे मुख्य कारोबारी पैरामीटरों पर बैंक का कार्यनिष्पादन वर्ष-दर-वर्ष बेहतर होता रहा है। इस समय बैंक की कुल 4278 देशी शाखाएँ तथा 7518 ए टी एम हैं।

डी आई एफ सी दुबई, हांग-कांग, सिडनी व एंटवर्प में बैंक की चार अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण विकसित शाखाएँ हैं। इनके अलावा 3 प्रतिनिधि कार्यालय शंघाई, बीजिंग तथा अबूधाबी में तथा बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमि. लंदन है। बैंक में कुल स्टाफ सदस्यों की संख्या 36877 है जो बैंक के मूल्यों से भलीभाँति परिचित हैं और बैंक के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये कार्यरत हैं।



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आईबीए बैंकिंग टेक्नोलोजी पुरस्कारों से सम्मानित

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आईबीए से दो बैंकिंग टेक्नोलोजी पुरस्कारों, सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन पहल (विजेता) तथा वर्ष के सर्वोत्तम टेक्नोलोजी बैंक (उप-विजेता) से सम्मानित किया गया। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी ने ये पुरस्कार, आईबीए द्वारा आयोजित एक शानदार समारोह में पद्मविभूषण डॉ रघुनाथ माशेलकर, अध्यक्ष, ग्लोबल रिसर्च एलायंस तथा डॉ विरल वी. आचार्य, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किया।

बैंक प्राथमिक रूप से अपने ग्राहकों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर रहा है और बैंक के अधिकांश उत्पाद एवं सेवाएँ मुख्यतः तीन श्रेणियों में वर्गीकृत हैं:-

1. जमाराशियां,
2. ऋण एवं अग्रिम तथा
3. विप्रेषण एवं संग्रहण

बैंक की गतिविधियाँ सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक गतिविधियाँ) 2008 "समूह के - वित्तीय एवं बीमा गतिविधियाँ" के गतिविधि कोड-6419 के अंतर्गत आती हैं। तकनीक को अपनाने में बैंक अग्रणी रहा है तथा इसकी शत-प्रतिशत शाखाएँ कम्प्यूटराइज्ड हैं। बैंक ने सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू किया है तथा नेटवर्किंग के माध्यम से शाखाओं को आपस में जोड़ रखा है। बैंक का शत-प्रतिशत कारोबार कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत है।

बैंक के बारे में अन्य उपयोगी जानकारी निम्नानुसार है:-

कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)	लागू नहीं
पंजीकृत पता	यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
वेबसाइट	http://www.unionbankofindia.co.in
ई-मेल आई डी	busresponsehead@unionbankofindia.com
वित्तीय वर्ष	2016-17

अनुभाग बी-कम्पनी के वित्तीय ब्यौरे

रिपोर्टिंग वर्ष के बैंक के वित्तीय ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

पैड अप कैपिटल	687.44
कुल जमाराशियां	3,78,391.00
कुल अग्रिम	3,01,684.00
कर पश्चात लाभ	555.22
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर) पर कुल खर्च	7.27
कर पश्चात प्राप्त लाभ में से सी एस आर पर खर्च का प्रतिशत (%)	1.30%

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है तथा अपने कारोबारी मॉडल में सामाजिक एवं सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है। बैंक द्वारा यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की स्थापना की गई है जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों को संचालित करता है। इस ट्रस्ट के माध्यम से, बैंक विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों से लोगों को सक्षम बना रहा है।

2016-17 में बैंक ने सीएसआर पर ₹ 7.27 करोड़ खर्च किया। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सी एस आर के अंतर्गत किये गये कुछ चुनिंदा प्रयासों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

2016-17 में सीएसआर के अंतर्गत की गयी कुछ नयी पहल की सूची:

- एमबीए फाउंडेशन, मुंबई को समग्र पुनर्वास के निर्माण के लिए दान.
- उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवा परियोजना के तहत स्माइल फाउंडेशन को दान.
- बंगलूरु में प्रस्तावित स्थलों पर प्रशिक्षणार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संभव फाउंडेशन को दान.
- दृष्टिहीनों और मंद दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु बोलते पुस्तकालय के लिए नेशनल असोसियेशन फॉर ब्लाइंड, मुंबई को दान.
- भूख और कुपोषण से शिकार बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने हेतु इस्कॉन रिलीफ फाउंडेशन, मुंबई को दान.
- पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम द्वारा ग्रामों में स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए, संकाय सदस्यों और स्वयं सेवकों के आवागमन के लिए वेन की खरीद हेतु दान.
- वन्य जीवों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने के लिए, वाइल्ड ट्रस्ट इंडिया, नोएडा को वेन खरीदने के लिए दान.
- मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी को सोनोग्राफी मशीन खरीदने हेतु दान.
- वाराणसी और अहमदाबाद के विभिन्न विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रज्ञा प्लस (21 वीं सदी के कौशल पहल) लागू करने हेतु मानव भारती को दान.

अनुभाग सी- अन्य ब्यौरे:

बैंक की तीन सबसीडियरी हैं-(यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि., “यूनियन के बी सी असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड” तथा यूनियन के बी सी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड), एक संयुक्त उपक्रम (स्टार यूनियन दार्जिली लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड) तथा एक सहयोगी - काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक है. बैंक की सबसीडियरी के साथ ही साथ इसके भागीदार जिम्मेदारीपूर्वक कारोबार करते हैं. बैंक अपनी सबसीडियरी तथा कारोबारी भागीदारों को कारोबारी उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु यथावश्यक ज्ञान तथा सहयोग प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है.

अनुभाग डी - बी आर संबंधी सूचना

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी गवर्नेंस

कारोबार दायित्व से संबंधित नीति / नीतियों की अनुपालना हेतु जिम्मेदार निदेशक:

डी आई एन नंबर	03567831
नाम	श्री राज कमल वर्मा
पदनाम	कार्यपालक निदेशक
कारोबारी उत्तरदायित्व प्रमुख के ब्यौरे:	
डी आई एन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	श्रीमती मोनिका कालिया
पदनाम	महाप्रबंधक, वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई.
दूरभाष	022-22896600
ई मेल आई डी	gmpbod@unionbankofindia.com

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट के बारे में

बी आर रिपोर्ट प्रकाशित करने का यूनियन बैंक का यह पांचवा वर्ष है. चूंकि यह एक विनियामक आवश्यकता है, अतः इसे वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रकाशित किया जाता है. वर्तमान समय में बैंक के बी आर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन, बैंक की स्थायी विकास तथा सी एस आर समिति द्वारा किया जाता है. बैंक की बी आर रिपोर्ट हमारी वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

Main Page > About Us > Sustainable Development

सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियाँ (जवाब-हाँ/नहीं में)

क्र.	प्रश्न	राष्ट्रीय ऐच्छिक दिशानिर्देश के सिद्धांत (एन वी जी)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्या सिद्धांत/तों हेतु आपकी कोई पॉलिसी/ पॉलिसियाँ है ?	जी हाँ								
2	क्या पॉलिसी संबंधित स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार की जाती है ?	जी हाँ								
3	क्या आपकी पॉलिसी किन्हीं राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं ? यदि हाँ तो उल्लेख करें (50 शब्द)	जी हाँ, बैंक की स्थायी विकास एवं सी एस आर नीति, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कारोबारी सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी किये गये राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित है.								
4	क्या नीति का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है ? यदि हाँ तो क्या यह प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी ई ओ/ सक्षम निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ?	जी हाँ, स्थायी विकास एवं सी एस आर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है.								
5	नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिये क्या निदेशक मंडल की कोई समिति/निदेशक या कोई अधिकारी है ?	जी हाँ								
6	इस नीति को ऑनलाईन देखने के लिये लिंक बतायें	Main Page>About Us>Sustainable development								
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों में परिचालित किया गया है ?	जी हाँ, पॉलिसी वेब साइट पर अपलोड की गई है. तथापि, पॉलिसी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.								

8	क्या पॉलिसी लागू करने के लिये इन-हाउस व्यवस्था है ?	जी हाँ
9	क्या बैंक में स्टेकहोल्डरों की पॉलिसी संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु कोई प्रणाली है ?	जी हाँ
10	क्या पॉलिसी के क्रियान्वयन के संबंध में बैंक द्वारा, स्वतंत्र रूप से आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया गया है ?	वर्तमान समय में बैंक के बी आर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एसडी तथा सी एस आर समिति द्वारा तिमाही अंतराल में किया जाता है। तथापि, आगे से आवधिक अंतरालों में बाह्य एजेंसी से मूल्यांकन करवाया जाएगा।

अनुभाग ई - सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) सामाजिक उत्तरदायित्व के तौर पर अपने कारोबार का परिचालन एवं विकास करने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि जो कारोबार, नागरिकों के प्रत्यक्ष मुद्दों एवं पर्यावरण आवश्यकताओं दोनों से सरोकार रखेगा, दीर्घावधि में वही कारोबार समृद्धि करेगा।

बैंक विजन की मूल धारणा है कि इसके अपने कारोबार में वृद्धि हो, जबकि पर्यावरण प्रभावित न हो व सकारात्मक सामाजिक प्रभाव में वृद्धि हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न सीआरएस कार्यक्रमों के माध्यम से इसे पूरा करने हेतु वचनबद्ध है। बैंक का लक्ष्य लोगों के स्वास्थ्य एवं उनकी समृद्धि में वृद्धि, पर्यावरणीय प्रतिकूलता को कम कर, कारोबार में वृद्धि के साथ ही उनकी आजीविका वृद्धि में सहायता प्रदान करना है।

रिपोर्ट में राष्ट्रीय ऐच्छिक दिशानिर्देश के (एनवीजी) नौ सिद्धांतों में से, प्रत्येक के अधीन संचालित की जा रही गतिविधियों का सिंहावलोकन दिया गया है।

सिद्धांत 1- सुदृढ़ कॉरपोरेट गवर्नेंस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपने कुशल गवर्नेंस पर गर्व है जो कि इसके संस्थापकों की दूर दृष्टि व वास्तव में बाद के नेतृत्वकर्ताओं ने इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए, इन वर्षों में यूबीआई को बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बनाया है। बैंक की कार्रवाई मूल्यों व सिद्धांतों के आधार पर नियंत्रित होती है, जिसे बैंक के भीतर सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा सुदृढ़ बनाया जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कार्यों को नीति सम्मत तथा लागू संहिता के अनुपालन के अनुरूप करते हुए सुदृढ़ कारपोरेट गवर्नेंस की ओर अग्रसर होने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रति सिद्धान्त आधारित रवैया अपनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक द्वारा ऐसा मजबूत एवं प्रभावी कारपोरेट गवर्नेंस प्रदान किया जाय जिसे निवेशकों का सम्मान प्राप्त हो। कारपोरेट गवर्नेंस के एक भाग के रूप में बैंक में बोर्ड के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता है। यह संहिता उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है जिनसे मार्गदर्शित होकर बैंक अपने बहुसंयोजक स्टेकहोल्डरों, सरकार, मीडिया, विनियामक एजेंसियों तथा उस हर घटक के साथ, जिससे बैंक जुड़ा हुआ है, के साथ अपना दैनंदिन कारोबार करता है। यह संहिता इस बात को दर्शाती है कि बैंक आम जनता के धन की ट्रस्टी एवं अभिरक्षक है तथा अपने ऊपर किये जाने वाले जनता

के विश्वास एवं सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करता है और बैंक को व्यापक तौर पर जनता का यह विश्वास तथा भरोसा बनाये रखना होगा।

यह संहिता निम्नलिखित अपेक्षाएँ और आशाएँ करती है -

- वैयक्तिक एवं व्यवसायिक संबंधों के बीच में होने वाले वास्तविक एवं प्रत्यक्ष परस्पर विरोधों को पारदर्शी नैतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करने के दौरान ईमानदारी व नैतिकता के उच्चतम सिद्धांतों का अनुपालन।
- सरकार तथा विनियामक एजेंसियों के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों में पूर्ण, निष्पक्ष, परिशुद्ध, तर्कसंगत, समयबद्ध तथा अर्थपूर्ण घोषणा।
- अपने ऊपर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन।
- बैंक की आस्तियों और संसाधनों के दुरुपयोग एवं त्रुटिपूर्ण उपयोग को रोकना।
- बैंक के भीतर तथा बाहर उच्चस्तरीय गोपनीयता एवं सद्व्यवहार।

कारोबारी सिद्धांतों की संहिता बैंक के मूल्यों का अभिवर्धित अंश है जो कारोबारी परिचालनों के दौरान बैंक की कारोबार संबंधी नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संहिता उन मानकों का भी निर्धारण करती है जो बैंक पर लागू विधिक अपेक्षाओं से संबंधित होते हैं तथा साथ ही कुछ ऐसे मामलों से संबंधित मानकों का भी निर्धारण करती है जो बैंक के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं।

कॉर्पोरेट संवर्ग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिष्ठित पुरस्कार

प्रथम उत्कृष्ट सतर्कता अवार्ड (2016-17) से पुरस्कृत किया गया।



बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। बैंक के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों पर निम्नलिखित नीतियां लागू हैं:

- दि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (व्यवहार) विनियम 1976.
- दि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976.
- विभिन्न बैंक प्रबंधनों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों/अधिकारी संघों का

प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता/संयुक्त नोट.

- स्थायी विकास एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति.

विगत वर्षों के दौरान बैंक को इसकी अच्छी कॉरपोरेट नीतियों के लिये बहुत सारे प्रतिष्ठा-पत्र एवं सम्मान मिले हैं.

‘अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोध दिवस’



दिनांक 09.12.2016 को भ्रष्टाचार से लड़ाई : सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच सहभागिता पर एक संगोष्ठी आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोध दिवस मनाया गया. इस अवसर पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री के.वी.चौदरी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री एस.एस.मूंदरा उपस्थित थे. भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष श्रीमती ए.भट्टाचार्य, आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एवं सीईओ सुश्री चंदा कोचर, एचडीएफसी बैंक के डीएमडी श्री परेश सुख्कर, बैंक ऑफ बडौदा के सीएमडी श्री पी.एस.जयकुमार तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी श्री राजीव ऋषि के विचारों के साथ संगोष्ठी आरंभ हुई थी और उसके बाद चर्चा हुई थी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ‘अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोध दिवस’ के अवसर पर सतर्कता निवारक मैनुअल जारी किया



इस अवसर पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री के.वी.चौदरी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस.मूंदरा द्वारा प्रिवेंटिव विजिलेन्स मैनुअल और सतर्कता के विविध आयाम (हिन्दी) पुस्तकें जारी की गईं. हमारा बैंक प्रिवेंटिव विजिलेन्स पर मैनुअल जारी करने वाला प्रथम सरकारी क्षेत्र का बैंक है. प्रिवेंटिव विजिलेन्स मैनुअल में, क्षेत्र कर्मियों के लिए दैनिक परिचालनात्मक गतिविधियों के दौरान किए जाने और न किए जाने वाले कार्यों से संबंधित दिशानिर्देशों और सावधानियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है.

सिद्धांत 2 - टिकाऊ उत्पाद एवं सेवाएँ

बैंक इस बात से अवगत है कि अर्थव्यवस्था में अपनी दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाओं, अर्थात् व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी निकायों को वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना तथा जनसंख्या के विशाल भाग को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर परिवर्तन को सशक्त बनाना है. बैंक का यह प्रयास होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे उत्पाद और सेवाओं को विकसित और प्रदान करे जिससे पर्यावरण के लिए दीर्घकालिक लाभ के साथ समाज का विकास हो.

बैंक की कारोबारी नीतियाँ चयनित क्षेत्रों में, बैंक के कारोबार को संगठित करने, कोर एवं खुदरा कारोबार पर केंद्रित करने, सार्थक वित्तीय समावेशन हेतु प्रयास करने, प्रणालियों और नियंत्रण को मजबूत बनाने की ओर केंद्रित हैं. बैंक की रणनीति नयी तकनीक के साथ अपने ग्राहकों तक पहुँच के नये तरीके इजाजत करना तथा ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है. देश के विकास के भागीदार के रूप में, बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऋण प्रदान करता है, चाहे वे बड़े उद्योग हों या एमएसएमई क्षेत्र, निर्यात, व्यापार, कृषि, मूलभूत ढाँचे या वैयक्तिक संवर्ग हों. बैंक वित्तीय वंचन से प्रभावित संवर्गों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने के लिये सार्थक प्रयास करने में अग्रणी रहा है. बैंक द्वारा किये इन प्रयासों को बैंक की कारपोरेट वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

बैंक के विभिन्न डिजिटल उत्पादों, सेवाओं और समाधानों से बैंक की अपनी अलग पहचान है, इनमें निधियों के अंतरण, पूछताछ, ग्राहकोन्मुख प्रयोग, उच्च स्तर की सुरक्षा और अन्य कई विशेषताएँ होने के कारण ये सेवाएँ ग्राहकों को अपने संव्यवहार डिजिटल रूप में करने के लिए प्रेरित करते हैं. बैंक द्वारा कुछ ऐसे नवोन्मेषी उत्पाद भी लाये गये हैं जो विकलांगों के लिये लाभदायक होने के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण तथा समाज की भलाई से भी जुड़े हैं. ग्राहकों को उपलब्ध किए जाने वाले कुछ उत्पाद जो पर्यावरण/समाज के लिए लाभदायक हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. **डेबिट कार्ड्स के लिए ग्रीन पिन समाधान** - हरित पहल (पेपर रहित और डिजिटल) तथा मूल्यवर्धित सेवाओं की शुरुवात; इसमें यूनियन बैंक के किसी भी एटीएम से हमारे डेबिट कार्ड धारक आसानी से पिन को जनरेट कर सकते हैं. इस समाधान के माध्यम से कार्ड धारक नया पिन जनरेट कर सकते हैं और अपने विद्यमान पिन को बदल भी सकते हैं.
2. **यूनियन कनेक्ट** - प्रोजेक्ट यूनियन कनेक्ट परियोजना के तहत सामूहिक मीडिया प्लेटफॉर्म में विद्यमान समाज के बीच कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने, ब्रैंड इमेज को बढ़ाने, ग्राहकों को शिक्षित करने तथा ग्राहकों के बीच अपने उत्पाद और सेवाओं का प्रचार करने हेतु दिनांक 11-11-2016 को बैंक की स्थापना दिवस के अवसर पर फेसबुक और ट्विटर पर बैंक के अधिकृत पेज की शुरुवात की गई है. इसके माध्यम से, ग्राहकों को लगातार कारोबारी चर्चाओं, ग्राहक सेवा, शैक्षणिक पोस्ट्स, ऑनलाइन कार्यक्रमों के आयोजन, उपयोगकर्ताओं के मामलों के समाधान आदि के द्वारा उपयोगकर्ताओं को शिक्षित किया जा रहा है. हम अपने विद्यमान या नए उत्पादों के बारे में ग्राहकों की भावनाओं से भी सीख ले रहे हैं और प्राप्त सुझाव/फीडबैक संबंधित टीम को भेज रहे हैं. वित्त वर्ष 2016-17 में यूट्यूब और इन्स्टाग्राम के बाजार में भी हमारी उपस्थिति है.
3. **यूपीआई** - यूनिकाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से ग्राहक 24X7 आधार पर, बैंक खाते की जानारियों को साझा किए बिना, एक मात्र

- पहचान अर्थात आधार नंबर, खाता नंबर, आईएफएस कोड के साथ या वर्चुअल पेमेंट एट्रैस को/से रकम प्रेषण/प्राप्त कर सकते हैं।
4. **यू कंट्रोल** - मोबाइल आधारित यह एप्लिकेशन क्रेडिट कार्ड धारकों की सुविधा के लिए बनाई गई है, जिसमें ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड संव्यवहारों को किसी विशेष चैनल के लिए सक्रिय/निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और स्वीकृत सीमा के अंदर अपने व्यय की सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
 5. **भारत क्यूआर** - भारत क्यूआर के माध्यम से किसी स्मार्ट फोन से आसानी से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, 2डी बारकोड के समान एक शीघ्र रिस्पोंस की उपलब्धता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा यह कोड व्यापारी को आबंटित किया जाता है। इसमें उस व्यापारी के विवरण होते हैं, जिन्हें यह आबंटित किया गया हो। ग्राहक के स्मार्ट फोन पर उपलब्ध स्कैन एंड पे एप्लिकेशन के द्वारा व्यापारी भुगतान स्वीकार कर सकता है।
 6. **बोलते एटीएम** - बैंक देश में बोलते एटीएम लगाने में अग्रणी रहा है। ये एटीएम दृष्टि बाधित व्यक्तियों को आवाज के द्वारा निर्देशित कर संव्यवहार करने में सक्षम बनाता है इसीलिए इसे बोलता एटीएम कहा जाता है। इस एटीएम का डिजाइन इस प्रकार का होता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी व्हील चेयर पर अंदर जाकर अपने संव्यवहार कर सकता है। दिव्यांगों की सुविधा के लिए बैंक ने पूरे देश में 1584 ऐसे एटीएम लगाए हैं।
 7. **आईआरसीटीसी यूनियन बैंक वर्चुअल प्रीपेड कार्ड** - कार्ड को ऑनलाइन जनरेट किया जाता है तथा कार्ड के सभी ब्यौरे यथा कार्ड नं., पीआईएन, सीवीवी तथा समाप्ति तिथि ग्राहक को मेल के द्वारा भेजी जाती है। कार्ड के ब्यौरे का उपयोग ग्राहक द्वारा रेलवे टिकट बुक करने तथा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जा सकता है। चूंकि यह वर्चुअल कार्ड है, इसमें प्लास्टिक प्रिंटिंग तथा कागज की पीआईएन जनरेट करने की भी आवश्यकता नहीं है।
 8. **ऑनलाइन खाता खोलना** - ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा उन ग्राहकों के लिए है जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं। बचत बैंक खाता खोलने की यह वेब आधारित सुविधा है, जिसके माध्यम से कोई प्रस्तावित ग्राहक बैंक की वेबसाइट में जाकर बचत बैंक खाता खोल सकते हैं।
 9. **देश में गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए एसएचजी** - बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से बैंक द्वारा भारत सरकार की एनआरएलएम/एनयूएलएम योजना लागू की जा रही है।
 10. **कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए अक्षय ऊर्जा उपकरणों की खरीद के लिए कृषकों को ऋण देने की योजना**: इसके तहत कृषकों को पानी पंप करने के लिए सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाने, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम तथा एलईडी लाइट्स और छोटे डीसी लोड्स के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।
 11. **यूनियन बायो टेक** - देश में ऊतक संवर्धन तकनीक और पोली-हाउस को प्रोत्साहित करने के लिए इस उत्पाद को बनाया गया है।
 12. सभी उत्पाद और सेवाएं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाती हैं।
 13. सभी उत्पाद, सेवाएं तथा योजनाएं ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग के तहत आते हैं। बैंक के एटीएम, केवल नकद निकासी वाली मशीनें नहीं हैं बल्कि इनके माध्यम से प्रेषण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे एटीएम के माध्यम से एनईएफटी, आईएमपीएस तथा यूनियन ई-केश: मोबाइल आधारित निधि अंतरण सुविधा है जिसमें प्राप्तकर्ता को मोबाइल पर एटीएम आधारित प्रमाणन से राशि आहारित करने की सुविधा दी जाती है। पुराने रिकार्ड के निपटान के लिए बैंक की अपनी स्थापित नीति है, इन्हें नष्ट करने के बाद रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है।
- उत्पादों की रिसाइकलिंग और अवशिष्ट 10% से अधिक के संवर्ग में आते हैं। बैंक अपने उपभोग की अधिकांश वस्तुएँ स्थानीय सप्लायरों से ही लेती है। बैंक छोटे और सूक्ष्म उपक्रमों की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और इन क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाओं तक आसानी, तेजी और पारदर्शी पहुंच तथा उनके दैनिक परिचालनों के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का समय पर सहायता सुनिश्चित करता है।

सिद्धांत 3 - कर्मचारी कल्याण

स्थायी तथा लाभप्रद वृद्धि उसी संस्था द्वारा प्राप्त की जा सकती है जहाँ कार्यनिष्पादन को मूल्यों के साथ जोड़ा जाता हो। बैंक उन कर्मचारियों से भरी-पुरी एक दक्ष तथा बहुमुखी संस्था है जिसके कर्मचारी जब अच्छा करते हैं तो उसमें कल्याण की भावना भी सन्निहित होती है।

मानव संसाधन पहल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास है कि शिक्षित, अभिप्रेरित तथा उत्पादक कर्मचारी ही बैंक की सबसे बड़ी आस्ति है। इसे ही ध्यान में रखते हुये बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाकर संगठनात्मक कुशलता को बढ़ाने के उपाय किए हैं। इससे युवा प्रतिभा आकर्षित हो रहे हैं, जो बैंक के अनुभवी कर्मचारियों की सीख से लाभ ले रहे हैं। बैंक द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित किया गया है, जॉब-क्लैरिटी के साथ हरेक की भूमिका को परिभाषित एवं कलमबंद किया गया। इसे फीडबैक की सुविधा के साथ इंटरनेट पर अपलोड भी किया गया है। एच आर द्वारा निम्नलिखित का कार्यान्वयन किया गया है:-

1. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक पारदर्शी तथा उद्देश्यपूर्ण परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस)।
2. बैंक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार आयोजना पर भी अमल किया जा रहा है तथा नेतृत्व की शृंखला को जारी रखने के लिये भी प्रयासरत है।
3. एच आर सुविधा, कर्मचारी सुविधाओं की केंद्रीकृत स्वीकृत की सुविधा आरंभ की गई है, इससे कर्मचारी संतोष में वृद्धि हुई है।
4. एच आर आपके द्वार, कर्मचारियों के शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित उपाय, इससे कर्मचारियों के मतभेदों को कम कर सम्बन्धों को बेहतर बनाया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसमें ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु समर्पित पोर्टल है। इस मंच पर उठाए गए मामलों को तुरंत समाधान होता है।
5. इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कई अन्य पहल किए गए हैं, इनका उद्देश्य कर्मचारियों को व्यस्त, प्रतियोगी और संघर्षशील बनाए रखना है।

सेवा-काल में कार्य-संतुलन

यूनियन बैंक कर्मचारियों के सेवा-कालीन जीवन को बेहतर बनाने संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। बैंक में आकर्षक पदोन्नति नीति है जिसमें योग्य कर्मचारियों के आगे बढ़ने के लिये बैंक की फास्ट ट्रैक प्रमोशन पॉलिसी भी शामिल है। इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को विस्तृत अनुभव उपलब्ध कराना तथा पदोन्नति के माध्यम से अभिप्रेरित करना एवं बैंक में कर्मचारियों का कैरियर आगे बढ़ाना है।

बैंक अपने स्टाफ को ऐसी सुविधायें तथा लाभ भी प्रदान करता है जिससे वे अपने कार्य तथा जीवन में संतुलन बनाये रख सकें। स्टाफ की चिकित्सकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने के उद्देश्य से बैंक द्वारा देश भर में कई अस्पतालों से टाई-अप योजना के माध्यम से अस्पतालीकरण की योजना लागू की गई है। बैंक की 24 कल्याणकारी योजनायें हैं जिन्हें पांच मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:- कैंटीन सब्सिडी, शिक्षा, चिकित्सा और अस्पतालीकरण, सेवानिवृत्त स्टाफ तथा अन्य कल्याणकारी उपाय।

स्टाफ के लिये अन्य उपायों में स्वास्थ्य शिविर, बैंक के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, हिन्दी दिवस का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, गणतंत्र दिवस का आयोजन तथा स्टाफ एवं उनके बच्चों की उत्कृष्टता को पहचानने और स्वीकारने के लिये खेल, शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सम्मान-पहचान आदि तथा सिल्वर जुबली अवार्ड्स आदि शामिल हैं। 31 मार्च 2017 को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 36877 थी जिसमें से 8562 महिलायें तथा 795 विकलांग स्टाफ थे।

आंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दिनांक 08 मार्च, 2017 को मुंबई में, बड़े जोश और उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती चंदा कोचर थीं। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों के बीच गर्व और अपनेपन की भावना देखी गई थी।



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया, उनमें श्रीमती चेतना गला सिन्हा (भारत में प्रथम महिला ग्रामीण बैंक की संस्थापक), सुश्री हार्शिनी कन्हेकर (भारत की प्रथम महिला फायर-फाइटर) तथा सुश्री उषा थोरात (पूर्व उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक और वर्तमान में विभिन्न गैर-लाभकारी संगठनों में सक्रिय ट्रस्टी) शामिल हैं।

मानवाधिकारों के लिये आदर

बैंक अपने कारोबार तथा प्रभावक्षेत्र में मानवाधिकारों का समादर तथा उनके अनुसार कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है। बैंक ने कार्यस्थल पर यौन शोषण निवारण समिति का भी गठन किया है तथा किसी भी प्रकार की संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिये पर्याप्त, शिकायत निवारण प्रणाली को अपनाया है। बैंक अपने स्टाफ द्वारा समूह/एसोसिएशन बनाने के अधिकारों का आदर करता है ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठा सकें। बैंक में कई कर्मचारी एसोसिएशन बनी हुई हैं जिनमें से बैंक अधिसंख्यक बहुमत वाली एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कल्याण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये बैंक द्वारा महाप्रबंधक पद के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी बनाया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ यह संपर्क अधिकारी तिमाही आधार पर बैठक करते हैं और उनके कल्याण से संबंधित समस्याओं को हल करते हैं।

औद्योगिक स्तर पर वेतन समझौता

वेतन संबंधी वार्तालाप बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा मान्यताप्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ सामूहिक समझौते के माध्यम से उचित मांगों को स्वीकार किया जाता है। यह वेतन पुनरीक्षण 5 वर्षों तक मान्य होता है।

मानव संसाधन में उत्कृष्टता के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2016 के लिए मानव संसाधन में उत्कृष्टता हेतु गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार लगातार तीसरी बार मिला है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डाइरेक्टर्स (आईओडी), नई दिल्ली की ओर से दिया जाता है। बेंगलूर में आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर द्वारा प्रदान किया गया था।



उक्त फोटो में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर से, एच आर उत्कृष्टता गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री आर आर मोहंती, महाप्रबंधक (एचआर) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्प्यूनिटी इनीशियेटिव एंड रूल डेवलपमेंट, आदित्य बिरला समूह की अध्यक्ष श्रीमती राजश्री बिरला भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों के कौशल का विकास

प्रशिक्षण कार्य को बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा समग्र रूप से सारे बैंक के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व एवं संपूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में माना जाता है ताकि बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा से संबंधित तथा इसके कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी कर सके. एक ज्ञानार्जन करने वाली संस्था के रूप में बैंक समसामयिक जानकारी को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, कौशल को बढ़ाने तथा पुनरीक्षित करने के प्रयास करता है तथा अभिवृत्तियों में सुधार करता है. बैंक का प्रशिक्षण मिशन है:- व्यक्ति तथा बैंक दोनों के विकास के लिये निरंतर सीखने की कला को बढ़ावा देना. बैंक का प्रयास है कि उत्कृष्टता के लिये प्रशिक्षण दिया जाये और उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जाए.

स्टाफ को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना तथा उक्त प्रशिक्षण का संस्थागत आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाना बैंक के प्रशिक्षण तंत्र की एक विशेषता है. हाउस-कीपिंग स्टाफ से लेकर उच्च कार्यपालक तक के स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण कर उसे पूरा किया जाता है. अपने स्टाफ सदस्यों को मौलिक कार्यों में कुशल बनाने तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी रखने में सक्षम बनाने का सुनिश्चयन करने हेतु बैंक प्रतिबद्ध है. किसी भी कर्मचारी के पूरे कार्यकाल में- संस्था में प्रवेश से लेकर सेवानिवृत्ति तक- प्रशिक्षण का कार्य बैंक की सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था बेंगलुरु तथा देशभर में फैले 8 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों-अलुवा, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुडगाँव, लखनऊ तथा पवई(मुंबई) में स्थित स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है. संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार नई मांगों को पूरा करने के लिये क्षेत्रीय स्तरों में भी लोकेशनल प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं. स्टाफ को अद्यतन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बाहरी और आंतरिक संकाय सदस्यों की व्यवस्था भी की जाती है. पात्र मामलों में स्टाफ सदस्यों को विदेशों में भी प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रशिक्षण तंत्र द्वारा 830 केलेंडर प्रोग्राम, 189 लोकेशनल प्रोग्राम तथा 48 कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से कुल 27,521 स्टाफ सदस्यों को शामिल किया गया था. इनके अलावा, 402 अधिकारियों को बाहरी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में नामित किया गया था.

वर्ष 1997 में बैंक द्वारा अपने प्रशिक्षण तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिये विदेशी सलाहकारी कंपनियों की मदद से अपने प्रशिक्षण-तंत्र में नई तकनीकों को शामिल किया. अब यह मानक बन गई है तथा प्रशिक्षण तंत्र द्वारा नवोन्मेषी तकनीकों को अपनाये जाने से विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान हमारे प्रशिक्षण तंत्र को प्राप्त हो रहे हैं जिनमें से देश भर में प्रतिष्ठित गोल्डेन पीकॉक अवार्ड भी शामिल है. यह हमारे बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण तंत्र के लिये वर्ष 1998, 2004, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 तथा 2016 में प्राप्त हुआ है.

नियुक्तियों के समान अवसर

प्रबंधन और पर्यवेक्षकीय स्टाफ/अधिकारियों की रिक्तियों की पहचान तथा उन्हें भरने हेतु विभिन्न स्तरों पर भर्ती के प्राधिकारों के संबंध में सुस्पष्ट दिशानिर्देश हैं. कुशल तथा अकुशल स्टाफ की भर्तियों के लिये योग्यताक्रम को आधार बनाकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है. बैंक अपना ध्यान लिंग-वैविध्य की ओर भी केंद्रित करता है.

यूनियन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक का राजभाषा शील्ड

राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए, यूनियन बैंक को वर्ष 2014-15 में, भाषिक क्षेत्र 'ख' में भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया. बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा और हिन्दी पत्रिका यूनियन सृजन को भी वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की द्विभाषी/हिन्दी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम और सातवना पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार, दिनांक 24 मई 2016 को आयोजित एक समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ रघुराम राजन द्वारा प्रदान किए गए.



भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ रघुराम राजन से पुरस्कार प्राप्त करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री विनोद कथूरिया. इस अवसर पर श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, आईएएस, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री एस एस मूदरा भी उपस्थित थे.

सुरक्षित कार्यस्थल

अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक में यौन-उत्पीड़न-के रोकथाम हेतु नीति है तथा संबंधित मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाती है. यौन-उत्पीड़न के मामलों पर यौन-उत्पीड़न-रोधी नीति तथा प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है. बैंक तथा इसकी अनुषंगी सब्सिडियरीज के सभी स्टाफ सदस्यों को कार्य-स्थल पर यौन-उत्पीड़न-रोकथाम के संबंध में विविध पहलुओं पर नियमित रूप से ई-मेल तथा संप्रेषण के अन्य माध्यमों से अवगत कराया जाता है.

संगठन, प्रतिभागिता तथा सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

बैंक कर्मचारियों के संगठित होने तथा सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने हेतु स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुश्रवण करता है. कर्मचारियों तथा स्टाफ सदस्यों के अधिकारी संवर्ष में प्रोन्नति हेतु सुस्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया है.

बैंक की मानवाधिकार से संबंधित प्रक्रियाएं, बैंक-कर्मचारियों को विधि-सम्मत तरीकों से, संगठन एवं सामूहिक सौदेबाजी हेतु कर्मचारियों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती हैं.

शिकायत-निवारण

बैंक के अपने परिचालनों तथा इसके कारोबारी-भागीदारों में बाल श्रम, बाध्यकारी श्रम, पक्षपातयुक्त भर्ती तथा यौन-उत्पीड़न से संबंधित स्पष्ट दिशानिर्देश हैं.

बैंक की प्रणालियाँ इस प्रकार के मामलों की रिपोर्टिंग हेतु फोरम उपलब्ध कराती हैं.

बैंक द्वारा इस हेतु ई-मेल पते की सुविधा दी गई है जहाँ इस प्रकार की शिकायतें प्रेषित की जा सकती हैं। शिकायती की गोपनीयता बनाई रखी जाती है। बैंक द्वारा इस आशय से संबंधित प्रक्रियायें और प्रणालियाँ बनाई गई हैं कि इस प्रकार के मामलों में शिकायती को प्रताड़ित न किया जा सके और दोषी न माना जा सके।

यौन-उत्पीड़न सहित सभी शिकायतें बैंक की नीतियों के अनुसार प्रसंस्कृत की जाती हैं। वर्ष के दौरान, बाल-श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम तथा पक्षपातपूर्ण भर्तियों से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 4 - स्टेकहोल्डरों से संपर्क

यूनियन बैंक के लिये स्टेक-होल्डर-प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाते हैं तथा कारोबार में सफल हो पाते हैं। ग्राहक, शेयरहोल्डर, निवेशक, कर्मचारी, मीडिया तथा एन जी ओ आदि वे स्टेक-होल्डर समूह हैं जिनसे बैंक सक्रियतापूर्वक संबंध बनाये रखता है।

बैंक अपने स्टेकहोल्डर को उस व्यक्ति के रूप में देखता है जो बैंक के परिचालनों से प्रभावित होता है या बैंक के परिचालनों को प्रभावित करता है। इस प्रभाव के कारण ही कोई स्टेकहोल्डर प्राईमरी, सेकेंडरी या की स्टेकहोल्डर कहलाता है।

प्रायमरी स्टेकहोल्डरों में स्टाफ और ग्राहक आदि शामिल होते हैं किंतु इन दोनों ही श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। सेकेंडरी स्टेकहोल्डरों में स्थानीय कम्युनिटीज़, आपूर्तिकर्ता, एन जी ओ, इंडस्ट्री एसोसियेशन आदि शामिल होते हैं किंतु यह श्रेणी भी यहीं तक सीमित नहीं है। 'की' स्टेकहोल्डर में शेयरधारक, प्रमोटर तथा विनियामक इकाईयां शामिल हैं। बैंक विभिन्न संप्रेषण माध्यमों से अपने सभी स्टेक होल्डरों से औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों से संपर्क में रहता है।

बैंक द्वारा कुछ स्टेकहोल्डरों की अलाभप्रद, असुरक्षित या मार्जिनल के रूप में पहचान की है तथा उन्हें विशेष उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। स्टेकहोल्डरों के ऐसे समूह में कुछ कृषि-संबंधी ग्राहक, एम एस एम ई ग्राहक, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समूह, शहरी श्रमिक तथा फेरीवाले, पिछड़े गाँवों में रहने वाले ग्रामीण आदि हैं किंतु ऐसे स्टेकहोल्डरों की संख्या इन्हीं श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के सभी स्टेकहोल्डरों के लिये बैंक विशिष्ट उत्पाद/सेवायें और योजनायें उपलब्ध कराता है जिनके विवरण बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बैंक के की स्टेकहोल्डर निम्नानुसार हैं:

ग्राहक

बैंक का ध्यान अपने सभी संपर्क साधनों पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केंद्रित रहता है फिर वह चाहे शाखा हो, ए टी एम हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाईल बैंकिंग हो या फिर कॉल सेंटर हो। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:

- ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु, उनके साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए, बैंक द्वारा ग्राहक संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
- शिकायतियों को प्रचारकों में परिवर्तित करने के लिये स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
- ग्राहकों को प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अपने नये उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करना। विगत में बैंक को शाखा

संप्रेषण तथा विपणन के लिये ए बी सी आई (एसोसियेशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया) पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

- ग्राहकों की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिये 24x7 कॉल सेंटर की स्थापना।
- शाखा, क्षेत्रीय तथा कॉरपोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर ग्राहक बैठकें आयोजित करना। इस मंच का उपयोग बैंक द्वारा ग्राहकों को अपने उत्पादों/सेवाओं की जानकारी देने, के वाई सी अनुपलान जैसे नये पहलुओं की जानकारी देने, सुरक्षित बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग करते समय सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिये करता है। ऐसी बैठकों में बैंक के तिमाही कार्यनिष्पादन की जानकारी भी ग्राहकों को दी जाती है।
- बैंक द्वारा ग्राहकों की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिये कस्टमर केयर युनिट की स्थापना की है। यह युनिट बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिये प्रणालीबद्ध तरीके से फीडबैक का विश्लेषण भी करती है। इस इकाई की स्थापना के बाद से इंटरनेट बैंकिंग तथा ए टी एम के पिन की अप्राप्ति आदि की शिकायतों में बहुत कमी आई है। कस्टमर केयर युनिट शिकायतों के निस्तारण के संबंध में ग्राहक की संतुष्टि का स्तर भी जांचती है।

कर्मचारी

- बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा, प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य आन्तरिक सम्प्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम बनी हुई है, जो स्टाफ सदस्यों को जानकारीयें प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें कर्तव्यों, निष्ठा एवं सृजनात्मकता हेतु प्रेरित करने का उद्देश्य पूरा कर रही है। यूनियन धारा लगातार एसोसियेशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) का पुरस्कार जीत रही है। विगत वर्ष यूनियन धारा ने चैंपियन ऑफ दि चैंपियन्स ट्रॉफी सहित 7 पुरस्कार प्राप्त किए।
- बैंक के अपने आन्तरिक पोर्टल में सभी नीतियां, दिशा निदेशों, कोड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सम्प्रेषण उपलब्ध होते हैं जिन्हें सभी कर्मचारी आसानी से देख सकते हैं।
- सीएमडी/ईडी/महाप्रबंधक क्षेत्र/शाखाओं का आवधिक दौरा करते हैं।
- पूरे देश के कर्मचारियों के फीडबैक प्राप्त करने के लिए innovation@unionbankofindia.com के नाम से बैंक की एक समर्पित ऑन लाईन प्रणाली है। उत्पादों के विकास/संशोधन, प्रक्रिया एवं सेवाओं के संबंध में कर्मचारियों के प्राप्त सुझावों को एकत्र किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है एवं उन पर विचार किया जाता है।

निवेशक

- बैंक प्रत्येक तिमाही के अपने कार्यनिष्पादन की प्रमुख मदों के साथ संक्षिप्त तुलन पत्र प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराती है।
- बैंक अपने अंशधारकों को भी बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में अर्धवार्षिक आधार पर सूचित करती है।
- बैंक विश्लेषकों एवं निवेशकों की तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती है।

समाज

- बैंक सरकार एवं अन्य प्रमुख बैंकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखती है एवं भारत में बैंकिंग उद्योग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न नीति निर्माण एवं उद्योग स्तर के मामलों में सक्रियता से भाग लेती है।

- बैंक ने 211 गाँवों को आदर्श गाँव बनाने हेतु गोद लिया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक आवधिक रूप से इन गाँवों का दौरा करते हैं तथा ग्रामीणों के साथ चर्चा करके इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाना सुनिश्चित करते हैं।

बैंक द्वारा कुछ स्टेकहोल्डरों को अलाभप्रद, असुरक्षित या मार्जिनल के रूप में पहचान की है। स्टेकहोल्डरों के ऐसे समूह में कुछ कृषि-संबंधी ग्राहक, एमएसएमई ग्राहक, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समूह, शहरी श्रमिक तथा फेरीवाले, पिछड़े गाँवों में रहने वाले ग्रामीण आदि हैं किंतु ऐसे स्टेकहोल्डरों की संख्या इन्हीं श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के सभी स्टेकहोल्डरों के लिये बैंक विशिष्ट उत्पाद/सेवायें और योजनायें उपलब्ध कराता है। कमजोर व सीमांत किसानों को स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह के अंतर्गत संगठित कर उन्हें परेशानी मुक्त तरीके से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सरलीकृत स्वरूपों में उन्हें ₹ 5000/- ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।

बैंक, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यक्रम यथा पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई तथा अटल पेंशन योजना के रूप में भी इस प्रकार की योजनाओं को प्रस्तुत करता है। बोलते एटीएम नेत्रहीन व्यक्तियों को ध्वनि मार्गदर्शन से लेनदेन करने के लिए सक्षम बनाता है। एटीएम साइट को इस प्रकार का बनाया गया है कि व्हील चेयर पर बैठा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी अंदर जाकर लेन-देन कर सकता है।

सिद्धांत 5- मानवाधिकारों का सम्मान

यूनियन बैंक मानव अधिकार के सिद्धांतों को मानते हुए उनका स्पष्ट पालन करता है तथा मानव अधिकारों एवं कर्मचारियों के हितों में ईमानदारी, समग्रता एवं खुले रूप में कार्यान्वित करता है। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई के रूप में, बैंक केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों द्वारा मानवाधिकारों के बारे में जारी दिशानिर्देशों, अनुदेशों, निदेशों का न केवल अक्षरशः पालन करता है बल्कि व्यवहार में भी उन्हें अपनाता है।

बैंक की एसडी और सीएसआर नीति यह दर्शाती है कि बैंक मानवाधिकारों का आदर करेगा तथा इनके बारे में स्टेक-होल्डरों के बीच सामान्य जागरूकता को बढ़ायेगा। बैंक अपने कारोबारी भागीदारों के अलावा आपूर्तिकर्ताओं, बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंस आदि से अपेक्षा रखता है कि वे भी अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें तथा उनके उल्लंघन से बचें। बैंक द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई।

सिद्धांत 6- पर्यावरण पर प्रभाव

बैंक एक जिम्मेदार कॉरपोरेट संस्था होने के नाते समाज एवं पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति सजग है। बैंक ने कार्बन को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिये बैंक द्वारा एलईडी वाली प्रकाश व्यवस्था, एयरकंडीशनरों में पर्यावरण के संरक्षण वाली गैस का उपयोग, कम ऊर्जा की खपत करने वाले एयर कंडीशनरों का उपयोग, नयी परियोजनाओं में सौर ऊर्जा जैसे गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि अनेक कदम उठाये गये हैं। हालाँकि अंतिम रूप से हुये लाभ की गणना अभी नहीं की जा सकी है किंतु ऊर्जा संबंधी बिलों में उक्त प्रयासों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन प्रयासों को आगे भी लगातार जारी रखा जायेगा।

बैंक मुख्य रूप से एटीएम की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं तथा बैंक के साथ

साथ प्रशिक्षण केंद्रों में हीटिंग की आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बैंक परिसरों में लगी प्रकाश-व्यवस्थायें तथा एयर कंडीशनर ऊर्जा की बचत के लिये स्टार रेटेड हैं। एयर कंडीशनरों में उपयोग की जाने वाली रेफ्रीजेरेंट गैस (आर-407 सी) कार्बन के उत्सर्जन को कम करती है।

बैंक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उठाये गये कुछ अन्य कदम निम्नानुसार हैं:

- ऊर्जा की बचत वाले सीएफएल तथा एलईडी फिटिंग्स का उपयोग।
- एलईडी वाले साईनेज का संस्थापन।
- बीईई प्रमाणित एयर कंडीशनर की स्थापना और सीएनजी के साथ कार।
- बैंक परिसर में वर्षा के जल का भंडारण, जो भूजल के स्तर को बढ़ाता और उसका संरक्षण करता है।
- सभी उपकरणों में बिजली के समान प्रवाह के लिये बसबार ट्रकिंग सिस्टम जैसे किरायायती एवं सुरक्षित प्रणाली का उपयोग। अभी हाल ही में बैंक द्वारा केंद्रीय कार्यालय परिसर के एक्सटर्नल ईलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नवीकरण किया गया है और नये बसबार ट्रकिंग सिस्टम को लगाया गया है।
- पवई में ग्रीन डाटा सेंटर:- प्रौद्योगिकी केन्द्र, पवई बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग प्रणाली के साथ-साथ ऊर्जा बचत विद्युत प्रणाली स्थापित कर डाटा सेंटर का विस्तार किया गया। सूक्ष्म एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक कूलिंग तकनीक पर आधारित हैं तथा इको-फ्रेंडली गैस से युक्त हैं। दूसरी ओर यूपीएस/केबिनो/बैटरी रूम को ठंडा करने के लिये वैरियेंट रेफ्रीजेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है।
- प्रकाश तथा एयर कंडीशनरों पर नियंत्रण के लिये केबिनो में ऑक्यूपेंसी सेन्सर लगाये गये हैं।
- भवनों में वास्तुकला के माध्यम से दिन के समय सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

सिद्धांत 7- सार्वजनिक कल्याण

यूनियन बैंक की कारोबारी इको-प्रणाली एवं समुदायों में सकारात्मक प्रभाव लाने के उद्देश्य से सक्रियता से वकालत करने की परम्परा रही है। यूनियन बैंक की यह सक्रिय वकालत केवल सरकार से लॉबी करने एवं उद्योग के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि समाज में बड़े पैमाने पर लाभ के लिए भी वकालत करने कुछ अच्छी परम्पराएं रही हैं।

ग्राहक सेवा में सुधार के दृष्टिकोण से बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा अन्य इकाइयों के सदस्य नामित किये जाते हैं। बैंक वित्त एवं उद्योग से संबंधित ट्रेड चैम्बर एवं एसोसियेशन का सदस्य है। ट्रेड चैम्बर तथा इंडस्ट्री एसोसियेशनों के मंच से ही बैंक आम जनता के लिये सार्वजनिक नीतियों की वकालत करता है। इन अधिकारियों के साथ बैंक अन्य चैनलों से भी संपर्क में रहता है तथा कानून तथा विनियमन संबंधी उन आम नीतियों को आकार देने का प्रयास करता है जो इसके कारोबार तथा कर्मचारियों से जुड़ी होती हैं। नीति निर्माण के मामले में आर्थिक सुधारों, बैंक वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। बैंक निम्नलिखित वित्तीय तथा औद्योगिक व्यापार चैम्बरों/संघों का सदस्य है:

- भारतीय बैंक संघ(आईबीए)
- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स (आईआईबीएफ)
- द एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम)
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
- कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
- बैंकिंग कोड्स व भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बैंक सक्रिय रूप से इन निकायों के साथ सहभागिता कर व विभिन्न मुद्दों यथा वार्षिक बजट, ऋण नीति/मौद्रिक नीति, उत्पाद के मूल्य निर्धारण पर दिशा निर्देश, विभिन्न सर्वेक्षणों आदि पर जानकारी उपलब्ध कराता है।

सिद्धांत 8- समग्र विकास

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो कमजोर वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर, पर्याप्त अग्रिम सुविधायें, उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर मुख्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं। बैंक ने 2016-19 तक वित्तीय समावेशन के लिये तीन वर्षों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना तैयार की है जिसका विजन है:- वंचितों तक उचित लागत पर 'निरन्तर प्रक्रिया के तहत' सेवायें पहुंचाना तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा, लाभ से वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।

31 मार्च, 2017 तक बैंक ने वित्तीय समावेशन से संबंधित निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कर ली थी:-

- बैंक ने 5407 बिजनेस कॉरिसपोण्डेंट की नियुक्ति करके इस मॉडल के द्वारा 18396 बैंकिंग से वंचित/न्यूनतम बैंकिंग सुविधाओं से युक्त गाँवों तक अपनी पहुंच बनाई है।
- बिजनेस कॉरिसपोण्डेंट मॉडल के द्वारा बायोमैट्रिक कार्ड के माध्यम से 253.59 लाख वित्तीय समावेशन ग्राहकों के खाते खोले गये हैं तथा इन ग्राहकों से बैंक ने ₹ 2139.33 करोड़ की जमाराशियां जुटाई हैं।
- ग्रामीण एवं शहरी निर्धन वर्गों को आकस्मिक अग्रिम के रूप में सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करना। बैंक बहुत कम प्रीमियम/प्रभार पर बीमा/पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराती है।
- बैंक का श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नामक एनजीओ, जो कर्नाटक और केरल में स्वयं सहायता समूहों को वित्तीयन करता है, के साथ टाई-अप किया है। स्वयं सहायता समूह रोजगार के सृजन तथा ग्रामीणों की आय हेतु मुख्य रूप से कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। एसएचजी/जेएलजी के बीसी मॉडल के तहत सूक्ष्म ऋणों (एसकेडीआरडीओ तथा प्रगति) में बकाया राशि ₹912.43 करोड़ है। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट बेलगाम, बेंगलुरु मंगलोर तथा कोझीकोड क्षेत्रों में लागू है।

1. वित्तीय साक्षरता :

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिये, 14 अग्रणी जिलों के साथ ही साथ केरल राज्य के कुछ गैर- अग्रणी जिलों में कुल 26 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गये हैं। मार्च 2017 तक आयोजित 4254 कैंपों में 1,15,856 लोगों को परामर्श दिया गया है। 36,229 लोगों के खाते खोलकर उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गईं और उन्हें बैंकिंग से जोड़ा गया है।

बैंक ने नियमित अंतरालों में ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित कैंपों के अलावा, अपने एफएलसीसी के माध्यम से, विशेषकर केरल और उत्तर प्रदेश में कई डिजिटल बैंकिंग जागरूकता कैंपों का आयोजन किया है।

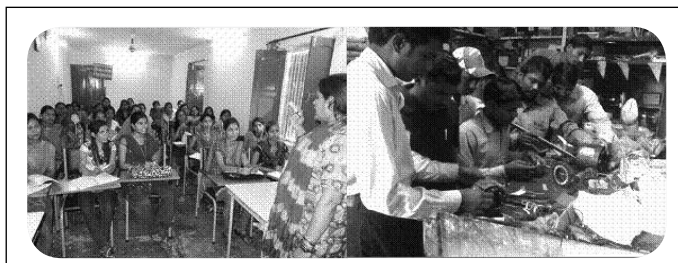
नाबार्ड ने अपने पत्र क्र.एफआईडी-49(डी)/2015-16 दिनांक 23.10.2015 के द्वारा, बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के अग्रणी जिलों में आईएसएमडबल्यू के सहयोग से व्यापक जागरूकता कैंपों के आयोजन को प्रायोजित करने की घोषणा की है। वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में सीएसआर के तहत, इन राज्यों में 116 जागरूकता कैंपों के आयोजन के लिए नाबार्ड ने ₹17.40 लाख स्वीकार किया है और इन कैंपों का आयोजन किया गया है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु, नाबार्ड ने क्षमता विकास हेतु ₹70.39 लाख और डार्क और ग्रे क्षेत्रों में वी-सेट लगवाने के लिए ₹9.20 करोड़ का अनुमोदन भी दिया है।

2. यूनियन आदर्श ग्राम योजना:

देश के प्रति कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी प्रतिबद्धता के रूप में बैंक ने "यूनियन आदर्श ग्राम योजना" प्रारंभ की है। इस योजना के तहत इस वर्ष देश भर में 60 गाँवों को उनके सर्वांगीण विकास हेतु अंगीकृत किया है। इस योजना में अब तक ऐसे गाँवों की संख्या 211 हो गई है।

3. अग्रणी बैंक योजना:

बैंक देश के चार राज्यों में स्थित 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इन जिलों में बैंक न केवल लगातार अपनी शाखाएं बढ़ाते हुए सामान्य बैंकिंग गतिविधियां कर रहा है, बल्कि स्थानीय सरकारों के साथ जिला अग्रिम योजना के लिए भी काम करता है। इससे जिला अग्रिम योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं के अनुश्रवण में सहायता मिलती है। बैंक के 14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी हैं जहां ग्रामीण युवाओं के लिए सूक्ष्म उद्योगों को चलाने के लिये प्रशिक्षण तथा कौशल अद्यतनीकरण के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। बैंक चार चयनित पिछड़े जिलों में महिला सशक्तीकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता दे रहा है।



4. प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

देश में सभी परिवारों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना-प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रथम चरण को अगस्त 2014 में आरम्भ किया है। इस योजना में जो 6 स्तम्भ शामिल है, वे हैं: सबकी पहुंच, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ बेसिक बैंकिंग खाता, दुर्घटना बीमा और रुपये डेबिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट गारंटी निधि, सूक्ष्म वित्त और अन्त में असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना। इन स्तम्भों को दो चरणों में लागू किया जाना है।

प्रथम चरण दिनांक 28 अगस्त, 2014 को आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य बचत, प्रेषण और ₹1.00 लाख के दुर्घटना बीमा कवर करते हुए रुपये डेबिट कार्ड के लिए बेसिक बैंकिंग खाता खोलते हुए सभी लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसमें वित्तीय साक्षरता को भी शामिल किया गया है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत हमारे निष्पादन के मुख्य तत्व		
1	कवर किये गये कुल गांव :	18,396
2	उप सेवा क्षेत्र (SSAs):	5,407
3	शहरी वार्ड्स:	2581
4	सर्वे किये गये कुल परिवार :	72.34 लाख
5	जिनमें -ए. ग्रामीण परिवार :	45.54 लाख
6	बी. शहरी परिवार :	26.80 लाख
31 मार्च, 2017 का निष्पादन		
7	31 मार्च, 2017 तक खोले गये खाते :	68.06 लाख
8	31 मार्च, 2017 तक जारी रुपये कार्ड :	49.35 लाख
9	31 मार्च, 2017 को खातों में शेष राशि:	1353.85 करोड़
10	पीएमजेडीवाई के तहत ई-केवाईसी के तहत खोले गए खाते	12,34,141

5. वित्तीय साक्षरता:

हम अपने 26 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं। हमने कॉमिक पुस्तकों के साथ ही साथ पोस्टर तथा अन्य पठन सामग्री का प्रकाशन किया है।

इस क्षेत्र में हमारे बैंक ने 01 जनवरी, 2015 को एक अनोखी पहल आरम्भ की है और इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमन (ISMW) के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वित्तीय साक्षरता पर 60 कैम्पों का आयोजन किया है। इन कैम्पों में 80% महिलाओं के साथ, करीब 15000 प्रतिभागियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान कर प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत लिंकेज, लाभ और पात्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इन कैम्पों में हमने, प्रधान मंत्री जन धन योजना के बारे में निम्न जानकारीयों प्रदान की :

- 1) रुपये कार्ड का प्रयोग और लाभ
- 2) आधार कार्ड लिंकेज और लाभ

- 3) प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत बीमा का लिंकेज
- 4) ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- 5) बचत, उधार और उच्च लागत वाले ऋणों पर जानकारीयों
- 6) मोबाइल बैंकिंग और तकनीक का प्रयोग

प्रत्येक कैम्प में करीब 250 से 300 महिलाओं ने भाग लिया तथा प्रत्येक कैम्प की अवधि लगभग 4 घंटे की थी। सहभागिता और प्रशिक्षणों में जिन साधनों और उपायों को शामिल किया गया था उनमें वीडियो, फिल्मस, नाटक, पोस्टर, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आदि थे और इनका संचालन इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमन के प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया गया था। प्रतिभागियों को कुछ हैंडबुक भी प्रदान किये गये थे।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

बैंक ने देश के उन 14 जिलों में 14 आरसेटी की स्थापना की है, जहां अग्रणी बैंक के रूप में हमारे ज़िम्मेदारी है। वर्तमान में निम्न स्थानों पर बैंक के आरसेटी कार्यरत हैं:

- आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी - उत्तर प्रदेश
- खगरिया, समस्तीपुर - बिहार
- सीता, सीधी, सिंगरौली - मध्य प्रदेश
- एर्णाकुलम, इडुक्की - केरल
- आरसेटी की स्थापना का उद्देश्य, स्व रोजगार आरंभ करने के लिए ग्रामीण युवकों को मुक्त भोजन और आवास की सुविधा के साथ अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- हमारे आरसेटी में मार्च 2017 तक 53,113 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 30,338 लोगों ने अपना कार्य स्थापित कर लिया है, इस प्रकार स्थापन दर 57.12% है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकलन के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान हमारे 14 आरसेटी में से 11 आरसेटी को 'ए' ग्रेड तथा 3 आरसेटी को 'एबी' ग्रेड मिला है।

स्वयं सहायता समूह:

- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त की योजना, गरीब को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में अर्थक्षम बनाने का प्रभावी साधन है। वर्ष के दौरान 85302 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋणों से लिंक किया गया है। मार्च, 2017 को स्वयं सहायता समूहों को दिये गए ऋणों में बकाया राशि ₹2227.00 करोड़ थी।
- महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन और उन्हें वित्त प्रदान करने में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा देश के 4 जिलों-सीता, सीधी, चंदौली तथा जौनपुर में महिला सशक्तीकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह योजना लागू की जा रही है।
- देश के 250 चिन्हित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लाभ के

लिए, बैंक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ब्याज अनुदान योजना लागू की जा रही है।

6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):

- पीएमएमवाई के तहत हमारा बैंक ग्रामीण, शहरी व महानगरीय क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों को वित्त प्रदान करता है जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में है।
- पीएम मुद्रा योजना विभिन्न नए व वर्तमान उद्यमियों को बैंकिंग चैनल से ऋण लाभ लेने का अवसर प्रदान करता है। इससे ऋण हेतु बैंक का ग्राहक आधार बढ़ जाता है।

31.03.2017 तक मुद्रा ऋण की स्थिति

(राशि करोड़ में)

ऋण की श्रेणी	स्वीकृत वितरित		संवितरित	
	खाते	राशि	खाते	राशि
शिशु	53227	185.76	53227	167.63
किशोर	86890	1796.85	86890	1622.92
तृण	11662	884.50	11662	776.93
कुल	151779	2867.10	151779	2567.48

7. प्रधानमंत्री जन धन योजना का द्वितीय चरण

प्रधानमंत्री जन धन योजना के दूसरे चरण में निम्न कार्य शामिल हैं:

- ₹5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, पिछले 6 माह के दौरान बचत/अग्रिम में संतोषजनक निष्पादन होने पर।
- सूक्ष्म-बीमा
बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 तक 8415 खातों में ₹195.73 लाख का ओवरड्राफ्ट वितरित किया गया। पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत, बैंक एटीएम व एसएमएस चैनलों के माध्यम से भी ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। बैंक द्वारा निम्न तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से, गरीबों और सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए सूक्ष्म बीमा और पेंशन प्रदान की जाएगी:
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): यह योजना 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए, बहुत कम प्रीमियम ₹12.00 प्रतिवर्ष पर ₹2.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर करती है।
- प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई): यह योजना प्राकृतिक या दुर्घटना से मौत की जोखिम के लिए ₹ 2.00 लाख का बीमा कवर करता है। इसमें वार्षिक प्रीमियम ₹330.00 होगी। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई): यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को निर्धारित पेंशन प्रदान करती है, जो अंशदान की राशि और अवधि के आधार पर होती है।

31 मार्च, 2017 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति:

योजना का नाम	पुरुष ग्राहक	महिला ग्राहक	कुल नामांकन
अटल पेंशन योजना	120839	58179	179018
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना	754886	460802	1215688
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	1635656	373355	2009011
कुल	2511381	892336	3403717

स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत निष्पादन यथा 31.03.2017:

क्रम संख्या	संवर्ग	05.04.2016 से 31.03.2017 तक संचयी स्थिति		
		स्वीकृत		संवितरित
		खातों की संख्या	राशि	राशि
1	अनुसूचित जाति (केवल पुरुष)	41	635.93	544.29
2	अनुसूचित जनजाति (केवल पुरुष)	9	100.00	89.24
3	महिला उद्यमी	510	10152.27	8659.58
	जिसमें			
6	अल्पसंख्यक	81	1158.43	955.85
	कुल	560	10888.20	9293.11

8. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) / एल.पी.जी. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के क्षेत्र में हमारे बैंक की उपस्थिति 113 जिलों में है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत भारत सरकार ने 43 विभिन्न योजनाओं को आरंभ किया है और सरकार से प्राप्त निधियों को, अनुदान/लाभों के रूप में, सीधे हितग्राही के खाते में जमा किया जाता है।

इस योजना के तहत 31 मार्च, 2017 तक संवितरण निम्नानुसार है:

अवधि	यूनियन बैंक शाखाओं से आरम्भ संव्यवहार				अन्य बैंकों से प्राप्त जमा	
	प्रायोजक बैंक के रूप में प्राप्त कुल रिकार्ड	राशि लाख में (₹)	सफल रिकार्ड	राशि लाख में (₹)	गंतव्य बैंक के रूप में प्राप्त रिकार्ड	राशि लाख में (₹)
वित्त वर्ष 2014-15	18133	387.38	15106	307.36	4331948	16230.15
वित्त वर्ष 2015-16	36839	1547.82	15208	552.12	22035238	53330.33
अप्रैल 16 - दिस 16	22882	252.94	17296	200.92	26468899	57648.68
मार्च 2017	10610	357.81	8748	323.75	2691383	12481.28
कुल	88,464	2,545.95	56,358	1,384.15	5,55,27,468	1,39,690.44

प्रायोजक बैंक: प्रायोजक बैंक के रूप में हमें सरकारी विभागों से राशि के साथ उन हितग्राहियों की सूची मिलती है, जिनके खातों में रकम जमा करनी होती है। इन सूचियों को एनपीसीआई सर्वर पर अपलोड किया जाता है, जहां से डेस्टिनेशन बैंकों में हितग्राहियों के खातों में जमा करने के लिए बैंक-वार विभाजित हो जाता है।

डेस्टिनेशन बैंक: डेस्टिनेशन बैंक के रूप में, बैंक को एनपीसीआई से राशि के साथ उन हितग्राहियों की सूची मिलती है, जिनके खातों में राशि जमा किए जाने हैं।

कमीशन: डीबीटी/डीबीटीएल के तहत किए गए संव्यवहारों के लिए हमारे बैंक को अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 के दौरान आय/कमीशन के रूप में ₹250.49 लाख अर्जित किया है। फरवरी और मार्च 2017 के रिकार्ड के लिए डीबीटीएल पर कमीशन अभी तक नहीं मिला है।

9. आईआईबीएफ प्रमाणन और बैंक मित्रों की क्षमता निर्माण:

भारतीय बैंक संघ ने अपने पत्र क्रमांक: एसबी/सीबीसी/1141 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के द्वारा सभी बैंकों को आईआईबीएफ प्रशिक्षण द्वारा बैंक मित्रों के प्रशिक्षित व प्रमाणन का निर्देश दिया है। प्रशिक्षित व प्रमाणित बैंक मित्र व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए अधिक विश्वसनीय होंगे। आईआईबीएफ द्वारा 31 मार्च, 2017 तक कुल 4,295 बैंक मित्र आईआईबीएफ से प्रमाणित हो चुके हैं, जो कुल बैंक मित्रों का 79% है।

बैंक ने मेसर्स क्रुक्स मनेजमेंट सर्विसेस के माध्यम से 1008 बैंक मित्रों को प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया है। एफआईएफ के तहत नाबार्ड के द्वारा 60% व्ययों की प्रतिपूर्ति की जानी है, शेष 40% बैंक द्वारा वहन किया जाएगा जिसके लिए अनुमोदन ले लिया गया है। एफआईएफ के तहत नाबार्ड से 1008 बैंक मित्रों के क्षमता संवर्धन के लिए किए गए व्ययों के लिए विभाग से ₹57.99 लाख का नुमोदन मिल गया है, जिसमें से ₹27.22 लाख प्राप्त हो चुके हैं।

10. आधार सीडिंग की स्थिति:

31.03.2017 तक आधार सीडिंग की प्रगति स्थिति इस प्रकार है:

यथास्थिति	सक्रिय खातों की संख्या	आधार अंकित खातों की संख्या	आधार अंकित खातों का %	मोबाइल अंकित खातों की संख्या	मोबाइल अंकित खातों का %
	(1)	(2)		(3)	(4)
मार्च, 2017	3,48,73,908	1,91,52,679	54.91	2,40,01,155	68.87

तथापि, पीएमजेडीवाई खातों में आधार अंकन की स्थिति इस प्रकार है:

बैंक	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	आधार अंकित खाते	आधार अंकन का %
यूनियन बैंक	6806286	4453290	65.43%

मोबाइल आधार वेन का उदघाटन



(बैंक के कॉर्पोरेट बैंक मित्र, मेसर्स वक्रांगी लिमिटेड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों/शारीरिक रूप से विकलांग जनों हेतु बैंक द्वारा तुरंत आधार कार्ड नामांकन के लिए, अपने तरह के अनोखे पहल के तहत मोबाइल आधार वेन का उदघाटन के अवसर श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. इस अवसर पर श्री सुमनेश जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक, यूआईडीएआई, मेसर्स वक्रांगी लिमिटेड के सीएमडी श्री दिनेश नंदवाना, सीएमडी, मेसर्स वक्रांगी लिमिटेड के सीईओ श्री राजीव रंजन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गण श्री पी सी पानीग्राही (एफआई) तथा श्रीमती मोनिका कालिया(सीसीडी) उपस्थित थे।

वर्ष -2016-17 के दौरान नई पहल:

1. एटीएम व एसएमएस के माध्यम से ओवरड्राफ्ट का स्वचालन.
2. एटीएम के माध्यम से पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट की हमारी निर्बाध प्रक्रिया, 24 घंटे में.
3. वित्तीय साक्षरता पहल: बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिये, 14 अग्रणी जिलों के साथ ही साथ केरल राज्य के कुछ गैर- अग्रणी जिलों में कुल 30 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गये हैं. मार्च 2017 तक इन केंद्रों में 1,15,856 लोगों को परामर्श दिया गया है. 36,229 लोगों के खाते खोलकर उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गईं और उन्हें बैंकिंग से जोड़ा गया है.
4. नियमित अंतरालों में हमारी ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले केंद्रों के अलावा, बैंक ने वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से, विशेषकर केरल और उत्तर प्रदेश में डिजिटल बैंकिंग जागरूकता पर कई केंद्रों का आयोजन किया है.
5. नाबार्ड ने अपने पत्र क्रमांक एफआईडी-49(डी)/2015-16 दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के द्वारा आईएसडब्ल्यूएम के सहयोग से बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के लीड जिलों में बृहत पैमाने पर जागरूकता शिविरों के आयोजन को मंजूरी दे दी है. इसके लिए उल्लेखित राज्यों में सीएसआर गतिविधियों के तहत एफआईएफ (वित्तीय समावेशन फंड) के अंतर्गत नाबार्ड ने ₹ 17.40 लाख की वित्तीय सहायता 116 जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए स्वीकृत की है.
6. उचित प्रशिक्षण और आईआईबीएफ से प्रमाणन प्रक्रिया के द्वारा सभी बैंक मित्रों के क्षमता में विकास.
7. एस्करो तंत्र के माध्यम से बैंक मित्रों को पारिश्रमिक का वितरण.
8. डीएफएस और आईबीए के दिशा निर्देशों के अनुसार अक्टूबर, 2015 से बीसी मॉडल के लिए संशोधित पारिश्रमिक संरचना का कार्यान्वयन.
9. क्षेत्रों में खुले कुल 5407 माइक्रो एटीएम ईपीएस व रुपये आधारित लेन-देन के लिए सक्षम. हमने क्षेत्र के बैंक मित्रों को 100% माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाया है.
10. बैंक मित्रों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए डैशबोर्ड विकसित किया गया जिससे दूरस्थ ग्राहकों को भी निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित हो सकें.
11. हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नाबार्ड के एफआईएफ समिति की सलाहकारी मण्डल के सदस्य हैं.
12. कनेक्टिविटी की समस्या के समाधान हेतु डार्क एवं ग्रे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित वीसेट लगाने के लिए नाबार्ड ने ₹9.20 करोड़ का सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया है.
13. प्रमुख बैंकों द्वारा परिवारों को कवर करने, खातों की सक्रियता और रुपये काडर्स, आधार और मोबाइल नंबरों का अंकन आदि के मामलों में, हमारे बैंक का स्थान प्रमुख है.

बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में सदैव अग्रणी रहा है. इसी दिशा में हमारे बैंक ने वर्ष 2006 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की है. बैंक की प्रमुख सीएसआर गतिविधियां इसी

ट्रस्ट के माध्यम से की जाती है. इसके ट्रस्टी बोर्ड का नेतृत्व, उपाध्यक्ष के रूप में कार्यपालक निदेशकों के साथ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं, अन्य ट्रस्टियों में बैंक के महा प्रबंधकगण व एक स्वतंत्र ट्रस्टी होता है. बोर्ड द्वारा बैंक के प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश प्रदान कर तिमाही समीक्षा करता है. इन दिशा निर्देशों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है.

सामाजिक उत्थान एवं वंचित वर्गों के जीवन की दिशा में सुधार की पहल का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है:

सृजनात्मक अध्ययन:

यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अहमदाबाद के 4 विद्यालयों और वाराणसी के 1 विद्यालय में 4 वर्षों के लिए 'प्रज्ञाप्लस' सृजनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है.



सामुदायिक कल्याण:

बैंक ने अपने मोबाइल वें के माध्यम से उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में किफित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर 23 ग्रामों के 12000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है. इस परियोजना के आरंभ से कुल 61768 लोगों ने क्लीनिक का लाभ उठाया और वित्त वर्ष 2016-17 में 18726 लोगों ने इसका लाभ उठाया है. यह योजना वर्ष 2014 से चलाई जा रही है.



स्वच्छता:

यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए गत वर्षों में देश भर के 273 विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण के लिए ₹5.00 करोड़ अनुमोदित किया है। अब इनका निर्माण कार्य अंतिम स्तर पर है और कुछ का निर्माण पूरा हो चुका है, जिन्हें फोटोग्राफ में देखा जा सकता है।



कौशल विकास - पेरा मेडिक्स लेब:

भुवनेश्वर में पेरा मेडिक्स लेब की स्थापना के लिए सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कोफ ₹100.00 लाख की सहायता दी गई है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को, लेब में नर्सिंग और ओटी सहायक का कार्य करने हेतु इसमें मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा



शारीरिक अक्षमता को सहायता - विशेष बच्चों की सहायता के लिए यूबीएसएफटी ने एडीएपीटी की चेंबूर, मुंबई केम्पस को दो एलेवेटरों की स्थापना के लिए दान दिया है :



सरकारी बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय, रायपुर को आडिओमीटर साउंड प्रूफ उपकरणों के साथ एक स्कूल वेन दान किया गया, जिससे विद्यार्थियों को स्कूल लाया और ले जाया जा सके।



यूबीएसएफटी ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एनिमल रिस्क्यू वेन का दान किया। इस वेन का प्रयोग, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत तिनसुकिया, आसाम को बीमार जंगली जानवरों के बचाव के लिए किया जाएगा।

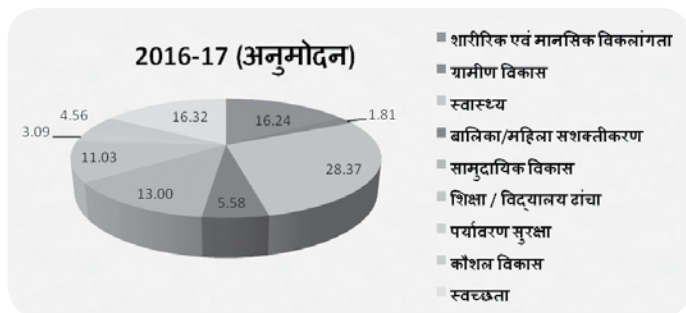


ग्रामीण विकास:

ग्रामों के बालिका विद्यालयों और सामुदायिक केन्द्रों में शौचालयों में सोलर लाइट/लालटेन का निर्माण। इसके अलावा, ग्रामीण विकास के अंतर्गत निम्न परियोजनाओं का अनुमोदन दिया गया है:

1. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं झारखंड राज्यों में वित्तीय साक्षारता के 120 जागरूकता कैंपों के आयोजन के लिए परियोजना.
2. वरवत्ति ग्राम, बिदर जिला, कर्नाटका में आदिवासी बालिकाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण.
3. 4 वर्षों की अवधि के दौरान अहमदाबाद में 4 विद्यालयों और वाराणसी में 1 विद्यालय में 'प्रज्ञाप्लस' नाम से विशेष कौशल विकास के लिए ₹195.00 लाख का अनुमोदन दिया गया है, जिससे 2500 से अधिक बच्चों को लाभ होगा.

सीएसआर के लिए क्षेत्रवार अनुमोदन:



सीएसआर में अंशदान के लिए प्राप्त अवार्ड:

यूबीएसएफटी को वर्ष 2016-17 में निम्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है

- सीएनबीसी टीवी - 18 द्वारा Advancing Financial Inclusion by channelling CSR fund in the financial aid - PSU sector.



वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त अन्य पुरस्कार और सराहना

- वित्तीय समावेशन के लिए 2016 स्कॉच प्लेटिनम पुरस्कार.
- बड़े आकार के बैंक संवर्ग में वर्ष 2016 में सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन और तकनीक के लिए आईबीए पुरस्कार.

- यूनिन बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2016 के लिए मानव संसाधन में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड. यह पुरस्कार यूनिन बैंक ऑफ इंडिया को लगातार 3 वर्षों से मिला रहा है. यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है.
- राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए, यूनिन बैंक को वर्ष 2014-15 में, भाषिक क्षेत्र 'ख' में भारतीय रिजर्व बैंक के राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया. बैंक की गृह पत्रिका यूनिन धारा और हिन्दी पत्रिका यूनिन सृजन को भी वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की द्विभाषी/हिन्दी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम और सांत्वना पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार, दिनांक 24 मई 2016 को आयोजित एक समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ रघुराम राजन द्वारा प्रदान किए गए.
- बड़े बैंकों के संवर्ग में, रुपये (बीमा एवं ई-कामर्स) के लिए यूनिन बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय उत्कृष्ट भुगतान अवार्ड 2016. एनपीसीआई द्वारा मुंबई में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री एन.एस.विश्वनाथन द्वारा प्रदान किया गया था.

यूनिन बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय उत्कृष्ट भुगतान अवार्ड

मुंबई - मार्च 8, 2017: बड़े बैंकों के संवर्ग में, रुपये (बीमा एवं ई-कामर्स) के लिए यूनिन बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय उत्कृष्ट भुगतान अवार्ड 2016. एनपीसीआई द्वारा मुंबई में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री एन.एस.विश्वनाथन द्वारा प्रदान किया गया था.



उक्त फोटोग्राफ में एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री ए.पी. होता, श्री आर. कंदासामी, महाप्रबंधक (डीआईटी) यूनिन बैंक ऑफ इंडिया, श्री एन.एस. विश्वनाथन, उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री प्रवीण शर्मा, डिजिटल बैंकिंग-प्रभारी, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया, शिर एम.बालचन्द्रन, अध्यक्ष, एनपीसीआई, श्री मंगेश माहाले, उप महाप्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया तथा श्री अनिल आर्य, सहायक महाप्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया.

अन्य सामाजिक गतिविधियां:

यूनिवन फाउंडेशन द्वारा दिवाली मेले का आयोजन

मुंबई: यूनिवन की स्थापना समाज में 'अच्छे कार्य के लिए एक जुट' के उद्देश्य से की गई है। यूनिवन फाउंडेशन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालकों की पत्नियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है और यह जरूरतमंदों और गरीबों के उत्थान से संबंधित सामाजिक कार्यक्रमों के संचालन में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। दीवाली मेले का उदघाटन सुप्रसिद्ध फेशन डिजाइनर, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री शाइना एन.सी. द्वारा किया गया था। इस मेले में शिल्पकला, खाद्य सामग्री, घरेलू सामान, ड्रेस सामग्री आदि के कुल 106 स्टाल लगाए गए थे। सभी स्टाफ सदस्यों ने इन मेले में सक्रिय रूप से भाग लेकर इसे सफल बनाया था।



(फोटोग्राफ में सुप्रसिद्ध फेशन डिजाइनर, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री शाइना एन.सी., श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनिवन फाउंडेशन द्वारा आयोजित दिवाली मेले का उदघाटन करते हुए। इस अवसर पर श्री विनोद कथूरिया, श्री आर.के.वर्मा, श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशकगण, श्री अतुल कुमार, सी.वी.ओ. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनिवन फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती नम्रता तिवारी, एवं उपाध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा और श्रीमती शोभा कथूरिया भी उपस्थित थे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 98वां स्थापना दिवस आयोजन



(एनसीपीए, मुंबई में आयोजित 98वां स्थापना दिवस समारोह में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी, कार्यपालक निदेशकगण श्री विनोद कथूरिया, श्री आर.के.वर्मा, श्री अतुल गोयल हैं, उनके साथ में लाइफटाइम आचीवमेंट के लिए पुरस्कृत लोग दिख रहे हैं।)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल बैंकिंग जागरूकता अभियान का आयोजन

08 दिसंबर, 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई के नाना नानी पार्क, चौपाटी में, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल बैंकिंग जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था। वरिष्ठ नागरिकों में डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उन्हें यूनियन बैंक के कई डिजिटल एप्लीकेशंस जैसे डिजिपर्स, यूमोबाइल, तथा यूपीआई आदि की जानकारी दी गई।



(यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नाना नानी पार्क, चौपाटी, मुंबई में आयोजित डिजिटल बैंकिंग अभियान में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकगण फोटो में दिखाई दे रहे हैं।

ट्रीमरन-स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मेराथान-2017 में

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टीम



मुंबई में दिनांक 15 जनवरी, 2017 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा आयोजित ट्रीमरन - स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मेराथोन 2017 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कोर्पोरेट टीम ने भाग लिया। सर्वोच्च कार्यपालकों के साथ यूनियन बैंक की टीम ने इस आयोजन में भाग लिया था, इस सामाजिक उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल थे।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मेराथोन में भाग लेते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी की अगुवाई में सर्वोच्च कार्यपालकों के साथ यूनियन बैंक की टीम उक्त फोटो में दिख रही है।

सिद्धांत 9 - ग्राहक केंद्रीकरण

बैंक बीसीएसबीआई द्वारा निर्देशित मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करता है तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, अपनी सारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता रखता है तथा ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली अपनाता है। इस मद में बैंक के कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं:-

विश्वस्तरीय ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना:

ग्राहक शिकायतों को प्रभावी और समय पर निवारण तथा ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख एजेंसी, ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की स्थापना की गई है।

ग्राहक सेवा केन्द्र की संरचना:

बैंक में ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है:

1. आवेदनों पर त्वरित, विश्वसनीय और बिना किसी अवरोध के प्रतिक्रिया हेतु।
2. निवेदनों और शिकायतों के मूल कारणों का समाधान - बैंक को लगातार प्राप्त होने वाले आवेदनों और शिकायतों की संख्या को कम करने के लिए उन्नत प्रक्रिया अपनाना।
3. ग्राहक के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचनाएं जनरेट करना।

प्रोजेक्ट उत्कर्ष:

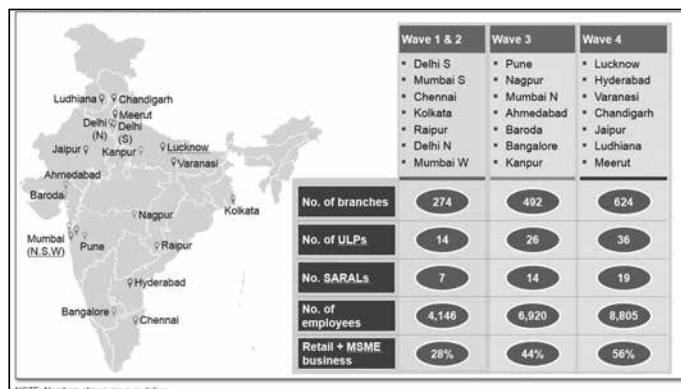
हमारे बैंक ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष के ध्वज तले कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन की एक नयी यात्रा आरंभ की है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष ग्राहक अनुभव बढ़ाकर, बेहतर प्रक्रिया दक्षता और कर्मचारी उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर बैंक की आकांक्षाओं को प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाएगा।

इन उद्देश्यों को बैंक द्वारा निम्न 6 महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से हासिल किया जायेगा:

1. **यूनियन एक्सपीरियंस:** खुदरा शाखाओं के ऑपरेटिंग मॉडल व संगठनात्मक ढांचे को दुस्त बनाना।
2. **यूनियन लोन पॉइंट:** इस रूप में विशिष्ट खुदरा ऋण प्रसंस्करण व अधिग्रहण इकाई बनाना।
3. **सरल:** अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र एमएसएमई प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना।
4. **व्यापार विश्लेषिकी केंद्र:** डेटा व क्रॉस सेल में सुधार के लिए एनालिटिक्स शक्ति का उपयोग।
5. **डिजिटल चैनल:** मल्टी चैनल (यथा एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल) के निष्पादन व रिटर्न को अधिकतम करना;
6. **साझा सेवा केंद्र,** सक्सेशन प्लानिंग, कर्मचारी संवर्धन और इंगेजमेंट कार्यक्रमों जैसे प्रमुख पहलों के माध्यम से मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी प्रक्रियाओं में सुधार।

प्रोजेक्ट उत्कर्ष पूरे भारत के 21 क्षेत्रों में पहुंच गया है और इसमें खुदरा और एमएसएमई का 56% कारोबार, 624 यूनियन एक्सपीरियंस शाखाएं तथा 8000 से अधिक कर्मचारियों को कवर कर लिया गया है। इसमें यूएलपी की अच्छी संख्या, खुदरा ऋणों के लिए केंद्रीयकृत हब (74 में से 36) तथा एमएसएमई ऋणों के लिए केंद्रीयकृत हब (20 में से 19) को शामिल कर लिया गया है।

उत्कर्ष 21 क्षेत्रों में लागू हो गया है और इसने खुदरा एवं एमएसएमई के 56% कारोबार को कवर कर लिया है



ग्राहक-सेवा में उत्कृष्टता लाने के लिए अन्य पहल:

1. कॉल-सेंटर, एटीएम तथा अन्य वैकल्पिक चैनलों को व्यवस्थित करना: बैंक के एटीएम न केवल नकदी प्रदान करते हैं बल्कि हाल ही में प्रेषण के 3 उत्पादों को एटीएम के साथ आरम्भ किया गया है। एटीएम के माध्यम से म्युचुअल फंड में निवेश, आयकर भुगतान तथा मोबाइल टॉप-अप जैसे अन्य उत्पाद की सुविधा भी है। इस प्रकार ये अधिकतम सेवा सुविधा का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम हैं। इसीलिये इन्हें संपूर्ण एटीएम का नाम दिया गया है। आज बैंक के 6883 एटीएम हैं जिनमें से 1685 बोलते एटीएम हैं जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
2. गैर-ग्राहक संबंधी देयता गतिविधियों का नेशनल प्रोसेसिंग सेंटरों पर केंद्रीयकरण।
3. यूनियन डिजिटल: ₹500 और ₹1000 के पुराने बैंक नोटों के विमुद्रीकरण के बाद सक्रियता से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर जनता को शिक्षित करने और उनके बीच विभिन्न डिजिटल संव्यवहारों को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल बैंकिंग जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से डिजिटल बैंकिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक ने अग्रणी जिलों में ग्रामों को अंगीकृत किया है। बैंक ने इन ग्रामों को डिजिटल ग्राम बनाने के लिए अपने अंचलीय कार्यालयों की मदद से 18 जिलों के 60 ग्रामों को अंगीकृत किया है, जिन्हें “डिजी गांव” का नाम दिया गया है, इन ग्रामों में भुगतान के डिजिटल चैनलों तथा व्यापारियों को संव्यवहार लेने, जागरूकता बढ़ाने, ग्राहकों/व्यापारियों को शिक्षित करने और प्रत्येक ग्राम में कैंपों के आयोजन किए जा रहे हैं। चूंकि ग्रामीण जनता और अर्थव्यवस्था में बैंक की उपस्थिति और प्रयास उपयोगी रहे हैं और इसके लिए व्यापारी या ग्राहक पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है, उपयोगकर्ताओं द्वारा इसकी बहुत प्रशंसा की गई है और प्रिंट मीडिया/टीवी चैनलों पर से प्रसारित खबरों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अन्य मुख्य बैंकों से अलग पहचान दिलाई है।
4. **पीओएस में नकद:** विमुद्रीकरण के दौरान, ग्राहकों को नकद आहरण की सुविधा के लिए हमने अपनी शाखाओं में 360 पीओएस मशीनें लगाकर शाखा में एक अतिरिक्त चैनल उपलब्ध करवाया था।
5. शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक ग्राहकोन्मुख बनाने के लिये बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है, जो ग्राहकों की उन शिकायतों के निस्तारण संबंधी कार्यवाही करते हैं जो 30 दिनों तक लंबित रह जाती हैं। इसके अलावा वे मामले भी देखते हैं, जिनमें बैंक के निर्णय से ग्राहक संतुष्ट नहीं होते हैं।

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars (In Percentage, %)	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37	7.60
2	Interest Expenses/AWF	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21	5.53
3	Interest Spread/AWF	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34	2.16	2.07
4	Non-Interest Income/AWF	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94	1.16
5	Operating Expenses/AWF	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70	1.62	1.50
6	Cost Income Ratio	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34	52.10	46.42
7	Gross (Operating) Profit/AWF	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49	1.73
8	Return on Net Worth	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84	2.86
9	Return on Terminal Assets	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33	0.12
10	Return on Average Assets	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35	0.13
11	Yield on Advances	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63	8.72
12	Cost of Deposits	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7.00	6.28
13	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95	0.00
14	Credit - Deposit Ratio	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69	81.45
15	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91	87.82
16	Capital Adequacy Ratio (Basel II)	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	11.89	10.74	11.14	12.91
	Tier I	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23	8.13	7.60	8.23	9.35
	Tier II	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22	3.76	3.14	2.91	3.56
17	Capital Adequacy Ratio (Basel III)	-	-	-	-	-	-	10.80	10.22	10.56	11.79
	Tier I	-	-	-	-	-	-	7.54	7.50	8.14	9.02
	Tier II	-	-	-	-	-	-	3.26	2.72	2.42	2.77

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017
1	Employees (Number)	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806	35514	35473	36877
2	Branches (Number)	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871	4081	4200	4282
3	Business per Employee (₹ in Crore) *	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46	15.51	16.43
4	Gross Profit per Employee (₹ in Lacs)	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40	16.13	20.15
5	Net Profit per Employee (₹ in Lacs)	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02	3.81	1.51
6	Business per branch (₹ in Crore) *	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80	130.96	141.50
7	Gross Profit per branch (₹ in Crore)	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36	1.74
8	Net Profit per branch (₹ in Crore)	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32	0.13
9	Earnings per Share (in Rupees)	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42	8.08
10	Book Value per Share (in Rupees)	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51	277.76

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fornightly average of total assets
Average Deposits	:	Fornightly average of total deposits
Average Advances	:	Fornightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fornightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets)
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity share capital
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity share capital

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Fifteenth** Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Union Bank of India will be held on **Friday, 23rd June, 2017 at 11:30 A.M.** at **Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** to transact the following:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2017**, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To raise Capital through FPO/Rights/QIP/Preferential allotment etc.

To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) as amended from time to time consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “**the Board**” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to

create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto **₹ 4,950 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred and Fifty Crore Only)** (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity share capital of **₹ 687.44 crore (Rupees Six Hundred Eighty Seven Crore and Forty Four Lac Only)** will be within **₹ 3,000 Crore (Rupees Three Thousand Crore Only)**, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than **51%** of the paid-up Equity Share Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutional Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, ICDR Regulations, Listing Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such

manner and where necessary, in consultation with the Lead Managers and /or Underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be

completed within 12 months from the date of passing of this resolution.

- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects paripassu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of equity shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval

of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares/securities are to be allotted, number of equity shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : 8th May, 2017

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business agenda no. 2 of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed in the Annual Report.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Central Office of the Bank addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021**, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at **5.00 p.m. on Saturday, 17th June, 2017** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Central Office of the Bank at the address given above, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Saturday, 17th June, 2017.**

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Report, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote by using e-voting facility available at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders/ Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The Attendance Slip-Cum-Entry Pass is to be surrendered at the time of entry to the venue of the AGM.

5. LODGEMENTS FOR TRANSFERS

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) for affecting the transfer.

6. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 17th June, 2017 to Friday, 23rd June, 2017** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

7. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's RTA or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days

from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2008-09 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2009-10, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: www.unionbankofindia.co.in/Unclaimed_Dividend.aspx. Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

8. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's RTA at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.,

Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai – 400 093.

c) The format for providing Bank details is annexed to the Annual Report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

- d) Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.
- e) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

9. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – M/s Datamatics Financial Services Ltd., immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

10. CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

11. COPIES OF ANNUAL REPORT

Please note that copies of the Annual Report 2016-17 in physical form shall be dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their Email IDs with the Bank and in soft copy by Email to those shareholders who have registered their Email IDs with the Bank/DP. The Annual Report shall also be hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the AGM and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

12. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Friday, 16th June, 2017**, shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

13. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the AGM so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the AGM.

14. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

The Shareholders who are holding shares in physical mode are requested to convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

15. E-VOTING

- I. Pursuant to provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide to shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services.
- II. The facility for voting shall also be made available at the venue of the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

- IV. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM (“remote e-voting”) and Voting at the Venue will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL)**.
- V. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 20th June, 2017 (9:00 am) and ends on Thursday, 22nd June, 2017 (5:00 pm)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Friday, 16th June, 2017** may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- VI. The process and the manner for remote e-voting are as under:
 - A. In case a shareholder receives an Email from NSDL [for shareholders whose Email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)] :
 - (i) Open Email and open PDF file viz. **“remote e-voting.pdf”** with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.

Note: Shareholders already registered with NSDL for e-voting will not receive the PDF file viz. “remote e-voting.pdf”. Such shareholders shall use their existing password.
 - (ii) Launch internet browser by typing the following URL: **<https://www.evoting.nsdl.com/>**
 - (iii) Click on “Shareholder - Login”
 - (iv) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
 - (v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. ***It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.***
 - (vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
 - (vii) Select “EVEN” of “**Union Bank of India**”.
 - (viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
 - (ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
 - (x) Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
 - (xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 - (xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to **evoting@nsdl.co.in**.
 - B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of AGM (for shareholders whose Email IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requested physical copy) :
 - (i) Initial password is provided in the Attendance Slip cum Entry Pass for the AGM :
 - (ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.
- VII. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no.: **1800-222-990**.
- VIII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- IX. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s) related to e-voting process.
- X. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the **cut-off date i.e. Friday, 16th June, 2017**, may obtain the login ID and password by sending a request specifically mentioning their Folio No./ DP ID & Client ID at – **evoting@nsdl.co.in** **or** **investorservices@unionbankofindia.com** **or** **ubiinvestors@dfssl.com**

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. In case you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User Details/Password” option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

- XI. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.
- XII. M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co. (SNACO), Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting at the venue and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XIII. The Chairman shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are present at the AGM but have not cast their vote by availing the remote e-voting facility.
- XIV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, but not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer’s report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the Bank.

16. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of result. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT

The Basel III regulations require that the banks should maintain a minimum common equity tier 1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.875% in the form of Equity Share Capital, Tier 1 ratio (including CCB) of 8.875% and overall CRAR (including CCB) of 10.875% by March 31, 2018.

With the increasing capital requirements on account of increasing requirement of capital conservation buffer of 0.625% every year (till FY 2019), future expansion & growth of the Bank and consequent capital charge, the Bank is required to raise capital for complying the Basel III requirement, growth of the Bank as well as further strengthening the capital adequacy.

Based on the estimated growth your Directors have decided to raise Equity Share Capital up to ₹ **4,950 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred and Fifty Crore Only)** including capital infusion from the Government of India. The Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Bank has shareholders approval in the AGM held on June 27, 2016 for raising Equity Share Capital up to ₹ **3,200 crore (Rupees Three Thousand and Two Hundred Crore Only)** through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations, which is valid up to June 26, 2017. In March, 2017 the Bank received capital infusion of ₹ **541 crore (Rupees Five Hundred and Forty One Crore Only)** from the Government of India in form of share application money pending allotment. However on account of unfavorable market conditions, raising of Equity Share Capital by other modes were not considered by the Bank. Keeping in view of future requirements, it has been planned to raise Equity Share Capital up to ₹ **4,950 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred and Fifty Crore Only)** as indicated above.

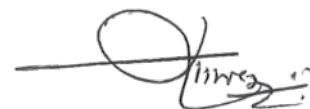
The special resolution seeks to give the Board powers to issue equity shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices and to such of the investors as mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Banker(s), Lead Manager(s), Advisor(s) and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by the way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would , pursuant to Chapter VIII of the

- SEBI (ICDR) Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorized committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 81 (1A) and other applicable provisions, if any of the act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required;
 - iii. The issue and allotment of the fully paid shares be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above resolution;
 - iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with Advisor(s), Lead Manager(s) and Underwriter(s) and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements;
 - v. The total amount raised in such manner, including the overallotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;
 - vi. The securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) regulations;
 - vii. The equity shares allotted shall rank paripassu in all respect with the existing equity shares of the Bank including dividend.
- Your Directors recommend passing of the Resolutions as mentioned in the notice for this agenda.
- None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : 8th May, 2017

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors is pleased to present the 98th Annual Report of the Bank for the Financial Year 2016-17 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2016-17.

1 Highlights

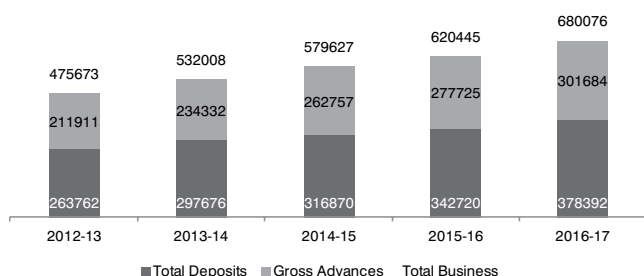
1.1 Your Bank has emerged as a front runner in the on-going Digital India initiatives with two-third of transactions routing through digital channels. During the year, the Bank primarily focused on providing technology driven services to optimize its customer service and enhance product quality. For this, several internal processes were digitalized during the financial year 2016-17. The Bank consistently focused on delivering financial services to various sections of the society with greater ease and efficiency. The challenging banking environment intensified with the onset of demonetization, however your Bank exhibited agility during the entire period and stood up to expectations of the stakeholders.

1.2 The regulatory landscape during the year evolved to impact banking in multiple ways. These included new framework on benchmark lending rate, new monetary policy framework, insolvency and bankruptcy code, phased reduction in statutory liquidity ratios etc. There was also positive impetus from various policy announcements by the Government. Your Bank showed resilience amidst challenging global & domestic macroeconomic environment by continuing to invest in organizational capacity building in order to remain ready to seize future opportunities in emerging India.

2 Business

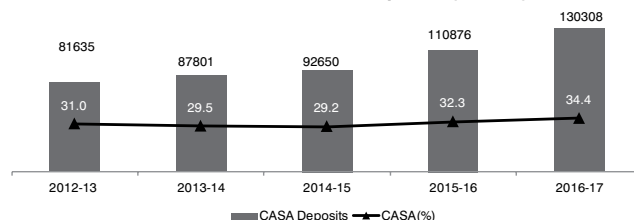
2.1 Total global business of the Bank increased to ₹ 6,80,076 crore as on March 31, 2017 from ₹ 6,20,445 crore as on March 31, 2016, reflecting an annual growth of 9.6 per cent.

Exhibit 1: Business performance of the bank (₹ crore)



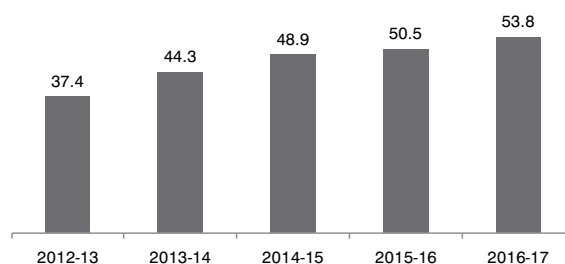
2.2 Total deposits surged to ₹ 3,78,392 crore as on March 31, 2017 from ₹3,42,720 crore as on March 31, 2016 noting a growth of 10.4 per cent on Y-o-Y basis. CASA (current account & savings account) share in total deposit stood at 34.4 per cent as on March 31, 2017 showing improvement of 210 bps over 32.3 per cent a year ago.

Exhibit 2: Movement of CASA deposits (₹ crore)



2.3 Gross advances stood at ₹ 3,01,684 crore as on March 31, 2017 compared to ₹ 2,77,725 crore as on March 31, 2016 recording an annual growth of 8.6 per cent. The Bank continued to focus on capital light RAM (Retail, Agriculture & MSME) sectors which contributed more than two-third of incremental credit growth during the year. RAM sector as a whole grew at an annual rate of 15.2 per cent leading to domestic advances growth rate of 8.2 per cent in comparison to 4.3 per cent a year ago.

Exhibit 3: RAM share in total advances(%)



2.4 Overseas business of the Bank stood at ₹ 36,062 crore as on March 31, 2017 compared to ₹ 32,706 crore as on March 31, 2016. Your Bank has four overseas branches at Hong Kong, DIFC (Dubai), Antwerp (Belgium) & Sydney (Australia).

3 Income and Expenditure

Table 1: Income and Expenditure Statement (₹ crore)

Sl. No.	Parameter	FY 2016-17	FY 2015-16	Annual Growth	
				Absolute	(%)
1	Interest Earned	32660	32199	461	1.4
2	Other Income	4965	3632	1333	36.7
3	Total Income(1+2)	37625	35831	1794	5.0
4	Interest Expended	23757	23886	-129	-0.5

Table 1: Income and Expenditure Statement (₹ crore)					
Sl. No.	Parameter	FY 2016-17	FY 2015-16	Annual Growth	
				Absolute	(%)
5	Net Interest Income(1-4)	8903	8313	590	7.1
6	Operating Expenses	6438	6224	214	3.4
	w/w Establishment Expenses	3434	3620	-186	-5.1
7	Total Expenditure(4+6)	30195	30108	86	0.3
8	Operating Profit (3-7)	7430	5722	1708	29.8
9	Provisions	6874	4291	2583	60.2
10	Net Profit	555.21	1352	-796	-58.9
11	Earnings per Share (₹)	8.1	20.4	-12.3	-60.4

3.1 In the challenging environment of excess fund flows and lack of credit demand, Bank's profit margins remained constrained. Net interest income of the Bank grew to ₹ 8,903 crore in FY 2016-17 from ₹ 8,313 crore in FY 2015-16 with an increase of 7.1 per cent on Y-o-Y basis. Other Income grew by 36.7 per cent to ₹ 4,965 crore in FY 2016-17.

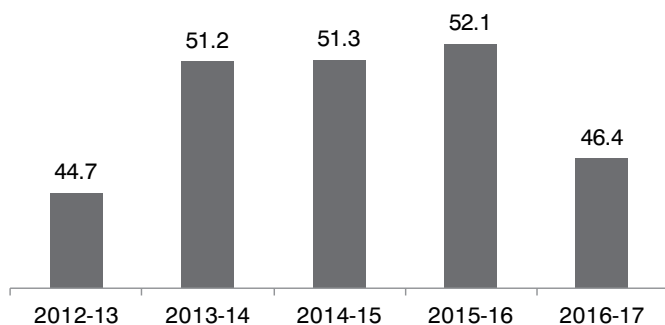
4 Profitability and Efficiency

4.1 Despite the headwinds of demonetization, the Bank reported operating profit of ₹ 7,430 crore in FY 2016-17 with an increase of 29.8 per cent over ₹ 5,722 crore in FY 2015-16.

4.2 Net profit of the Bank stood at ₹ 555.21 crore in FY 2016-17 compared to ₹ 1,352 crore in FY 2015-16. Owing to various restructuring norms in place, provisioning during FY 2016-17 was at ₹ 6,874 crore compared to ₹ 4,291 crore during FY 2015-16 showing increase of 49.3 per cent.

4.3 Cost-to-Income ratio of your Bank improved to 46.4 per cent in FY 2016-17 compared to 52.1 per cent in FY 2015-16 on account of increase in other income of the Bank and containing operating expenditure.

Exhibit 4: Cost to Income Ratio (%)



4.4 During FY 2016-17, Return on Average Assets stood at 0.13 per cent, whereas Return on Equity stood at 2.91 per cent.

Table 2: Efficiency Ratios

Parameter (%)	FY 2016-17	FY 2015-16
Return on Average Assets	0.13	0.35
Return on Equity	2.91	6.84

4.5 The following are the key productivity ratios of the Bank for FY 2016-17:

Table 3: Productivity Ratios

Parameter	FY 2016-17	FY 2015-16
Average Business per Employee (₹ crore)	16.4	15.5
Average Business per Branch (₹ crore)	141.5	131.0
Gross Profit per Employee (₹ lakh)	20.2	16.1
Net Profit per Employee (₹ lakh)	1.5	3.8
Net Profit per Branch (₹ lakh)	13.0	32.2

5 Dividend

Considering need for augmenting capital adequacy ratio in line with transition arrangement under Basel-III, the Board of Directors has decided not to declare dividends during FY 2016-17 and instead plough back entire profit to reserves.

6 Shareholders' Return

6.1 The Bank's net worth stood at ₹ 19,094 crore as on March 31, 2017 compared to ₹ 19,764 crore as on March 31, 2016. Net worth decreased primarily due to increase in deferred tax assets (DTA). Book value per share stood at ₹ 277.7 for March 2017 and the Earnings per share stood at ₹ 8.08.

Exhibit 5: movement of book value per share (₹)

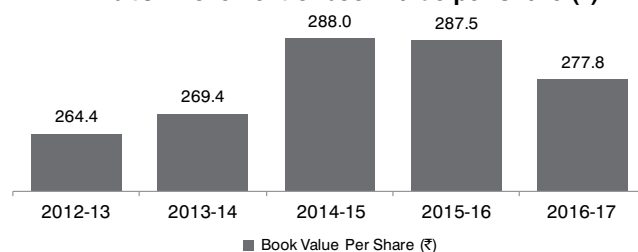
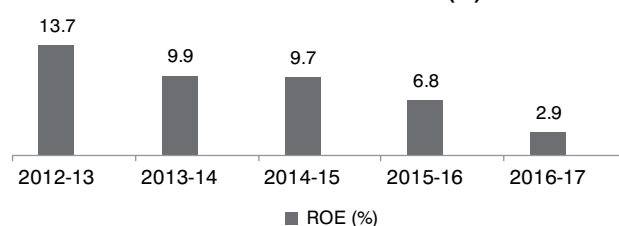


Exhibit 6: Movement of ROE(%)



7 Asset Quality

7.1 Gross Non-Performing Assets (GNPA) of the Bank stood at ₹ 33,712 crore as on March 31, 2017 compared to ₹ 24,171 crore as on March 31, 2016. GNPA as per cent to total advances increased to 11.17 per cent in March 2017 compared to 8.70 per cent as on March 31, 2016.

7.2 Net NPA of the Bank remained at ₹ 18,833 crore as on March 31, 2017 compared to ₹ 14,026 crore as on March 31, 2016.

Exhibit 7: Gross NPA amount (₹ crore) & GNPA(%)

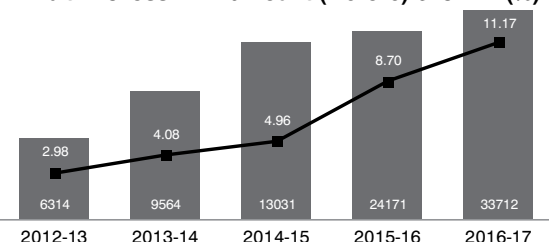
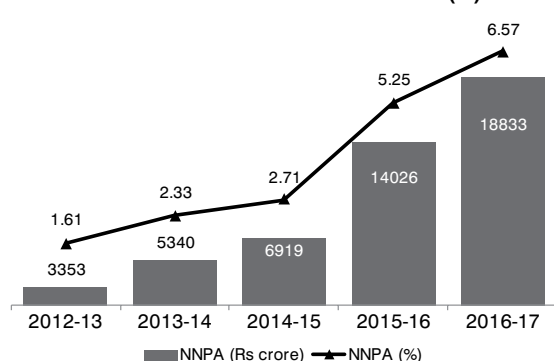


Exhibit 8: Net NPA amount and NNPA(%)



8 Capital Adequacy Ratio

8.1. The Capital Adequacy Ratio as per Basel III norms stood at 11.79 per cent as on March 31, 2017. Common Equity Tier I (CET I) capital of the Bank stood at 7.71 per cent in March 2017 which is about 100 basis points higher than the regulatory minimum.

Table 4: Capital Adequacy Ratios - Basel III (₹ crore)

Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2017	March 31, 2017	March 31, 2016
Total Risk Weighted Assets	NA	291204	273791
Total Capital Funds		34334	28932
CET1 Capital		22463	21768
Tier 1 Capital		26280	22296
CRAR (%)	10.25	11.79	10.56
CET 1(%)	6.75	7.71	7.95
Tier 1(%)	8.25	9.02	8.14
Tier 2(%)	NA	2.77	2.42

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (capital conservation buffer) of 1.25 per cent in CRAR, CET I and Tier I ratios. There is no minimum for Tier II ratio.

8.2 **Capital raised during FY 2016-17:** During the FY 2016-17, your Bank raised ₹ 5250 crore through issuance of Basel III compliant Additional Tier I & Tier II bonds.

Table 5: Bonds raised during FY 2016-17

Bond Type	Amount (₹ crore)
Additional Tier I (AT 1)	3500
Tier II	1750
Total	5250

8.3 **Capital infusion by Government of India:** Under Indradhanush plan to revitalize capital position of the Bank, government of India infused ₹ 541 crore in your Bank during the fiscal. These funds are lying with the Bank in the form of share application money.

9 Social Media

Your Bank is gaining momentum in its social media presence. In FY 2016-17 your Bank launched twitter, facebook and Instagram pages and also YouTube channel in order to connect with its customers and other stakeholders. The Bank has derived many opportunities to advertise its new products on its social media platforms. By appropriately channelizing its social media presence, the Bank also received appreciable feedback on its twitter handle. The queries are attended on real-time basis. These type of technological outreach makes your Bank a more customer centric one.



Exhibit 9: No. of followers on Twitter

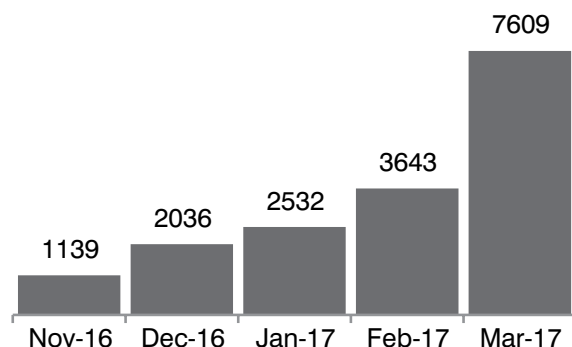
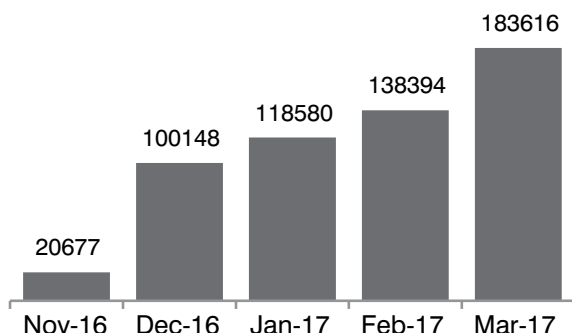




Exhibit 10: Total Page Likes on facebook



10 Network

10.1 Branch network of your Bank is widely spread across the country with 4,278 branches as on March 31, 2017. The Bank has four full fledged branches and three representative offices in foreign countries.

10.2 Number of ATMs increased to 7,518 as on March 31, 2017 compared to 6,883 as on March 31, 2016. During the year FY 2016-17, Bank opened 50 new e-lobbies, and 68 new cashless campuses at various locations in the country.

10.3 As an attempt to maximize its outreach in the country, the Bank has 5407 Business Correspondents to serve unbanked areas. During FY 2016-17, total transactions of ₹ 4892 crore were initiated through business correspondent model.

11 Awards & Accolades

11.1 During FY 2016-17, your Bank received various awards for continuous efforts to enhance its digital deepening, HR management and vigilance.

Table 6: Awards & Accolades received by The Bank during FY 2016-17

Area	Awards	Awarded by	Awarded For
Human Resources	Golden Peacock award	10 th International Conference Of Corporate Social Responsibility	Excelling in Human Resource Management
	Innovative HR practice	Times ascent	Excellent HR practices under top 50 PSU category
Corporate Social Responsibility	Bank with Best CSR practices	World CSR Congress	Contribution for the social upliftment and nation building
	CSR Leadership Award	National Association for Blind.	promoting Employment for the Physically Challenged
	Advancing Financial inclusion	CNBC TV 18	Channelizing CSR budget into financial aids
Financial Inclusion	Best Financial Inclusion Initiatives	Indian Banks' Association	Stepping one more stone in the field of technological excellence
	Skoch award for Financial Inclusion	Skoch	Merit in Financial Inclusion
MSME	Top performer in Financial Institution	FECO	MSME
Vigilance	Best Corporate Vigilance Excellence Award FY 2016-17	Institute of Public Enterprise	Initiating anti-corruption drive
Technology & Digital	National Payments Excellence Awards 2016	National Payment Corporation of India	Rupay card Issuance & e-commerce transactions

12 Director

The following changes took place in the Board of Directors of your Bank during the financial year 2016-17.

12.1 Shri S.K. Misra, Part time Non-Official Director completed his term of office on April 10, 2016.

12.2 Dr. K. Ramesha was appointed as Part-time Non Official Director w.e.f. April 25,2016 vide Govt. of India Notification No.F.No.6/29/2015-BO-I dated April 25,2016.

- 12.3 Sushri Anusuiya Sharma, Part time Non official Director completed her term of office on May 5, 2016.
- 12.4 Shri Rakesh Sethi, Executive Director attained superannuation on June 30, 2016.
- 12.5 Dr. Madhesh Kumar Mishra was appointed as Government Nominee Director, w.e.f. July 22, 2016 vide Govt. of India Notification No.F.No.6/3/2012-BO-I dated July 22, 2016 in place of Mihir Kumar.
- 12.6 Shri Raj Kamal Verma was appointed as Executive Director of the Bank, w.e.f. August 9, 2016 vide Government of India notification no. F.No.4/5(2)2015-BO.I (pt.)/CNo.76820 dated August 9, 2016.
- 12.7 Shri Atul Kumar Goel was appointed as Executive Director of the Bank, w.e.f. September 15, 2016 vide Government of India notification no. F.No.4/5(4)2016-BO.I dated September 15, 2016.
- 12.8 Shri Jag Mohan Sharma, Chartered Accountant Director resigned from the Board w.e.f. October 5, 2016.
- 12.9 While welcoming all the new Directors, the Board placed on record the valuable contribution rendered by Shri Rakesh Sethi, Shri Mihir Kumar, Shri Jag Mohan Sharma, Shri S. K. Misra and Sushri Anusuiya Sharma.

13 Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2017:

- 13.1 The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.
- 13.2 The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- 13.3 Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2017.
- 13.4 Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing Banks in India and,
- 13.5 The accounts have been prepared on going concern basis.

14 Corporate Governance

The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A

detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report. The Corporate Governance report for financial year 2016-17 has no audit qualifications.

15 Corporate Social Responsibility (CSR)

- 15.1 Your Bank has been making seamless efforts to maximize its social outreach. To further its objective of Corporate Social Responsibility, the Bank established Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT) in the year 2006 with major objective as social upliftment by way of girl child education, health care services, skill development, sanitation and aid during the natural calamities. Rural development mission under UBSFT also undertook a unique village adoption scheme "Union Adarsh Gram". This scheme has adopted 1440 villages and provided assistance for school infrastructure development and sanitation facilities.
- 15.2 UBSFT undertook the responsibility of healthcare facilities provision through Bank's mobile vans to flood affected, hilly and inaccessible areas of Uttarakhand thereby providing relief to 23 villages.
- 15.3 Your Bank approved ₹ 5 crore for construction of toilets in 273 schools all over India in previous years in line with the vision of "Swachh Bharat". Your Bank has donated more than 700 tricycles and artificial limbs to physically handicapped persons.

16. Acknowledgement

The Board places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission and other institutions for the valuable guidance and support received from them. The Board also acknowledges the unstinted support of the financial institutions, correspondent Banks, valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders. The Board also expresses its deep appreciation for the dedicated service and contribution made by members of staff in the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Dated: 8th May, 2017

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Global Economy

Global economy continued its fragile recovery driven by growth up-turns in advanced economies. The US economy posted stronger growth signals in the second half of the Calendar Year (CY) 2016 with expected fiscal stimulus and other policy reforms in the new government regime. Prevailing threats of protectionism and its adverse impact on trade and employment continued to pose downside risks to global growth. Economic activities in emerging markets were on recovery path on account of additional fiscal stimulus in China. Crude oil prices recovered from its initial low value since the OPEC (Organization of the petroleum exporting countries) decision to control excess supply. Monetary policy stance of major central banks remained growth oriented and addressed price stability concerns. On the backdrop of evolving economic and political factors and expected cyclical recovery in manufacturing activities, global growth is expected at 3.5 per cent in CY 2017 and 3.6 per cent in CY 2018 over 3.1 per cent in CY 2016.

2. Domestic Economy

2.1. Indian economy emerged as the growth driver of the emerging economies by virtue of its strong macro fundamentals. In the second half of Financial Year (FY) 2016-17, Indian economy stands par on its growth targets and inflation remains contained at its target level. Pro-active policy reform announcements by the Government led to revival in external sector and strengthened business environment. Agricultural activities marked sustainable growth during the year driven by adequate rainfall and uninterrupted credit supply. Overall industrial and services sector remained muted dragged by low investment scenario. Although Demand conditions of the economy faced short-term volatility during demonetization, it recovered gradually after economy adjusted for new cash inflows. After accounting for all the volatilities, overall growth outlook remains positive with expected growth of 7.1 per cent in FY 2016-17.

2.2. Union Budget FY 2017-18 remained balanced for all the segments of the society with greater emphasis on Technology, Energy efficiency and Cleanliness (TEC) with policy transparency and infrastructure spending being the prime agenda. Sector specific focus of the budget reveals

equitable distribution of resources and puts a step ahead on sustainable growth of the economy. Union Budget also focused on maintaining fiscal prudence and to keep the fiscal deficit at 3.2 per cent for FY 2017-18.

Table 1: Growth rates (%) of GDP and its components

	Advanced estimates of FY 2016-17	Revised estimates of FY 2015-16
Real GDP	7.1	7.9
Agriculture	4.4	0.8
Industry	5.8	8.2
w/w Manufacturing	7.7	10.6
Services	7.9	9.8

Source: CSO

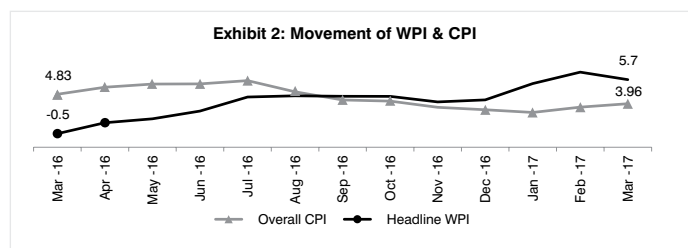
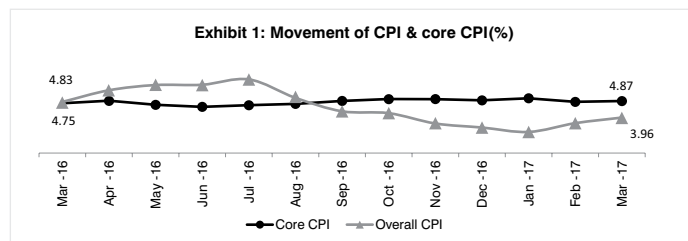
3. External Sector

3.1. Trade performance of the economy gained pace since November 2016. Improvement in export-import performance revived the external sector outlook for the economy. Current account deficit remained higher at 1.4 per cent of GDP in Q3 (Oct-Dec) FY 2016-17 compared to 0.6 per cent of GDP in the previous quarter. Foreign portfolio investment (FPI) inflows for the FY 2016-17 remained robust at ₹ 48,411 crore compared to outflow of ₹ 18,176 crore in FY 2015-16. Driven by healthy FPI inflows and growing investor confidence, Rupee surged to 64.8 per US\$ on March 31, 2017, from 66.3 per US\$ on March 31, 2016 noting appreciation of 2.3 per cent. Gradually appreciating rupee also strengthened external sector confidence of the economy.

4. Price Scenario

4.1. Price scenario of Indian economy underwent remarkable changes during FY 2016-17. Retail inflation as measured by Consumer Price Index (CPI), reached to its multi-year low of 3.6 per cent in November 2016 due to large decline in food prices. Demonetization led cash shortages weighted on consumption demand and resulted into falling of food prices, mainly vegetables. Crude oil prices were moderate in the first half of the FY 2016-17; however, OPEC agreement in August, 2016, reversed the initial low price scenario and resulted in gradual increase. Core inflation (excluding food & fuel) remained upward sticky at average 4.9 per cent in FY 2016-17.

- 4.2. Wholesale Price Index (WPI) remained on upward trajectory during FY 2016-17. After remaining in negative zone for seventeen consecutive months, WPI started to reverse its path from April 2016. Gradual upward movement of WPI since June 2016 was observed due to increasing prices of manufacturing products mainly intermediate inputs. After September 2016, Wholesale price index smoothly converged with consumer price index and then after gathered momentum to surpass the commodity price inflation.



Source: CSO

5. Stock Market performance

- 5.1. Equity markets performed well during FY 2016-17 led by various financial and political developments. S&P Sensex gained by 16.9 per cent in FY 2016-17, Nifty also improved by 18.6 per cent. Bankex climbed 32.8 per cent. Business confidence improved in the second half of FY 2016-17 on the backdrop of remarkable policy initiatives. However, slow pace of growth in manufacturing and services sector activities after demonetization hampered the market sentiments. Increase in the US treasury yields also brought volatility in the bond markets of major emerging economies. Despite strong external uncertainties viz. Brexit, protectionist policies by the US etc., Indian financial market remained mainly supported by domestic policy corrections and reform agenda brought out by the government at various points of time.

Table 2: Market Return (Y-o-Y) during FY 2015-16 and FY 2016-17

(%)		
Indices	FY 2016-17	FY 2015-16
Sensex	16.9	-9.4
Bankex	32.8	-11.9
CNX Nifty	18.6	-8.9
CNX PSU Bank	44.0	-28.2

6. Bond market scenario

- 6.1. On April 01, 2016 10 year g-sec yield was 7.4 per cent, whereas on March 31, 2017, it was down to 6.7 per cent driven by various financial and structural variations in the economy. It also traversed a higher variable path since the onset of demonetization. Excess liquidity with banking system necessarily called for higher investments in SLR securities and increased the bond prices in the markets. SLR investments by banks increased to 17.9 per cent in March 2017, compared to 5.9 per cent in March 2016.
- 6.2. As per budgetary announcement, government remains committed to adhere to its fiscal discipline targets. Net market borrowing target for FY 2017-18 was lower at ₹ 3.5 trillion in FY 2017-18 over ₹ 4.3 trillion in FY 2016-17.

7. Liquidity conditions

- 7.1. Liquidity conditions have remained comfortable with the monetary authority's regular conduct of repo and reverse repo auctions as and when needed. Since the onset of demonetization, economy faced transient challenges for liquidity adjustments; however, seamless efforts of the regulator to balance the liquidity positions have helped in regaining pace of cash flows in the system. As on March 31, 2017, net liquidity absorption stood at ₹ 3.2 lakh crore. Owing to excess flow of funds, many banks cut their MCLR rates to pass-on the liquidity surplus to its customers.
- 7.2. In its last policy action, RBI decided to narrow the policy corridor to 25 bps from 50 bps with effect from April 07, 2017. Although Repo rate remained unchanged, reverse repo rate increased to 6.0 per cent. This policy action remains in line with RBI's liquidity management system. RBI's recent change in policy stance to neutral from accommodative drives its focus on price stability

and liquidity management. Bringing the system level liquidity to near neutral continues to remain as the long-run goal of the RBI.

8. Banking Environment

- 8.1. In the midst of varying global and domestic environment, Indian banking industry faced short-term credit constraints in FY 2016-17. Despite global headwinds, Credit portfolio of the banking industry managed to grow by 5.1 per cent in FY 2016-17 whereas, aggregate deposits reached double digit figure of 11.8 per cent during FY 2016-17 owing to demonetization. Reduction in MCLR rate, gradual decrease in SLR rates, narrowed monetary policy corridor and change in monetary policy stance to neutral from accommodative, have been recognized as the vital reforms impacting the banking industry during the current and next financial year.
- 8.2. Incremental credit growth during the year was mainly led by retail & agriculture sector, though overall Credit portfolio of the banking industry remained concentrated towards industry especially infrastructure sector. With prolonged shortage of funds and weak debt servicing ratio, infrastructure loans continued to affect the balance sheets of the banks. Profitability of the banks faced downside risks due to higher adjustments for provisioning requirements. Stringent regulatory initiatives by central bank including clean-up of balance sheet under Asset Quality Review(AQR), revision in restructuring and provisioning norms, mitigation of concentration of risk by capping large borrower exposure limits at lower lever and increasing other compliance regularities, were aimed at mitigating the system level asset quality risk and revamp the asset portfolio of the banking industry.
- 8.3. Banking industry showed mixed signals of growth with gaining confidence in digital front and expanding business matrix in the reviving economic environment. Challenges in the form of capital constraints, slow repaying capacity of large industrial houses and cyber security threats are yet to be addressed appropriately to revive the growth of this sector.

Overview of performance of Union Bank of India

9. Project Utkarsh: A Transformation Initiative

- 9.1. To have superior technological prowess, customer-centric human resources and robust risk management practices your Bank came up with a paradigm transformation in its internal and external processes. This transformation was named Project Utkarsh. Initially the focus was building on existing strengths and new initiatives in following five key areas:
 - 9.1.1. Better customer experience and process efficiency through process improvements and digitization across branches, asset and liabilities processes;
 - 9.1.2. Higher customer cross-sell through smart analytics leveraging internal customer data;
 - 9.1.3. Higher liabilities and assets sales productivity across the distribution network and marketing teams;
 - 9.1.4. Better service performance, migration and sales from multi-channel including ATM, Call Centre, Mobile and Internet; and
 - 9.1.5. Stronger HR proposition across training, performance management, manpower planning, succession planning, leadership development.
- 9.2. In the first phase of Utkarsh, the focus was given on re-designing the branch model to streamline processes and increase sales, revamping Union Loan Points (ULPs) and SARAL units (centralized processing centres for retail & MSME loans respectively) to reduce Turn-around Time (TAT), programme to enhance features and customer migration for digital channels and setting up business analytics for cross—selling through multiple and targeted campaigns. During financial year 2016-17, the Project added 14 regions cumulating to 21 regions. Although branches covered under Project Utkarsh as on March 31, 2017 are only 14.6 per cent of total number of branches including ULP & SARAL they contribute to 56 per cent of the retail and MSME portfolio of the Bank.

Exhibit 3: Project Utkarsh spread across the country



	Coverage under Project Utkarsh	Coverage as percent of Bank total
No. of branches	624	14.6%
No. of ULPS	36	50.0%
No. SARALs	19	95%
No. of employees	8,805	23.9%
Retail+MSME business		56%

9.3. Utkarsh transformation has delivered significant impact across all the key metrics linked to objectives of the project. Business performance has been significantly enhanced even after considering the demonetization period (Nov-Dec 2016). Significant increase was registered in CASA productivity, new retail loans sanctioned per month improved by 32 per cent per Region since the implementation of Utkarsh transformations.

9.4. During FY 2016-17, following structural changes were implemented in the next phase of Project Utkarsh:

9.4.1. **End-to-end ownership of large corporate business:** The new operating model of large corporate vertical structure has been put in place wherein IFBs will start functioning in a revised model with the introduction of two new roles viz. 'Client Service Head' (CSH) & 'Relationship Manager' (RM) and 'Corporate Relationship Head' at Mumbai & Delhi for dedicated focus on new business generation and higher income generation through cross selling. The new structure of LC verticalisation has been successfully launched across three Industrial Finance branches in Mumbai, Delhi and Kolkata.

9.4.2. **End-to-end ownership of home loan/ mortgage business:** A new structure of home loan and mortgage loan business has been implemented to focus on generation of new retail business mainly through builder tie-up and other channels. Under this structure, role of 'City Sales Head' and 'Relationship Manager' has been introduced. The new structure has been implemented in the two pilot centres, namely, Bangalore and Pune.

9.4.3. Focused approach for increasing agri-business: A new operating model has been implemented by introduction of a new role as 'Area Manager' for key rural / semi-urban branches based on current share and potential of agriculture business to give thrust on increasing agri-business. Presently, the structure has been put in place across four pilot clusters and will be scaled up to cover 21 clusters during FY 2017-18.

9.5. **Business Analytics:** Your Bank has achieved many 'firsts' under Business Analytics initiatives. Bank has set up a specialized in-house team, built advanced models for structured campaigns, developed in-house lead management system (LMS) and created NPTB (next product to buy) menu in its centralized banking system, 'FINACLE' for leads delivery to branches. Successively, 'one view of customer' has been created by integrating data from external sources like life & health insurance, mutual funds, credit card and digital products etc. Analytics has swiftly advanced into predictive modeling for launch of multiple campaigns and identify re-pricing opportunities for maximizing profitability from existing products & services offerings of the Bank.

10. Resources Management

10.1. During fiscal 2016-17, your Bank focused on balancing growth, profitability and prudent risk management while continuing to invest in growing its customer base. Despite a challenging macroeconomic environment, the Bank has made significant progress with sustained improvements in global deposits which increased by 10.4 per cent to ₹ 3,78,392 crore as on March 31, 2017 compared to ₹ 3,42,720 crore as on March 31, 2016. Owing to the Bank's continued effort towards providing enhanced customer service coupled with demonetization effect, the domestic Savings deposits (SB) increased by 28.3 per cent. SB deposits also crossed the landmark of ₹ 1 lakh crore. The current deposit of the Bank stood at ₹ 26,236 crore as on March 31, 2017, thus taking the Current Account Saving Account (CASA) deposits to ₹ 1,30,308 crore as on March 31, 2017 compared to ₹ 1,10,876 crore as on March 31, 2016. Share of CASA deposits to total deposit increased by 210 basis points (bps) from 32.3 per cent as on March 31, 2016 to 34.4 per cent

as on March 31, 2017. Your Bank will continue this steady progress by upgrading its banking landscape with new products, new channels and new service experiences.

Table 3: Composition of Deposits (₹ crore)

Parameter	FY 2016-17	FY 2015-16	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Total Deposits	378392	342720	35672	10.4
CASA Deposits	130308	110876	19432	17.5
Savings Deposits	104072	81133	22939	28.2
Current Deposits	26236	29743	-3507	-11.7
Term Deposits	248083	231844	16239	7.0

11. Credit Management

- 11.1. During FY 2016-17, despite credit off-take remaining subdued for the banking industry your Bank registered a growth rate of 8.6 per cent in global advances portfolio. The RAM share to gross domestic advances increased to 53.8 per cent in FY 2016-17 from 50.5 per cent in FY 2015-16.

Table 4: Advances (₹ crore)

Parameter	FY 2016-17	FY 2015-16	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Gross Advances	301684	277725	23959	8.6
Retail Advances	40380	32765	7615	23.2
Agriculture Advances	44124	38819	5305	13.7
MSME Advances	61913	55524	6389	11.5
Large Corporate & Other Advances	155267	150617	4650	3.1
RAM (Retail, Agriculture & MSME) sectors	146417	127108	19309	15.2
RAM share to Domestic Advances (%)	53.8	50.5		

12. Retail

- 12.1. In view of the opportunity prevailing in the economy, your Bank maintained a robust retail loan portfolio growth. During FY 2016-17, retail loans grew by 23.2 per cent from ₹ 32,765 crore to ₹ 40,380 crore as on March 31, 2017.

Table 5: Retail Loans- Key Sub-sectors (₹ crore)

Schemes	FY 2016-17	FY 2015-16	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Home Loans	23126	21121	2005	9.5
Auto Loans	3324	2746	578	21.0
Education Loans	3020	2735	285	10.4
Mortgage Loans	2488	2091	397	18.9

- 12.2. The increase in retail loan portfolio was primarily backed by growth in home loans and secured mortgage loans. To provide an impetus to the home loan and mortgage loan business, your Bank introduced new channel to source this business through home loan & mortgage loan cell on pilot basis at Pune and Bengaluru. Further, Bank introduced new product in retail portfolio viz. Union Mortgage Plus Scheme and revamped home loan online application by providing end-to-end digitization of home loan product.

13. Agriculture

- 13.1. Agriculture advances as on March 31, 2017 stood at ₹ 44,124 crore. During FY 2016-17, total disbursement of ₹ 21,654 crore was made under special agriculture credit plan (SACP) which was 105.6 per cent of the target of ₹ 20,500 crore. During the financial year, 1.81 lakh new farmers were extended finance by the Bank and 1.95 lakh additional kisan credit cards were issued with credit facility of ₹ 3,033 crore.
- 13.2. The Bank is implementing Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana (PMFBY) for the benefit of farmers who face climatic adversities very often. All farmers including sharecroppers and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas are covered under PMFBY.
- 13.3. During the year, 56 new agri focused branches were identified, taking the total number of agri focused branches to 765. Your Bank formulated 30 area specific schemes based on the available potential for the benefit of the farmers in the respective area. 21 agri clusters for focus on agriculture lending have been formed of which 4 were functioning as of March 31, 2017. New Schemes on financing for nursery units, poultry units, drip irrigation, inland fisheries were also launched.
- 13.4. The Bank entered into tie-up arrangement with M/s Edelweiss Integrated Commodity Management Limited (EICML) for Collateral Management Services for extending finance against warehouse receipts to farmers/traders/ processors/arhiyas.

The Bank also has a tie up with NCDEX e-Markets Limited (NeML) for warehouse receipt finance over Electronic platform.

14. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

14.1. There are multiple products and schemes in your Bank to meet credit needs of MSMEs who are served through all branches including 320 dedicated business banking branches (BBBs) and 20 SARALs for speedy appraisal and sanction of MSME loans. The SARAL structure was comprehensively reviewed and revamped under the Project Utkarsh in order to enhance underwriting standards and improve turn around time.

14.2. MSME portfolio stood at ₹ 61,913 crore as on March 31, 2017 registering an annual growth of 11.5 per cent during FY 2016-17. MSE portfolio stood at ₹ 47,150 crore, as on March 31, 2017, registering a growth of 13.8 per cent and constituting 76.2 per cent of total MSME portfolio.

Schemes	FY 2016-17	FY 2015-16	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Micro enterprises	19411	15921	3490	21.9
Small enterprise	27739	25525	2214	8.7
Medium enterprise	14763	14078	685	4.9
MSME Advances	61913	55524	6389	11.5

14.3. Union Start-Up Scheme was introduced during the year to provide a bankable platform for business units identified as Start-Up under 'Start-Up India' scheme of the government under which working capital & term loans finance upto ₹ 5 crore is provided at concessional rate of interest and zero processing charges. As on March 31, 2017, the Bank has sanctioned loans of upto ₹ 109 crore to 560 Start-Up enterprises.

14.4. A new scheme, 'Union Turnover Plus' was introduced for financing of micro and small enterprises adopting digital cashless channels for their business transactions. Bank finance up to 30 per cent of digital portion and 25 per cent of balance portion on projected sales is provided for MSEs having digitized sales turnover of above 50 per cent.

14.5. During FY 2016-17, your Bank formed special scheme for financing road transport operators (RTO) for purchase of Light Commercial Vehicles

(LCV) under tie-up with various manufacturers and 28,224 LCVs aggregating to loan of ₹ 706 crore were financed.

14.6. Further, MSME schemes like Union Progress, Union Rent, Union SME Plus and Union Liquid Property were revamped during the year and made more attractive to the customers.

15. Corporate Credit

Your Bank has made judicious disbursements to investment grade projects of large corporates, thus participating in the growth opportunities in the Indian economy and its global linkages. As on March 31, 2017, the large corporate advances stood at ₹ 1,55,267 crores recording growth of 3.1 per cent on Y-o-Y basis. 8 Industrial Financial Branches (IFBs) across the country are catering exclusively the needs of large corporate clientele.

16. Priority Sectors

16.1. Lending to priority sector has been focus area of the Bank and your Bank registered an annual growth of 9.0 percent under lending to priority sector which stood at ₹ 1,11,861 crore as on March 31, 2017. Priority sector advances constituted 42.5 per cent of the adjusted net bank credit (ANBC), thus surpassing the stipulated benchmark of 40.0 per cent of ANBC under the priority sector lending guidelines.

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16	Y-o-Y (%)	% to ANBC	RBI benchmark March 2017 (%)
Priority Sector Credit	111861	102596	9.03	42.46	40
Agriculture Sector*	50758	45417	11.76	19.27	18
Small and Marginal Farmers	24142	21727	11.12	9.16	8
MSME Priority	43576	40237	8.30	-	-
Retail Priority	16787	16045	4.62	-	-
Credit to Weaker Sections	33016	28849	14.44	12.53	10
Credit to Women Beneficiaries	17635	16042	9.93	9.89	5

* Advances to agriculture sector includes outstanding under rural infrastructure development fund (RIDF) & PTC as per RBI guidelines on Priority sector lending.

16.2 Agriculture advances constituted 19.3 per cent of Adjusted Net Bank credit (ANBC) and is above the stipulated benchmark of 18.0 per cent. Bank's advances to small and marginal farmers as on March 31, 2017 stood at ₹ 24,142 crore which constituted 9.2 per cent of ANBC as against the benchmark of 8 per cent of ANBC.

16.3 Specific Lending for Social Upliftment

16.3.1 **Women Beneficiaries:** With a view to promote entrepreneurs among the women and to make them self reliant, your Bank encourages credit to women entrepreneurs. As on March 31, 2017, the Bank has financed 9.23 lakh women beneficiaries. Total outstanding loans to women beneficiaries increased from ₹ 16,042 crore as of March 2016 to ₹ 17,635 crore as on March 31, 2017 i.e. 6.7 per cent of ANBC against benchmark of 5.0 per cent set by GoI/RBI. Growth of 9.9 per cent was achieved under this category.

16.3.2 **Minority Communities:** In line with the Government of India directives on welfare of minority communities, your Bank is extending finance to the minority communities viz. Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians, Buddhists and Jains. As on March 31, 2017 the outstanding loans to minority community stood at ₹ 11,367 crore.

16.3.3 **Weaker Sections:** The Bank has been actively participating in financing for weaker sections of the society. Financing to weaker section has improved from ₹ 28,898 crore to ₹ 33,016 crore, as on March 31, 2017, registering a growth of 14.3 per cent to reach a level of 12.5 per cent of ANBC against benchmark of 10 per cent set by GoI/RBI.

16.3.4 **Self Help Groups (SHGs):** The scheme of micro credit through Self Help Groups (SHGs) is an effective instrument providing assistance to the poor by creating self employment opportunities and making them credit worthy. During the year, the Bank has formed 85,312 SHGs and credit linked 68,249 SHGs. As on March 2017, outstanding loans to SHGs stood at ₹ 2315 crore. Considering the role played by SHGs in empowerment of women, the Bank is focusing on formation and financing of women SHGs and implementing the interest subvention scheme under National Rural Livelihood Mission (NRLM) for the benefit of Women Self Help Groups in 250 identified Districts.

16.3.5 **Rural Self Employment Training Institute (RSETI):** With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth,

the Bank has established 14 RSETIs in districts where the Bank has lead bank responsibility. As on March 2017, total number of candidates trained in our RSETIs was 53,199, out of which 30,817 candidates could get gainful employment. Your bank trained 10,355 candidates during FY 2016-17 against annual action plan target of training 10320 candidates. As per assessment of the Ministry of Rural Development for FY 2016-17 out of 14 RSETIs, 11 RSETIs received "AA" grade while 3 RSETIs received "AB" grade.

16.4 **Lead Bank Scheme:** The Bank has the lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 states as given below:

Table 8: Districts under Lead Bank Scheme	
State	Districts
Bihar	Khagaria and Samastipur
Kerala	Ernakulam and Idukki
Madhya Pradesh	Rewa, Sidhi and Singrauli
Uttar Pradesh	Azamgarh, Bhadohi, Chandauli, Ghazipur Jaunpur, Mau, and Varanasi

16.5 The Bank has a network of 640 branches in these lead districts. As of March 31, 2017, the Bank's deposits in these districts increased to ₹ 39,314 crore against ₹ 34,902 crore last year registering a growth of 12.6 per cent. The advances in these Lead Districts increased to ₹ 11,241 crore against level of ₹ 11,138 crore as on March 31, 2016.

16.6 **Regional Rural Banks (RRBs):** Your Bank sponsors Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi. It has network of 444 Branches-spread over 8 districts of eastern U.P. namely, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli, Mau, Bhadohi and Ambedkar Nagar. Business of KGSGB increased to ₹ 13,106 crore with a growth of 18.2 per cent during FY 2016-17. Deposit stood at ₹ 10,116 crore with 62.5 per cent as CASA deposits. Advances stood at ₹ 2,990 crore, out of which priority sector advances contributes 79.7 per cent, and agriculture contributes 48.4 per cent. As on March 31, 2017, 43 ATMs have been installed, including a talking ATM. KGSGB has introduced ATM enabled KCC for the benefit of farmers. RTGS/NEFT service and Digital Authority Cheque system have also been introduced to facilitate faster service delivery. At present, SMS alert for regular transactions and SMS banking facility are being provided to the customers by KGSGB.

17. Financial Inclusion

17.1 Your Bank has been pioneer in 'Meaningful Financial Inclusion' to the economically underprivileged segments of the society by extending banking services at their doorsteps. Union Bank is ranked highly among peers in number of household coverage, activation of accounts & RuPay cards, seeding of aadhaar & mobile number etc. Your Bank has been discharging the planning and strategizing activities in 5,407 sub service areas (SSA) allotted by the SLBCs of various states, having coverage of 18,439 villages, as on March 31, 2017.

17.2 During FY 2016-17, the Bank's progress under financial inclusion is as under:

Table 9: Progress Under Financial Inclusion				
Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16	Growth Y-o-Y	
			Absolute	(%)
Total Accounts (No)	6806109	5821379	984730	16.9
No of PMJDY accounts opened during the year	1765330	993377	771953	77.7
Balance in PMJDY accounts (₹ lakh)	135385	85807	49578	57.8
Aadhaar Seeded Accounts (No)	4453217	1743376	2709841	-
% of Aadhaar Seeded accounts	65.43%	29.95%	-	3548 bps
PMJDY Overdraft A/cs (No)	8415	7393	1022	13.8
PMJDY Overdraft amount (₹ lacs)	195.74	158.85	36.89	23.2
Mobile Seeding-Accounts (No)	3397573	NA	-	-
% of Mobile Seeded accounts	49.92%	NA	-	-

17.3 During the year, the Bank has undertaken many initiatives for enhancing the performance under financial inclusion. Other than the allotted 5,407 SSA, the Bank is also active in other 119 non SSA. An annual increase of 25.7 per cent was registered in the total transactions through BC model during the year and 90.6 per cent of the Bank Mitras were active as on March 31, 2017.

17.4 Your Bank has maintained a seamless process for overdraft in PMJDY accounts by shifting towards automation of overdrafts through ATM & SMS. This helped the Bank in maintaining a turn around time (TAT) of 24 hours for processing overdrafts in PMJDY accounts.

17.5 As per the guidelines of DFS & IBA, your Bank implemented revised remuneration structure to BC model. The disbursement of Bank Mitra remuneration is also being made through Escrow Mechanism. Your Bank has also worked on capacity building of all Bank Mitras with adequate training & IIBF certification process. A dashboard has been developed to monitor day to day activities of Bank Mitras to ensure uninterrupted services to the last mile customers.

17.6 Your Bank has deployed 5,407 micro ATMs in the field which are capable of doing AEPS & RuPay based transactions. The Bank has provided 100 per cent coverage of Micro ATMs to field BCs.

17.7 **Progress under DBT & DBTL:** Your Bank is having presence in 593 districts for the disbursement of direct benefit transfer. During the year, Bank received ₹ 698 crore to the credit of 2,91,60,282 beneficiary accounts as destination Bank. As sponsor Bank, ₹ 525 crore were remitted involving 26,043 accounts. The Direct credit of subsidy in the accounts of 2,56,89,086 LPG beneficiaries (DBTL) was made during the year for which the Bank garnered commission of ₹ 251 crore.

17.8 **Mudra Yojana:** The Govt has set up the Mudra scheme for development and refinancing activities relating to micro units. Your Bank has sanctioned a total of ₹ 2,567 crore upto March 31, 2017, under the Pradhan Mantri's Mudra Yojana to create an environment of inclusive, sustainable and value based entrepreneurial culture by financing individuals for purchase of Light commercial vehicles (LCV), setting up small business enterprises etc.

Table 10: Performance Under MUDRA Scheme (₹ crore)			
Parameters	Disbursement		
	Target	Achievement	% Achievement
Shishu	855	168	19.6
Kishore	1545	1623	105.1
Tarun	800	777	97.1
Total	3200	2567	80.2

18 Financial Literacy Initiatives:

- 18.1 Your Bank has 30 financial literacy centres (FLCs) centers across 14 Lead Districts along with few more districts of Kerala State. A total of 4,254 village camps were organized to create awareness about financial & digital literacy and banking services amongst customers. Till March 31, 2017 a total of 1,15,856 individuals have been counseled in camps. 36,229 persons were brought to banking fold by opening their accounts and facilitating them with credit facilities.

Table 11: Progress Under Financial Literacy (numbers absolute)		
Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Financial Literacy Camps held	4118	3051
Mega Awareness Camps held	124	62
No of beneficiaries in the camps	106849	65774
No of Outreach programs	63072	62928

- 18.2 The Bank has conducted several Digital Banking Awareness Camps through our FLCCs- especially in Kerala and U.P. apart from routine camps by rural branches at regular intervals.

19 International Banking

- 19.1 To ensure transparency as well as accountability in reporting standards, your Bank has implemented Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS). The system has been modified suitably to capture required data to be reported under FATCA / CRS.
- 19.2 The export credit stood at ₹ 10,047 crore as on March 31, 2017 compared to ₹9,507 crore as on March 31, 2016. The Bank's NRI deposits stood at ₹18,222 crore as on March 31, 2017 compared to ₹19,535 crore as on March 31, 2016. During this period, FCNR funds mobilised under Swap Window of RBI in 2013 matured. During FY 2016-17, your Bank added one more branch as Authorized Dealing (AD) branch viz. Udaipur Main (Udaipur) as authorized Dealing (AD) aggregating the no. of such branches to 93.
- 19.3 Bank has played an extensive role in exploring the global financial market and mobilizing the potential resources. The Bank is already having its presence at Hong Kong, Dubai International Financial Centre (DIFC), Antwerp (Belgium) and

Sydney (Australia) in addition to one Subsidiary in U.K. and three representative offices in Abu Dhabi (UAE), Beijing and Shanghai (both in China).

20 Overseas Business

- 20.1 The total business of the Bank increased by 12.5 per cent from overseas operations over the year to US\$ 5,575 million as on March 31, 2017.

Table 12: Overseas Operations (Amount in US \$ million)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Overseas Deposits	1020	1001	19	1.9
Overseas Advances	4555	3953	602	15.2
Total Overseas Business	5575	4954	621	12.5

21 Treasury Operations

- 21.1 The treasury division handles domestic treasury operations, forex operations, fixed income, derivatives products, equity and other alternate asset classes. Treasury is equipped with a state-of-the-art dealing room with all facilities to extend all types of treasury services to its clients spread across the country and keep pace with latest developments in the markets. A basket of financial products are offered to the Bank's clients like forwards, options, interest rate swaps and currency swaps facilitated by advanced technology platforms.
- 21.2 The investment portfolio comprises investments made in Government securities, state development loans and other approved securities for maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and non-SLR investments like equity shares, corporate debentures, PSU bonds, commercial papers, certificate of deposits, mutual funds, venture capital funds, subsidiaries and joint ventures, security receipts etc.
- 21.3 The Bank effectively utilized the softening interest rate scenario in the FY 2016-17 to book profit from debt securities to add to the bottom line of the Bank. The equity desk of the treasury actively churned its portfolio and also participated in the IPOs and booked profits at regular intervals. During the financial year 2016-17, treasury realized 'Profit on Sale of Investment' of ₹ 2,056 crore as against ₹ 914 crore for financial year 2015-16, registering an annual increase of 125 per cent.

21.4 The Bank offers customized solutions using products viz Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps, Interest Rate Futures, Forwards and Options to meet the Interest Rate and Foreign Exchange risk mitigation requirements of the corporate clients. The proprietary trading desk was active in encashing the available arbitrage and booking trading gains. During FY 2016-17, the exchange earnings was ₹ 687 crore compared to ₹ 691 crore for FY 2015-16. The total non-interest income earned from domestic treasury operation for FY 2016-17 was ₹ 2,743 crore, the same was ₹ 1,604 crore for previous year, an increase of 70.97 per cent over previous year.

22 Wealth Management Services

22.1 As value added services, Bank has been helping its customer to fulfill their financial, Investment & Protection needs by distribution of various products like Life, Non-Life, Health Insurance and Mutual Funds through our pan-India branch network. During FY 2016-17, your Bank earned ₹ 78 crore fee based income through distribution of products compared to ₹ 55 crore in FY 2015-16, registering annual growth of 41.5 per cent.

22.2 **Life insurance:** Your Bank offers life insurance products of its joint venture company, Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. During FY 2016-17, Bank has earned commission of ₹ 59 crore from Life Insurance business. Bank has also launched new products of SUD Life Insurance viz. New Aashiana Suraksha – Group Credit life insurance (home and mortgage loan customers) Adarsh – traditional life insurance product for savings & protection, Guaranteed Pension Plan for senior citizens & Aashirwaad -child benefit policy during the FY 2016-17.

22.3 **General Insurance:** The non-life insurance products of New India Assurance Company Ltd. under retail & commercial segments generated an income of ₹ 6 crore during the year.

22.4 **Health Insurance:** The health insurance products of Union Bank of India in collaboration with Religare Health Insurance & New India Assurance has generated an income of ₹ 4 crore for the Bank, during the year.

22.5 **Mutual Fund:** In order to fulfill the growing needs of its' customers for new Investment avenues, Bank is distributing Mutual Fund Products of its wholly owned subsidiary viz. Union Asset Management Co. Pvt. Ltd. During the year, Bank

generated ₹ 8 crore of Income from the mutual fund business.

23 Asset Quality Management

23.1 Despite challenging environment, your Bank made a cash recovery of ₹1388 crore in addition to upgradation of accounts to the tune of ₹ 1,051 crore. Total reduction during FY 2016-17 was more than double of reductions in FY 2015-16. During all four quarters of the year, fresh slippages were lower than immediately preceding quarter. Control over slippages and better reduction was possible through continuous efforts and well designed strategy for NPA management.

Table 13: Movement of NPA (₹ crore)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Gross NPAs (Opening)	24171	13031
Additions	13244	12953
Less, Reductions	3703	1812
(I) Upgradation	1051	178
(II) Recoveries	1388	844
(III) Write-off	1264	790
Gross NPAs (Closing)	33712	24171
Net NPAs		
- Opening	14026	6919
- Closing	18832	14026

23.2 In the dynamic macroeconomic setting prevailing throughout FY 2016-17, your Bank took a proactive stance to withstand the pressure on the asset quality and was able to curtail the slippages and maintain the asset quality. During the FY 2016-17 total slippages of ₹ 13,244 crore were noted. Bank has strengthened their recovery drives and made gross cash recoveries of ₹ 1951 crore in FY 2016-17 as compared to ₹1,123 crore in FY 2015-16. Also the upgradations made during FY 2016-17 improved to ₹ 1,051 crore as against upgradations of ₹ 178 crore made during FY 2015-16, however, the deteriorating asset quality and slippages remain to be the major issues to the Bank.

23.3 The Bank has set up the "Difficult Asset Resolution Team" (DART) at Central Office level for monitoring/resolution of NPA accounts above ₹ 50 crore and "Terminal Asset Recovery Division" (TART) at asset recovery branch Mumbai for resolution and recovery in big ticket NPA accounts

above ₹ 20 crore. Bank has also formulated a Special Settlement Scheme 2017 which is a non-discretionary and non-discriminatory scheme to empower the branches for quick settlement of NPA accounts upto ₹ 25 lakh. NPA recovery of ₹ 305 crore was made during FY 2016-17. Further, Bank is taking steps to create soft collections set up process for retail and small ticket size loans/ other loans by on-boarding outsourced agency for tele-calling.

- 23.4 Under the SARFAESI Act, your Bank issued notices to 3,713 customers involving amount of ₹ 2,653 crore and was able to recover ₹ 838 crore. During FY 2016-17, of the 8,223 cumulative cases transferred to Debt Recovery Tribunals, decision on 6,256 cases was provided thereby making a recovery of ₹ 3,068 crore. Your Bank made recovery of ₹ 182 crore under one time settlement schemes (OTS) and ₹ 305 crore under special settlement schemes (SSS) during FY 2016-17.

24 Delivery Channels

- 24.1 Your Bank has a well spread network of delivery channels across India. It offers a choice of channels which is inclusive of traditional branch network and ATMs as well as mobile banking, internet banking, mobile wallet and 24x7 call centers and is making an attempt towards continuous revamping of the spread of the delivery channels by launching new products like Green Pin solutions, Union Connect, U Control, Bharat QR, etc.
- 24.2 During the year 82 domestic branches were added of which 20 branches were opened in unbanked centers. Also more than 60 per cent of the branches opened, were in rural and semi urban areas.
- 24.3 With an objective of conserving energy and reducing the operating costs, Bank has switched 245 of its branches and their adjacent ATMs to solar power supply. Given below is the area wise distribution of the branch network:

Particulars	Rural	Semi-Urban	Urban	Metro	Overseas	Total
No of Branches	1243	1280	848	907	4	4282
Branches (%)	29	29.9	19.8	21.2	0.1	100

- 24.4 635 ATMs were added during the year thus

increasing the ATM network to 7,518 as on March 31, 2017. The ratio of ATM to branches improved to 1.76 during the year, which is one of the best in Industry. Your Bank is well equipped with advanced solutions like Cash Recycler Machines, Bunch Note Acceptors, Single Note acceptors, Cheque Deposit Machines, semi automatic pass book printers, etc in its branches. During the year, your Bank has opened 50 new e lobbies where the customers are provided with automated banking solutions which are open 24x7 for the ease of customers.

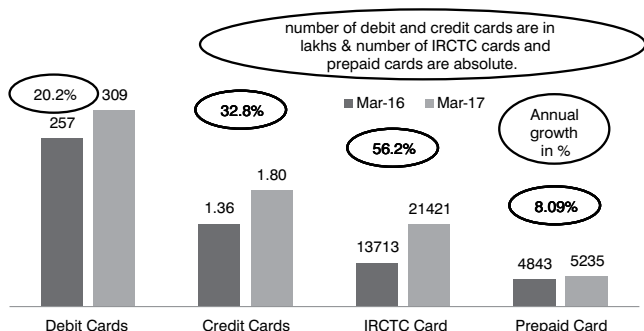
Table 15: ATMs and e-lobbies (units absolute)

Channels	FY 2016-17	FY 2015-16
ATMs	7518	6883
w/w Cash Recycler Machines & Bunch Note Acceptors	805	121
w/w Single Note acceptors	625	608
e-lobby	151	101
Cheque Deposit Machines	370	66
Semi Automatic Pass Book Printers	1258	845

- 24.5 **Cashless India:** Under the flagship programme of Government of India, Union Bank of India proactively decided to promote various digital transactions among public at large by delivery and spreading digital banking awareness, especially post demonetization of ₹ 500 and ₹ 1000 bank notes. To spread digital banking awareness in rural area in an effective manner, your Bank adopted villages in each lead district. The “Union DigiGaon” initiative was undertaken in 60 villages of 14 districts by providing Bank’s digital channels of payment and merchants acquiring transactions, spreading awareness, educating customers/ merchants and conducting camps at each village. Bank is also actively educating the customer base at metro & urban branches and changing their preferences towards alternate channels.

- 24.6 **Payment system:** During the year, your Bank has introduced a series of remittance products along with registering impressive growth in the existing payment system products.

Exhibit 4: Growth of remittance products during FY 2016-17



24.7 **Green PIN Solution for Debit Cards** – Your Bank launched ‘Green initiative’ and other value added services under the ‘Digital and Paperless India’ programme during FY 2016-17. The Green Pin solution offers an effortless and hassle free Pin generation by the debit card holder at any Union Bank ATM. Cardholder can generate new Pin and change his existing Pin through this solution.

24.8 Your Bank launched a new variant ‘**Visa Platinum Debit Card**’ during FY 2016-17 for premium customers with enhanced daily spending limit of ₹ 1 lakh. Classic Debit Card for **HUF & Partnership Accounts** has been launched with an aim to serve those HUF and partnership accounts maintaining an average quarterly balance below ₹ 1 lakh, thus expanding our reach to the customers.

24.9 Your Bank launched **U Control** a new mobile based application for credit card customers to disable/enable their credit card transaction for any specific channel. Besides this, customer can also block the card and set his spending limit within the sanctioned limit.

24.10 During demonetization, your Bank installed 360 ‘cash at POS’ devices at the branches to serve customer for cash withdrawal. An annual increase of 87.7 per cent was registered in the number of POS terminals. As on March 31, 2017 your Bank had 51,891 POS terminals catering to a transaction volume of 5,31,68,307.

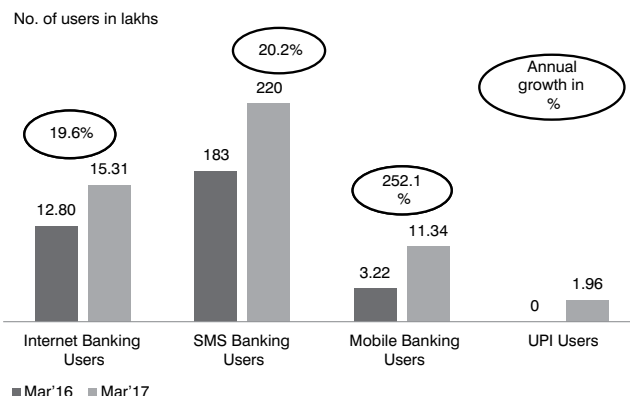
24.11 **Digital Payment Channels:** Technology continues to be a strong pillar in the Bank’s initiatives towards enhancing the banking experience of its customers. In line with this trend your Bank has rolled out various initiatives leveraging mobility, digitization and innovations in payments technology. During FY 2016-17, your

Bank launched a quick response code like 2D barcode, to provide easy access to information through a smart phone which is made available through Bharat QR. This code is allotted to a merchant by the acquirer bank and it contains the details of the merchant to whom the code is being allotted. As such, merchant can accept payment by QR code through scan & pay application available in consumer’s Smartphone.

24.12 Through the newly launched UPI (Unified Payment Interface), customer can send/receive money 24X7 using a smart phone with a single identifier i.e. Aadhaar Number, Account Number with IFSC code or Virtual Payment Address without sharing bank account information.

24.13 In line with the growth in electronic transactions, your Bank was consistent in achieving increase in the customer base under alternate channels as show below.

Exhibit 5: Growth of electronic transactions during FY 2016-17



25 Transaction Banking:

25.1 **Currency Chest:** Your Bank has endeavored to increase the number of clients for cash depositing/ paying/sorting services which is expected to boost the non interest income of the Bank. At present, the Bank has 67 Currency Chests. Bank has completed the exercise of providing Note Sorting Machines to 1226 branches. Your Bank has also installed 50 Coin Vending Machines (CVMs) in various branches across the country.

25.2 **Cash Management Services (CMS):** Through cash management services, the Bank caters to specific needs of corporates and government departments for their receivables & payables. CMS collections & payments system is highly efficient & cost effective and the service is being

utilized by many corporates to bring efficiency in their business. The CMS division currently caters to around 400 corporates & government departments through various CMS products and garnered a total income of ₹ 52 crore during FY 2016-17. CMS Payments Hub & CMS Branches carried out an average of 8 lakh payments worth ₹ 900 crore per month including salary payments of Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya and BSNL, scholarship & welfare payments of government departments, apart from regular payments of corporates. The virtual account services for catering inward NEFT/RTGS for Lions Club international, Delhi Development Authority (DDA), Himalaya Drug Company, Haj Committee of India, etc. has added valuable CASA to the Bank. Your Bank has proactively utilized NPCI's National Automated Clearing House (NACH) services as part of CMS collections & payments as a sponsor bank as well as a destination bank.

25.3 **Merchant Banking:** Your Bank will continue to act as a payment banker for the customers for dividends / interest payments and redemption of bonds etc. 'Application Supported by Blocked Amounts' (ASBA) for equity is already made available. The Bank will continue to strive towards mobilizing the De-Mat accounts and increasing the client base in this segment.

26 Information Technology

26.1 From opening bank accounts to transferring money anywhere, the Bank's technology empower customers to fulfill their banking needs, without stepping out of their homes or offices. Information Technology vertical of your Bank lays roadmap to ensure timely, personalized and error free delivery of all services to the best satisfaction of customers. Your Bank continues to be in the forefront of technological innovation and convenience in banking with its cutting edge technology and dynamic workforce. In tandem with Government's initiative on digital transactions and less cash economy, mobile applications, internet banking, e-commerce, support for debit/ credit card based transactions and aadhaar enabled payment applications are upgraded for better customer experience, reliability and rich functionality.

26.2 **Paperless banking:** Your Bank's core guiding principle is continuous re-engineering of its business operations to ensure seamless customer

experiences. E-KYC solution being used by the bank has enabled paperless KYC verification, Jeevan Praman for Senior citizen to dispense the need of physical document verification along with enhanced security, authenticity and credibility & digitization of processes. Measures have been taken for digitization of business process and boosting administrative efficiency like extension of centralized account opening under Document Management System, digitization of loan proposal.

26.3 **Next Gen Payments:** Being the front runner in the technology driven payments system, banking Infrastructure and ATM switch are upgraded to latest version that supports required APIs for digital payment eco-system in FY 2016-17. Mobile banking has been enriched with launched of Unified Payment Interface (UPI), fund transfer to loan account, enablement of bill payment feature in mobile banking and Aadhaar enabled merchant payments.

26.4 **Green India:** Being a front runner in Green India mission, your bank has launched Green pin solution to regenerate ATM pin. Mobile passbook (mPassbook) has replaced the traditional passbook and given convenience of availability of digital passbook. The bank has also having E-learning module on cloud environment.

26.5 **Tailor made products:** To provide 24x7 services, online opening of account through internet and mobile, feature rich internet banking, intersol transaction and standing instruction facility for accounts, Sukhyana Smridhi Yojna, self user creation without debit card etc through internet banking has been introduced.

26.6 **Uninterrupted Banking experiences:** As part of Business Continuity Planning & Disaster Recovery Management strategy, your Bank has successfully completed live switch-over and switch-back drills for critical applications, thus enhancing Bank's readiness in responding to emergency situations.

26.7 **Governance:** Your bank has achieved ISO 27001:2013 and ISO 22301:2012 certification for data center and disaster recovery site. The certifications stand testimony to our compliance with international best practices. Your Bank is one of the earliest adopter of Business Continuity Management System (BCMS) certification i.e. ISO 22301:2012 among the BFSI sector in India.

26.8 **Alternate MPLS connectivity:** The Bank has started commissioning alternate Multi protocol Label Switching (MPLS) to provide seamless connectivity to branches enabling them to provide best customer experiences.

26.9 **Information Technology Risk:** Your Bank has implemented information security policy and cyber security policy, which are in line with guidelines of the RBI and GOI. Information security policy (ISP) ensures that information and information systems are protected from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction in order to provide confidentiality, integrity, and availability. As per cyber security policy, cyber crisis management plan (CCMP) has been established to address the cyber security risk.

26.10 Your Bank has implemented multi layered security architecture to protect Bank's critical business assets. Bank has put in place 24x7x365 dedicated security operations centre (SOC) for monitoring and protection of Bank network and critical assets.

26.11 Your Bank has implemented ISO 27001:2013 information security management system (ISMS) framework for data centre and disaster recovery site to achieve effective information security governance. Bank has implemented ISO 22301:2012 business continuity management system (BCMS) framework for its critical assets/applications to ensure smooth functioning of business process. BCMS certification also ensures the protection of organization before, during and after disruptions.

26.12 Bank conducts regular information security awareness programs for employees, third party vendors, contactors and the customers also.

27 Risk Management

27.1 Your Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. The Bank constantly endeavors to ensure that business function partners with the risk management function to enhance shareholder value and ensure judicious use of available capital.

27.2 Risk Management is a Board driven function in the bank with the Supervisory Committee of Board on Risk Management and ALM (SCR &

ALM) at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The Board of Directors of the Bank approves the risk strategy and risk policies. The SCR & ALM supervises implementation of the risk strategy and policies, reviews the level and direction of risk, prudential ceilings, portfolio diversification and monitors the risk reporting. The risk strategy and policies are effectively communicated to all branches and offices of the Bank.

27.3 Your Bank addresses credit, market and operational risk through appropriate policies, organization structure, risk management techniques, adequate systems, procedures, monitoring and reporting mechanisms. It has a well defined risk appetite statement and the independent risk function ensures that the Bank operates within its risk appetite.

27.4 **Credit Risk Management:** Credit Risk Management Committee (CRMC) oversees the credit risk function in the Bank. It has strong credit appraisal and risk assessment practices in place for identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures. Credit risk management policies, credit approval committee, prudential exposures limits, risk rating system, risk based pricing, RAROC framework and portfolio management are the various instruments for management of credit risk. Credit risk team is also involved with credit rating and capital computation.

27.5 Your Bank monitors portfolio concentrations by borrower, groups, sectors, retail schemes, industry, geography, etc and constantly strives to improve credit quality and maintain a risk profile that is diverse in terms of borrowers, products, industry types and geography.

27.6 **Credit Rating and Approval:** Credit portfolio of the Bank is subject to internal credit rating/scoring. It has comprehensive internal rating models and scoring models for retail products. For Corporate exposures there are separate models for credit risk assessment for different exposure segments. A Centralized rating pool is also set up at Central Office to improve the rating quality, create a robust rating database and for better administration of rating models. Centralized rating pool is involved in validation and finalization of credit rating of the corporate borrowers which

- is initiated at the branch level. Credit ratings of the Bank are subject to comprehensive rating validation frame-work. For the retail portfolio bank uses a scorecard based approach. Your Bank has a standardized and well-defined approval process for all advances. It adopts a committee approach for credit sanctions and has credit approval committees at various levels.
- 27.7 **Capital Calculation:** Bank has implemented the new capital adequacy framework w.e.f. March 2009. It has adopted standardized approach for credit risk and is gearing up towards complying with the minimum requirements set out for Advanced Approaches for credit risk. A capital calculation solution meeting IRB requirements is under implementation and the project for migration to FIRB/AIRB is being guided by a reputed external consultant. In order to estimate credit risk components viz. Probability of default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) & Maturity (M) Bank has already put in place necessary frameworks and the process of data collection is on. On the retail asset front, retail pools are created and the PD, LGD and EAD of pools are assessed.
- 27.8 **Market Risk Management:** Asset liability management policy, treasury policy and market risk policy aid the management in mitigation of market risk in the banking and trading books. Overall responsibility of managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The ALM Desk and mid office manage the market risk in the banking and trading books respectively. The ALCO meets regularly to review the size, mix, tenor and composition of various assets and liabilities. ALCO also decides on the pricing of assets and liabilities. ALCO does the identification, measurement, monitoring and management of liquidity, interest rate risk & foreign exchange risk. The Bank ensures proactive market risk management, through real time monitoring & stress test.
- 27.9 Bank has an independent mid office positioned in Treasury which monitors various treasury positions and reports to Risk Management. It ensures compliance in terms of exposure, limit monitoring and calculation of risk sensitive parameters like value at risk, duration, defeasance period etc. Currently, market risk capital charge is computed under the Standardized Measurement Method (SMM).
- 27.10 The Bank has adopted the liquidity risk management guidelines issued by RBI pursuant to the Basel III framework on liquidity standards. These include the intraday liquidity management and the liquidity coverage ratio (LCR), apart from monitoring through stock & flow approach.
- 27.11 **Operational Risk Management:** Comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing operational risk. Your Bank has in place a Board approved operational risk management policy based on Reserve Bank of India Guidelines. All new products introduced by the bank pass through a new product approval process to identify and address operational risk issues. Variations in existing products as well as risks in outsourcing activities are also reviewed. Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last eleven years and it is analyzed for taking corrective measures so that these losses do not recur. Process has also been put in place to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) for assessing the residual risks in the processes of the various products of the Bank. Key risk indicators are identified for various processes and the threshold limits have been fixed.
- 27.12 Your Bank is currently following the basic indicator approach for capital computation under Operational Risk. The Bank has received approval from RBI for adoption of "The Standardized Approach (TSA)" for operational risk on parallel run basis. ORM project for migration to AMA is being implemented by the Bank with guidance from external Consultant. A solution is also under implementation for capital computation under advanced approaches for operational risk.
- 27.13 As a good corporate governance measure, your Bank has formulated a disclosure policy to have greater transparency in its working. Recognizing the importance of Business Continuity Planning (BCP), for minimizing the adverse effects of business disruption and system failure, the Bank has also put in place a BCP policy which provides a blueprint detailing a wide range of responses under disruptive environment to protect the interest of its staff, customers and assets.
- 27.14 To comply with the Basel Pillar I norms, your Bank has put in place a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) which

has been approved by the Board. It enables the Bank to internally assess and quantify Pillar II risks i.e. risks which are either not captured or inadequately captured under Pillar I, and also develop appropriate strategies to manage risks under normal and stressed conditions. A comprehensive stress testing framework as per the latest Reserve Bank of India guidelines has also been deployed, which helps the Bank to assess the strength of its risk management framework under exceptional, but plausible events. The framework facilitates appropriate strategies to be put in place in the event of any adverse circumstances.

27.15 Performance Evaluation and Profitability Management:

Your Bank has been forerunner among public sector banks in enhancing its performance evaluation system. It has implemented a robust and scientific fund transfer pricing system i.e. Matched Fund Transfer Pricing. This system driven transfer pricing mechanism enables transfer pricing at the most granular level i.e. at account level and the transfer rates are also linked to market rates. This system facilitates centralization of interest rate risk at the Central Funding Unit (CFU), where it can be better managed. The Bank has also implemented a module for cost and income allocation which will enable measurement of profitability under various business dimensions. This would pave the way for risk based performance measurement in future.

27.16 Implementation of Basel – III: Your Bank has been proactively conducting internal assessment of adequacy of capital, liquidity ratios and leverage ratios in accordance with Basel-III standards. It has been participating in the Quantitative Impact Study (QIS) carried out by RBI to assess the impact of Basel III guidelines since 2010. Bank's capital position is in compliance with Basel-III expectations, well above the minimum requirements. Projections of capital adequacy as per Basel III guidelines are also carried out as a part of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and avenues for capital raising are also evaluated and planned.

27.17 Group Risk Management: Your Bank participates in diversified financial services like banking, securities and capital markets, insurance and retail asset businesses. The Bank has put in place a framework / policy for assessment of risks in its group entities, internal controls and mitigation

measures, and capital assessment, under normal and stressed conditions with the assistance of an external consultant. The bank through its group risk management policy, aims to achieve a group-wide approach to ensure that key aspects of risk that have a group-wide impact are considered in its conduct of business.

27.18 Fraud Risk Management: Your Bank has a Board approved fraud risk management policy in place. All the cases of frauds reported by branches are analyzed and revised guidelines and corrective action is suggested through concerned verticals of the Bank, so as to prevent recurrence of frauds. The Fraud Review Council of the Bank examines all the cases of frauds/ attempted frauds and suggests implementable action plan to verticals for keeping in place strong systems and procedures. Apart from reporting all the cases frauds of ₹ 1 lakh and above to the Board, the Bank also reports all the fraud cases of ₹ 100 lakh and above to the Special Committee of the Board. The directions of the Board/ Special Committee are complied with and action taken report/ compliance report is submitted to the Board/ Special Committee. Bank also ensures conducting of staff accountability and lodging of complaints with Police/CBI authorities in respect of fraud cases reported. The Bank, with a view to ensure 360 degree view of suspicious/ fraudulent transactions and to ensure prevention/early detection of frauds, is in the process of implementing an enterprise-wide fraud risk management solution.

28 Compliance

28.1 Your Bank has adopted a robust compliance system along with a well documented compliance policy. The focus of compliance function is adherence to regulatory compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other codes prescribed/suggested by self regulatory organisations, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities.

28.2 Your Bank has a well established reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through self certification process; a compliance package has been established to monitor, control & follow up communications received from Regulators/ Ministry. Periodic compliance test checks have been put in place for effective implementation of mandatory guidelines.

29 Internal Audit:

- 29.1 Your Bank has put in place a well defined audit policy for risk based internal audit, management audit, concurrent audit, information security audit and foreign branches audit which have been revamped time and again by the Audit Committee of the Board.
- 29.2 Audit of 3697 branches was conducted as against the set target of 3612 branches. Income leakage of ₹ 102.63 crore were detected however no branch was rated as 'Extremely High Risk' and 'Very High Risk'. The number of 'High Risk' branches reduced from 485 as for FY 2015-16 to 300 for FY 2016-17. Also the management audit of 62 Regional offices, 10 Zonal Offices, 24 Central Office verticals and 2 subsidiaries were accomplished and the coverage of IS audit was extended to 20 applications during FY 2016-17.
- 29.3 The offsite monitoring system has been improved with the implementation of newly developed software both at central OMC (Offsite Monitoring Cell) and regional OMCs. Your Bank conducted training program for internal auditors covering almost 100 per cent of auditors working in Audit Department and their performance evaluation was conducted.
- 29.4 The Audit Committee of Board of Directors (ACB) met 13 times and the Audit Committee of Executives (ACE) met 6 times during the year and made suggestions for improving operational efficiency and strengthening the systems and internal control. The observations of ACB and ACE are being followed up for compliances with various Departments and Action Taken Reports (ATR) is being presented for the approval of the respective Committees.

30 Human Resources Management

- 30.1 Your Bank has taken pro-active steps in improving organizational efficiency by augmenting Human Resource Management. Your bank is attracting young talents which are being mentored by the experienced employees of the Bank. The Bank is making every effort to establish employee connect and employee satisfaction. The introduction of HR Suvidha, a centre for facilitating centralized sanctioning of employee benefits, has greatly enhanced employee satisfaction. Similarly, many other such initiatives have been taken during FY 2016-17, the objective of which is to keep the employees engaged, competitive and contented.

- 30.2 **Recruitments & Promotion:** Your Bank recruited 3,353 employees comprising 929 probationary officers, 517 specialist officers, 1,236 clerks and 671 subordinate staff during 2016-17. With these recruitments, your Bank has become younger with average age of employee coming down to 39 years. During the year, 4,688 officers/employees were elevated to next higher grade. The category-wise bifurcation of employees as on March 31, 2017 is as under:

Table 16: Category of Employees				
Category	Officers	Clerks	Sub-staff	Total
Total Employees,	20017	11870	4990	36877
w/w Scheduled Castes (SCs)	3504	2397	1732	7633
w/w Scheduled Tribes (STs)	1516	829	433	2778
w/w Other Backward Classes (OBCs)	4832	3319	1377	9528
Memo Items:				
- Persons with Disability (PWD)	425	274	96	795
- Ex-Servicemen	206	1098	518	1822
- Women	4628	3228	706	8562
- Minority Communities	1624	966	391	2981

- 30.3 **Knowledge Enhancement & Capacity Building:** Bank is relentlessly encouraging upgrading knowledge base and skill set of employees through e-learning portals and also financially incentivizes the staff to acquire expertise in banking related field. The "Gyan Kasauti", an online quiz competition, is held on a regular basis to update the employees' banking knowledge, which has received encouraging response from employees across all cadres.
- 30.4 **Performance Management System:** Like previous year, during FY 2016-17 too, the Key Result Areas (KRAs) and Key Performance Indicators (KPIs) of employees have been re-visited, so as to make them more objective, business-oriented and more meaningful to their respective roles.
- 30.5 **Innovation Portal:** "Innovation" portal is aimed at stirring creativity of the employees and is immensely popular among young work force. Suggestions are duly vetted by experts at Central Office and many such ideas are implemented, which has helped in easing the transactional

processes and bringing out changes in product features. This has helped in improving the Bank's products as well as making the operating system of the Bank more user friendly.

30.6 **HR Analytics:** Your bank has recently set up HR analytics unit with the basic objective of leveraging HR information for strategic deployment of human capital, analyzing HR impact on organizational profitability, retention and identification of talent for succession pipeline. HR analytics will be a guiding tool in the near future to identify officers suitable for a specific job role.

30.7 **"HR Aapke Dwaar"** – A Grievance Redressal Portal: "HR Apke Dwar", a dedicated window for redressing employee grievances is active and is helping in narrowing down the friction in employee relations. Your Bank is the first PSB to have a dedicated online grievance redressal portal. The issues raised in this platform are addressed on real time basis. It is an initiative to promote a responsive and employee friendly HR, maintenance and rationalization of TAT for staff admin functions of Regional/Zonal Staff. The portal provides an easily accessible platform for all staff members to escalate their grievances/complaints for expeditious redressal. It also ensures prompt compliance of systems and procedures and staff admin functions.

30.8 **Training:** Promoting a culture of continuous learning for development of individual & organization is our training mission. Training system therefore ensures that learning from the training is culminated in better performance at work place. With this objective, during FY 2016-17, training system conducted 830 calendar programs, 189 locational programs and 48 workshops covering 27,521 staff members. Apart from this, 402 officials were also nominated to various programs at reputed external training Institutes. 189 locational programs were conducted on credit, financial inclusion, credit monitoring & documentation, credit processing through lending automation solution for officers, digital banking for officers and soft skills for sub-staff as per the requirement of the verticals and the field. A total number of 6,431 staff members were trained through these programs. Training system also conducted a special program for hearing impaired employees for enabling them to discharge their duties effectively in the mainstream banking.

30.9 **Employee Relations:** The employee relations scenario in the Bank continued to be cordial

on account of the constant dialogue held with the majority trade unions and resolving all the contentious issues. Cases involving disciplinary matter were disposed of speedily in the most judicious manner with a human face.

30.10 **Official language Implementation:** During the year, your Bank made all out efforts to comply with the provisions of Govt. of India with regard to Official Language Policy of Government, which is evident from the 55 prizes/awards received by your Bank from Gol/RBI/different Govt. Agencies for outstanding implementation of official language and progressive use of Hindi in the Bank, which inter alia includes publication of Hindi book on 'Krishi Vikas-Vividh Aayam', publication of Hindi book on 'Satarkta ke Vividh Aayam' publication of comics in Hindi 'Banking - Saral, Sahaj aur Sheeghr' on official language, publication of Hindi House Journals as also various Hindi reference materials on banking subjects by all the Regional Offices, organizing online Hindi competitions on Rajbhasha and Banking for executives and staff members of the Bank including those posted at foreign branches/representative offices to motivate them to use official language Hindi in their routine activities. Your Bank has successfully organized 9 Rajbhasha Sangoshthi for executives to familiarize them with Official Language Policy, Act/Rules and in turn accelerate the use Hindi in the Bank.

30.11 **'Ashirvad'**, a renowned literary organization of Mumbai has awarded Second Prize and Reserve Bank of India has awarded Protsahan Puraskar to your Bank in the linguistic Region 'B' under Reserve bank Rajbhasha Shield scheme for excellent use of official language in the Bank.

31 **Vigilance**

31.1 A well structured Vigilance system is in place in your Bank, covering all areas on operations and in tune with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission. The vigilance set-up of the Bank aspires to inculcate and nurture a sense of alertness and awareness for meticulous compliance with systems and procedures in the daily functioning of the Bank at the grass root levels and act as a catalyst for eliminating system weaknesses and thereby partnering with business growth.

31.2 During FY 2016-17, vigilance cases reduced to 79 as compared to 119 cases in FY 2015-16. The turnaround time (TAT) of conducting investigation and submission of

report thereof has improved and the average period for completion of investigation reduced from 90 days to 44 days. Expeditious completion of vigilance action on an ongoing basis has improved confidence level in the decision making at the operating levels.

31.3 1,411 preventive vigilance visits to various branches were carried out during FY 2016-17, to create necessary awareness of systems/ procedures and to sensitize field functionaries about the pitfalls of non-compliance.

31.4 **Vigilance Awareness Initiatives:** Vigilance Awareness Week under the theme “Public Participation in Promoting Integrity and Eradicating Corruption” was observed from 31st October 2016 to 5th November 2016. Two new initiatives in the form of Integrity Pledge (E-pledge) and Gram Sabha, as suggested by Central Vigilance Commission, were implemented very effectively. Similarly your Bank organized gram sabhas in 319 districts covering 3546 Gram Panchayats where various activities like meetings, competitions, melas, evening choupals etc were conducted. Nearly 1,51,882 people participated in Gram sabha activities. Unique publication viz. “Preventive Vigilance Manual”, containing DO’s and DON’Ts on various operational issues of banking was published. The book contains working tips on various areas on operations which are to be looked into by field functionaries in day to day activities. Union Bank is the first Public Sector Bank to release such operational manual.

32 Outlook

32.1 The role of banking sector in India’s emergence as an economic giant cannot be underestimated. The banking sector journey has been challenging and transformational. The number of banked population has almost tripled since the liberalization of Indian economy. Public sector banks (PSBs) continue to dominate the banking landscape, with more than 70 percent of outstanding credit. In the past few years, due to a variety of legacy issues and slowdown in global and domestic macroeconomic many large projects have been stalled and it has been resulted in lower profitability for PSBs as whole. While their profitability is not expected to be that weak in FY 2018, an exponential hike in profit figures is less likely over the next 1-2 years.

32.2 Against this backdrop and with the ongoing developments in the environment, your Bank

has adopted a balanced approach to growth, profitability and risk management. This strategy has helped your Bank to further strengthen its position with continued improvements in the key financial parameters, a strong deposit portfolio, a large and expanding distribution network and a healthy capital position; thereby creating a platform for robust growth in subsequent years.

32.3 During the next fiscal, the credit growth of the banking sector is expected to be moderate, with robust retail loan demand being offset by muted demand from the corporate sector. While retail asset quality may remain stable, the challenges facing the corporate sector is also likely to recede to some extent. Thus for the next fiscal your Bank will take proactive efforts for sustaining the robust funding profile by capitalizing on opportunities while calibrating growth to developments in the environment; extend the digital deepening and further strengthen the customer base by expanding access to finance to small and medium enterprises, unorganized sector and the remote underserved areas that have been brought into streamline by demonetization and the ‘Digital India’ initiative. Also your Bank will continue to focus on cost efficiency and capital efficiency for maximizing the returns, thus increasing shareholder value in a responsible and conscientious manner.

32.4 In summary, FY 2016-17 was a year in which your Bank focused on further strengthening businesses, network, technological capabilities and operating and financial parameters. At the same time Bank was cognizant of the risks in the environment and calibrated its approach accordingly. The outlook for the future is positive – with the various policy responses during the year that alleviated the immediate pressure in the banking system and their focus on growth to help realize India’s vast potential. Bank’s strong and diversified workforce, large distribution network, healthy capital position and sustained improvements in balance sheet & profitability have made it capable of leveraging future opportunities for profitable growth. Further, your Bank is committed to maintain the highest standards of corporate governance, with a view to ensure that the Bank is well-placed to address risks as well as capitalize on growth opportunities, within a framework of regulatory compliance and adherence to the highest ethical standards.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

- 1.1 Union Bank of India has a tradition of adopting good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.
- 1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders' wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.
- 1.3 Keeping in view the best practices, the Board has framed a code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:
 - Procedures for Board and its various Committees
 - Compliance
 - Relation with shareholders
 - Disclosures by Directors
 - Corporate Social Responsibility and
 - Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct, Prohibition of Insider Trading, Related Party Transaction Policy, Whistle Blower Policy, Staff Related Matters, Vigilance etc.
- 1.4 The Bank being a listed entity complies with the Corporate Governance provisions of the SEBI (Listing

Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent that it does not violate statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities applicable to the Bank.

2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- 2.2 The responsibilities of the Board include approval of policies for development of new products, business reviews in relation to targets, approval of policies concerning credit, operational, market, liquidity risks, assessing the independence of the risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA management and provisioning integrity, compliance of statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources.
- 2.3 The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodical intervals.
- 2.4 As on 31st March, 2017, the Board comprised of four whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and three Executive Directors appointed by the Government of India besides six Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.
- 2.5 **Composition of the Board of Directors as on 31st March, 2017 is as under:**

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares as on 31.03.17	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies) (as on 31.03.17)
1	Shri Arun Tiwari Chairman & Managing Director (Executive)	26-12-2013	CAC-I CDRCF, CSCB, DPC, DPC (V), CESD, HRSCB, MCB, RCNCB, RCWDB, RMCB, SCMF, SCR&ALM, EDC	Nil	3	1	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office upto 30.06.2017 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of: i. Union Bank of India (UK) Ltd. ii. Union Asset Management Co. Pvt. Ltd. iii. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. iv. The New India Assurance Company Limited v. Indian Institute of Banking & Finance vi. Institute of Banking Personnel Selection vii. ECGC Ltd.

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares as on 31.03.17	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies) (as on 31.03.17)
2	Shri Vinod Kathuria Executive Director (Executive)	22-01-2016	CAC-I, CDRCF, CSCB, CESD, HRSCB, ITSC, MCB, RMCB, SCR&ALM, SRC, STCB	Nil	1	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office upto 31.07.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
3	Shri Raj Kamal Verma Executive Director (Executive)	09-08-2016	ACB, CAC-I, CDRCF, CSCB, CESD, HRSCB, ITSC, MCB, RMCB, SCMF, SCR&ALM, SRC, STCB	Nil	2	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office upto 28.02.2019 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.
4	Shri Atul Kumar Goel Executive Director (Executive)	15-09-2016	CAC-I, CDRCF, CSCB, CESD, HRSCB, ITSC, MCB, RMCB, SCR&ALM, SRC, STCB	Nil	1	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office for a period of 3 years from his taking charge of the post i.e. upto 14.09.2019 or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of Union Trustee Co. Pvt. Ltd.
5	Dr. Madnesh Kumar Mishra Government Nominee Director (Non-Executive)	22-07-2016	ACB, CSCB, DPC, DPC (V), HRSCB, NC, RC, RMCB, SCMF, SCR&ALM, EDC	Nil	1	0	Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.
6	Shri Anil Kumar Misra RBI Nominee Director (Non-Executive)	06-07-2015	ACB, DPC, DPC (V) MCB, RC, EDC	Nil	1	0	Nominated as a Director by Central Government on the recommendation of RBI u/s 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.
7	Dr. K. Ramesha Part-Time Non-Official Director (Non-Executive)	25-04-2016	CSCB, ITSC, MCB NC, RC, SCMF, SRC	Nil	1	1	Nominated as a Part-Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. 24.04.2019 or until further orders, whichever is earlier.
8	Dr. R. H. Dholakia Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	CESD, HRSCB, MCB, RCNCB, RCWDB, SCMF, SCR&ALM	200	2	1	Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018. He is also Director on the Board of: - Adani Transmission Ltd. - Gujarat State Petroleum Corporation Ltd.
9	Shri Gopal Krishan Lath Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	ACB, CSCB, RC, RCNCB, SCR&ALM, SRC	100	2	1	Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018.

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares as on 31.03.17	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies) (as on 31.03.17)
10	Dr. Uttam Kumar Sarkar Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	HRSCB, ITSC, MCB, RCWDB, SRC	100	1	0	Elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018.

ACB	-	Audit Committee of the Board
CAC-I	-	Credit Approval Committee - I
CDRCF	-	Committee of Directors for Raising of Capital Fund
CESD	-	Committee to decide on Election of Shareholders' Directors - Voting by PSBs
CSCB	-	Customer Service Committee of the Board
DPC	-	Directors Promotion Committee
DPC (V)	-	Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/ Non Vigilance
EDC	-	Election Dispute Committee
HRSCB	-	HR Sub-Committee of the Board
ITSC	-	IT Strategy Committee
MCB	-	Management Committee of the Board
NC	-	Nomination Committee
RC	-	Remuneration Committee
RCNCB	-	Review Committee for classification of Non Cooperative Borrower
RCWDB	-	Review Committee on Willful Defaulters of the Bank
RCMB	-	Recovery Management Committee of the Board
SCMF	-	Special Committee on monitoring of Frauds of ₹ 1.00 crore and above
SCR & ALM	-	Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
STCB	-	Share Transfer Committee of the Board

2.6 Appointments/Cessations during the Financial Year 2016 - 17:

Appointments: A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2016-17 is as under:-

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry Date of Current Term	Nature of Expertise	Brief Resume
1.	Dr. K. Ramesha	60	25-04-2016	24-04-2019	Economics	Dr. K. Ramesha, after serving the Department of Post Graduate Studies and Research in Economics, University of Mysore as a Lecturer for 4 years, joined Kerala Agricultural University as an Assistant Professor in 1986. Subsequently, he worked for National Institute of Rural Banking as a member of faculty. He joined National Institute of Bank Management in 1996. As a Professor at NIBM, Dr. Ramesha is engaged in post graduate teaching, corporate training and research/consulting activities. Apart from guiding Ph.D students of University of Pune in the area of Banking and Finance, Dr. Ramesha has published several research papers in professional journals and reputed magazines mainly in the areas of General Banking, SME Finance, Micro Credit /SHGs, Co-operative Banking and Retail Finance. Dr. Ramesha has served as Dean – Education in the past and currently serving as Dean – Research at NIBM. He has designed and organised several top/senior level training programmes, workshops and seminars for bankers. He has also participated and coordinated several research/consultancy assignments before and after joining NIBM. Currently, Dr. Ramesha is also serving on the Board of Southern Indian Banks Staff Training College.
2.	Dr. Madnesh Kumar Mishra	51	22-07-2016	Till further order	Management	Dr. Madnesh Kumar Mishra aged 51 years is a Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and has been appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. July 22, 2016. He has done Ph.D. in Organisational Behaviour from XLRI, Jamshedpur and B.Tech in Production Engineering. Dr. Mishra is an officer of Indian Revenue Service (IRS) belonging to 1990 batch. He has worked in various capacities in Income Tax Department and on deputation in Ministry of Youth affairs and Sports as Executive Director of Sports Authority of India under Central Staffing Scheme. He was the first Chief Executive Officer of National Dope Testing Lab of Sports Authority of India, founding member of World Anti-Doping Agency representing India at Montreal, member of Regional Film Certification & Sensor Board at Hyderabad. As a Research Scholar, he has presented 9 papers in Seminars on topics related to Yoga, Samatva, Mindfulness, Distortion in sense making in Organization and Organisational Creativity. He is trainer in Organization and Human Behavior from the perspective of Indian Scriptures and Wisdom.
3.	Shri Raj Kamal Verma	58	09-08-2016	28-02-2019	Banking	Shri Raj Kamal Verma is Executive Director of Union Bank of India since August 9, 2016. Shri Raj Kamal Verma is Bachelor of Arts (Hons) and is a Certified Associate of the Indian Institute of Banking & Finance. He has vast experience of more than 35 years in various facets of Banking, both in domestic and international operations, having started his career with Bank of India in the year 1981. He worked in various capacities including as branch head, credit head and zonal manager. He also headed Inspection & Audit Department of Bank of India at their Head Office. In addition, Shri Verma also had overseas stint at Kenya as Chief Executive from September 2012 to October 2015. At present as an Executive Director, he is overseeing key functional areas viz. MSME & Credit Policy, Personal Banking & Operations, Central Audit & Inspection, Corporate Communications, Digital Banking, Personnel & Human Resources and Dept. of Information Technology. Shri Verma has interest in music, reading and sports. His leadership style is focused on team-spirit, rewarding performance and mentoring future leaders.

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry Date of Current Term	Nature of Expertise	Brief Resume
4.	Shri Atul Kumar Goel	52	15-09-2016	14-09-2019	Banking & Finance	Shri Atul Kumar Goel assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on September 15, 2016. Prior to his elevation as Executive Director he was General Manager and Chief Financial Officer (CFO) at India's oldest Bank, Allahabad Bank. Born in December 1964, Shri Goel holds a Bachelor Degree with Honours in Commerce and member of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). His career in Banking began when he joined Allahabad bank as Chartered Accountant on March 27, 1992. His twenty four years of service in Allahabad Bank saw him rise in his career with key responsibilities held in Branches, Zonal Office and Head Office covering a vast spectrum of banking operations. During that period he handled Corporate Credit, Foreign Exchange Business and Treasury & take proactive result oriented measures to garner market share. He also headed the Mumbai Zone of Allahabad Bank. As a General Manager & CFO of Allahabad Bank his portfolio included Finance & Accounts, International Banking, Treasury & Joint Venture. He was also a Director on the Board of All Bank Finance Limited, a subsidiary of Allahabad Bank. Shri Goel is a member of Taxation Committee of IBA and has attended prestigious training programme conducted by NIBM Pune, IMT Delhi. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.

Cessations: The following members ceased to be the Directors during the financial year 2016-17:

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Cessation	Reason
1.	Shri Shri Kant Misra	Part Time Non Official Director	10-04-2016	Term completed
2.	Sushri Anusuiya Sharma	Part Time Non Official Director	05-05-2016	Term completed
3.	Shri Rakesh Sethi	Executive Director	30-06-2016	Superannuation
4.	Shri Mihir Kumar	Government Nominee Director	21-07-2016	Substituted by Dr. Madnesh Kumar Mishra
5.	Shri Jag Mohan Sharma	Chartered Accountant Director	05-10-2016	Resigned

2.7 Inter-se relationship of Directors:

None of the Directors are related to each other.

2.8 Committee Membership of Directors:

No Director of the Bank was a member in more than 10 Committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he was a Director during the year 2016-17.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he was a Director as on 31.03.2017 are given here under:

Sr. No.	Name of Director	Designation	Name of Company	Name of Committee [#]	Member/Chairman
1	Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director	New India Assurance Company Limited	ACB	Chairman
2	Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director	ECGC Ltd.	ACB	Member
3	Shri Vinod Kathuria	Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
4	Shri Raj Kamal Verma	Executive Director	Union Bank of India	ACB	Member

Sr. No.	Name of Director	Designation	Name of Company	Name of Committee [#]	Member/ Chairman
5	Shri Raj Kamal Verma	Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
6	Shri Atul Kumar Goel	Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
7	Dr. Madnesh Kumar Mishra	Govt. Nominee Director	Union Bank of India	ACB	Member
8	Shri Anil Kumar Misra	RBI Nominee Director	Union Bank of India	ACB	Member
9	Dr. K. Ramesha	Part-Time Non-Official Director	Union Bank of India	SRC	Chairman
10	Dr. R. H. Dholakia	Shareholder Director	Adani Transmission Ltd.	ACB	Member
11	Dr. R. H. Dholakia	Shareholder Director	Gujarat State Petroleum Corporation Limited	ACB	Chairman
12	Shri G. K. Lath	Shareholder Director	Union Bank of India	ACB	Chairman
13	Shri G. K. Lath	Shareholder Director	Union Bank of India	SRC	Member
14	Dr. Uttam Kumar Sarkar	Shareholder Director	Union Bank of India	SRC	Member

[#] In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

2.9 Details of Familiarization Programmes attended by Directors:

The details of training programmes attended by Directors of the Bank are made available on Bank's website under the following link: <http://www.unionbankofindia.co.in/familiarisation.aspx>

3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Fourteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Monday, 27th June, 2016 where the following directors were present:

Sr. No.	Name of Director	Designation
1.	Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director
2.	Shri Rakesh Sethi	Executive Director
3.	Shri Vinod Kathuria	Executive Director
4.	Shri Jag Mohan Sharma	Chartered Accountant Director, Chairman of Stakeholders Relationship Committee, Member of the Audit Committee of the Board
5.	Dr. K. Ramesha	Part-Time Non-Official Director
6.	Dr. R. H. Dholakia	Shareholder Director

4. BOARD MEETINGS AND PROCEEDINGS

Details of Board Meetings held during the Financial Year 2016-17:

Sr. No.	Date of the Board Meeting	Total No. of Directors on the Board	No. of Directors present in the meeting
1.	22-04-2016	10	8
2.	12-05-2016	10	10
3.	13-05-2016	10	9
4.	26-05-2016	10	7
5.	30-06-2016	10	9
6.	05-08-2016	9	7
7.	06-08-2016	9	7
8.	10-09-2016	10	9
9.	20-10-2016	10	8
10.	04-11-2016	10	10
11.	28-11-2016	10	8
12.	28-12-2016	10	9
13.	24-01-2017	10	8
14.	08-02-2017	10	8
15.	25-02-2017	10	9
16.	22-03-2017	10	9

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as below:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	16	16
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	5	5
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	16	15
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	9	9
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	8	7
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	5	3
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	11	7
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	16	11
Shri Jag Mohan Sharma, Chartered Accountant Director	8	8
Sushri Anusuiya Sharma, Part-Time Non-Official Director	1	1
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	15	15
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	16	14
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	16	15
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	16	9

5. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and/or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Govt. of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under -

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Supervisory Committee of Director on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)
4. Special Committee on monitoring of Frauds of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)

5. Recovery Management Committee of the Board (RMCB)
6. Customer Service Committee of the Board (CSCB)
7. HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)
8. Stakeholders Relationship Committee (SRC)
9. IT Strategy Committee (ITSC)
10. Nomination Committee (NC)
11. Remuneration Committee (RC)
12. Directors Promotion Committee (DPC)
13. Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/ Non Vigilance (DPC-V)
14. Share Transfer Committee of the Board (STCB)
15. Review Committee for classification of Non Cooperative Borrower (RCNCB)
16. Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB)
17. Committee to decide on Election of Shareholders' Directors - Voting by PSBs (CESD)
18. Election Dispute Committee (EDC)
19. Credit Approval Committee-I (CAC - I)
20. Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)

5.1 Management Committee of the Board (MCB)

5.1.1 Composition:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended), the Management Committee of the Board as on 31.03.2017 consists of –

- Chairman & Managing Director,
- Executive Directors,
- RBI Nominee Director nominated under section 9(3)(c) and
- Three other Non-Executive Directors under Section 9 (3) (e), (f), (h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis.

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.1.2 Functions:

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz.

sanctioning/review of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure beyond the powers of CAC-I, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

5.1.3 Attendance of MCB Meetings:

During the year 2016-17, 26 meetings of Management Committee of the Board were held and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	26	26
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	7	6
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	26	24
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	18	18
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	15	13
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	26	18
Sushri Anusuiya Sharma, Part-Time Non-Official Director	3	3
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	23	22
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	26	23
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	5	5
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	21	13

5.2 Audit Committee of the Board (ACB)

5.2.1 Composition:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India. The Audit Committee of the Board consists of following members –

- Executive Director incharge of Internal Inspection and Audit
- Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and
- Two Non Executive Directors of which one should ordinarily be Chartered Accountant Director nominated u/s 9(3)(g).

Other Executive Director/s can be invitee/s to the meeting if the agenda includes any item for discussion from their domain.

Shri G. K. Lath, Shareholder Director who is a Chartered Accountant is the present Chairman of the Committee.

Company Secretary acts as secretary to the Audit Committee in terms of Regulation 18(1)(e) of SEBI(LODR) Regulations, 2015.

5.2.2 Functions:

The Audit Committee of the Board reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by the RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e. the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
 - Inter-branch adjustment accounts
 - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
 - Arrears in balancing of books at various branches
 - Frauds
 - All other major areas of housekeeping
3. ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of guidelines of RBI and SEBI.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions,

Mechanism for Whistle-Blower, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.

5.2.3 Attendance of ACB Meetings:

The Committee met 13 times during the year 2016-17 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri G. K. Lath, Shareholder Director, Chairman of the Committee	13	13
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	3	3
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	2	2
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	8	8
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	3	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	10	1
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	13	9
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	7	7

5.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

5.3.1 Composition:

The Bank has constituted Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management in terms of RBI guidelines. The Committee consists of the following members:

- Chairman & Managing Director,
- Executive Directors and
- Three Non-Executive Directors.

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.3.2 Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

5.3.3 Attendance of SCR & ALM Meeting:

The Committee has held 4 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	3
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	1	1
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	3	3
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	3	3
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	1	0
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	3	1
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	1	1
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	3	3
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	3	1
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	1

5.4 Special Committee on monitoring of Fraud of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)

5.4.1 Composition:

Special Committee on monitoring of frauds of ₹ 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present the Audit Committee of Board (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow-up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹ 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors:

- Chairman & Managing Director
- Two members from the Audit Committee of the Board

- Two other members from the Board excluding RBI nominee Director

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.4.2 Functions:

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of ₹ 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

5.4.3 Attendance of SCMF Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	3
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	1	1
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	3	3
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	1	0
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	3	1
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	2	2
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	4	4
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	2	2

5.5 Recovery Management Committee of the Board (RMCB)

5.5.1 Composition:

A Board level Committee for Recovery Management has been formed as per Ministry of Finance, Government of India guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Government of India Nominee Director

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee

5.5.2 Functions:

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

5.5.3 Attendance of RMCB Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meetings held during their tenure	No of Meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	4
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	1	0
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	4
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	2	2
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	2	2
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	2
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	2	2

5.6 Customer Service Committee of the Board (CSCB)

5.6.1 Composition:

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India to look after the customer service in Bank. The Committee Comprises of following members:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Four Non-Executive Directors including Govt. Nominee Director

In addition, Internal Ombudsman and Two Experts also participate as special invitees in these meetings.

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.6.2 Functions:

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestions on improving the quality of customer services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.
- To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.

5.6.3 Attendance of CSCB Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	3
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	1	1
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	3	3
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	3	3
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	1	0
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	3	2
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	2	2
Dr. K. Ramesha, Part time Non Official Director	3	3
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	1	1
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	3	1
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	1

5.7 HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)

5.7.1 Composition:

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Directors, Government Nominee Director and any two Directors nominated by the Board. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.7.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

1. Overall Strategy for the Bank on HR.
 - Overall manpower plan and skills gap identification.
 - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
 - Succession planning.
2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
 - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
 - System of providing developmental feedback to all staff.
3. Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
 - Reward and incentives
 - Promotions
 - Deployment
4. Training
 - Specialist business skills training
 - General retraining / reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities

5.7.3 Attendance of HRSCB Meetings:

The Committee has held 6 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	6	6
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	2	1

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	6	6
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	4	4
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	3	3
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	2
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	2
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	6	5
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	1

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	4	4
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	3

Shri Jag Mohan Sharma was the Chairman of the Committee till 05.10.2016 and thereafter Dr. K. Ramesha was elected as Chairman of the Committee

5.8.4 Name & Designation of Compliance Officer:

Pursuant to Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri Dipak D. Sanghavi, Company Secretary is designated as the Compliance Officer of the Bank.

5.8.5 Details of Shareholder Complaints during the year 2016-17:

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2017 vis-à-vis 31.03.2016 is as under:-

Particulars		For F.Y. ended 31.03.17	For F.Y. ended 31.03.16
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	2	0
b.	No. of shareholders complaints received during the year	249	783
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	251	781
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	0	2

5.9 IT Strategy Committee (ITSC)

5.9.1 Composition:

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board. The Committee consists of:

- Executive Directors
- Two Non-Executive Directors one of whom shall be independent Director
- One Outside IT Expert
- Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.8 Stakeholders Relationship Committee (SRC)

5.8.1 Composition:

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Stakeholders Relationship Committee (SRC) has been constituted with Executive Directors and Three Non-Executive Directors.

Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director is the present Chairman of the Committee.

5.8.2 Functions:

The Committee monitors the grievances and complaints of the security holders of the Bank regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

5.8.3 Attendance of SRC Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Jag Mohan Sharma, Chartered Accountant Director, Chairman #	1	1
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director, Chairman #	4	4
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	1	1
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	3	3
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	2	2

5.9.2 Functions:

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance. (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.

5.9.3 Attendance of ITSC Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director, Chairman of the Committee	4	4
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	1	1
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	4
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	3	3
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	2	2
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	4	4
General Manager – IT	4	4

5.10 Nomination Committee (NC)

5.10.1 Composition:

The Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. In terms of said guidelines, Bank has constituted a Nomination Committee consisting of three Non-Executive Directors to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of Shareholder Directors.

5.10.2 Functions:

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected Shareholder Directors.
- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.
- Based on the signed declaration, this Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

5.10.3 Attendance of NC Meetings:

The quorum prescribed for the Nomination Committee is three members. 5 posts out of total 11 posts of Non-Executive Directors were vacant on the Board of the Bank during most of the time in the year 2016-17. Further, 4 Non-Executive Directors viz. RBI Nominee Director and 3 Shareholder Directors are not eligible for appointment on the Nomination Committee. Thus no eligible non-executive director was available for nomination on the Committee and the meeting of the Committee could not be held with two members, in absence of the required quorum of three members.

However, the status of existing elected Shareholder Directors has not undergone any change as per the information available with the Bank from the date of last 'Fit & Proper' status exercise carried out by the Nomination Committee.

5.11 Remuneration Committee (RC)

5.11.1 Composition:

Government of India (GoI) has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed. The Committee is constituted with following members:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

5.11.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GoI guidelines.

5.11.3 Attendance of RC Meetings:

Pursuant to Ministry of Finance, Government of India letter no. F.NO.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015, the Key Performance Indicators (KPI) for evaluating the performance of Whole Time Directors on Board of Public Sector Banks has been changed from F.Y. 2015-16 and the performance of whole-time Directors is to be evaluated by a Committee chaired by the Secretary (Financial Services) based on the detailed Performance Evaluation Matrices. Therefore, the Remuneration Committee has no longer any role in deciding upon the performance linked incentive to be paid to whole-time Directors of the Bank from FY 2015-16. Thus, no meeting of Remuneration Committee was called during the year 2016-17.

5.12 Directors Promotion Committee (DPC)

5.12.1 Composition:

As per guidelines of Government of India 'Directors Promotion Committee' was constituted to deal with promotions at senior level. The Committee consisted of:

- Chairman and Managing Director
- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director

Government of India vide communication F.No.4/3/1/2012-IR dated 08.12.2016 has provided autonomy to Public Sector Banks to decide the composition of selection committee for promotion process with the approval of the Board. The Board of Directors has approved the reconstitution of the Committee as below -

- Chairman and Managing Director
- Executive Director looking after the HR portfolio
- Two Outside Experts with domain knowledge (Independent Member)

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.12.2 Functions:

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

5.12.3 Attendance of DPC Meetings:

The Directors Promotion Committee met thrice during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	3	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	1	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	2	2

Note: DPC has been reconstituted with effect from 28.12.2016. Govt. Nominee Director and RBI Nominee Director were the

members of the committee prior to that date. Executive Director looking after the HR portfolio along with two outside experts with domain knowledge has been inducted on the Committee from the date of reconstitution.

5.13 Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/Non-Vigilance (DPC-V)

5.13.1 Composition:

Ministry of Finance, Government of India has directed that the Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/Non-Vigilance of the Bank should review vigilance disciplinary cases & departmental inquiries on a half yearly basis. The Committee consists of:

- Chairman and Managing Director
- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.13.2 Functions:

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

5.13.3 Attendance of DPC –V Meetings:

The Committee has held 2 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	2	2
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	2	2

5.14 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

5.14.1 Composition:

The Committee consists of Executive Directors, Chief Compliance Officer/Chief Financial Officer and General Manager / Deputy General Manager / Asst. General Manager - Board Secretariat.

Shri Vinod Kathuria, Executive Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.14.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm

transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

5.14.3 Attendance of STCB Meetings:

During the year, the Committee met 37 times and attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	27	25
Shri Vinod Kathuria, Executive Director, Chairman of the Committee	37	33
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	9	6
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	24	23
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	20	18
Attendees by Designation		
Chief Law Officer	27	24
Chief Compliance Officer/Chief Financial Officer	10	8
Dy. General Manager-Board Secretariat	37	35

Note: STCB has been reconstituted with effect from 28.12.2016. The Chairman and Managing Director and Chief Law Officer were the members of the committee prior to that date. Chief Compliance Officer/Chief Financial Officer has been inducted on the Committee from the date of reconstitution.

5.15 Review Committee for Classification of Non-Cooperative Borrower (RCNCB)

5.15.1 Composition:

The Review Committee of the Board on Classification of the Borrower as Non-Cooperative Borrower has been constituted in pursuance of RBI guidelines to review the orders on classification of the Borrower as Non-Cooperative passed by the Approving Committee. The Committee consists of:

- Chairman & Managing Director
- Two Independent Directors (Shareholder Directors)

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.15.2 Functions:

- The committee shall review the orders of the Approving Committee i.e. Executive Director Headed Committee recording the Borrower to be declared as non-cooperative. The order

shall become final only after it is confirmed by the Review Committee of the Board.

- Reviewing the quarterly Return submitted to CRILC.
- On a half-yearly basis review the status of non-cooperative borrowers for deciding whether their names can be declassified as evidenced by their return to credit discipline and cooperative dealings before its submission to the Board.

5.15.3 Attendance of RCNCB Meetings:

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2016-17.

5.16 Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB)

5.16.1 Composition:

Pursuant to RBI guidelines on Willful Defaulters the Bank has constituted Review Committee on Willful Defaulters of the Bank. The Committee consists of:

- Chairman & Managing Director
- Any two Independent Directors (Shareholder Directors)

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.16.2 Functions:

Review & confirm the orders passed by Committee headed by Executive Director on classification of Borrowers as Willful Defaulters.

5.16.3 Attendance of RCWDB Meetings:

The Committee has held 5 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	5	5
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	5	5
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	2	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	3

5.17 Committee to decide on Election of Shareholders Directors – Voting by Public Sector Banks (CESD)

5.17.1 Composition:

The Public Sector Banks are holding Equity Shares in other Companies including Financial Institutions and other Public Sector Banks. As per the guidelines of the Government of India, the Public Sector Banks have to constitute a Committee of the Board headed by Chairman & Managing Director to take decision on supporting the candidates in the election of the Shareholder Directors of other Companies, Public Sector Banks and Financial Institutions. The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Two other members nominated by the Board.

5.17.2 Functions:

After considering all factors viz. qualification, experience, profile and background of various candidates, to take a decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

5.17.3 Attendance of CESD Meetings:

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2016-17.

5.18 Election Dispute Committee (EDC)

5.18.1 Composition:

In terms of Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998, If any doubt or dispute arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Shareholder Director; such doubt or dispute shall be referred for the decision of Election Dispute Committee. The Committee consists of:

- Chairman & Managing Director or in his absence, Executive Director
- Any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

5.18.2 Functions:

The Election Dispute Committee shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall

within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

5.18.3 Attendance of EDC Meetings:

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2016-17.

5.19 Credit Approval Committee-I (CAC-I)

5.19.1 Composition:

As per the guidelines of Ministry of Finance, Government of India, the Bank has constituted the Credit Approval Committee-I. The Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto ₹ 400 crore and group exposure upto ₹ 800 crore in case of our Bank and in case exposure exceeds such limits, it shall be considered by the Management Committee of the Board. The composition of CAC-I is as under:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- General Manager In-charge of the Credit
- General Manager In-charge of the Finance/ Chief Financial Officer and
- General Manager In-charge of the Risk Management

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.19.2 Functions:

All credit related matters including approval/ review-renewal, miscellaneous requests, interest concessions, compromise/write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, etc. within its delegated authority are being put up before the CAC-I for approval.

5.19.3 Attendance of CAC-I Meetings:

The Committee has held 26 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	26	26
Shri Rakesh Sethi, Executive Director	6	5
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	26	21
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	17	16

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	15	14
Attendees by Designation		
General Manager In-charge of the Credit	26	26
General Manager In-charge of the Finance/CFO	26	25
General Manager In-charge of the Risk Management	26	26

5.20 Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)

5.20.1 Composition:

As per the approval given by the Board the committee is constituted to complete the necessary formalities for raising of capital funds. The Committee consists of Chairman & Managing Director and Executive Directors.

Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.20.2 Functions:

The Committee is authorized to complete the necessary formalities for raising of capital funds and to do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and/or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), calling the issue open at its discretion subject to applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval.

5.20.3 Attendance of CDRCF Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2016-17 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director	4	4
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	4
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	4	4
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	4	3

6 GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution
Twelfth Annual General Meeting	27 th June, 2014 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.	1. Issue 54,72,563 equity shares by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non - cumulative Preferential Shares) at a conversion price of ₹ 202.83 including premium of ₹ 192.83 aggregating upto ₹ 111 crore on preferential basis to Government of India. 2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crore.
Thirteenth Annual General Meeting	26 th June, 2015 at 11.00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.	1. To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc. upto ₹ 3,700 crore (including premium, if any) 2. To elect three directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government.
Extraordinary General Meeting	18 th September, 2015 at 11.00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.	To issue up to 5,16,62,281 equity shares at an Issue Price of ₹ 209.05 including premium of ₹ 199.05 and aggregating up to ₹ 1,080 crore.
Fourteenth Annual General Meeting	27 th June, 2016 at 11.00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹ 3200 crore (including premium, if any).
Extraordinary General Meeting	23 rd February, 2017 at 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	1. Issue of 3,89,88,181 Equity Shares for cash at an Issue Price of ₹ 138.76 including premium of ₹ 128.76 on Preferential Basis to Government of India, upto ₹ 541 crore. 2. Issue of 1,29,72,038 Equity Shares for cash at an Issue Price of ₹ 138.76 including premium of ₹ 128.76 on Preferential Basis to Government of India, upto ₹ 180 crore.

7 DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and guidelines/circulars issued by RBI, Gol and SEBI.

As per SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statutes, the provisions of corporate governance shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Listing Regulation. Compliance with respect to discretionary requirements is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the Listing Regulation are as under:

7.1 Remuneration of Directors:

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

Sitting Fees:

Sitting Fees are prescribed in terms of clause 17(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Accordingly, all Non-Executive Directors except Govt. Nominee Director & RBI Nominee Director are entitled for the Sitting Fees in accordance with Government Notification No.15/1/2011-BO.I dated 20/07/2015:

Board Meetings - ₹ 20,000/- per meeting.

Committee Meetings - ₹ 10,000/- per meeting.

The above information is also available on Bank's website under following link:
<http://www.unionbankofindia.co.in/Making-payment.aspx>

Travelling & Halting Allowance:

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clause 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

7.2 Disclosure on Material Significant Related Party Transactions:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

7.3 Disclosure of Pecuniary Relationship or Transactions:

The Bank's Non-Executive Directors do not have any pecuniary relationship or transaction with the Bank except to the extent of transactions done in the normal course of banking business and the sitting fees paid to them for attending Board and Committee meetings.

7.4 Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.:

The Bank has obtained approval of shareholders at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 23.02.2017 for allotment of Equity Shares aggregating up to ₹ 541 crores (tranche I) and ₹ 180 crores (tranche II) to Government of India on Preferential Basis. The Bank has received a sum of ₹ 541 crores as capital infusion in the form of share application money from the Government of India for the said preferential allotment of Equity Shares on 31.03.2017 as per Government of India letter F. No. 7/38/2014 - BOA dated 31.03.2017. Allotment of the Equity Shares to Government of India will be done on receipt of approval of Central Government under section 3(2-B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. The share application money would be kept in a separate account till allotment is made.

The Bank has not received any payment from Government of India against tranche II of capital infusion of ₹ 180 crores.

The Bank has issued Unsecured Non convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II Capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 9.1 of the report..

7.5 Penalties or Strictures:

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

7.6 Whistle Blower Policy:

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy and same can be accessed via following link http://www.unionbankofindia.co.in/Whistle_blower_policy.aspx. The Audit Committee of the Board periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee of the Board.

7.7 Policy for determining Material Subsidiary:

In compliance with Regulation 46(2)(h) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via

following link http://www.unionbankofindia.co.in/Policy_For_Determining_Material_Subsiary.aspx. However as on date there is no material subsidiary of the Bank.

7.8 Related Party Transaction Policy:

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link <http://www.unionbankofindia.co.in/RelatedPartyTransactionPolicyforWebsite.aspx>.

7.9 Management Discussion and Analysis:

The same has been given separately in the Annual Report.

7.10 Compliance Reports on Corporate Governance:

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format

to the BSE & NSE within 15 days from close of the respective quarter.

7.11 Dissemination of Information on Website:

The Bank has disseminated the required information under clause (b) to (i) of sub-regulation 46 of Listing Regulations on its website www.unionbankofindia.co.in.

8 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

9 SHAREHOLDERS' INFORMATION

9.1 The Bank's equity shares are listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

Bombay Stock Exchange Limited (BSE)	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	UNIONBANK-EQ

The Annual Listing Fee for Equity Shares for the financial year 2017-18 has been paid to the Stock Exchanges before 30th April, 2017.

The Bank has issued Unsecured Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2017 are as under:

Series	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
Bond Series XI- 1 st Tranche (Lower Tier II)	400	12.12.2007	12.04.2018	Fixed 9.35%	INE692A09134
Bond Series XI- 2 nd Tranche	200	12.12.2007	Perpetual	9.90% Upto 10 YRS Stepped upto 10.40% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09142
Bond Series XII (Perpetual)	200	09.09.2008	Perpetual	11.15% Upto 10 YRS Stepped upto 11.65% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09159
Bond Series XII (Lower Tier II)	400	17.09.2008	17.09.2018	Fixed 10.95%	INE692A09167
Bond Series XII (Lower Tier II)	200	23.12.2008	23.12.2018	Fixed 9.50%	INE692A09175
Bond Series XII (Lower Tier II)	200	30.12.2008	30.12.2018	Fixed 8.60%	INE692A09183
Bond Series XII (Perpetual)	140	30.03.2009	Perpetual	9.10% Upto 10 YRS Stepped upto 9.60% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09191
Bond Series XIV –A (Perpetual)	200	16.06.2009	Perpetual	8.85% Upto 10 YRS Stepped upto 9.35% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09209
Bond Series XIV-B (Upper Tier II)	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65% Upto 10 YRS Stepped upto 9.15% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09217

Series	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
Bond Series XIV-C (Upper Tier II)	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55% Upto 10 YRS Stepped upto 9.05% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09225
Bond Series XV-A (Upper Tier II)	500	28.06.2010	15 YEARS 28.06.2025	8.48% Upto 10 YRS Stepped upto 8.98% after 10 th year, if call option not exercised.	INE692A09233
Bond Series XVI-B (Lower Tier II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%	INE692A09241
Bond Series XVII-A (Basel III Compliant Tier II Bonds)	2,000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%	INE692A09266
Bond Series XVIII (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1,000	29.03.2016	29.03.2026	8.61%	INE692A09274
Bond Series XIX (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1,000	22.08.2016	22.08.2026	8.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter till maturity.	INE692A08011
Bond Series XX (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	1,000	15.09.2016	Perpetual	9.50% Call option may be exercised after completion of 10 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08029
Bond Series XXI (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	1,000	04.11.2016	Perpetual	9.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08037
Bond Series XXII (Basel III Compliant Tier II Bonds)	750	24.11.2016	24.11.2026	8.00%	INE692A08045
Bond Series XXIII Tranche-1 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	250	29.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08052
(Bond Series XXIII Tranche -2 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	750	30.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08060
Bond Series XXIII Tranche -3 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	500	31.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08078
TOTAL	12,490				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for these Bonds for F.Y. 2017-18 to the Stock Exchange.

9.2 Dividend:

Considering need for ploughing back profits for augmenting Capital Adequacy Ratio in line with RBI guidelines, the Board of Directors has decided not to declare dividend for the year 2016-17.

9.3 Particulars of AGM:

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	8 th May, 2017
Date, Time & Venue of AGM	Friday, 23 rd June, 2017 at 11:30 A.M. Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before Wednesday, 31 st May, 2017
Dates of Book Closure	17 th June, 2017 to 23 rd June, 2017

9.4 Financial Calendar:

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2017-18 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2017	By August 6, 2017
For the quarter ending September 30, 2017	By November 6, 2017
For the quarter ending December 31, 2017	By February 8, 2018
For the year ending March 31, 2018	By May 12, 2018

9.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfers of shares are duly affected within the period of 15 days from the date of their lodgment with proper documents. The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed **M/s. Datamatics Financial Services Limited** as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their requests/complaints.

Registrar & Share Transfer Agent (RTA)

M/s. Datamatics Financial Services Ltd.
Unit: Union Bank of India
Plot No. B-5, Part B Crosslane, MIDC
Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel-(022) 66712151-60
Fax-(022) 28213404
E-mail: ubiinvestors@dfssl.com

Company Secretary

Investor Services Division
Union Bank of India
12th Floor, Central Office,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai-400 021.
Tel-(022) 2289 6636
Fax-(022) 22025238
E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

9.6 Other Communications:

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

- Half-yearly performance
- Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

9.7 Dematerialisation of shares:

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692A01016**.

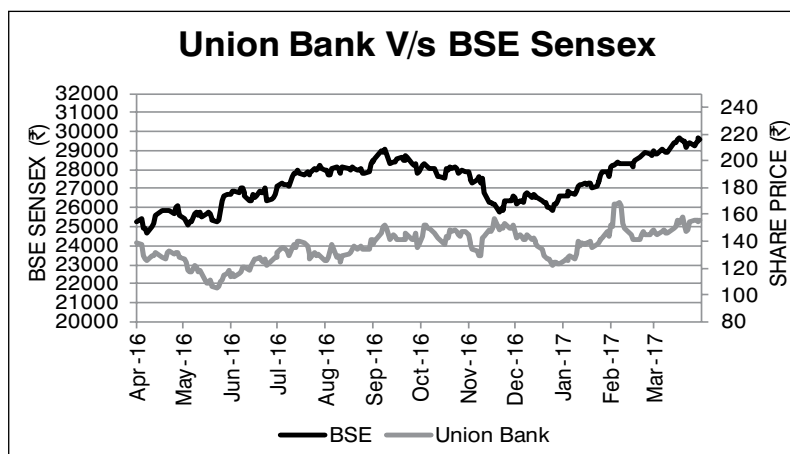
Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from the need of safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2017 are as under:-

Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of shareholding
Physical	59,221	1,30,09,766	1.89
Demat			
NSDL	1,07,711	22,00,58,556	32.01
CDSL	74,437	45,43,72,795	66.10
TOTAL	2,41,369	68,74,41,117	100.00

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant / Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

9.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges:

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High	Low
Apr' 16	141.15	123.50	1,02,81,120	141.20	123.60	8,27,94,858	26,100.54	24,523.20
May'16	128.75	104.50	1,26,28,821	128.80	104.50	10,21,96,259	26,837.20	25,057.93
Jun' 16	129.85	112.20	1,42,25,040	130.00	112.30	11,18,94,483	27,105.41	25,911.33
Jul' 16	143.70	125.65	1,60,66,368	143.75	125.65	12,94,73,356	28,240.20	27,034.14
Aug' 16	144.10	122.10	1,44,16,215	144.50	122.40	12,10,63,258	28,532.25	27,627.97
Sep' 16	154.20	131.80	1,14,71,978	154.20	132.45	9,38,00,907	29,077.28	27,716.78
Oct' 16	154.80	136.70	94,06,881	155.00	136.10	8,40,35,822	28,477.65	27,488.30
Nov' 16	159.60	116.25	1,68,36,210	159.60	116.00	14,13,00,173	28,029.80	25,717.93
Dec' 16	153.00	119.80	93,75,594	153.00	119.80	6,93,39,107	26,803.76	25,753.74
Jan' 17	151.95	121.95	1,00,70,903	152.50	121.50	7,53,11,704	27,980.39	26,447.06
Feb' 17	172.65	140.35	1,65,61,659	172.50	140.30	12,60,54,891	29,065.31	27,590.10
Mar' 17	158.75	143.20	94,23,578	158.90	143.25	7,49,03,407	29,824.62	28,716.21
Closing Price as on 31.03.17	₹ 155.95			₹ 155.90				
Market Capitalization	₹ 10,720.64 crore			₹ 10,717.21 crore				



* Source-NSE/BSE Website (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

9.9 Distribution of Shareholding:

The Government of India is holding 43.61 crores equity shares of ₹ 10 each aggregating to ₹ 436.11 crores in the total issued & subscribed capital of ₹ 687.44 crores. The distribution of shareholding as of 31/03/2017 and as of 31/03/2016 is as under:

Shareholding	As of 31/03/2017				As of 31/03/2016			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Upto 500	2,16,474	89.68	3,02,92,802	4.41	2,18,144	89.71	3,05,55,830	4.44
501 to 1000	18,017	7.46	1,23,15,508	1.79	18,180	7.47	1,23,51,399	1.80
1001 to 2000	4,334	1.80	61,36,488	0.89	4,330	1.78	60,88,580	0.89
2001 to 3000	1,003	0.42	25,21,023	0.37	1,007	0.41	25,27,328	0.37
3001 to 4000	399	0.17	14,28,312	0.21	384	0.16	13,66,046	0.20
4001 to 5000	248	0.10	11,64,346	0.17	219	0.09	10,23,058	0.15
5001 to 10000	387	0.16	27,80,782	0.40	386	0.16	27,91,246	0.40
10001 & above	507	0.21	63,08,01,856	91.76	504	0.21	63,07,37,630	91.75
Total	2,41,369	100.00	68,74,41,117	100.00	2,43,154	100.00	68,74,41,117	100.00

The face value of Bank's share is ₹ 10/-.

9.10 Shareholding pattern:

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31/03/2017 and as of 31/03/2016 is as follows:

Category of shareholder	As of 31/03/2017		As of 31/03/2016	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	43,61,06,597	63.44	43,61,06,597	63.44
Non Residents (FIIs/OCBs/NRIs)	3,55,32,068	5.17	6,10,30,994	8.88
Banks/Financial Institutions/ Insurance Cos.	7,70,27,187	11.20	7,54,88,481	10.98
Mutual Fund/ UTI	6,60,29,658	9.61	4,26,93,840	6.21
Domestic Companies/Private Corporate Bodies/Trust	1,30,70,096	1.90	1,34,48,185	1.96
Resident Individuals	5,96,75,511	8.68	5,86,73,019	8.53
Total	68,74,41,117	100.00	68,74,41,117	100.00

9.11 List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2017 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	President of India	43,61,06,597	63.44
2	Life Insurance Corporation of India	7,04,21,019	10.24
3	HDFC Trustee Company Ltd - A/c HDFC Mid-Capopportunities Fund	3,27,63,128	4.77
4	ICICI Prudential Balanced Advantage Fund	1,07,75,294	1.57
5	L and T Mutual Fund Trustee Ltd - L and T Equity Fund	72,78,300	1.06
6	DSP Blackrock Balanced Fund	59,90,934	0.87
7	The New India Assurance Company Limited	26,07,657	0.38
8	Dimensional Emerging Markets Value Fund	24,51,981	0.36
9	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Aseries of Vanguard International Equity Inde X Fund	22,98,774	0.33
10	GMO Implementation Fund A Series of GMO Trust	22,87,714	0.33
	Total	57,29,81,398	83.35

9.12 Unclaimed /Unpaid Dividend:

The amount of dividend that remained unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. The list of dividends declared so far and proposed date of transfer for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Proposed Date of Transfer
Dividend for 2009-10	55%	09-08-17
Dividend for 2010-11	80%	08-08-18
Dividend for 2011-12	80%	06-08-19
Dividend for 2012-13	80%	06-08-20
Interim Dividend 2013-14	27%	18-02-21
Final Dividend 2013-14	13%	05-08-21
Dividend for 2014-15	60%	05-08-22
Dividend for 2015-16	19.50%	08-08-23

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Share Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.co.in).

9.13 Unclaimed Shares:

a) In Demat Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares (erstwhile clause 5A-I of listing agreement) Regulations, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to

their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2016 lying in Demat Suspense Account	230	28,479
Shareholders approached for transfer during the financial year 2016-17	5	983
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2016-17	5	983
Balance as on 31.03.2017 lying in Demat Suspense Account	225	27,496

The voting rights on above mentioned 27,496 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Physical Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares (erstwhile Clause 5A-II of the listing agreement) the Bank has opened an Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2016 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2016-17	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2016-17	NIL	NIL
Balance as on 31.03.2017 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

10 EXTENT OF COMPLIANCE WITH DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF LISTING REGULATIONS

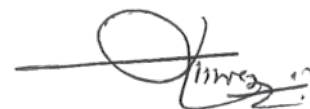
Sr. No.	Discretionary Requirement	Extent of Compliance
1.	Board A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board of the Bank is headed by an Executive Chairman & Managing Director appointed by Govt. of India, hence, the clause is not applicable as it relates to maintenance of office by a non executive Chairperson.
2.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	Complied with.
3.	Modified opinion(s) in Audit Report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There has been no modified opinion in audit report during the year under review, hence complied with.

Sr. No.	Discretionary Requirement	Extent of Compliance
4.	Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	Not applicable. Appointment of Chairman & Managing Director done by Government of India.
5.	Reporting of Internal Auditor The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	As per the Board approved Risk Based Internal Audit Policy, the Internal Auditors report directly to the General Manager, Central Audit & Inspection Department. However, details with latest position of Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed before the Audit Committee of the Board.

11 DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2016-17.

For Union Bank of India



(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date : 8th May, 2017

To
The Board of Directors
Union Bank of India
Mumbai

Re: Certificate Under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2016-17) and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –
- (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India

For Union Bank of India

(Sreenivasa Rao B.)
Dy. General Manager & CFO

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 8th May, 2017.

Independent Auditor's Certificate on Corporate Governance

To The Members of Union Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2017 as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

FOR G. P. KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 104768W

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000497N

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.103142W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
M.NO.030547

(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER
M.NO.084205

(TANSUKH CHHEDA)
PARTNER
M.NO.047157

FOR SUNDAR SRINI& SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 004201S

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 313085E

FOR S BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000560C

(S. SRIDHAR)
PARTNER
M.NO.025504

(DILLIP AGARWALLA)
PARTNER
M.NO.055420

(P P PAREEK)
PARTNER
M.NO.071213

Place: MUMBAI.

Date: 8th MAY, 2017

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Members of Union Bank of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Union Bank of India ("the Bank") as at 31st March, 2017, which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2017, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are returns of 20 branches including 1 Treasury branch, 18 Regional offices, 23 offices/centres audited by us, 2121 branches audited by Statutory Branch Auditors and 4 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss are the returns from 2137 branches, 44 regional offices and 96 offices/centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.88 per cent of advances, 24.88 per cent of deposits, 6.66 per cent of interest income and 24.41 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, accounting principles generally accepted in India alongwith recognition and measurement principles laid down in the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Bank and the guidelines and circulars issued by Reserve Bank of India from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used, the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - a. the Balance Sheet, read with the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b. The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and
 - c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that:

- a. The Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
- b. the reports on the accounts of the branch offices audited by statutory branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

FOR G. P. KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.104768W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
M.NO.030547

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000497N

(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER
M.NO.084205

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.103142W

(TANSUKH CHHEDA)
PARTNER
M.NO.047157

FOR SUNDAR SRINI& SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.004201S

(S. SRIDHAR)
PARTNER
M.NO.025504

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.313085E

(DILLIP AGARWALLA)
PARTNER
M.NO.055420

FOR S BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000560C

(P P PAREEK)
PARTNER
M.NO.071213

Place: Mumbai.

Date: 8th May, 2017

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31 st March 2017	As on 31 st March 2016
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	6,87,44,11	6,87,44,11
Reserves And Surplus	2	2,27,47,75,59	2,22,03,76,58
Share Application Money		5,41,00,00	-
Deposits	3	37,83,91,57,55	34,27,20,00,92
Borrowings	4	4,12,25,87,30	3,09,57,35,18
Other Liabilities And Provisions	5	91,10,79,47	81,27,33,45
TOTAL		45,27,04,44,02	40,46,95,90,24
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	1,65,20,44,74	1,56,04,72,09
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1,63,02,05,45	1,36,71,49,95
Investments	8	11,21,48,95,95	8,92,08,34,61
Advances	9	28,64,66,57,70	26,73,54,00,19
Fixed Assets	10	38,94,41,50	39,39,87,28
Other Assets	11	1,73,71,98,68	1,49,17,46,12
TOTAL		45,27,04,44,02	40,46,95,90,24
CONTINGENT LIABILITIES	12	23,16,00,86,31	39,37,16,40,14
BILLS FOR COLLECTION		1,61,19,39,73	1,50,30,34,09
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
NOTES TO ACCOUNTS	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

(DHIRENDRA JAIN)

Asst. General Manager

(B SREENIVASA RAO)

Dy. General Manager & CFO

(ATUL KUMAR GOEL)

Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)

Executive Director

(VINOD KATHURIA)

Executive Director

(ARUN TIWARI)

Chairman & Managing Director

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)

Director

(ANIL KUMAR MISRA)

Director

(Dr. K. RAMESHA)

Director

(Dr. R. H. DHOLAKIA)

Director

(G. K. LATH)

Director

(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR)

Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR G P KAPADIA & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS.

Firm Regn. No.104768W

(NIMESH BHIMANI)

Partner

(M.No.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No.004201S

(S. SRIDHAR)

Partner

(M.No.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No.000497N

(SANJEEVA NARAYAN)

Partner

(M.No.084205)

FOR P A & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No.313085E

(DILLIP AGARWALLA)

Partner

(M.No.055420)

FOR GBCA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No.103142W

(TANSUKH CHHEDA)

Partner

(M.No.047157)

FOR S BHANDARI & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No. 000560C

(P. P. PAREEK)

Partner

(M.No. 071213)

PLACE : MUMBAI

DATE : 8th MAY, 2017.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31 st March 2017	For the Year Ended 31 st March 2016
I. INCOME			
Interest Earned	13	3,26,59,98,01	3,21,98,80,08
Other Income	14	49,64,59,89	36,31,73,54
TOTAL		3,76,24,57,90	3,58,30,53,62
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	2,37,56,64,48	2,38,85,70,21
Operating Expenses	16	64,37,84,48	63,02,21,57
Provision And Contingencies		68,74,87,63	42,91,01,61
TOTAL		3,70,69,36,59	3,44,78,93,39
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR		5,55,21,31	13,51,60,23
ADD : PROFIT BROUGHT FORWARD		36	41,62
TOTAL		5,55,21,67	13,52,01,85
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		1,38,75,00	4,05,50,00
Transfer to Capital Reserve		2,31,46,67	44,84,70
Transfer to Revenue and Other Reserves		0	5,48,17,00
Proposed Dividend		0	1,34,05,10
Provision for Div on PNCPS		0	0
Dividend Tax		0	27,44,69
Transfer to Special Reserve [Sec36(I)(viii) of the Income Tax Act,1961]		1,85,00,00	1,92,00,00
Balance in Profit and Loss Account			36
TOTAL		5,55,21,67	13,52,01,85
EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (in ₹)		8.08	20.42
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

(DHIRENDRA JAIN)

Asst. General Manager

(B SREENIVASA RAO)

Dy. General Manager & CFO

(ATUL KUMAR GOEL)

Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)

Executive Director

(VINOD KATHURIA)

Executive Director

(ARUN TIWARI)

Chairman & Managing Director

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)

Director

(ANIL KUMAR MISRA)

Director

(Dr. K. RAMESHA)

Director

(Dr. R. H. DHOLAKIA)

Director

(G. K. LATH)

Director

(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR)

Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR G P KAPADIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS.

Firm Regn. No.104768W

(NIMESH BHIMANI)

Partner

(M.No.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No.004201S

(S. SRIDHAR)

Partner

(M.No.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No.000497N

(SANJEEVA NARAYAN)

Partner

(M.No.084205)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No.313085E

(DILLIP AGARWALLA)

Partner

(M.No.055420)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No.103142W

(TANSUKH CHHEDA)

Partner

(M.No.047157)

FOR S BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn. No. 000560C

(P. P. PAREEK)

Partner

(M.No. 071213)

PLACE : MUMBAI

DATE : 8th MAY, 2017.

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000')

	As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	30,00,00,00	30,00,00,00
II. Issued, Subscribed & Paid up :		
i. 43,61,06,597 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Central Government (Prev.Year 43,61,06,597 Equity Shares)	4,36,10,66	4,36,10,66
ii. 25,13,34,520 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Public (Prev.Year 25,13,34,520 Equity Shares)	2,51,33,45	2,51,33,45
TOTAL	6,87,44,11	6,87,44,11

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :

I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	65,31,86,10		61,26,36,10	
Addition during the year	1,38,75,00	66,70,61,10	4,05,50,00	65,31,86,10
II. Capital Reserve :				
As per last Balance Sheet	8,48,09,83		8,03,25,13	
Addition during the year	2,31,46,67	10,79,56,50	44,84,70	8,48,09,83
III. Revaluation Reserve :				
As per last Balance Sheet	25,81,23,72		14,24,70,51	
Addition during the year	0		12,13,09,62	
Deduction during the year	1,24,43,95	24,56,79,77	56,56,41	25,81,23,72
IV. Share Premium :				
As per last Balance Sheet	44,84,37,91		34,57,12,14	
Addition during the year	0	44,84,37,91	10,27,25,77	44,84,37,91
V. Revenue Reserves :				
i) Revenue and other Reserves :				
As per last Balance Sheet	49,60,42,75		47,64,88,00	
Addition during the year	1,13,49,00		5,48,17,00	
Deduction during the year	0		3,52,62,25	
TOTAL	50,73,91,75		49,60,42,75	
ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961				
As per last Balance Sheet	26,90,00,00		24,98,00,00	
Addition during the year	1,85,00,00		1,92,00,00	
TOTAL	28,75,00,00		26,90,00,00	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last Balance Sheet	1,07,75,91		50,36,81	
Addition during the year	-27,71		57,39,10	
TOTAL	1,07,48,20	80,56,39,95	1,07,75,91	77,58,18,66
vi) Balance in Profit and Loss Account		36		36
TOTAL		2,27,47,75,59		2,22,03,76,58

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000')

As on 31.3.2017

As on 31.3.2016

SCHEDULE 3 - DEPOSITS :

A)				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	4,99,72,53		5,54,54,65	
ii) From Others	2,57,36,55,69	2,62,36,28,22	2,91,88,59,95	2,97,43,14,60
II. Savings Bank Deposits		10,40,72,42,64		8,11,32,61,70
III. Term Deposits				
i) From Banks	75,23,06,22		1,03,27,18,56	
ii) From Others	24,05,59,80,47	24,80,82,86,69	22,15,17,06,06	23,18,44,24,62
TOTAL		37,83,91,57,55		34,27,20,00,92
B)				
i) Deposits of branches in India		37,17,75,66,53		33,60,86,39,68
ii) Deposits of branches outside India		66,15,91,02		66,33,61,24
TOTAL		37,83,91,57,55		34,27,20,00,92

SCHEDULE 4 - BORROWINGS :

A) Borrowings : Capital Instruments				
I. Perpetual Bonds		42,40,00,00		10,40,00,00
II. Upper Tier II Capital		15,00,00,00		22,50,00,00
III. Lower Tier II Capital		67,50,00,00		52,00,00,00
B) Borrowings in India				
I. Other Banks	14,40,35,26		4,14,15,39	
II. Other Institutions and Agencies	17,51,18,59	31,91,53,85	12,52,60,08	16,66,75,47
C) Borrowings Outside India		2,55,44,33,45		2,08,00,59,71
TOTAL		4,12,25,87,30		3,09,57,35,18

Secured Borrowings included in (B)I & (B)II above	6,41,11,76	9,56,19,34

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :

I. Bills Payable	14,95,55,51	17,45,34,68
II. Interest Accrued	16,54,79,81	10,40,14,36
III. Deferred Tax Liability	0	0
IV. Others (including provisions)	59,60,44,15	53,41,84,41
TOTAL	91,10,79,47	81,27,33,45

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE

BANK OF INDIA:

I. Cash in hand			
(including foreign currency notes & Gold)	10,30,79,64		11,24,81,40
II. Balances with Reserve Bank of India			
In Current Account	1,54,89,65,10		1,44,79,90,69
TOTAL	1,65,20,44,74		1,56,04,72,09

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000')

As on 31.3.2017

As on 31.3.2016

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :

I. Balances with banks in India				
i) a) In Current Accounts	39,30,18		51,95,54	
b) In Other Deposit Accounts	56,08,93,29		35,44,79,43	
ii) Money at Call and short notice				
a) with Banks	0		3,00,00,00	
b) with Other Institutions	0	56,48,23,47	20,45,91	39,17,20,88
II. Outside India				
i) In Current Accounts	1,31,89,42		25,20,95,90	
ii) In other Deposit Accounts	1,03,42,39,11		71,91,81,48	
iii) Money at call & Short Notice	1,79,53,45	1,06,53,81,98	41,51,69	97,54,29,07
TOTAL		1,63,02,05,45		1,36,71,49,95

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :

I. Investments in India				
i) Government Securities	8,75,49,12,35		7,14,68,97,51	
ii) Shares	20,06,06,19		12,37,04,82	
iii) Debentures and Bonds	1,72,21,70,14		1,33,53,37,71	
iv) Subsidiaries and joint ventures	2,27,31,69		1,29,43,76	
v) Others				
- Commercial Paper	14,68,95,73		1,43,30,28	
- Mutual Funds	10,13,61,21		8,60,05,50	
- Security Receipt by ARCIL	7,58,42,34	32,40,99,28	5,80,61,08	15,83,96,86
TOTAL		11,02,45,19,65		8,77,72,80,66
II. Investments outside India				
i) Govt. Securities (Incl. Local Auth.)	9,41,79,29		5,91,34,80	
ii) Shares	40,32		40,32	
iii) Other Investments (Bonds)	4,47,22,18		5,30,44,33	
iv) Subsidiaries and Joint Ventures	5,14,34,51		3,13,34,50	
TOTAL		19,03,76,30		14,35,53,95
TOTAL		11,21,48,95,95		8,92,08,34,61
III. i) Investments in India				
Gross Value	11,14,29,54,89		8,83,26,60,78	
Provision for Depreciation	11,84,35,24		5,53,80,12	
Net Value	11,02,45,19,65		8,77,72,80,66	
ii) Investments outside India				
Gross Value/Net Value	19,03,76,29		14,35,53,95	
TOTAL		11,21,48,95,95		8,92,08,34,61

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000')

As on 31.3.2017

As on 31.3.2016

SCHEDULE 9 - ADVANCES

A. i)	Bills purchased and discounted	1,18,24,74,43	82,30,60,56
ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	13,32,53,28,33	13,17,79,77,73
iii)	Term Loans	14,13,88,54,95	12,73,43,61,90
	TOTAL	28,64,66,57,70	26,73,54,00,19
B. i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	24,96,01,06,14	21,90,80,04,87
ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	1,11,23,87,13	1,29,10,52,85
iii)	Unsecured	2,57,41,64,44	3,53,63,42,47
	TOTAL	28,64,66,57,70	26,73,54,00,19
C.	Sectorial Classification of Advances		
I.	Advances in India:		
i)	Priority Sector	10,42,19,00,27	9,50,48,45,13
ii)	Public Sector	1,67,62,97,70	1,33,12,66,33
iii)	Banks	26,51,94,23	8,57,98,91
iv)	Others	13,42,20,18,32	13,23,20,65,86
	TOTAL	25,78,54,10,52	24,15,39,76,23
II.	Advances Outside India:		
i)	Due From Banks	84,71,56,56	75,74,20,51
ii)	Due from Others		
a)	Bills Purchased and Discounted	83,29,30,75	44,99,00,97
b)	Syndicated loans	3,59,61,38	8,53,21,66
c)	Others	1,14,51,98,49	1,28,87,80,82
	TOTAL	2,86,12,47,18	2,58,14,23,96
	TOTAL	28,64,66,57,70	26,73,54,00,19

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

A. TANGIBLE ASSETS

I. Premises

At cost/valuation as per last Balance Sheet	37,22,51,94	24,17,82,46
Additions during the year	79,73,10	13,04,69,48
Deduction during the year	3,86,00	-
	37,98,39,04	37,22,51,94
Less: Depreciation to date	8,28,65,12	29,69,73,92
		6,79,08,37
		30,43,43,57

II. Capital Work in Progress

At cost as per last Balance Sheet	11,78,33	4,13,62
Additions during the year	9,43,45	9,22,27
Deductions during the year	28,40	20,93,38
		1,57,56
		11,78,33

III. Land

At cost as per last Balance Sheet	72,68,05	61,66,84
Additions during the year	3,62,29	11,01,21
	76,30,34	72,68,05
Less : Depreciation to date	4,66,14	71,64,20
		3,80,37
		68,87,68

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000')

As on 31.3.2017

As on 31.3.2016

IV. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)			
a) Assets given on lease			
At cost as per last Balance Sheet	26,53,52		26,53,52
Less: Depreciation to date	26,53,52		26,53,52
	-		-
b) Others			
At cost/valuation as per last Balance Sheet	22,47,94,72		20,74,55,70
Additions during the year	2,01,06,12		2,38,26,53
	24,49,00,84		23,12,82,23
Deductions during the year	47,52,15		64,87,51
	24,01,48,69		22,47,94,72
Less: Depreciation to date	15,93,01,43	8,08,47,26	14,54,42,17
			7,93,52,55
B. INTANGIBLE ASSETS			
Computer Software			
At cost as per last Balance Sheet	1,96,87,02		1,75,35,22
Additions during the year	22,71,72		21,51,80
Deduction during the Year	4,36,22		0
	2,15,22,52		1,96,87,02
Amortisation till date	1,91,59,78	23,62,74	1,74,61,87
			22,25,15
TOTAL		38,94,41,50	39,39,87,28

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :

I. Inter-Office Adjustments (net)	14,86,17,49		19,67,49,20
II. Interest Accrued	23,78,73,99		22,94,92,65
III. Deferred Tax Assets	22,94,16,00		4,15,55,00
IV. Stationery and stamps	3,15,27		3,74,87
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	3,90		3,90
VI. Others	1,12,09,72,03		1,02,35,70,50
TOTAL	1,73,71,98,68		1,49,17,46,12

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :

I. Claims against the bank not acknowledged as debts	35,32,46,29		38,57,15,36
II. Liability for partly paid Investments	59,20		59,20
III. Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	18,04,39,10,57		34,74,37,04,38
IV. Guarantees given on behalf of Constituents			
a) In India	1,45,66,77,78		1,36,49,82,25
b) Outside India	5,18,67,48	1,50,85,45,26	3,22,71,60
			1,39,72,53,85
V. Acceptances, endorsements and other obligations	3,00,31,19,04		2,74,60,11,35
VI. Other items for which Bank is Contingently Liable			
a) Disputed Tax demands under appeals	24,29,83,75		2,84,06,00
b) Amt. Trfd. to DEAF Scheme 2014	82,22,20		7,04,90,00
		25,12,05,95	9,88,96,00
TOTAL		23,16,00,86,31	39,37,16,40,14

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000')

	As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/Discount on advances/bills	2,29,43,10,10	2,36,58,06,09
II. Income on Investments	86,95,09,60	75,35,14,54
III. Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	8 80 53 76	8,16,13,85
IV. Others	1,41,24,55	1,89,45,60
TOTAL	3,26,59,98,01	3,21,98,80,08
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	4,68,72,64	4,09,76,74
II. Profit on sale of investments Profit	20,58,66,29	9,16,36,59
Less: Loss		
III. Profit / (Loss) on sale of land, buildings & other assets (net) Profit	25,83,22	-1,79,14
Less: Loss		
IV. Profit on exchange transactions - net Profit	9,52,33,80	9,77,60,93
Less: Loss		
V. Miscellaneous Income	14,59,03,94	13,29,78,42
TOTAL	49,64,59,89	36,31,73,54
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on Deposits	2,19,99,09,38	2,20,77,44,46
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	4,80,60,80	5,40,83,38
III. Others	12,76,94,30	12,67,42,37
TOTAL	2,37,56,64,48	2,38,85,70,21
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	34,34,20,28	36,99,29,03
II. Rent, Taxes and Lighting	5,11,33,33	4,70,04,83
III. Printing and Stationery	58,12,21	51,75,64
IV. Advertisement and Publicity	66,98,32	69,25,01
V. Depreciation on Bank's property	2,36,03,98	2,44,11,42
VI. Directors' fees, allowances and expenses	83,73	1,19,35
VII. Remuneration to Managing/Executive Director	72,39	71,83
VIII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	41,12,88	35,04,69
IX. Law Charges	21,86,12	21,41,97
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	78,95,96	75,70,80
XI. Repairs and maintenance	1,14,15,34	1,13,29,13
XII. Insurance	3,77,00,03	3,26,85,59
XIII. Other expenditure	14,96,49,91	11,93,52,28
TOTAL	64,37,84,48	63,02,21,57

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2016-2017

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: SCHEDULE 17

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on-going concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions of practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. Revenue Recognition

- i) Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- ii) Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.
- iii) Bank commission, exchange and brokerage earned (including Third Party Product's income), rent on Safe Deposit Lockers, commission on biometric cards, income from Aadhar cards etc. are accounted for on realization basis.
- iv) Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:
 - a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.
 - b) On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

- v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

4. Cash Flow Statements

Cash and Cash equivalents include Cash in hand, Balances with RBI, Balances with other Banks and Money at call and short notice.

5. Investments

- i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:
 - a) Government Securities
 - b) Other Approved Securities
 - c) Shares
 - d) Debentures & Bonds
 - e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures and
 - f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines contained in Master Circular DBR.No.BP.BC.6/21.04.141 /2015-16 dated 1st July 2015 into three categories viz.,

- a) Held to Maturity (HTM)
- b) Available for Sale (AFS)
- c) Held for Trading (HFT)
- ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation
 - a) Securities held in "HTM" – at acquisition cost. The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.
 - b) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
 - c) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
 - d) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
 - e) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit & Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

f) Valuation of securities is arrived at as follows:

a	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
b	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
c	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at ₹ 1/- per Company.
d	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
e	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
f	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
g	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
h	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹ 1/- per VCF
i	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Interbank Repo/ Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

- From HTM category to AFS/HFT category,

- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost / book value

- If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation / provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit & Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

6. Derivative Contracts

i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing Asset or Liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an Asset or Liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the Asset / Liability.

ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

iii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDI)

from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7. Advances

7.1 All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI in terms of Master Circular DBR.BPBC No.2/21.04.048/2015-16 dated 01st July 2015 as under:

7.2 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan Assets become Non-Performing Assets (NPAs) where:

- In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
- In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period
- In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
- In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons.
- In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season

7.3 NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months
- Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months
- Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

7.4 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-Standard Assets:	- A general of 15% of the total outstanding - Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio - Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%
Doubtful-Secured Portion	- Upto one year – 25% - One to three years – 40% - More than three years – 100%
Doubtful-Unsecured Portion	100%
Loss Asset	100%

7.5 Advances are stated net of specific loan loss provisions, Counter cyclical provisioning buffer, Provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in Sundry /claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

7.6 In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

7.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs.

7.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

7.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery

7.10 The general provision on Standard Advances is held in “Other Liabilities and Provisions” reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

8. Fixed Assets and Depreciation

- Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use less trade discounts

and rebates. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

- ii) Application Software is capitalized and clubbed under Intangible assets. Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer hardware and on ATM is provided on Straight Line Method (SLM) at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.
- iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under:

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterrupted Power Supply Equipments(UPS)	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

- iv) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.
- v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.
- vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.
- vii) Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

9. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater

of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy of creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for Advances and Investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The Counter Cyclical Provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11. Transactions involving Foreign Exchange

11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as

- a) Integral Operations and
- b) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

- a. Translation in respect of Integral Operations
 - i. Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
 - ii. Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
 - iii. Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.
 - iv. The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.
 - v. Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for

contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

- b. Translation in respect of Non Integral Operations
 - i. Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter
 - ii. Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
 - iii. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
 - iv. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12. Employee Benefits

Retirement benefit in the form of Provident Fund is a defined contribution scheme. The contributions to the Provident Fund are charged to the Profit & Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation other than the contribution payable to the Provident Fund.

Gratuity, Pension and provision towards Leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 (Revised) "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulations of the respective countries.

13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Business segments are classified into

- (a) Treasury Operations,
- (b) Corporate and Wholesale Banking,

- (c) Retail Banking Operations and
- (d) Other Banking Operations.

14. Lease Transactions

Lease payments for Assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease/rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15. Earnings per Share

Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity share holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

16. Taxation

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2016-2017

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS:

1. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

1.1 CAPITAL

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 9% with minimum CET I of 5.5% and minimum Tier I CRAR OF 7% as at March 31, 2017.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%)		
	Basel II	Nil	Nil
	Basel III	7.71	7.95
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel II	9.35	8.23
	Basel III	9.02	8.14
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel II	3.56	2.91
	Basel III	2.77	2.42
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel II	12.91	11.14
	Basel III	11.79	10.56
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	63.44	63.44
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	Nil	51.66
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore) (Perpetual Debt Instruments)	3,500	Nil
Viii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	1,750	1,000
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	1,750	1,000

NOTE:

- During the reporting period (i.e. 2016-17) the Bank has raised ₹. 3500 Crore by way of issuing Additional Tier – I (AT-1) Bonds and ₹. 1750 Crore by way of issuing Tier – 2 Bonds.
- During the reporting period (i.e. 2016-17) the Government of India vide its letter No. 7/38/2014-BOA dated 31st March 2017 infused ₹. 541 Crore which has been controlled under Share Application Money , pending allotment.

2 INVESTMENTS

2.1 The detail of Investments and the Movement of provision held towards depreciation on investments of the Bank is given below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	1,11,942.41	88,640.36
	(a) In India	1,11,427.66	88,326.61
	(b) Outside India	514.75	313.75
ii)	Provisions for Depreciation	1,182.46	553.80
	(a) In India	1,182.46	553.80
	(b) Outside India	Nil	Nil
iii)	Net Value of Investments	1,10,759.95	88,086.57
	(a) In India	1,10,245.20	87,772.82
	(b) Outside India	514.75	313.75
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	553.80	404.52
ii)	Add: Provisions made during the year	720.16	480.77
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	91.50	331.49
iv)	Closing balance	1,182.46	553.80

2.2 REPO Transactions (In face value terms)

The following tables set forth for the periods indicated, the details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively including transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF).

(₹ in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2017
A	Securities sold under Repo				
i)	Government securities	2.00	11,155.71	1,506.28	13,335.13
ii)	Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil
B	Securities purchased under Reverse Repo				
i)	Government securities	10.00	24,594.00	3,797.72	3,100.00
ii)	Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

i. Issuer composition of Non SLR Investments

The issuer composition of investments in securities, other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities**	Extent of Unlisted Securities**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	11,350.23	10,781.41	Nil	0.58	0.58
ii)	FIs	1,252.44	491.80	Nil	Nil	Nil
iii)	Banks	315.45	254.00	Nil	Nil	Nil
iv)	Private Corporate	8,613.33	5,696.79	141.37	14.85	196.59
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures*	741.66	741.66	Nil	Nil	Nil
vi)	Others	1,841.92	1,172.04	Nil	Nil	Nil
vii)	Provision held towards depreciation	(904.21)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	23,210.82	19,137.70	141.37	15.43	197.17

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Shares	1,782.46	1,237.45
Debentures and Bonds	17,221.70	13,353.37
Subsidiaries and Joint Ventures	741.66	410.86
Others	3,465.00	1,583.97
TOTAL	23,210.82	16,585.65

NOTE: The balance depreciation provision as per the RBI Circular on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets dated June 13, 2016 and Guidelines on Sale of Stressed Assets by Banks dated September 1, 2016 is ₹.111.50 crore.

** Unrated & unlisted securities disclosed includes only Ratings and Listing of securities required as per Master Circular Dated 01.7.2015 issued by RBI.

NOTE: RBI vide the circular RBI/2015-16/127 DBR.BPBC. No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015 advised that commencing April 1, 2015 deposit placed with NABARD/SIDBI/NHB on account of shortfall in priority sector targets should be included under schedule 11-other assets under the subheads 'Others' of the balance sheet. The exposure to RIDF of NABARD/SIDBI/NHB as of 31/03/2017 aggregating to ₹.8,693.68 crore is included under other assets. The same for the previous year ended 31/03/2016 was ₹.8,076.88 crore.

ii. Non performing Non-SLR investments

The movement in gross non performing investments in securities other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance	244.19	203.02
Additions during the year	1,853.35	51.38
Reductions during the year	6.06	10.21
Closing balance	2,091.48	244.19
Total provisions held	502.51	132.60

2.4 Sale and transfers to/from HTM Category

The Bank has not made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2016-17 exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. During the year 2016-17, the Bank had carried out one time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors aggregating ₹ 11,922.95 crore and ₹.12,230.56 crore being face value and book value respectively. Bank in order to comply with the Reserve Bank of India circular no. RBI/2015-16/261 DBOD.No.BP. BC.65/21.04.141/2015-16 dated December 10, 2015 directing banks to reduce its total SLR securities held in the HTM category in graduated manner, transferred securities from HTM to AFS Category aggregating ₹. 998.87 crore (face value) and ₹. 1,012.10 crore (book value). The Bank during the FY 2016-17 sold securities worth ₹. 3,435.86 crore (book value) to Reserve Bank of India under pre announced OMO auctions.

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	The notional principal of swap agreements	16,181.10	18,456.77
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	62.58	49.80
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book*	(10.30)	(13.56)

*MTM of IRS deals plus interest accrued on hedging deals.

Note:

- I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Reciprocal Loan Arrangements.
- II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.
- III. All underlying for hedge transactions are on accrual basis.

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	A) Interest Rate Futures		
	Buy	3,962.51	7,440.02
	Sell	3,945.51	8,195.32
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2017 (instrument-wise)	Instrument O/S 759GS2026 20.82	Instrument O/S 759GS2026 10.00 772GS2025 10.00 788GS2030 5.00
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Instrument O/S 759GS2026 20.82	Instrument O/S 759GS2026 10.00 772GS2025 10.00 788GS2030 5.00
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Instrument MTM 759GS2026 (0.06)	Instrument MTM 759GS2026 0.03 772GS2025 0.02 788GS2030 (0.001)

3.3 Disclosures on Risk Exposures in Derivatives**a) Qualitative disclosure:**

1. The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

i) Over the Counter Derivatives

ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & Metropolitan Stock Exchange (MSEIL), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading in currency futures on these

exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

- I) Front Office—Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.
- II) Mid-Office---Risk Management, Accounting Policies and Management
- III) Back Office- Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are

duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

- 2) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

- 3) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO)

every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

- 4) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to counterparty the Banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

b) Quantitative disclosure:

(₹ in crore)

		31.03.2017	
Sr. No	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
a	For hedging	0.00	4,275.00
b	For trading	2,961.22	5,120.82
ii)	Marked to Market Positions (1)		
a	Asset (+)	36.56	34.38
b	Liability (-)	(22.25)	(45.88)
iii)	Credit Exposure (2)	248.74	152.69
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
a	On hedging derivatives	Nil	162.53
b	On trading derivatives	0.27	7.46
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year (In Lacs)		
A	Maximum		
a.	On hedging	Nil	164.04
b.	On trading	0.30	32.77
B	Minimum		
a.	On hedging	Nil	29.72
b.	On trading	0.18	1.46

*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

4. ASSETS QUALITY

4.1 Non Performing Assets

The details of movement of gross non performing assets (NPAs), net NPAs and provisions are given below:

(₹ in crore)

Sr No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	6.57	5.25
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance	24,170.89	13,030.87
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	12755.27	12,952.87
	(c) Increase in balance of existing NPA	488.62	—
	Sub-total (A)	37,414.78	25,983.74
	(d) Less:-		
	(i) Up-gradations	1,050.00	177.73
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1,388.36	843.54
	(iii) Technical/Prudential Write-offs	999.19	645.68
	(iv) Write-offs other than (iii) above	264.45	145.90
	Sub-total (B)	3,702.50	1,812.85
	(e) Closing balance (A-B)	33,712.28	24,170.89
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	14,025.94	6,918.97
	(b) Additions during the year	7211.99	8,297.83
	(c) Reduction during the year	2405.83	1,190.86
	(d) Closing Balance	18832.10	14,025.94
iv)	Movement of provisions for NPAs		
	(a) Opening balance	10144.95	6,111.90
	(b) Provisions made during the year	6031.90	4,655.03
	(c) Write-off/write-back of excess Provisions	1296.68	621.98
	(d) Closing balance	14880.17	10,144.95

Provision includes provision in lieu of diminution in fair value of restructured advances classified as NPAs. Opening and closing balances of provision for NPAs also include ECGC claims received/ recoveries in suit filled accounts and held pending adjustment of ₹. 86.47 Crore (Previous year ₹. 52.12 Crore) and ₹. 1.02 crore (Previous year ₹. 0.67 Crore) respectively

4.2 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(Amount in INR Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring in Years	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before Applying Flexible Structuring	After Applying flexible Structuring
Previous Financial Year (01-04-2015 to 31-03-2016)	14	2944.69	1188.67	6.89	17.45
Current Financial Year (From 01-04-2016 to 31.03.2017)	2	448.88	Nil	8.90	17.30

4.3 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)						
(₹ in Crore)						
No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on 31.03.2017		Amount outstanding as on 31.03.2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on 31.03.2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
30	4281.07	3131.70	1935.83	2814.91	2345.24	316.79

4.4 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)
(₹ in Crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31.03.2017		Amount outstanding as on 31.03.2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on 31.03.2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on 31.03.2017 with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
2	536.42	-	-	-	-	-	536.42	-

4.5 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)
(₹ in Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31.03.2017		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
7	311.66	106.60	632.11

4.6 Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2017
(Amount in INR Crore)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding*		Provision Held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard (Number of A/cs 6)	1539.35	66.90	60.51	25.48
Classified as NPA (Number of A/cs 2)	142.30	60.27	50.98	52.87

* Amount outstanding pertains to One Standard and One NPA Account. In rest of the accounts the implementation of the S4A Scheme is pending as on 31.03.2017.

4.7 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BPBC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated 18th April 2017, has prescribed certain additional disclosure to be made under "Notes to Accounts" for the reference period i.e. FY 2015-16, neither the additional provisioning requirements assessed by RBI nor the additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15 percent of the published net profits after tax and incremental Gross NPAs respectively of the Bank.

4.8 Particulars Of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Sr. No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism				
	Asset Classification		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details											
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2016-17 (Opening Figures)	No. of Borrowers	15 (27)	16 (13)	21 (3)	0 (0)	52 (43)	41.3 (571)	121 (118)	6,547 (7,517)	282 (318)	7363 (8,524)
		Amount Outstanding	2,092.16 (3,859.57)	1,133.24 (1,435.14)	3,770.86 (204.20)	0.00 (0.00)	6,996.26 (5,498.91)	761.47 (788.73)	166.03 (517.23)	540.81 (236.17)	5.03 (40.32)	1,473.34 (1,582.45)
		Provision there on	10.25 (361.73)	92.86 (171.13)	265.82 (43.83)	0.00 (0.00)	368.93 (576.69)	7.15 (32.97)	0.87 (26.50)	31.36 (14.38)	0.33 (2.17)	39.71 (76.02)
2	Fresh Restructuring during the year 2016-17	No. of Borrowers	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (23)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (24)
		Amount Outstanding	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.67)	0.00 (36.12)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (36.79)
		Provision there on	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.04)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.04)
3	Upgradations to restructured standard category during the year 2016-17	No. of Borrowers	2 (2)				2 (2)	21 (12)				21 (12)
		Amount Outstanding	257.46 (330.99)				257.46 (330.99)	9.16 (29.85)				9.16 (29.85)
		Provision there on	41.15 (2.84)				41.15 (2.84)	0.03 (0.07)				0.03 (0.07)
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2016-17 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2017-18	No. of Borrowers	0 (0)				0 (0)	60 (2)				60 (2)
		Amount Outstanding	0.00 (0.00)				0.00 (0.00)	23.97 (4.29)				23.97 (4.29)
		Provision there on	0.00 (0.00)				0.00 (0.00)	0.21 (0.00)				0.21 (0.00)
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2016-17	No. of Borrowers		3 (14)	4 (8)	0 (0)	7 (22)		77 (133)	8 (25)	0 (0)	85 (158)
		Amount Outstanding		202.03 (880.72)	575.99 (1,879.50)	0.00 (0.00)	778.02 (2,760.22)		531.06 (142.37)	0.06 (51.64)	0.00 (0.00)	531.12 (194.01)
		Provision there on		1.15 (25.89)	70.65 (87.59)	0.00 (0.00)	71.80 (113.48)		4.09 (0.11)	0.00 (0.60)	0.00 (0.00)	4.09 (0.71)
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2016-17	No. of Borrowers	0 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	2 (1)
		Amount Outstanding	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	173.92 (48.84)	0.00 (0.00)	173.92 (48.84)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	7.41 (33.80)	0.00 (0.00)	7.41 (33.80)
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2016-17 (Closing Figures)	No. of Borrowers	11 (15)	3 (16)	31 (21)	1 (0)	46 (52)	218 (413)	76 (121)	5750 (6547)	245 (282)	6289 (7363)
		Amount Outstanding	2,245.39 (2,092.16)	202.03 (1,133.24)	4,615.98 (3,770.86)	98.60 (0.00)	7,162.00 (6,996.26)	402.98 (761.47)	594.14 (166.03)	518.38 (540.81)	26.87 (5.03)	1542.37 (1,473.34)
		Provision there on	103.32 (10.25)	1.15 (92.86)	309.99 (265.82)	0.00 (0.00)	414.46 (368.93)	4.67 (7.15)	5.58 (0.87)	11.28 (31.36)	0.31 (0.33)	21.84 (39.71)

Sr. No.	Type of Restructuring	Others						Total					
		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
	Asset Classification												
	Details												
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2016-17 (Opening Figures)	No. of Borrowers	9751 (9,428)	1,375 (926)	21371 (23,785)	1,187 (1,215)	33,684 (35,354)	10,179 (10,026)	1,512 (1,057)	27,939 (31,305)	1,469 (1,533)	41,099 (43,921)	
		Amount Outstanding	5,718.81 (9,009.95)	1,013.59 (1,453.56)	1,999.81 (557.19)	426.03 (25.64)	9,158.24 (11,046.34)	8,572.44 (13,658.25)	2,312.86 (3,405.93)	6,311.48 (997.56)	431.06 (65.96)	17,627.84 (18,127.70)	
		Provision there on	112.15 (205.43)	22.67 (33.30)	41.46 (23.72)	1.23 (1.67)	177.51 (264.12)	129.55 (600.13)	116.40 (230.93)	338.64 (81.93)	1.56 (3.84)	586.15 (916.83)	
2	Fresh Restructuring during the year 2016-17	No. of Borrowers	0 (1,008)	0 (2)	0 (1)	0 (0)	0 (1,011)	0 (1,031)	0 (3)	0 (1)	0 (0)	0 (1,035)	
		Amount Outstanding	0.00 (1,295.69)	0.00 (66.26)	0.00 (572.12)	0.00 (0.00)	0.00 (1,934.07)	0.00 (1,296.36)	0.00 (102.38)	0.00 (572.12)	0.00 (0.00)	0.00 (1,970.86)	
		Provision there on	0.00 (28.36)	0.00 (2.81)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (31.17)	0.00 (28.40)	0.00 (2.81)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (31.21)	
3	Upgradations to restructured standard category during the year 2016-17	No. of Borrowers	248 (330)				248 (330)	271 (344)				271 (344)	
		Amount Outstanding	20.28 (17.27)				20.28 (17.27)	286.90 (378.11)				286.90 (378.11)	
		Provision there on	0.39 (0.59)				0.39 (0.59)	41.57 (3.50)				41.57 (3.50)	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2016-17 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2017-18	No. of Borrowers	350 (9)				350 (9)	410 (11)				410 (11)	
		Amount Outstanding	171.35 (45.39)				171.35 (45.39)	195.32 (49.68)				195.32 (49.68)	
		Provision there on	10.08 (0.67)				10.08 (0.67)	10.29 (0.67)				10.29 (0.67)	
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2016-17	No. of Borrowers		1,197 (1,623)	51 (89)	0 (9)	1,248 (1,721)		1,277 (1,770)	63 (122)	0 (9)	1,340 (1,901)	
		Amount Outstanding		798.26 (662.06)	370.61 (820.20)	0.00 (84.56)	1,168.87 (1,566.82)		1531.35 (1,685.15)	946.66 (2,751.34)	0.00 (84.56)	2,478.01 (4,521.05)	
		Provision there on		25.17 (12.75)	0.07 (1.23)	0.00 (0.35)	25.24 (14.33)		30.41 (38.75)	70.72 (89.42)	0.00 (0.35)	101.13 (128.52)	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2016-17	No. of Borrowers	0 (0)	0 (0)	1 (9)	0 (0)	1 (9)	0 (0)	0 (0)	5 (12)	0 (0)	5 (12)	
		Amount Outstanding	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	6.99 (200.46)	0.00 (0.00)	6.99 (200.46)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	188.32 (283.10)	0.00 (0.00)	188.32 (283.10)	
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2016-17 (Closing Figures)	No. of Borrowers	7,144 (9,751)	1,193 (1,375)	19,122 (21,371)	1,085 (1,187)	28,544 (33,684)	7373 (10,179)	1,272 (1,512)	24,903 (27,939)	1,331 (1,469)	34879 (41,099)	
		Amount Outstanding	3,048.08 (5,718.81)	1,156.51 (1,013.59)	2,840.87 (1,999.81)	459.11 (426.03)	7,504.57 (9,158.24)	5696.45 (8,572.44)	1952.68 (2,312.86)	7975.23 (6,311.48)	584.58 (431.06)	16,208.94 (17,627.84)	
		Provision there on	87.26 (112.15)	33.38 (22.67)	50.39 (41.46)	1.40 (1.23)	172.43 (177.51)	195.25 (129.55)	40.11 (116.40)	371.66 (338.64)	1.71 (1.56)	608.73 (586.15)	

4.9 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	No. of Accounts	8	3
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC		
a)	NPA Accounts	204.42	132.05
b)	Written-off accounts	Nil	Nil
c)	SMA accounts	Nil	Nil
iii)	Aggregate consideration		
a)	NPA Accounts	188.70	101.50
b)	Written-off accounts	19.00	Nil
c)	SMA accounts	Nil	Nil
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	1.58	2.25
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value.		
a)	NPA Accounts	(15.72)	(31.00)
b)	Written-off accounts	19.00	Nil
c)	SMA accounts	Nil	Nil

4.10 Details of non performing financial assets purchased / sold

a. Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

b. Details of non performing financial assets sold (Other Than ARC's)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

c. Book Value of Investments in Security Receipts backed by NPA

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
Book Value of Investments in Security Receipts	814.42	658.19	13.49	15.30	827.91	673.49

d. Book Value of Investments in Security Receipts backed by SMA

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
Book Value of Investments in Security Receipts	257.82	257.82	Nil	Nil	257.82	257.82

4.11 Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Provision towards Standard Assets	515.37	(100.58)

The provision on Standard Assets held by the Bank as on 31st March, 2017 is ₹ 2041.11 crore (previous year ₹ 1522.32 crore)

5. BUSINESS RATIOS

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.60	8.37
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.16	0.94
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.73	1.49
iv)	Return on Assets	0.13	0.35
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	16.43	15.51
vi)	Profit per employee (₹ in crore)	0.02	0.04

6. ASSET LIABILITY MANAGEMENT

The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2017 is based on the following:

- RBI Guidelines on ALM
- Behavioral studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality
- Foreign Currency On-balance sheet Assets & Liabilities

(₹ in crore)

	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Next Day	1725.88	4935.01	15325.13	1129.28	3353.60	2987.24
2-7 days	8358.68	11047.20	2316.89	1504.90	1576.78	1060.04
8-14 days	6736.29	6792.61	215.00	389.30	881.19	473.03
15-30 days	10914.51	10265.21	1.36	1199.60	5851.55	2529.11
31 Days-2 Months	12610.53	5145.78	52.51	647.66	7671.71	3046.11
Over 2 months & up to 3 months	24678.19	15253.43	261.64	2875.46	5783.29	4697.76
Over 3 months & up to 6 months	31305.21	16415.64	964.14	5388.82	7763.00	7646.35
Over 6 months & up to 1 year	37487.90	31875.15	8352.88	2141.02	8024.15	4873.13
Over 1 year & up to 3 years	51757.25	120984.33	16572.89	7009.89	4679.62	7736.14
Over 3 years & up to 5 years	39041.30	31732.54	20953.27	7649.95	9524.71	11591.11
Over 5 years	153775.85	32019.67	47133.25	11290.00	1803.67	490.36
Total	378391.58	286466.58	112148.95	41225.87	56913.27	47130.37

7 EXPOSURES

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2017	31.03.2016
a)	Direct exposure		
i)	Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; -Out of the above individual housing loans up to ₹.20 lakh	32,300.62 13148.83	26,991.39 12,259.11
ii)	Commercial Real Estate – lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)	4,441.09	3,754.42
iii)	Exposure includes non-fund based (NFB) limits: Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	Nil Nil	Nil Nil
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	9,607.20	11,595.96
	Total Exposure to Real Estate Sector	46,348.91	42,341.77

7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1,220.89	902.31
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	3.89	4.12
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	1.58	2.05
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	26.89	1.20
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	622.12	551.41
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	322.94	240.05
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	Nil	Nil
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	Nil	Nil
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckoned for compliance with the capital market exposure.**	480.58	530.30
	Total exposure to Capital Market	2,678.90	2,231.44

**** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting ₹136.84 crore for 2016-17 (Previous year ₹ 142.00 crores).**

7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Net Exposure 31.03.2017	Net Exposure 31.03.2016	Provision held 31.03.2017	Provision held 31.03.2016
Insignificant	14,839.43	13,376.83	Nil	Nil
Low	7,634.06	4,731.32	Nil	Nil
Moderate	257.62	398.71	Nil	Nil
High	1.03	2.16	Nil	Nil
Very High	Nil	Nil	Nil	Nil
Restricted	Nil	Nil	Nil	Nil
Off-credit	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	22,732.14	18,509.02	Nil	Nil

As per Country Risk Policy 2016-17 & 2017-18, Bank has used ECGC country risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India both for branches in India and for Overseas branches.

Bank will make provision for country risk exposure only in respect of a country where the net funded exposure is 1% or more of its total assets as on 31.03.2017

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank. (Capital fund ₹ 28932 crores as of 31.03.2016)

(₹ in crore)

Sr. No		Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.17	Position as % of Capital Fund
1.	Single Borrower	Food Corporation of India	4,339.80	10,000.00	34.56	7,612.70	26.31%
2.	Group Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- Individual borrower exposure limit is 15% of Capital Fund. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.
- Individuals with additional 5% for Infrastructure Projects (20% of Capital Funds)
- Individuals for Oil Companies which have been issued Oil Bonds (which do not have SLR status) by Government of India is 25% of Capital funds.
- Group Exposure Limit – 40%
For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50%
- Additional exposures can be taken with the permission of the Board

7.5 Unsecured Advances:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority etc.	Nil	Nil
Estimated value of such intangible collateral securities	Nil	Nil

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road/Highway Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular No. OD. BP. BC. No. 83 / 08.12. 014 / 2012-13 dated 18 March 2013.

8. DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI : ₹ 8.43 LACS (PREVIOUS YEAR ₹ 6.26 LACS)

B. DISCLOSURES AS PER ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

9. REVENUE RECOGNITION (AS 9)

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3.3 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies which however, is not considered to be material.

10. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

10.1 Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2017.

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	Table showing change in Defined Benefit Obligation :				
	Liability at the beginning of the year	1,110.33	9,619.00	1,088.16	8,218.43
	Interest Cost	88.72	775.29	83.52	638.22
	Current Service Cost	47.72	134.46	50.12	150.00
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(148.80)	(624.25)	(186.00)	(681.00)
	Actuarial (gain)/loss on obligation –due change	30.71	533.48	74.53	1,293.35
	In the financial assumption	(13.96)	793.17	1,110.33	9,619.00
	Actuarial (gain) / loss on obligations	1,114.72	11,231.15	Nil	Nil
	Liability at the end of the year			Nil	Nil

	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
ii)	Table of Fair value of Plan Assets:				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,251.27	9,525.70	1,264.00	7,861.00
	Expected return on Plan Assets	99.98	767.77	105.21	777.24
	Contributions	88.16	1,019.42	38.26	1,413.35
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(148.80)	(624.25)	(186.00)	(681.00)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	42.42	526.25	29.80	155.11
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70
	Actuarial (gain)/loss on obligation for the period	16.75	1326.65		
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(25.67)	(800.40)	(44.73)	(1,138.24)
iii)	Recognition of Transitional Liability :				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	99.98	767.77	105.21	777.24
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	42.42	526.25	29.80	155.11
	Actual return on Plan Assets	142.40	1294.02	135.01	932.35
v)	Expenses recognized in the Income Statement:				
	Current Service Cost	47.72	134.46	50.12	150.00
	Interest Cost	(11.26)	7.52	83.52	638.22
	Expected Return on Plan Assets	Nil	Nil	(105.21)	(777.24)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	(25.67)	800.40	44.73	1,138.24
	Expenses Recognized in P & L	10.79	942.38	73.16	1,149.22
vi)	Balance Sheet Reconciliation:				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(140.94)	93.30	(175.84)	357.43
	Expenses as above	10.79	942.38	73.16	1,149.22
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	(88.16)	(1,019.42)	(38.26)	(1,413.35)
	Amount recognized in Balance Sheet	(218.31)	16.26	(140.94)	93.30
vii)	Other Details :				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10, 00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	37,120	18,059	35,716	19,670
	Salary Per Month	162.08	96.58	148.54	107.98
	Contribution for next year	Nil	137.01	Nil	349.86

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
viii)	Category of assets:				
	Government of India Assets	121.75	366.40	146.02	473.14
	Corporate Bonds	251.89	1,771.02	267.72	1,532.83
	Special Deposits Scheme	Nil	Nil	Nil	Nil
	State Govt.	139.50	344.00	443.41	2,442.38
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	113.85	1,246.48	90.39	974.77
	Insurer Managed Funds	706.04	7,486.99	303.73	4,102.58
	Total	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70
ix)	Principal actuarial assumption used (%)				
	Discount Rate Prev.	8.04	8.06	7.99	7.95
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.04	8.06	8.70	8.70
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	7.20	7.45	8.04	8.06
	Rate of Return on Plan Assets Current	7.20	7.45	8.04	8.06
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(₹. in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.2017	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13
Liability at the end of the year	1,114.72	1,110.33	1,088.16	1,060.13	1,000.86
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,333.03	1,251.27	1,264.00	1,081.23	1,037.22
Difference	218.31	140.94	175.84	21.10	36.36
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	65.00	130.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	218.31	140.94	175.84	86.10	166.36

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
On plan liability (Gain) / Loss	(13.96)	Nil	(21.18)	123.74	21.60
On plan Assets (Loss) / Gain	42.42	29.80	38.03	(20.00)	(24.43)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
Liability at the end of the year	11,231.15	9,619.00	8,218.43	6,683.81	5,991.02
Fair value of Plan Assets at the end of the year	11,214.89	9,525.70	7,861.00	6,104.73	4,774.08
Difference	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(579.08)	(1,216.94)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	338.00	761.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(241.08)	(455.94)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	31.03.2017	31.03.2016	31.03.15	31.03.14	31.03.13
On plan liability (Gain) / Loss	793.17	1,399.16	731.44	661.38	251.18
On plan Assets (Loss) / Gain	526.25	155.11	210.89	-233.23	-103.10

10.2 Defined Contribution Plan:

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2016-17, the Bank has contributed ₹ 68.69 crore (Previous Year ₹ 58.52 crore) to NPS.

10.3 Other long term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2017	31.03.16
1.	Pension	942.00	1,149.00
2.	Leave Encashment	58.00	75.00
3.	Leave Travel Concession	(3.69)	10.00
4.	Sick Leave	Nil	Nil

11 SEGMENT REPORTING (AS-17)

(₹ in Crore)

Business Segment		Standalone	
		Year Ended	
		(Audited)	(Audited)
		31.03.2017	31.03.2016
(a)	Segment Revenue		
1	Treasury Operations	12,508.55	10,177.19
2	Retail Banking Operations	10,293.19	10,221.26
3	Corporate /Wholesale Banking	14,586.86	15,236.62
4	Other Banking Operations	334.31	264.76
5	Unallocated	Nil	Nil
	Total	37,722.91	35,899.83
	Less Inter-segment Revenue	98.33	69.29
	Total Revenue	37,624.58	35,830.54
(b)	Segment Results		
1	Treasury Operations	3,418.00	2,146.01
2	Retail Banking Operations	679.02	667.62
3	Corporate /Wholesale Banking	-3,933.55	-1,173.31
4	Other Banking Operations	179.12	125.07
5	Unallocated	Nil	Nil
	Total Profit Before Tax	342.59	1,765.39
(c)	Income Tax	-212.62	413.77
(d)	Net Profit	555.21	1,351.60
(e)	Segment Assets		
1	Treasury Operations	1,49,452.25	1,24,187.02
2	Retail Banking Operations	1,01,247.61	93,320.72

3	Corporate/Wholesale Banking	1,96,700.94	1,83,281.67
4	Other Banking Operations	Nil	Nil
5	Unallocated Assets	5,303.64	3,906.49
	Total	4,52,704.44	4,04,695.90
(f)	Segment Liabilities		
1	Treasury Operations	1,42,297.16	1,17,469.24
2	Retail Banking Operations	97,183.59	88,934.90
3	Corporate /Wholesale Banking	1,88,805.48	1,74,667.92
4	Other Banking Operations	Nil	Nil
5	Unallocated Liabilities	442.01	732.63
6	Capital, Reserves & Surplus	23,976.20	22,891.21
	Total	4,52,704.44	4,04,695.90

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.
2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
3. Previous year's/Twelve Month's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the current Twelve Month's classification/ presentation.

12 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

12.1 List of Related Parties

- a) Subsidiaries
 - Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
 - Union Trustee Company Private Ltd.
 - Union Bank of India (UK) Ltd.
- b) Joint Venture
 - Star Union Dai-ichi Life Insurance Co.
- c) Associate
 - Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank
- d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2016-17
Shri Arun Tiwari	Chairman and Managing Director	N.A
Shri Rakesh Sethi	Executive Director	Cessation on 30 June, 2016
Shri Vinod Kathuria	Executive Director	N.A.
Shri Raj Kamal Verma	Executive Director	Joined on 9 August 2016
Shri Atul Kumar Goel	Executive Director	Joined on 15 September, 2016

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Chairman and Managing Director	0.23	#0.28
Executive Directors	0.50	#0.44
Total	0.73	0.72

includes performance linked incentives of ₹ 0.06 crore and ₹ 0.09 crore paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the year ended March 2016. No performance linked incentives paid during the year ended March 2017.

13 EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i	Basic and Diluted EPS ₹	8.08	20.42
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ in crore)	555.21	1,351.60
iii	Weighted Average number of equity shares (No. in crore)	68.74	66.18
iv	Nominal value per share (₹)	10	10

14 PROVISION FOR TAXES:

14.1 Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	179.37	187.71
2	Employee Benefits	266.59	266.59
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	Nil	60.35
4	Leave Encashment	97.21	83.89
5	On account of other provisions	2727.01	1,435.06
	Total	3270.18	2,033.60
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of Investments	Nil	91.23
2	Depreciation on Fixed Assets	22.31	29.24
3	Accrued interest on securities	Nil	607.89
4	Special Reserves u/s 36(i) (viii)	953.71	889.69
	Total	976.02	1,618.05
	Net Deferred Tax Asset	2294.14	415.55
	Net Deferred Tax Liability	Nil	Nil

14.1 Direct Tax

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Provision for Income Tax (Including Deferred tax)	-212.62	413.78

15 INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS – 27)

Investments include ₹.65 Crores (Previous year ₹. 65 Crores) representing Bank's interest in Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. it is jointly controlled entity.

16 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

17 CONTINGENT LIABILITIES (AS – 29)

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI)(i) are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvment and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

ADDITIONAL DISCLOSURE**17.1 Provisions and Contingencies**

(₹ In crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2017	31.03.2016
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	630.40	149.28
Provision towards NPA	6032.00	4,655.03
Provision(Reversal) towards Standard Assets	503.33	(107.47)
Net Provision made towards Income Tax (IT)/Wealth Tax/ Deferred tax liability (DTL)	(203.76)	413.78
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	1.81	5.74
- Restructured Advances	66.02	(623.25)
- Others	(155.62)	(202.09)
TOTAL	6874.18	4,291.02

17.2 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ In crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Opening Balance as on 01.04.2016	293.20	293.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	Nil	Nil
iv)	Closing balance	293.20	293.20

18 DRAW DOWN FROM RESERVES:

Bank has made no draw down during the year 2016-17 (Previous Year ₹0.02 crore).

19 DISCLOSURE OF COMPLAINTS:**A Customer Complaints**

Sr. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	446	336
(b)	No. of complaints received during the year	1,97,651	1,71,128
(c)	No. of complaints redressed during the year	1,97,752	1,71,018
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	345	446

B Complaints pertaining to ATM card issued by the Bank

Sr. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	155	203
(b)	No. of complaints received during the year	51,455	85,810
(c)	No. of complaints redressed during the year	51,610	85,858
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	Nil	155

Out of the above, details of complaints specifically attributable to acquiring bank:

Sr. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	55	198
(b)	No. of complaints received during the year	25,520	69,338
(c)	No. of complaints redressed during the year	25,572	69,481
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	3	55

C Awards passed by the Banking Ombudsman

Sr. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil	3
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	1	3
(c)	No. of Awards implemented during the year	1	6
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil	Nil

20 Disclosure of Letter of Comfort (LoC's) issued

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Letter of Comfort outstanding at beginning of the year	3,474.45	3,701.91
Add : Issued during the year	10,900.12	10,722.18
Less : Expired during the year.	10,280.68	10,949.65
Outstanding at the end of the year	4,093.89	3,474.45

21 Provision Coverage Ratio (PCR)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Provision Coverage ratio (%)	51.41	50.98

22 DISCLOSURE OF – BANCASSURANCE BUSINESS:

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	31.03.2017	31.03.2016
1.	Life Insurance Policies	58.67	42.07
2.	Non Life Insurance Policies	6.36	7.33
3.	Others (specify)	Nil	Nil

23 CONCENTRATION OF DEPOSITS, ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs:

23.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Deposits of twenty largest depositors	26,881.52	34,760.99
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	7.10%	10.14%

23.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Advances of twenty largest borrowers/customers	23,530.68	24,608.97
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank.	7.80%	7.02%

23.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	65,240.42	58,509.47
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers.	10.62%	11.70%

23.3 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposures to top four NPA accounts	5564.33	3,846.67

24 SECTOR-WISE ADVANCES

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Current Year (FY 2016-17)			Previous Year (FY 2015-16)		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	44,139	2,927	6.63	38,962	2,336	6.00
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	19,195	2,853.00	14.86	12,030	1,347	11.20
3	Services	24,068	1,952	8.11	21,439	1,337	6.24
4	Personal loans	15,461	539	3.49	15,609	499	3.20
	Sub-total (A)	102863	8271	8.04	88,040	5,519	6.27
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	476	211	44.33	515	203	39.42
2	Industry	142224	22644	15.92	1,22,611	16,376	13.36
3	Services	27105	1838	6.78	51,112	1,780	3.48
4	Personal loans	29015	748	2.58	15,447	293	1.90
	Sub-total (B)	198820	25441	12.80	1,89,685	18,652	9.83
	Total (A + B)	301683	33712	11.17	2,77,725	24,171	8.70

Sub sectors where the outstanding advance exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector for the FY 2016-17 are as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Sub sector	Sector	Outstanding	% to Total advance in sector
1	Growing of cereals	Agriculture	20,853	52.82
2	Generation of electricity	Industry	14,517	10.78
3	NBFC - General Purpose loan	Service	14,260	19.66
4	All other loan NEC	Personal	5,470	17.61
5	Housing loan other than staff	Personal	21,019	67.68

25 MOVEMENT OF NPA

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Gross NPA as on 1 st April 2016 (Opening Balance)	24,170.88	13,030.87
Additions (Fresh NPAs) during the year	13243.89	12,952.86
Sub-total (A)	37,414.78	25,983.73
Less:-		
(i) Up-gradations	1,050.48	177.73
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1,388.36	843.54
(iii) Write-Offs	1,263.66	791.58
Sub-total (B)	3,702.50	1,812.85
Gross NPA as on 31 st March 2017 (closing balance) (A-B)	33,712.28	24,170.88

26 STOCK OF TECHNICAL WRITE-OFFS

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	4,391.90	3,940.20
ii)	Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	999.19	645.68
iii)	Sub-total (A)	5,391.09	4,585.88
iv)	Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	343.31	193.98
v)	Closing balance (A-B)	5047.78	4,391.90

27 OVERSEAS ASSETS, NPAS AND REVENUE

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Assets	37,756.96	31,639.49
Total NPAs	2,872.41	1,145.58
Total Revenue	1,046.96	986.84

28 There is no Off – Balance Sheet SPVs sponsored by the Bank.**29 UNAMORTIZED PENSION AND GRATUITY LIABILITIES**

(₹. In crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Pension		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	Nil
b) Carried forward	Nil	Nil
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	Nil
b) Carried forward	Nil	Nil

30 CREDIT DEFAULT SWAPS:

The Bank had not entered into any Credit Default Swap transactions during the financial year 2016-17.

31 INTRA GROUP EXPOSURES

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017
Total amount of Intra group exposure	1,54,193.52
Total amount of Top 20 Intra group exposure	78,747.82
Percentage of Intra group exposure to Total exposure of the Bank on borrowers/customers	25.11%
Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon	Nil

32 TRANSFERS TO DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance amounts transferred to DEAF	704.90	610.36
Add: Amount transferred to DEAF during the Year	139.03	122.33
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	21.71	27.79
Closing balance of Amount transferred to DEAF	822.22	704.90

33 UN-HEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE (UFCE)

In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India with regard to UFCE, Bank has approved Policy on Unhedged Foreign Currency Exposure of Clients 2015-16. While framing the policy, bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework. Total provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 2017 is ₹.12.90 crores (₹.33.30crores as on 31.03.2016).

34 DISCLOSURE RELATING TO SECURITISATION

As on March 31,2017, Bank does not have any Special Purpose Vehicles (SPVs) sponsored for securitization transactions.

35 LIQUIDITY COVERAGE RATIOS (LCR)**A. Qualitative Disclosure**

LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow.

$$LCR = \frac{HQLA}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}}$$

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 80% for the calendar year 2017. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

HQLA:

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to

be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

HQLA is categorized into two a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are further sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1

Levels 1 Asset mainly comprise Cash including excess CRR, Excess SLR, MSF (2% of NDTL) & FALLCR (9% of NDTL).

Level 2A Assets

15% haircut is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise Securities issued by PSEs (excluding bank/financial institution/NBFC) with 20% risk weight. Corporate bonds, not issued by bank/financial institution/NBFC, rated AA- or above and Commercial Papers with rating AA- or above are also part of Level 2A assets.

Level 2B Assets

50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B assets comprise not more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%, i.e., with credit rating not lower than BBB- and Equity Shares not issued by bank/financial institution/NBFC and included in any index.

Net Cash Outflows

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total

expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows. In other words, Total net cash outflows over the next 30 days = Outflows - Min (inflows; 75% of outflows).

Brief about LCR of the Bank:

As per RBI's directions, Banks are required to calculate LCR on a daily basis from 1st January 2017. Bank has calculated LCR for all working days over the March 2017 quarter. The average of the daily observation of 66 data points is calculated. Banks has maintained LCR above the minimum requirement, prescribed by RBI of 80% for the calendar year 2017.

Annual LCR is the average of quarterly LCR of the Bank during FY 2016-17.

HQLA:

Bank is having sufficient High Quality Liquid Assets so as to maintain LCR above regulatory prescription. Level 1 assets are the main driver of HQLA, contributing around 84% in the Total HQLA of the Bank.

Outflows & Inflows:

Bank has diversified sources of funding of which retail deposits are the main source of funds. Bank's exposure is mainly in Indian Rupee. Outflows are dominated by Rupee term deposits from Non-financial corporate, as categorized by the RBI.

B Quantitative Disclosure

(₹.in Crore)

LCR Disclosure for Quarter ended March 2017 (consolidated)- Audited			
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	80890.39	78635.03
CASH OUTFLOWS			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	234477.16	20215.58
	(i) Stable deposits	64642.78	3232.14
	(ii) Less stable deposits	169834.38	16983.44
3	Unsecured wholesale funding, of which:	102435.79	51239.44
	(i) Operational deposits (all counterparties)	Nil	Nil
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	85327.25	34130.90
	(iii) Unsecured debt	17108.54	17108.54
4	Secured wholesale funding	8380.12	3309.41

5	Additional requirements, of which	18057.79	1583.71
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	10.91	10.91
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	Nil	Nil
	(iii) Credit and liquidity facilities	18046.88	1572.80
6	Other contractual funding obligations	1132.24	1132.24
7	Other contingent funding obligations	32104.14	965.20
8	TOTAL CASH OUTFLOWS	396587.25	78445.59
CASH INFLOWS			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	2593.09	Nil
10	Inflows from fully performing exposures	4456.87	4456.87
11	Other cash inflows	1705.93	11988.70
12	TOTAL CASH INFLOWS	24095.89	16445.57
			Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		78635.03
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		62000.02
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		126.83

The above mentioned information regarding Liquidity Coverage Ratio is correctly compiled from unaudited data of 65 data points and audited data for 31st March 2017.

(₹ in crore)

LCR Disclosure for FY 2016-17 - Audited			
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	67919.35	65971.43
CASH OUTFLOWS			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	211978.08	18852.55
	(i) Stable deposits	46905.15	2345.26
	(ii) Less stable deposits	165072.93	16507.29
3	Unsecured wholesale funding, of which:	64771.12	38048.96
	(i) Operational deposits (all counterparties)	Nil	Nil
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	44536.94	17814.78
	(iii) Unsecured debt	20234.18	20234.18
4	Secured wholesale funding	6064.92	3136.96
5	Additional requirements, of which	18242.00	1936.42
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	2.73	2.73
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	Nil	Nil
	(iii) Credit and liquidity facilities	18239.27	1933.69
6	Other contractual funding obligations	966.89	966.89
7	Other contingent funding obligations	30778.82	923.88
8	TOTAL CASH OUTFLOWS	332801.83	63865.66

CASH INFLOWS			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	5888.73	Nil
10	Inflows from fully performing exposures	3243.95	3243.95
11	Other cash inflows	18762.11	13041.18
12	TOTAL CASH INFLOWS	27894.78	16285.13
			Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		65971.43
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		47580.53
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		138.65%

The above mentioned information is based on the weighted average of LCR as on quarter ending June 2016, Sept 2016, December 2016 and March 2017. The information for quarter ending June 2016, Sept 2016, December 2016 is compiled from unaudited data of April 2016, May 2016, July 2016, August 2016, October 2016, November 2016 and audited data for the month of June 2016, September 2016 and December 2016. For quarter ending March 2017 LCR is compiled from unaudited data of 65 data points and audited data for 31st March 2017

36 FIXED ASSETS

- Documentation formalities are yet to be completed in respect of three (P.Y. five) immovable properties held by the Bank at written down value of ₹ 31.17 crores (P.Y. ₹. 36.43 crores.) in respect of which steps have already been initiated.
- Land and Buildings revalued as on 31.3.1995 at fair market value as determined by an approved valuer, have further been revalued as on 30.11.2007 at fair market value by approved valuer. The resultant increase in value thereof on such revaluation amounting to ₹ 456.59 crores as on 31.3.1995 and ₹ 1290.68 crores as on 30.11.2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to ₹ 56.56 crores (₹ 34.62 crores) attributable thereto has been deducted there from. Certain assets were revalued during the year 2015-16 and as a result of which the revaluation reserve have increased by ₹. 1213.10 crore for the year ended March 31, 2017

37 FRAUD CASES DETECTED/REPORTED

(₹.in Crore)

Frauds Detected during the Year	No. of cases of Frauds detected	Amount involved in such frauds	Amount outstanding as on 31/03/2017	Provision made as of 31/03/2017	Unamortized provision as of 31/03/2017
Total	127	896.42	888.83	647.31	241.52

38 BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS

Confirmation/ Reconciliation of balance with foreign banks and other banks has been obtained/ carried out.

- Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.
- Pending final clearance of the (i) and (ii), the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

39 ROADMAP FOR IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS)

The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BPBC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks needs to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. In terms of the requirement stipulated vide said circular, the Bank has submitted proforma Ind-AS financial statements to the RBI for the half year ended 30th September 2016 on 30th November 2016.

40 CORPORATE TAXATION:

Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) as notified u/s 145(2) of the Income Tax, 1961 on 29th September 2016, are applicable for the financial year ended on 31st March 2017 and accordingly tax provisions and deferred tax for the financial year 2016-17 have been computed after considering its impact.

The Bank has recognised Deferred Tax Assets as on 31.03.2017 aggregating to ₹.1878.61 crore (₹. 867.79 crore during PY 2015-16) based on reasonable certainty of availability of future taxable income against which such DTA can be realised.

During the year, as per the legal position as exist and also based on legal opinion, Bank has written back excess provisions of income tax aggregating to ₹ 644.01 Crore pertaining to the period upto which the appeals have been decided by Hon'ble ITAT in favour of the Bank. References against the same filed by the Income Tax Department are pending before High Court.

41. INVESTMENTS

- i) Profit of ₹. 493.51 crore (previous year ₹.97.97 crores) on sale of "Held to Maturity" category securities have been taken to profit on loss account initially
 - ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in Significant Accounting Policy No.4 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹.188.50 crore (previous year ₹.134.48 crore).
 - iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹. 1,701.49 crore (previous year ₹ 1,432.61 crore).
42. During the current year, there are no material prior period item and change in accounting policy (as per AS 5) and no discontinued operations (as per AS 24).
43. The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary.
- Signatories to Schedules 1 to 18

(DHIRENDRA JAIN)
Asst. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
Dy. General Manager & CFO

(ATUL KUMAR GOEL)
Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)
Executive Director

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(Dr. K. RAMESHA)
Director

(Dr. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR G P KAPADIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS.
Firm Regn. No.104768W

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.000497N

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.103142W

(NIMESH BHIMANI)
Partner
(M.No.030547)

(SANJEEVA NARAYAN)
Partner
(M.No.084205)

(TANSUKH CHHEDA)
Partner
(M.No.047157)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.004201S

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.313085E

FOR S BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000560C

(S. SRIDHAR)
Partner
(M.No.025504)

(DILLIP AGARWALLA)
Partner
(M.No.055420)

(P. P. PAREEK)
Partner
(M.No. 071213)

PLACE : MUMBAI

DATE : 8th MAY, 2017.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

		(₹ in Lacs)	
S. No.	Particulars	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2016
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit before Tax	3,42,60	17,65,39
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	2,36,04	2,44,11
	Depreciation on Investments	6,32,43	1,55,02
	Provision for Non Performing Assets	60,31,90	46,55,03
	Provision for Standard Asset	4,43,26	(9,39,76)
	Provision for Staff Related Expenditures	37,46	84,04
	Other provisions	(20,11)	6,94
	(Profit) / Loss on sale or disposal of Fixed Assets	(25,83)	1,79
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	8,83,24	7,06,27
	Sub Total	85,60,99	66,78,83
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	3,56,71,57	2,58,50,09
	Increase / (Decrease) in Borrowings other than Capital Instruments	62,68,52	(43,52,63)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	5,23,25	3,73,37
	(Increase) / Decrease in Investments other than Subsidiaries/J. V./Associates	(2,32,34,16)	48,37,68
	(Increase) / Decrease in Advances	(2,52,10,50)	(1,57,31,21)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(5,75,92)	(81,09,05)
	Direct taxes paid (net of refund)	(15,39,51)	(7,89,26)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	4,64,24	87,57,82
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	(Increase) / Decrease in Fixed Assets	(1,84,00)	(15,60,34)
	(Increase) / Decrease in Investment in Subsidiaries/ J. V. / Associates	(3,38,88)	(1,08,07)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(5,22,88)	(16,68,41)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Equity Share Application Money Received	5,41,00	0
	Issue of Equity Shares to Govt. of India on preferential basis	0	51,66
	Security Premium received (net of Share Issue Expenses)	0	10,27,26
	Proceeds from issue of Capital Instruments	40,00,00	(50,00)
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(7,74,74)	(7,55,72)
	Payment of Dividend (Including dividend tax)	(1,61,34)	(4,64,41)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	36,04,92	(1,91,21)
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A) + (B) + (C)	35,46,28	68,98,20
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	2,92,76,22	2,23,78,02
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	3,28,22,50	2,92,76,22

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(₹ in Lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2016
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,56,04,72	1,50,63,08
	Balances with banks and Money at call	1,36,71,50	73,14,94
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,92,76,22	2,23,78,02
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,65,20,45	1,56,04,72
	Balances with banks and Money at call	1,63,02,05	1,36,71,50
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	3,28,22,50	2,92,76,22

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Year's classification/ presentation.

(ATUL KUMAR GOEL)

Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)

Executive Director

(VINOD KATHURIA)

Executive Director

(ARUN TIWARI)

Chairman & Managing Director

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2017. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 8th May, 2017 to the members.

FOR G. P. KAPADIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 104768W

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000497N

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.103142W

(NIMESH BHIMANI)
PARTNER
M.NO.030547

(SANJEEVA NARAYAN)
PARTNER
M.NO.084205

(TANSUKH CHHEDA)
PARTNER
M.NO.047157

FOR SUNDAR SRINI& SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 004201S

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 313085E

FOR S BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000560C

(S. SRIDHAR)
PARTNER
M.NO.025504

(DILLIP AGARWALLA)
PARTNER
M.NO.055420

(P P PAREEK)
PARTNER
M.NO.071213

Place: MUMBAI.

Date: 8th MAY, 2017

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Members of Union Bank of India

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements (CFS) of Union Bank of India (the 'Bank'), its subsidiaries, associates and joint ventures (the 'Group'), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2017, and the consolidated Profit and Loss Account and consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information
2. Incorporated in these CFS are the:
 - a. Audited Accounts of the Bank audited by us vide our audit report dated May 8, 2017 which reflects total assets of ₹ 452704 crore as at March 31, 2017 total revenue of ₹ 37625 crore, profits of ₹ 555 crore and net cash inflows amounting to ₹ 3546 crore for the year ended;
 - b. Audited Accounts of the three subsidiaries and one joint venture audited by other auditors whose financials statements reflects the Group share's in total asset of ₹ 2964 crore as at March 31, 2017, the Group's shares in total revenue of ₹ 621 crore, the Group's share in net cash outflows amounting to ₹ 257 crore for the year ended; and
 - c. Audited Accounts of one associates whose financial statements reflects the Group's share in profit from the associates of ₹ 5.89 crore for the year ended March 31, 2017

The entities of the Group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 18 Notes to Accounts which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group

3. We have not audited the financial statements of its Subsidiaries, joint venture and an associate. These financials statement have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of other entities, is based solely on the report of the other auditors.

Management's responsibility for the Consolidated Financial Statements

4. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank in accordance with the requirements of the Accounting Standard-21 "Consolidated Financial Statement", Accounting Standard-23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statement" and Accounting Standard-27 "Financial Reporting of Interest in Joint Venture" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the requirements of Reserve Bank of India (RBI) and other accounting principles generally accepted in India. The responsibility of the management of the Bank includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Group that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

5. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
6. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

7. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
8. The Audit Reports/Management Certifications on the financial statements of the Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates of the bank have been forwarded to us and dealt with in preparing our report in the manner considered by us and our opinion is based solely on the report of other auditor's/management certificates

Opinion

9. Subject to the limitation as indicated in Para 1 to 8 herein above, based on our audit and on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of Subsidiaries, Joint Ventures and an associate. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - a. In the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2017
 - b. In the case of the consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date, and
 - c. In the case of the consolidated Cash Flow Statements, of the cash flows for the year ended on that date.

FOR G P KAPADIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS.
Firm Regn.No.104768W

(NIMESH BHIMANI)
Partner
(M.No.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.004201S

(S. SRIDHAR)
Partner
(M.No.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.000497N

(ADITYA KUMAR)
Partner
(M.NO.506955)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.313085E

(DILLIP AGARWALLA)
Partner
(M.No.055420)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.103142W

(YOGESH AMAL)
Partner
(M.NO.111636)

FOR S BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 000560C

(P D BAID)
Partner
(M.NO.072625)

Place : MUMBAI

Date : 19th MAY, 2017.

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000's)

	Schedule Number	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	6,87,44,11	6,87,44,11
Reserves and Surplus	2	2,28,83,63,86	2,23,60,67,17
Share Application		5,41,00,00	
Minority Interest	2A		
Deposits	3	37,96,87,26,45	34,41,17,50,91
Borrowings	4	4,12,25,49,65	3,06,36,61,48
Other Liabilities and Provisions	5	1,06,43,88,14	95,62,32,69
Total		45,56,68,72,21	40,73,64,56,36
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank Of India	6	1,65,22,37,31	1,56,06,91,64
Balances with Banks and money at call and short notice	7	1,63,83,55,05	1,40,09,88,93
Investments	8	11,34,41,26,41	9,05,73,21,38
Advances	9	28,79,49,82,85	26,82,49,56,42
Fixed Assets	10	39,05,40,86	39,51,85,47
Other Assets	11	1,74,66,29,73	1,49,73,12,52
Total		45,56,68,72,21	40,73,64,56,36
Contingent Liabilities	12	23,18,86,43,50	39,74,37,13,90
Bills For Collection		1,61,19,39,73	1,50,30,34,09
Significant Accounting Policies	17		
Notes On Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

(DHIRENDRA JAIN)
Asst. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
Dy. General Manager & CFO

(ATUL KUMAR GOEL)
Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)
Executive Director

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(Dr. K. RAMESHA)
Director

(Dr. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR G P KAPADIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS.
Firm Regn.No.104768W

(NIMESH BHIMANI)
Partner
(M.No.030547)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.004201S

(S. SRIDHAR)
Partner
(M.No.025504)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.000497N

(ADITYA KUMAR)
Partner
(M.NO.506955)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.313085E

(DILLIP AGARWALLA)
Partner
(M.No.055420)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.103142W

(YOGESH AMAL)
Partner
(M.NO.111636)

FOR S BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 000560C

(P D BAID)
Partner
(M.NO.072625)

Place : MUMBAI

Date : 19th MAY, 2017.

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

			(₹ in 000's)
	Schedule Number	Year Ended 31.3.2017	Year Ended 31.3.2016
I. Income			
Interest Earned	13	3,28,16,97,89	3,23,15,66,64
Other Income	14	54,29,98,59	39,34,43,52
Total		3,82,46,96,48	3,62,50,10,16
II. Expenditure			
Interest Expended	15	2,37,76,30,56	2,38,94,04,33
Operating Expenses	16	70,21,29,16	67,15,91,85
Provisions and Contingencies		68,82,61,81	42,97,24,63
Total		3,76,80,21,53	3,49,07,20,81
III. Consolidated Net Profit Before Minority Interest and Share of Earnings In Associates		5,66,74,95	13,42,89,35
Add:-Share of Earning in Associates		5,89,49	4,51,99
Consolidated Net Profit for the year before deducting minorities interest		5,72,64,44	13,47,41,34
(Less):-Minorities Interest			-9,02,98
Consolidated Net Profit for the year attributable to the group		5,72,64,44	13,56,44,32
ADD : Profit Brought Forward		36	41,62
Amount Available for Appropriations		5,72,64,80	13,56,85,94
IV. Appropriations			
Transfer to Statutory Reserve		1,38,75,00	4,05,50,00
Transfer to Capital Reserve		2,31,46,67	44,84,70
Transfer to Revenue And Other Reserves/Adjustments		17,42,77	5,53,01,09
Proposed Dividend			1,34,05,10
Dividend Tax			27,44,69
Transfer to Special Reserve [Sec36(l)(Viii)]		1,85,00,00	1,92,00,00
Balance In Profit And Loss Account		36	36
Total		5,72,64,80	13,56,85,94
Earning per share (Basic and Diluted in ₹)	18	8.33	20.50
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss A/c

(DHIRENDRA JAIN)
Asst. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
Dy. General Manager & CFO

(ATUL KUMAR GOEL)
Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)
Executive Director

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(Dr. K. RAMESHA)
Director

(Dr. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR G P KAPADIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS.
Firm Regn.No.104768W
(NIMESH BHIMANI)
Partner
(M.No.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.000497N
(ADITYA KUMAR)
Partner
(M.NO.506955)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.103142W
(YOGESH AMAL)
Partner
(M.NO.111636)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.004201S
(S. SRIDHAR)
Partner
(M.No.025504)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.313085E
(DILLIP AGARWALLA)
Partner
(M.No.055420)

FOR S BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 000560C
(P D BAID)
Partner
(M.NO.072625)

Place : MUMBAI

Date : 19th MAY, 2017.

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

		(₹ in 000's)	
		As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
SCHEDULE 1 - CAPITAL :			
I.	Authorised :		
i.	300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	30,00,00,00	30,00,00,00
II.	Issued, Subscribed & Paid up :		
i.	43,61,06,597 Equity Shares of ₹ 10/- each, held by Central Government (P.Y. 43,61,06,597 Equity Shares)	4,36,10,66	4,36,10,66
ii.	251,334,520 Equity Shares of ₹ 10/- each, held by Public (P.Y. 251,334,520 Equity Shares)	2,51,33,45	2,51,33,45
	TOTAL	6,87,44,11	6,87,44,11
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :			
I.	Statutory Reserve :		
	As per last Balance Sheet	65,31,86,10	61,26,36,10
	Addition during the year	1,38,75,00	4,05,50,00
		66,70,61,10	65,31,86,10
II.	A) Capital Reserve :		
	As per last Balance Sheet	8,48,09,83	8,03,25,13
	Addition during the year	2,31,46,67	44,84,70
		10,79,56,50	8,48,09,83
	B) Capital Reserve on Consolidation	22,06,93	56,95,00
III.	Share Premium :		
	As per last Balance Sheet	44,84,37,91	34,57,12,14
	Addition during the year	-	10,27,25,77
		44,84,37,91	44,84,37,91
IV.	Revaluation Reserve :		
	As per last Balance Sheet	25,81,23,72	14,24,70,51
	Addition during the year	-	12,13,09,62
	Deduction during the year	1,24,43,95	56,56,41
		24,56,79,77	25,81,23,72
V.	Revenue and Other Reserves :		
i)	Revenue and other Reserves :		
	As per last Balance Sheet	50,43,61,21	48,41,48,82
	*Addition during the year	1,42,60,82	5,54,96,80
	Deduction during the year	1,72,57 **	3,52,62,25
	TOTAL	51,84,49,46	50,43,83,36
	Less:- Minority Interest	-22,16	22,16
	TOTAL	51,84,71,62	50,43,61,21
	* Net of consolidation Adjustment		
	** Last year's profit Adjustment of KGSG		
ii)	Special Reserve Sec 36(1)(viii)		
	As per last Balance Sheet	26,90,00,00	24,98,00,00
	Addition during the year	1,85,00,00	1,92,00,00
	TOTAL	28,75,00,00	26,90,00,00
iii)	Foreign Currency Translation Reserve		
	As per last Balance Sheet	1,24,53,04	55,09,31
	Addition during the year	-	69,43,73
	Deduction during the year	14,03,37	-
	TOTAL	1,10,49,67	1,24,53,04
VI.	Balance in Profit and Loss Account	36	36
	TOTAL	2,28,83,63,86	2,23,60,67,17

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

	(₹ in 000's)	
	As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
SCHEDULE 2 A Minority Interest		
Opening Balance	-	8,80,81
Add/(Less):- Increase/(Decrease) during the year	-	-8,80,81
Total Minority Interest	-	0
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :		
I) Demand Deposits		
i) From Banks	4,99,66,05	5,54,44,05
ii) From Others	2,58,19,92,07	2,92,36,14,44
II) Savings Bank Deposits	10,40,87,57,67	8,11,43,32,08
III) Term Deposits		
i) From Banks	77,54,58,43	1,07,57,99,48
ii) From Others	24,15,25,52,23	22,24,25,60,86
TOTAL	37,96,87,26,45	34,41,17,50,91
Deposits of branches in India	37,14,18,25,57	33,60,58,19,23
Deposits of branches outside India	82,69,00,88	80,59,31,68
TOTAL	37,96,87,26,45	34,41,17,50,91
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :		
A. Borrowings: Capital Instruments		
I. Perpetual Bonds	42,39,62,35	10,39,61,00
II. Upper Tier II Bonds	15,00,00,00	22,50,00,00
III. Tier II Bonds	67,50,00,00	52,00,00,00
B. Borrowings in India		
i. Other Banks	14,40,35,26	4,14,15,39
ii. Other Institutions and Agencies	17,51,18,59	12,52,60,08
C. Borrowings Outside India	2,55,44,33,45	2,04,80,25,01
TOTAL	4,12,25,49,65	3,06,36,61,48
Secured Borrowings included in (B) I & (B) II above	6,41,11,76	9,56,19,34
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :		
I. Bills Payable	14,95,55,69	17,45,34,68
II. Interest Accrued	16,59,84,30	10,36,28,33
III. Deferred Tax Liability	-	-
IV. Others (including Provisions)	74,88,48,15	67,80,69,68
TOTAL	1,06,43,88,14	95,62,32,69

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000's)

	As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :		
I. Cash in Hand	10,32,72,21	11,27,00,95
(including foreign currency notes)		
II. Balances with Reserve Bank of India In Current Account	1,54,89,65,10	1,44,79,90,69
TOTAL	1,65,22,37,31	1,56,06,91,64
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :		
I. In India		
i). Balances with Banks		
a) In Current Accounts	44,49,30	59,37,32
b) In Other Deposit Accounts	56,33,93,29	35,64,79,43
ii) Money at Call & Short notice		
a) With Banks	0	3,00,00,00
b) With Other Institutions	0	20,45,91
	56,78,42,59	39,44,62,66
II. Outside India		
i) In Current Accounts	1,37,80,29	25,66,91,10
ii) In other Deposit Accounts	1,03,87,78,72	74,56,83,48
iii) Money at call & short notice	1,79,53,45	41,51,69
	1,07,05,12,46	1,00,65,26,27
TOTAL	1,63,83,55,05	1,40,09,88,93
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	8,81,51,59,49	7,19,43,28,58
ii) Other Approved Securities	1,75,85,34	1,86,37,41
iii) Shares	23,72,12,08	16,38,09,25
iv) Debentures and Bonds	1,75,06,12,74	1,35,93,61,39
v) Subsidiaries and Joint Ventures	2,34,87,29	1,82,39,46
vi) Others		
- Commercial Paper	14,68,95,73	1,43,30,28
- Others	1,45,17,35	1,81,82,11
- Mutual Funds	10,79,84,63	8,86,04,78
- Security Receipt by ARCIL	7,58,42,34	5,80,61,08
TOTAL	11,18,92,96,99	8,93,35,54,34
II. Investments outside India		
i) Govt Securities (incl Local Authorities)	11,00,66,92	6,74,06,42
ii) Shares	40,32	40,32
iii) Other Investments (Bonds)	4,47,22,18	5,63,20,30
iv) Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
TOTAL	15,48,29,42	12,37,67,04
TOTAL	11,34,41,26,41	9,05,73,21,38
III. Investments in India		
Gross Value	11,30,77,32,23	8,98,89,34,46
Less: Provision for Depreciation	11,84,35,24	5,53,80,12
Net Value of Investment in India	11,18,92,96,99	8,93,35,54,34
IV) Investments outside India		
Gross Value	15,48,29,42	12,37,67,04
Less: Provision for Depreciation	-	-
Net Value of Investment outside India	15,48,29,42	12,37,67,04
TOTAL	11,34,41,26,41	9,05,73,21,38

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

		(₹ in 000's)	
		As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
SCHEDULE 9 - ADVANCES			
I.	i) Bills Purchased and Discounted	1,18,24,74,43	82,30,60,56
	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	13,32,37,22,20	13,16,67,36,84
	iii) Term Loans	14,28,87,86,22	12,83,51,59,02
	TOTAL	28,79,49,82,85	26,82,49,56,42
II.	i) Secured by Tangible Assets (includes Advance against Book Debts)	25,11,00,37,42	22,00,88,01,99
	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	1,11,23,87,13	1,29,10,52,85
	iii) Unsecured	2,57,25,58,30	3,52,51,01,58
	TOTAL	28,79,49,82,85	26,82,49,56,42
A.	Advances in India		
	i) Priority Sector	10,42,19,00,27	9,50,48,45,13
	ii) Public Sector	1,67,62,97,70	1,33,12,66,33
	iii) Banks	23,27,69,23	5,22,93,76
	iv) Others	13,42,22,55,51	13,23,23,36,13
	TOTAL	25,75,32,22,71	24,12,07,41,35
B.	Advances outside India		
	i) Due From Banks	84,82,32,88	76,51,56,14
	ii) Due From Others	-	-
	a) Bills Purchased and Discounted	83,29,30,75	44,99,00,97
	b) Syndicated loans	3,59,61,38	8,53,21,66
	c) Others	1,32,46,35,13	1,40,38,36,30
	TOTAL	3,04,17,60,14	2,70,42,15,07
	TOTAL	28,79,49,82,85	26,82,49,56,42
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS			
A. TANGIBLE ASSETS			
I.	Premises		
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	37,28,11,82	24,23,25,14
	Additions during the year	79,76,93	13,04,86,84
		38,07,88,75	37,28,11,98
	Deductions during the year	3,97,30	16
		38,03,91,45	37,28,11,82
	Less: Depreciation to Date	8,31,63,70	29,72,27,75
			6,81,58,03
			30,46,53,79
II.	Capital Work in Progress		
	At cost as per last Balance Sheet	12,52,62	4,28,92
	Additions during the year	9,45,45	9,81,26
	Deductions during the year	49,18	21,48,89
			1,57,56
			12,52,62
III.	Land		
	At cost as per last Balance Sheet	72,68,05	61,66,84
	Additions during the year	3,62,29	11,01,21
	Deductions during the year	-	-
		76,30,34	72,68,05
	Less: Depreciation to Date	4,66,14	71,64,20
			3,80,37
			68,87,68

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

	(₹ in 000's)	
	As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
IV. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
a) Assets given on Lease		
At cost as per last Balance Sheet	26,53,52	26,53,52
Addition during the year	-	-
Deductions during the year	-	-
	<u>26,53,52</u>	<u>26,53,52</u>
Less: Depreciation to Date	<u>26,53,52</u>	<u>26,53,52</u>
	-	-
b) Others		
At cost/valuation as per last Balance Sheet	22,65,95,40	20,91,42,78
Additions during the year	2,03,71,93	2,39,83,27
	<u>24,69,67,33</u>	<u>23,31,26,05</u>
Deductions during the year	48,51,99	65,30,65
	<u>24,21,15,34</u>	<u>22,65,95,40</u>
Less: Depreciation to Date	<u>16,07,10,99</u>	<u>14,67,33,56</u>
	8,14,04,35	7,98,61,84
B. INTANGIBLE ASSETS		
Computer Software		
At cost as per last Balance Sheet	2,14,33,34	1,90,62,92
Additions during the year	24,21,52	23,71,76
Deductions during the year	5,22,08	1,34
	<u>2,33,32,78</u>	<u>2,14,33,34</u>
Amortisation till Date	<u>2,07,37,11</u>	<u>1,89,03,80</u>
	25,95,67	25,29,54
TOTAL	<u>39,05,40,86</u>	<u>39,51,85,47</u>
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :		
I. Inter-Office Adjustments (net)	14,86,17,49	19,67,49,20
II. Interest Accrued	24,06,28,82	23,14,47,37
III. Tax paid/Tax Deducted at Source	28,91	16,23
IV. Stationery and Stamps	3,15,27	3,74,87
V. Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	3,90	3,90
VI. Deferred Tax Assets	22,97,27,30	4,18,59,06
VII. Others	1,12,73,08,04	1,02,68,61,89
TOTAL	<u>1,74,66,29,73</u>	<u>1,49,73,12,52</u>
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :		
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	35,36,66,60	38,59,06,85
II. Liability for partly paid Investments	59,20	59,20
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	18,06,06,42,94	34,74,37,04,38
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
i) In India	1,45,66,77,78	1,36,49,82,25
ii) Outside India	5,51,85,07	3,22,71,60
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	3,00,45,74,29	2,74,60,11,35
VI. Other items of Contingent Liability	65,77,21	37,17,92,28
i) Disputed Tax demands under Appeals	24,30,38,21	2,84,95,99
ii) Amount transfered to DEAF Scheme 2014	82,22,20	7,04,90,00
TOTAL	<u>23,18,86,43,50</u>	<u>39,74,37,13,90</u>

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ in 000's)

	Year Ended 31.3.2017	Year Ended 31.3.2016
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/Discount on Advances/Bills	2,30,04,84,20	2,36,84,48,50
II. Income on Investments	87,88,93,08	76,23,69,96
III. Interest on Balances with RBI & Other Inter Bank Funds	8,81,96,06	8,18,02,59
IV. Others	1,41,24,55	1,89,45,59
TOTAL	3,28,16,97,89	3,23,15,66,64
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	4,49,91,22	3,98,58,72
II. Profit on Sale of Investments - (Net)	21,48,73,62	8,76,28,48
III. Profit/ (Loss) on Sale of Land, Buildings & Other Assets (Net)	25,83,22	-1,79,14
IV. Profit on Exchange Transactions - (Net)	9,52,33,80	9,77,60,93
V. Miscellaneous Income	18,53,16,73	16,83,74,53
TOTAL	54,29,98,59	39,34,43,52
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on Deposits	2,20,05,24,69	2,20,77,16,22
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowing	4,94,03,82	5,49,42,62
III. Others	12,77,02,05	12,67,45,49
TOTAL	2,37,76,30,56	2,38,94,04,33
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and Provisions for Employees	35,09,39,85	37,68,05,35
II. Rent, Taxes and Lighting	5,23,40,84	4,81,78,59
III. Printing and Stationery	58,77,68	52,32,70
IV. Advertisement and Publicity	74,08,67	72,63,43
V. Depreciation on Bank's Property	2,40,82,34	2,48,97,89
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	3,50,21	3,93,18
VII. Remuneration to Managing / Executive Director	72,39	71,83
VIII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	41,67,36	35,64,30
IX. Law Charges	26,23,82	25,39,88
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	80,68,19	77,28,56
XI. Repairs and Maintenance	1,18,05,67	1,16,23,81
XII. Insurance	3,65,62,47	3,15,39,57
XIII. Other Expenditure	19,78,29,67	15,17,52,76
TOTAL	70,21,29,16	67,15,91,85

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2016-2017 (CONSOLIDATED)

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 Accounting Convention

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions of practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known/ materialized.

3 Basis of consolidation

3.1 Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group (comprising of 3 Subsidiaries, 1 Associate and 1 Joint Venture) have been prepared on the basis of:

- i) Audited Financial Statement of Union Bank of India (Parent).
- ii) Line by line aggregation of each item of asset, liabilities, income and expenditure of subsidiaries with the respective items of the parent after eliminating intra group balances/ transactions, unrealized profit/losses based on the data received from the subsidiaries duly audited by their respective auditors as per Accounting Standard – 21 “Consolidated Financial Statements” issued by ICAI.
- iii) Accounting for Investments in ‘Associate’ under the ‘Equity Method’ as per Accounting Standard 23 “Accounting for Investments

in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by ICAI.

- iv) Consolidation of Joint Venture – ‘Proportionate Consolidation’ as per Accounting Standard 27 “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” by ICAI.

3.2 In case of Domestic Associate/Subsidiaries and Joint Venture, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries and Joint Venture have not been carried out due to practical difficulties on the basis of data provided by associates/ subsidiaries and Joint Venture as the amounts are not material.

3.3 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Parent’s portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve, as the case may be.

3.4 Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

- i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and
- ii) The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.
- iii) The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses.

4 Revenue Recognition

4.1 Banking entities

- 4.1.1 Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 4.1.2 Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI.
- 4.1.3 Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.

4.1.4 Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

- a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale / redemption.
- b) On zero coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

4.1.5 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

4.2 Non Banking entities

Life Insurance

i) Premium Income

Premium (net of service tax) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii) Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii) Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv) Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are

cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

v) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi) Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

- i) Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.
- ii) Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.
- iii) Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.
- iv) Dividend income is recognized when right to receive is established.

5 Investments

5.1 Classification

- i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:
 - a) Government Securities
 - b) Other Approved Securities
 - c) Shares
 - d) Debentures & Bonds
 - e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further categorized in accordance with the RBI guidelines into:

- Held to Maturity (HTM)
- Available for Sale (AFS)
- Held for Trading (HFT)

5.2 Basis of Valuation

As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

- Securities held in “HTM” – at acquisition cost: The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.
- Investment in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost
- Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- Securities held in “AFS” and “HFT” categories are valued classification wise and scrip wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.
- Valuation of other securities is arrived at as follows:

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA).
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at ₹1/- per company.

iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines.
v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

5.3 Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

5.4 As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

5.4.1 From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

5.4.2 From HTM category to AFS / HFT category,

- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value

- If the security is originally placed at a premium, at an amortized cost.

5.4.3 From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

5.4.4 The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

5.5 The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

5.6 Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in “HTM” category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

5.7 Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss account.

5.8 As per the extant RBI guidelines, the Bank follows ‘Settlement Date’ for accounting of investments transactions.

6 Derivative Contracts:

The Interest Rate Swap (IRS) which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

- i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.
- ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7 Advances

7.1 Advances in India, are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

7.2 Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

7.3 The general provision on standard advances is held in “Other Liabilities and Provisions” reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

8 Fixed Assets and Depreciation

8.1 Premises and Other Fixed Assets are stated a cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

8.2 Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipments, Office Appliances and SDV/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterrupted Power Supply Equipments	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

8.3 Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

8.4 Depreciation on additions to assets made up to 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

8.5 Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

8.6 No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

8.7 Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

8.8 Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

9 Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

10 Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11 Transactions Involving Foreign Exchange

11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as

- a) Integral Operations and
- b) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

11.2 Translation in respect of Integral Operations

11.2.1 Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

11.2.2 Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

11.2.3 Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

11.2.4 The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.

11.2.5 Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

11.3 Translation in respect of Non Integral Operations

11.3.1 Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter

11.3.2 Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the

closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

11.3.3 Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

11.3.4 The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12 Employee Benefits

Retirement benefits in the form of provident fund are a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the Profit and Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension fund and provision towards leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss account.

The New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulation of the respective countries.

13 Segment Reporting

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury operations, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking operations and (d) Other Banking operations.

14 Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect

of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15 Earnings Per Share

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

16 Taxation

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred tax assets/ liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18 Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2016-17 (CONSOLIDATED)

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS

- 1 The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.17
Union Asset Management Company Pvt Ltd.	India	100%
Union Trustee Company Private Ltd.	India	100%
Union Bank of India UK Ltd.	United Kingdom	100%

The Parent was having 51% ownership in Union Asset Management Company Pvt. Ltd. and Union Trustee Company Pvt. Ltd. as on 31.03.2016. During the year the remaining 49% ownership in these Subsidiaries has been acquired by the parent, resulting into 100% ownership as on 31.03.2017.

- 2 The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd. (Non- Banking)	India	25.10%

- 3 The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Bank i) Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%

The Value of the investment made by the Bank is ₹ 741.66 Crore as on 31st March 2017 which is treated as long term investment.

- 4 The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2017.
- 5 The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Union Asset Management Co. Pvt. Ltd., Union Trustee Co. Pvt. Ltd., Union Bank of India UK Ltd. and Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Regional Rural Bank) for the financial year ended 31.03.2017.
- 6 Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

7 DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

7.1 A. Capital

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 9% with minimum CET I of 5.5% and minimum Tier I CRAR OF 7% as at March 31, 2017.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%)		
	Basel II	Nil	Nil
	Basel III	7.76	8.00
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel II	9.35	8.29
	Basel III	9.07	8.20
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel II	3.50	2.90
	Basel III	2.77	2.42
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel II	12.85	11.19
	Basel III	11.84	10.62
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	63.44	63.44
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	Nil	51.66
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore)	3,500.00	Nil
	of which Perpetual Debt instruments : (₹ in crore)	3,500.00	Nil
viii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	1,750.00	1,000.00
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	1,750.00	1,000.00

7.2 Provisions & Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2017	31.03.2016
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	630.62	149.28
Provision towards NPA	6032.00	4655.03
Provision(Reversal) towards Standard Assets	512.72	(107.47)
Net Provision made towards Income Tax (IT)/Wealth Tax/ Deferred tax liability (DTL)	(207.99)	415.07
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	1.81	5.74
- Restructured Advances	66.02	(623.25)
- Others	(152.56)	(197.15)
TOTAL	6882.62	4297.25

7.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision (Parent Bank)

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Opening Balance	293.20	293.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	Nil	Nil
iv)	Closing balance	293.20	293.20

8 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2017.

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	Table showing change in Defined Benefit Obligation :				
	Liability at the beginning of the year	1,110.33	9,619.00	1,088.16	8,218.43
	Interest Cost	88.72	775.29	83.52	638.22
	Current Service Cost	47.72	134.46	50.12	150.00
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(148.80)	(624.25)	(186.00)	(681.00)
	Actuarial (gain)/loss on obligation –due change			74.53	1,293.35
	In the financial assumption	30.71	533.48	1,110.33	9,619.00
	Actuarial (gain) / loss on obligations	(13.96)	793.17	Nil	Nil
	Liability at the end of the year	1,114.72	11,231.15	Nil	Nil
ii)	Table of Fair value of Plan Assets:				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,251.27	9,525.70	1,264.00	7,861.00
	Expected return on Plan Assets	99.98	767.77	105.21	777.24
	Contributions	88.16	1,019.42	38.26	1,413.35
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(148.80)	(624.25)	(186.00)	(681.00)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	42.42	526.25	29.80	155.11
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70
	Actuarial (gain)/loss on obligation for the period	16.75	1,326.65		
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(25.67)	800.40	(44.73)	(1,138.24)
iii)	Recognition of Transitional Liability :				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	99.98	767.77	105.21	777.24
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	42.42	526.25	29.80	155.11
	Actual return on Plan Assets	142.40	1,294.02	135.01	932.35

	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
v)	Expenses recognized in the Income Statement:				
	Current Service Cost	47.72	134.46	50.12	150.00
	Interest Cost	(11.26)	7.52	83.52	638.22
	Expected Return on Plan Assets	Nil	Nil	(105.21)	(777.24)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	(25.67)	800.40	44.73	1,138.24
	Expenses Recognized in P & L	10.79	942.38	73.16	1,149.22
vi)	Balance Sheet Reconciliation:				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(140.94)	93.30	(175.84)	357.43
	Expenses as above	10.79	942.38	73.16	1,149.22
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	(88.16)	(1,019.42)	(38.26)	(1,413.35)
	Amount recognized in Balance Sheet	(218.31)	16.26	(140.94)	93.30
vii)	Other Details :				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹ 10,00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	37,120	18,059	35,716	19,670
	Salary Per Month	162.08	96.58	148.54	107.98
	Contribution for next year	Nil	137.01	Nil	349.86
viii)	Category of assets:				
	Government of India Assets	121.75	366.40	146.02	473.14
	Corporate Bonds	251.89	1,771.02	267.72	1,532.83
	Special Deposits Scheme	Nil	Nil	Nil	Nil
	State Govt.	139.50	344.00	443.41	2,442.38
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	113.85	1,246.48	90.39	974.77
	Insurer Managed Funds	706.04	7,486.99	303.73	4,102.58
	Total	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70

	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
ix)	Principal actuarial assumption used (%)				
	Discount Rate Prev.	7.99	8.06	7.99	7.95
	Rate of return on Plan Assets Prev.	7.99	8.06	8.70	8.70
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	7.20	7.45	8.04	8.06
	Rate of Return on Plan Assets Current	7.20	7.45	8.04	8.06
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(₹ in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:		Gratuity Plan			
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
Liability at the end of the year	1,114.72	1,110.33	1,088.16	1,060.13	1,000.86
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,333.03	1,251.27	1,264.00	1,081.23	1,037.22
Difference	218.31	140.94	175.84	21.10	36.36
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	65.00	130.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	218.31	140.94	175.84	86.10	166.36

(₹ in crores)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan			
Experience Adjustment	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.13
On plan liability (Gain) / Loss	(13.96)	Nil	(21.18)	123.74
On plan Assets (Loss) / Gain	42.42	29.80	38.03	(20.00)

(₹ in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:		Pension			
Amount recognized in the Balance-Sheet	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
Liability at the end of the year	11,231.15	9,619.00	8,218.43	6,683.81	5,991.02
Fair value of Plan Assets at the end of the year	11,214.89	9,525.70	7,861.00	6,104.73	4,774.08
Difference	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(579.08)	(1,216.94)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	338.00	761.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(241.08)	(455.94)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension			
Experience Adjustment	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.13
On plan liability (Gain) / Loss	793.17	1,399.16	731.44	661.38
On plan Assets (Loss) / Gain	526.25	155.11	210.89	-233.23

9.1 Defined Contribution Plan:

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2016-17, the Bank has contributed ₹ 68.69 crore (Previous Year ₹ 58.52 crore) to NPS.

9.2 Other long term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.17	31.03.16
1.	Pension	942.00	1,149.00
2.	Leave Encashment	58.00	75.00
3.	Leave Travel Concession	(3.69)	10.00
4.	Sick Leave	Nil	Nil

In case of Joint Venture Company namely M/s Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited, (the company) liabilities provision for the life policies in force as on 31st March 2017 has been done by the company's appointed actuary and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI) and Institute of Actuaries of India in concurrence with the authority.

10. SEGMENT REPORTING (AS-17)

10.1 Business Segments:

(₹ in crores)

Business Segment		Consolidated	
		Year ended	
		(Audited)	
		31.03.17	31.03.16
(a)	Segment Revenue		
1	Treasury Operations	12508.54	10177.19
2	Retail Banking Operations	10293.19	10221.26
3	Corporate /Wholesale Banking	14586.86	15236.62
4	Other Banking Operations	334.31	264.76
5	Unallocated	622.39	419.56
	Total	38345.29	36319.39
	Less Inter-segment Revenue	98.33	69.29
	Total Revenue	38246.96	36250.10
(b)	Segment Results		
1	Treasury Operations	3418.00	2146.01
2	Retail Banking Operations	679.02	667.62
3	Corporate /Wholesale Banking	(3933.55)	(1173.31)
4	Other Banking Operations	179.13	125.07
5	Unallocated	22.05	6.13
	Total Profit Before Tax	364.65	1771.52
(c)	Income Tax	(207.99)	415.08
(d)	Net Profit	572.64	1342.89

Business Segment		Consolidated	
		Year ended	
		(Audited)	
		31.03.17	31.03.16
(e)	Segment Assets		
1	Treasury Operations	149452.25	124187.02
2	Retail Banking Operations	101247.61	93320.72
3	Corporate/Wholesale Banking	196700.94	183281.67
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated	8267.92	6575.15
	Total	455668.72	407364.56
(f)	Segment Liabilities		
1	Treasury Operations	142297.16	117469.24
2	Retail Banking Operations	97183.59	88934.90
3	Corporate /Wholesale Banking	188805.48	174667.92
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated	3270.41	3244.17
	Total	431556.64	384316.23
(g)	Capital Employed (Segment Asset -Segment Liabilities)		
1	Treasury Operations	7155.09	6717.78
2	Retail Banking Operations	4064.02	4385.82
3	Corporate /Wholesale Banking	7895.46	8613.75
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated	4997.51	3330.98
	Total	24112.08	23048.33

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.
2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
3. Previous year's/Twelve Month's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the current Twelve Month's classification/ presentation.

11. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

List of Related Parties

a) Subsidiaries

- Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union Trustee Company Private Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.

b) Joint Venture

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co.

c) Associate

- Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2016-17
Shri Arun Tiwari	Chairman and Managing Director	N.A
Shri Rakesh Sethi	Executive Director	Cessation on 30 June, 2016
Shri Vinod Kathuria	Executive Director	N.A.
Shri Raj Kamal Verma	Executive Director	Joined on 9 August 2016
Shri Atul Kumar Goel	Executive Director	Joined on 15 September, 2016

12. Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12.1 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Chairman and Managing Director	0.23	#0.28
Executive Directors	0.50	#0.44
Total	0.73	0.72

includes performance linked incentives of ₹ 0.06 crore and ₹ 0.09 crore paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the year ended March 2016. No performance linked incentives paid during the year ended March 2017.

13. EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Sr No	Particulars		31.03.2017	31.03.2016
i	Basic and Diluted EPS	₹	8.33	20.50
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders	₹ in crore	572.64	1,356.44
iii	Weighted Average number of equity shares	No. in crore	68.74	66.18
iv	Nominal value per share	₹	10	10

14. PROVISION FOR TAXES:

Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	179.37	187.71
2	Employee Benefits	266.59	266.59
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	Nil	60.35
4	Leave Encashment	97.21	83.89
5	On account of other provisions	2727.01	1,435.06
6	On account of unused losses & Tax Credits	3.11	3.04
	Total	3273.29	2,036.64
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of Investments	Nil	91.23
2	Depreciation on Fixed Assets	22.31	29.24
3	Accrued interest on securities	Nil	607.89
4	Special Reserves u/s 36(i) (viii)	953.71	889.69
	Total	976.02	1,618.05
	Net Deferred Tax Asset	2297.27	418.59
	Net Deferred Tax Liability	Nil	Nil

15. Additional information disclosed in the separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements (CFS) and also the information pertaining the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

16. The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(DHIRENDRA JAIN)
Asst. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
Dy. General Manager & CFO

(ATUL KUMAR GOEL)
Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)
Executive Director

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(Dr. K. RAMESHA)
Director

(Dr. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR G P KAPADIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.104768W

(NIMESH BHIMANI)
Partner
(M.No.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.000497N

(ADITYA KUMAR)
Partner
(M.NO.506955)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.103142W

(YOGESH AMAL)
Partner
(M.NO.111636)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.004201S

(S. SRIDHAR)
Partner
(M.No.025504)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.313085E

(DILLIP AGARWALLA)
Partner
(M.No.055420)

FOR S BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 000560C

(P D BAID)
Partner
(M.NO.072625)

Place : MUMBAI

Date : 19th MAY, 2017.

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

		(₹ in Lacs)	
Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2016
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit before Tax	3,64,65	17,71,52
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	2,40,82	2,48,98
	Depreciation on Investments	6,32,43	1,55,02
	Provision for Non Performing Assets	60,31,90	46,55,03
	Provision for Standard Asset	4,46,38	(9,34,82)
	Provision for Staff Related Expenditures	37,46	84,04
	Other provisions	(20,11)	6,94
	Profit / (Loss) on sale or disposal of Fixed Assets	(25,83)	1,79
	Share of Earning In Associates	(5,89)	(4,52)
	Increase/(Decrease)in Minority Interest	0	(9,03)
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	8,83,24	7,06,27
	Sub Total	85,85,05	66,81,22
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	3,55,69,75	2,66,67,17
	Increase / (Decrease) in Borrowings	65,88,87	(44,81,38)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	6,08,26	3,33,49
	(Increase) / Decrease in Investments	(2,35,00,48)	(49,10,08)
	(Increase) / Decrease in Advances	(2,57,32,17)	(1,69,83,47)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(6,14,36)	15,59,11
	Direct taxes paid (net of refund)	(15,40,55)	(7,89,26)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(35,63)	80,76,80
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	(Increase)/ Decrease in Fixed Assets	(2,86,07)	(8,85,34)
	Share of Earning In Associates	5,89	4,52
	Increase/(Decrease) in Minority Interest	0	9,03
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(2,80,18)	(8,71,79)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Share Application Money Received	5,41,00	0
	Issue of Equity Shares to Govt. of India on preferential basis	0	51,66
	Security Premium received (net of Share Issue Expenses)	0	10,27,26
	Proceeds from issue of Capital Instruments	40,00,00	(50,00)
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(7,74,74)	(7,55,72)
	Payment of Dividend (Including dividend tax)	(1,61,34)	(4,64,41)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	36,04,92	(1,91,21)
	Net Increase (decrease) in Cash & Cash Equivalent (A) + (B) + (C)	32,89,11	70,13,80
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	2,96,16,81	2,26,03,01
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	3,29,05,92	2,96,16,81

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

		(₹ in Lacs)	
Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2016
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,56,06,92	1,50,63,87
	Balances with banks and Money at call	1,40,09,89	75,39,14
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,96,16,81	2,26,03,01
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,65,22,37	1,56,06,92
	Balances with banks and Money at call	1,63,83,55	1,40,09,89
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	3,29,05,92	2,96,16,81

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Year's classification/ presentation.

(ATUL KUMAR GOEL)
Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)
Executive Director

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(ARUN TIWARI)
Chairman & Managing Director

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of Union Bank of India, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Group for the year ended 31.03.2017. The statement has been prepared using Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Balance Sheet of the Group covered by our report of 19th May, 2017 to the Members.

FOR G P KAPADIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.104768W

(NIMESH BHIMANI)
Partner
(M.No.030547)

FOR ASHWANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.000497N

(ADITYA KUMAR)
Partner
(M.NO.506955)

FOR GBCA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.103142W

(YOGESH AMAL)
Partner
(M.NO.111636)

FOR SUNDAR SRINI & SRIDHAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.004201S

(S. SRIDHAR)
Partner
(M.No.025504)

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.313085E

(DILLIP AGARWALLA)
Partner
(M.No.055420)

FOR S BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 000560C

(P D BAID)
Partner
(M.NO.072625)

Place : MUMBAI

Date : 19th MAY, 2017.

RISK MANAGEMENT

Disclosures under Basel III Capital Regulations and Pillar III

In accordance with RBI issued Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2015, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link.

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Basel-III_Disclosures_mar17.pdf

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2016-17

Section A: General Information about the Company

Union Bank of India, founded on 11th November 1919 with its headquarter in Mumbai, was inaugurated by Mahatma Gandhi, the Father of the Nation in the year 1921. The Bank's core values of prudent management without ignoring opportunities is reflected in the fact that the Bank has shown steadfast growth and development during all 97 years of its operations. The Bank's focus is on qualitative growth in business while lending to productive sectors and ensuring asset quality is not impaired. This ensures that the Bank's performance in key business parameters improves year after year. The Bank now has 4278 Domestic branches and 7518 ATMs.

The Bank also has four fullfledged international branches in DIFC Dubai, Hong Kong, Sydney and Antwerp. The Bank is also having three representative offices in Shanghai, Beijing & Abu Dhabi and one wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd, in London. The Bank has staff strength of 36877 who diligently adhere to the Bank's values and work towards achieving the Bank's vision.

its branches are computerized. The Bank has also introduced Core Banking Solution with connectivity between branches and cent percent of the business of the Bank is under Core Banking Solution.

Other useful information about the Bank is:

Corporate Identity Number (CIN) of the Company:	Not Applicable
Registered Address:	Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021
Website:	http://www.unionbankofindia.co.in
E-mail Id:	busresponsehead@unionbankofindia.com
Financial Year reported:	2016 -17

Section B: Financial Details of the Company

The Bank's financials during the reporting year are as under:

(₹ In crores)

Paid up Capital	687.44
Total Deposits	3,78,391.00
Gross Advances	3,01,684.00
Total profit after taxes	555.22
Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)	7.27
Total Spending on CSR as percentage of profit after tax (%)	1.30%

Corporate Social Responsibility:

Union Bank of India is committed to the objective of corporate social responsibility (CSR) and integrates it into its business model by creating enablers for social and community development. **The Union Bank Social Foundation**, a trust set up by the Bank is spearheading its CSR initiatives. Through the trust, the Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives.

The Bank's CSR spend in 2016-17 is ₹ 7.27 Crores. Some of the notable projects undertaken by the Bank under CSR in the reporting year include:

List of some new CSR initiatives taken in 2016-2017:

- o Donation for construction of Integrated Rehabilitation to MBA Foundation, Mumbai
- o Donation for Health care Project to Smile Foundation for primary health care among the disaster affected area in Uttarakhand
- o Donation for trainees in the proposed locations to Sambhav foundation for conducting the vocational training Program in Bangalore
- o Donation for talking library for blind & visually impaired person to National Association for Blind , Mumbai
- o Donation for Midday meal to liberate the underprivileged children from scourge of hunger & malnutrition to Iskon Food Relief foundation Mumbai



UNION BANK OF INDIA WINS IBA BANKING TECHNOLOGY AWARDS

During F.Y.2016-17 Union Bank of India has won two Banking Technology Awards from IBA in Best Financial Inclusion Initiatives (Winner) and Best Technology Bank of the year (Runner). Bank's Chairman and Managing Director Shri Arun Tiwari received the award from Padma Vibhushan Dr. Raghunath Mashelkar, President, Global Research Alliance & Dr. Viral V. Acharya, Deputy Governor, Reserve Bank of India at the glittering award function organized by IBA at Mumbai.

The Bank is primarily engaged in providing Banking and Financial services to its customers and majority of the Bank's products and services broadly fall under three categories:

1. Deposits
2. Loans and Advances
3. Remittances and Collections

The Bank's activities are covered under the activity code - 6419 under "Group K: Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008" published by Ministry of Statistics and Program Implementation. The Bank has been a leader in infusion of technology and all

- o Donation for purchase of van for transport of faculty & volunteers for conducting health awareness training programmes in villages of Periyar university, salem
- o Donation for purchasing van to carry wild animals for hospitalization to wild trust of India, Noida
- o Donation for sonography machine to Marwari relief society.
- o Donation to Manav Bharti for implementation of Project Pragna Plus (21st century skills initiative) in various schools in Varanasi & Ahmedabad.

Section C: Other Details

The Bank has three subsidiaries (Union Bank of India (UK) Ltd., Union Asset Management Company Private Ltd, one joint venture (Star Union Dailchi Life Insurance Company Ltd) and one associate (Kashi Gomti Samyut Gramin Bank). The Bank's subsidiaries as well as its partners conduct their business in a responsible manner. The Bank is committed to providing the necessary knowledge and support to its subsidiaries and business partners regarding business responsibility.

Section D: BR Information

Governance related to Business Responsibility

Director responsible for implementation of the BR policy/policies:

DIN Number	03567831
Name	Shri Raj Kamal Verma
Designation	Executive Director

Details of the BR head:

DIN Number (if applicable)	Not Applicable
Name	Mrs. Monika Kalia
Designation	General Manager, Personal Banking & Operations Department, Central Office
Telephone number	022-2289 6600
e-mail id	gmpbod@unionbankofindia.com

About Business Responsibility Report

This is the 5th year that Union Bank is publishing its BR report. As this is a regulatory requirement it is published annually along with the Annual Report. The BR performance of the Bank is evaluated annually by the Sustainable Development and CSR Committee of the Bank. The BR report of the Bank can be accessed on our website at the following link:

Main Page > About Us > Sustainable Development

Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

S No.	Questions	Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)								
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Do you have a policy/policies for the Principle/s	Yes								

S No.	Questions	Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)								
			2	3	4	5	6	7	8	9
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes								
3	Does the policy conform to any National / International standards? If yes specify? (50 words)	Yes, the Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.								
4	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by the MD/owner/CEO/ Appropriate director	Yes, the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy has been approved by the Board and signed by the Managing Director.								
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Yes								
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Main Page > About Us > Sustainable Development								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes, as the policy is uploaded on the website. However, to further increase awareness of the policy, suitable training programs will be conducted at different levels.								
8	Does the company have inhouse structure to implement the policy/policies?	Yes								
9	Does the Company have a grievance Redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Yes								

S No.	Questions	Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)							
		2	3	4	5	6	7	8	9
10	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency ?	At present the SD&CSR Committee of the Bank is monitoring the BR performance of the Bank at quarterly intervals. However, going forward it will also be evaluated by an external agency at periodic intervals							

Section E: Principle-wise Performance

Union Bank of India is committed to operating and growing its business in a socially responsible way. The Bank is convinced that businesses that address both the direct concerns of citizens and the needs of the environment will prosper over the long term.

This belief is at the core the Bank's vision is to grow its business, while reducing its environmental footprint and increasing its positive social impact. Union Bank of India is committed to this through the various CSR programs. The Bank's goal is to help people to improve their health and wellbeing, reduce the environmental footprint and enhance the livelihoods of people as the business grows.

The report provides an overview of the activities carried out by the Company under each of the nine principles as outlined in the National Voluntary Guidelines (NVG).

Principle 1 - Sound Corporate Governance

Union Bank of India takes pride in the good governance that dates back to the vision of the founders and of the fact that the subsequent leaders have built on this tradition over the years making Union Bank of India one of the leaders in the Banking Sector. Bank's actions are governed by its values and principles, which are reinforced at all levels of employment within the bank. Union Bank of India is committed to doing things the right way, that is ethical and in compliance with the applicable legislation thus leading to sound corporate governance.

The Bank follows a principle-based approach towards corporate governance which ensures the Bank delivers strong and effective governance which is respected by investors. As part of Corporate Governance the Bank has a Code of Conduct for Directors on the Board and its Senior Management. The Code of Conduct attempts to set forth the guiding principles on which the Bank operates and conducts its daily business with its multitudinous stakeholders, government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognizes that the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large.

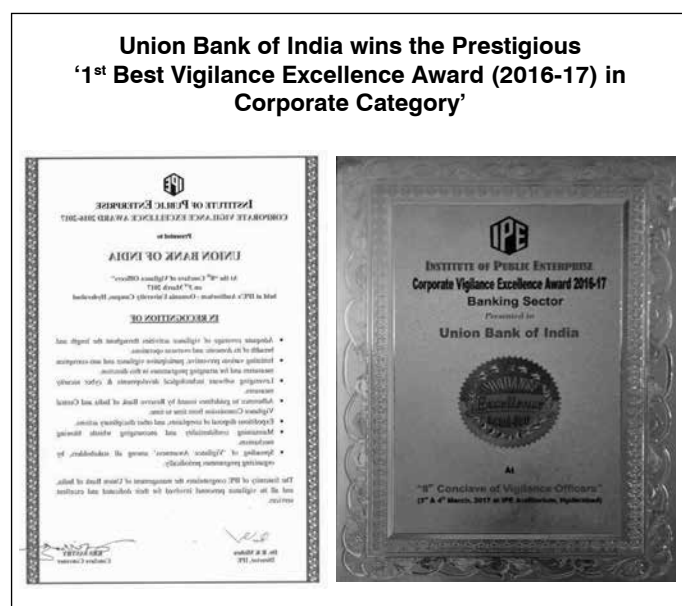
The Code envisages and expects -

- Adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing

with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships.

- Full, fair, accurate, sensible, timely and meaningful disclosures in the periodic reports required to be filed by the Bank with government and regulatory agencies.
- Compliance with applicable laws, rules and regulations.
- Address misuse or misapplication of the Bank's assets and resources.
- Maintain highest level of confidentiality and fair dealing within and outside the Bank.

The Code of Business Principles is an extension of the Bank's values and reflects its commitment to ethical business practices across the operations. The Code also sets standards which not only meets the requirements of applicable legislations but goes beyond in many areas of its functioning.



The Bank also publishes a Corporate Governance Report with its Annual Report. The following policies are applicable to all the officers/ employees of the Bank:

- The Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976
- The Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976
- The Bipartite Settlement/ Joint Note signed between the Management of various Banks represented by the Indian Banks' Association and the Bank Employees represented by various Employees' Associations/ Officers' Federation
- Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy

The Bank's good corporate practices have won it several laurels and recognition in the past years.

'International Anti-Corruption Day'



Celebrated 'International Anti-Corruption Day' on 09.12.2016 by conducting Seminar on "Fighting Frauds : Forging Partnership between Public sector and Private Sector Banks". Central Vigilance Commissioner Shri K.V. Chowdary and Deputy Governor, Reserve Bank of India Shri S.S. Mundra graced this occasion. The seminar started with Panel Discussion where in Smt. A. Bhattacharya, Chairperson State Bank of India, Ms. Chanda Kochar, MD & CEO, ICICI Bank, Shri Paresh Sukthankar, DMD HDFC Bank, Shri P.S. Jayakumar, CMD Bank of Baroda and Shri Rajiv Rishi, CMD Central Bank of India deliberated, followed by open house session.

Union Bank of India released Manual on Preventive Vigilance on International Anti Corruption Day



'On this occasion, Shri K.V. Chowdary and Deputy Governor Shri S.S. Mundra have released "Preventive Vigilance Manual" and "Satarkata ke Vividha Aayam (Hindi)". Our Bank is the first Public Sector Bank to release Manual on Preventive Vigilance. Preventive Vigilance Manual is a comprehensive book on Dos and Don'ts for field functionaries on Operational guidelines and precautions to be taken by field functionaries in day to day activities.

Principle 2 – Sustainable Products and Services

The Bank is aware both of the crucial role that it plays in the economy by providing financial products and services to individuals, companies and government bodies, and of the potential that it has to be a powerful agent of change by providing banking services to a wider section of population. The Bank strives to develop and offer financial products and services that, directly or indirectly, lead to longterm environmental benefit and social development.

The Bank's business strategies continue to be aimed at consolidating its business in chosen areas, focusing on core & retail business, taking steps for meaningful financial inclusion and strengthening systems & control. The thrust areas include strategic positioning of the Bank, developing new ideas to reach customers with new technology and deepening relations. As a partner in the progress of the country the Bank extends credit for the requirements of different sectors of economy whether it is big industry or the MSME sector, exports, trade, agriculture, infrastructure or the personal segment. The Bank has been a pioneer in taking meaningful initiatives for Financial Inclusion catering to the needs of the disadvantaged, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

The Bank has the distinction of offering various digital products, services and solutions which provides the customer the convenience in fund transfer, inquiries, user friendly usage, high level security and various other features to attract customers to use digital channels of transactions. The bank has developed products which are environment friendly, especially for persons with disability and those for the benefit the society at large. Some the key products catering to customer needs as well as benefitting the environment/ society, are as follows:

1. **Green PIN Solution for Debit Cards** – Green initiative (Paperless and Digital) and value added service launched; that offers an effortless and hassle free Pin generation by our debit card holder at any Union Bank ATM. Cardholder can generate new Pin and change his existing Pin through this solution.
2. **Union Connect** – Bank's official pages are launched in Facebook & Twitter on foundation day 11-11-2016 under project Union Connect to leverage business opportunities, enhancing brand image, educating customers, spreading awareness about our products & services in our built up community in social media platforms. Users are educated in ongoing business interactions, customer care, educating posts, organizing online events and resolving user's issues etc. We are also learning about the overall sentiment of customers about existing or new products, forwarding suggestion/ feedback to concerned team. Bank has also marked presence on YouTube and Instagram in FY 2016-17.
3. **UPI** – Through UPI(Unified Payment Interface), customer

can send/receive money 24X7 using a smart phone with a single identifier i.e. Aadhaar Number, Account Number with IFSC code or Virtual Payment Address without sharing bank account information.

4. **U Control** – This mobile based application for credit card customers is launched to facilitate card holders, who can disable/enable their credit card transaction for any specific channel. Besides this, customer can also block the card and set his spending limit within the sanctioned limit.
5. **Bharat QR** – A quick response code like 2D barcode, used to provide easy access to information through a smart phone is made available through Bharat QR. This code is allotted to a merchant by the acquirer bank and it contains the details of the merchant to whom the code is being allotted. As such, merchant can accept payment by QR code through scan & pay application available in consumer's Smartphone.
6. **Talking ATMs** - The Bank has pioneered the concept of 'Talking ATMs' in India which enables visually challenged as well as physically challenged persons on wheelchair to handle their transactions on voice guidance and hence called 'Talking ATM'. Bank has installed 1584 such ATMs across the country to facilitate Divyangs.
7. **IRCTC Union Bank Virtual Prepaid card** - The card is generated online and all details of the card viz. card no, PIN , CVV and expiry date is sent over mail to the customer . The details of the card can be used by the customer to book railway ticket and also do online shopping. Since the card is virtual card, it does not involve printing of plastics and also generation of paper PIN.
8. "Online Account Opening" facility for targeting the tech savvy customers. This is a Web based SB account opening facility through which a prospect can open his/her savings account by visiting the Bank's website.
9. Bank is implementing NRLM /NULM Scheme of Government of India for upliftment of poor Women in country through SHG-bank linkage programme.
10. **Loans to farmers for purchase of renewable energy equipment for agriculture and allied activities:** Scheme to provide loans to farmers to install solar water pumping systems to harness solar energy for pumping water by water pump, solar water heating systems with necessary accessories for usage in Agro Processing Units and solar lighting systems for operating LED lights and small DC loads.
11. **Union Bio Tech** - This product has been designed to promote tissue culture technology and polyhouses in the country.
12. All products and services catering to the needs of Micro, Small and Medium (MSMEs).

13. All products, services and schemes falling under Rural and Agri banking.

The Bank's ATMs are not just cash dispensation machines but also offers remittance facilities viz. NEFT through ATM, Interbank Mobile Payment Services (IMPS), and Union e-Cash: a mobile based funds transfer which facilitates the receiver to draw cash from ATM based on mobile authentication. The Bank has a laid down policy for the disposal of old records after perforation and subsequently sending the same for recycling.

The percentage of recycling of product and waste falls in category above 10%. The Bank procures most of its consumables through locally based suppliers. The Bank's commitment to small and micro enterprises is enshrined in a code of commitment to the segment which ensures easy, speedy and transparent access to banking services in their daily operations and in times of financial difficulty to the unit.

Principle 3 – Employee Welfare

Sustainable, profitable growth can be achieved only when people work in an organization where performance is aligned with values. Bank is an agile and diverse organization, with people motivated to doing good while doing well.

HR INITIATIVES

Union Bank of India believes a trained, motivated and productive workforce is the Bank's biggest asset. Keeping this in view, Bank has taken many proactive steps in improving organizational efficiency by augmenting Human Resource Management. It is attracting young talents which are being mentored by the experienced employees of the Bank. Bank has streamlined various policies, processes & systems and defined, documented roles with job clarity and uploaded the same on the Intranet with feedback mechanism. HR has implemented the following:

1. Transparent & objective Performance Management System (PMS) incorporating Government of India guidelines on the same.
2. Bank has initiated succession planning for critical roles and is in the process of building leadership pipeline.
3. Introduction of HR Suvidha, a centre for facilitating centralized sanctioning of employee benefits, has greatly enhanced employee satisfaction.
4. HR Apke Dwar, a dedicated window for redressing employee grievances is helping in narrowing down the friction in employee relations. Union Bank of India is the first PSB to have a dedicated online grievance redressal portal. The issues raised in this platform are addressed on real time basis.
5. Similarly, many other such initiatives have been taken during FY 2016-17, the objective of which is to keep the employees engaged, competitive and contented.

WORK-LIFE BALANCE

There are several initiatives undertaken by the Bank to promote work-life balance for Union Bank of India employees and makes every effort to establish employee connect and employee satisfaction. The Bank has an attractive Promotion Policy including Fast Track Promotion to take care of meritorious employees. The object of the policy is to provide wide exposure and motivation through the promotion system and ensure career movement for employees in the Bank.

The Bank also provides facilities, benefits and welfare measures to its employees so that they are able to maintain a good work-life balance. The care of the medical requirements of its employees is undertaken through a hospitalization scheme with a tie-up arrangement with many hospitals across the country. The Bank has 24 welfare schemes grouped under five major categories viz. canteen subsidy, education, medical & hospitalization, retired employees and other welfare measures.

Some of the other measures for the employees include Health Camps, celebrations on Bank's Foundation Day, Hindi Divas, Independence Day, Republic Day, etc., Silver Jubilee Awards and Recognition to employees and their wards for excellence in Education, Sports, Cultural activities etc. As on 31st March 2017, the Bank had a total of 36877 employees, out of which 8562 were women employees and 795 were employees with disabilities.

Celebration of International Women's Day

Union Bank of India celebrated International Women's Day with gaiety and fervor at a glittering function held at Mumbai on 8th March 2017. Smt. Chanda Kochhar, Managing Director and Chief Executive Officer of ICICI Bank, who was the Chief Guest for the function. A feeling of pride and sense of belongingness amongst the employees marked the event.



On the occasion of International Women's Day, Union Bank of India felicitated Women Achievers viz. Smt. Chetna Gala Sinha (Founder, First Rural Bank for Women in India), Ms. Harshini Kanhekar (India's first female firefighter) and Ms. Usha Thorat (Former Deputy Governor, Reserve Bank of India and presently playing active role as Trustee on various Not for Profit organizations).

Respect for Human Rights:

The Bank is committed to respecting and upholding human rights in all areas of its operations and within its sphere of influence. The Bank has established the "Sexual Harassment Redressal Committee at work places" and has put in place adequate grievance redressal mechanism to address any related concerns. The Bank also respects the right of its employees to form groups/associations and collectively voice their concerns. There are several employee associations out of which the Bank recognizes the ones which have the majority membership of the total strength.

Welfare of SC/ST Employees

Bank has appointed a senior executive of the rank of General Manager as Liaison Officer for SC/ST welfare. Regular quarterly meetings are held by the Liaison Officer with representatives of the SC/ST Employees Union for resolving issues concerning their welfare.

Industry Level Wage Settlement

Wage negotiations take place between Indian Banks' Association representing the Banks and the recognized Unions/Associations through a process of collective bargaining and negotiated settlement of demands. This wage revision is valid for a period of 5 years.

Union Bank of India wins Golden Peacock HR Excellence Award

Mumbai - January 23, 2017: Union Bank of India won the Golden Peacock HR Excellence Award for the year 2016. Union Bank of India won this Award third time in a row. The award is instituted by the Institute of Directors (IOD), New Delhi and the Award was given away by Sri Sri Ravi Shankar, Founder, Art of Living, at a glittering function held at Bangalore.



Seen in the photograph is Shri R.R. Mohanty, General Manager (HR), Union Bank of India receiving the Golden Peacock HR Excellence Award from Sri Sri Ravi Shankar, Founder, Art of Living, while Smt. Rajashree Birla, Chairperson, Aditya Birla Centre for Community initiatives & Rural Development, Aditya Birla Group also graced the occasion.

Training and Employees' Skill Development

Training in Union Bank is a bank-wide responsibility managed with a sense of total commitment by the top management to meet the needs of its multichannel service outlets and the employees owning it. As a learning organization, the Bank focuses on acquiring contemporary knowledge, continuous reskilling and up skilling activities and attitudinal improvements. The Training Mission Statement of the Bank is "To promote a culture of continuous learning for the development of the individual and the Bank". The Bank's endeavor is to "train to excel and excel to train".

Providing need based training to the staff members and to match it with the organizational needs is one of the strong features of Bank's training system. The training needs are assessed and catered for all employee cadres' right from a house keeping staff to a Top Executive. The Bank is committed to ensure that the staff members are competent in basic work skills and knowledge of their individual responsibilities. The training needs in the entire organizational life cycle of an employee – from entry to exit – is catered by the training system with its Apex college at Bangalore and 8 training Centres located across the country at Aluva, Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneshwar, Gurgaon, Kolkata, Lucknow and Powai (Mumbai). To meet the emerging demands, programs are conducted at various regional locations depending on the organizational need. With a view to provide up to date training to the staff, judicious mix of internal and external faculty is engaged. In deserving cases, staff members are also deputed for overseas training. During FY 2016-17, training system conducted 830 Calendar Programs, 189 Locational Programs and 48 Workshops covering 27,521 staff members. Apart from this, 402 officials were also nominated to various programs at reputed external training Institutes.

In the year 1997, The Bank carried out a revamping exercise with the help of some reputed overseas consultants which led to introduction of latest training techniques. These have now been standardized and the innovative practices followed by the training system have resulted in receiving of recognitions and awards by various reputed institutions across the country including Golden Peacock Training National Award for the best training system in India in 1998, 2004, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 and 2016.

EQUAL OPPORTUNITY OF EMPLOYMENT

For recruitment of management and supervisory staff / officers, clear guidelines exist concerning the identification and authorization of vacancies to be filled, with appropriate authority levels for these. For recruitment of skilled as well as unskilled labour, the guidelines specify merit based approach for selection of candidates. Bank has a sharp focus on gender diversity.

Union Bank Bags Reserve Bank Rajbhasha Shield

Union Bank of India bagged Prize under Reserve Bank Rajbhasha Shield for the year 2014-15 in 'B' Linguistic Region for excellent implementation of Official Language. Bank's House Journal Union Dhara and Hindi Magazine Union Srijan were also conferred with the First Prize and Consolation Prize respectively under bi-lingual/ Hindi House Journal Competition, 2014-15 by Reserve Bank of India. The awards were presented by Dr. Raghuram G. Rajan, Governor, Reserve Bank of India in a function held on 24th May 2016 at Mumbai.



Shri Vinod Kathuria, Executive Director, Union Bank of India, receiving the Award from Dr. Raghuram G. Rajan, Governor, Reserve Bank of India. Also present on the occasion are Shri Anoop Kumar Srivastava IAS, Secretary, Dept of Official Language, Ministry of Home Affairs and Shri S.S.Mundra, Dy.Governor, RBI.

SECURE WORKPLACE

Bank has a policy on affirmative action and a policy on prevention of sexual harassment to ensure a harassment free workspace for its employees. Sexual harassment cases are dealt under the Anti-Sexual harassment Policy & Processes. All employees of Bank and other subsidiaries are communicated on the various aspects of prevention of sexual harassment at work through e-mailer articles and other means of communication regularly.

FREEDOM OF ASSOCIATION, PARTICIPATION AND COLLECTIVE BARGAINING

Bank follows the principle of freedom of association and right to negotiate. Promotion from workman and staff to officer has an exclusive and transparent process.

The human rights practices of Bank assure respect for the right of employees to freedom of association and recognition of employees' rights to collective bargaining, where allowable by law.

GRIEVANCE REDRESSAL

Bank has clearly spelt out guidelines to prevent use of child labour, forced labour, discriminatory employment and sexual harassment in its own operation as also for its business partners / suppliers.

The Bank Policies provide mechanism for reporting of such issues. The Bank has provided a dedicated e-mail address to which all complaints can be sent. The privacy of the complainant is always protected. The Bank has put in place systems and mechanisms to ensure non-retaliation and non-victimization of the complainant.

All complaints, including complaints of sexual harassment, received are dealt as per banking regulations. During the year, there have been no complaints alleging child labour, forced labour, sexual harassment, involuntary labour and discriminatory employment.

Principle 4 – Stakeholder Engagement

For the Bank, stakeholder management is of vital importance as it helps the Bank to deliver its commitments and succeed as a business. Bank actively engages with stakeholders groups such as customers, shareholders, investors, employees, media and NGOs.

The Bank identifies a stakeholder as somebody who is influenced by the Bank's operations or who influences the Bank's operations. Depending on the extent of influence they are either 'Primary', 'Secondary' or 'Key'.

Primary 'stakeholders of the Bank include, but are not limited to, employees, Customers, 'Secondary' stakeholders include, but are not limited to Local Communities, Suppliers, NGOs, Industry Associations, and 'Key' stakeholders include shareholders and promoters Regulatory bodies etc. The Bank continues to formally or informally engage with almost all of its stakeholders using a host of communication channels.

The Bank has identified some of its stakeholders as disadvantaged, vulnerable or marginalized and strives to provide special products/ schemes for them. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers, MSME customers, Self help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

The Bank's key stakeholders are as follows:

Customers

The focus of the bank is to provide excellent customer service at all touch points of the Bank, whether it is a branch, ATM, Internet

Banking, mobile banking, Call center etc. To continue the aim of achieving excellence in customer service the Bank has taken the following measures:

- Appointed Customer Relationship Officers, whose mandate is to be in constant touch with customers in order to enhance relationship value
- Training programs for its staff members to help them convert the complainants to campaigners.
- Educating customers about various new products and services through campaigns in both the print and electronic media. The Bank has in the past received ABCI (Association of Business Communication of India) award for Marketing and Branch Communication.
- Set up a 24x7 call center to address any queries of the customers.
- Holding quarterly customer meets at the branch, regional and corporate levels. The Bank uses this forum to communicate to its customers, information on the latest product and service offerings as well as on important aspects like 'know your customer' (KYC) compliance, safeguards while using Internet banking and to ensure safe and secure banking. In such meetings, the bank's quarterly performance is also communicated to the customers.
- The Bank has set a dedicated customer care unit which replies to all customer communication and also analyses the feedback for systemic improvements. This has helped in bringing down the number of complaints on nonreceipt of PIN generation for Internet Banking, ATM etc. The Customer Care Unit also tracks the satisfaction level of the customer with regard to the resolution of his/her complaint.

Employees

- The Bank's inhouse magazine Union Dhara continues to be an excellent means of internal communication between management and employees with the objective of creating oneness among the staff members and also stimulating their duties, loyalty and creativity. Union Dhara has been consistently winning awards from Association of Business Communicators of India (ABCI). Last year, Union Dhara bagged 7 awards along with Champion of the Champions Trophy.
- Through the Bank's Intranet portal hosts all internal policies, guidelines, codes, communication from Chairman and Managing Director which is accessible to all employees.
- CMD/ED/General Managers from Central Office periodically visit the field/branches.

- The Bank has a dedicated online system for obtaining feedback from staff members across the country under the title “innovation@unionbankofindia.com.” The suggestions received from employees for development/modification in product, process and services are collected, analyzed and considered.

Investors

- The Bank publishes abridged balance sheet along with highlights of performance every quarter in prominent newspapers.
- The Bank also sends a half yearly communication to the shareholders about the performance of the Bank.
- The Bank holds analysts and investors meet on a quarterly basis.

Society

- The Bank maintains continuous liaison with the Govt. and other peer banks and proactively participates in various policy formulations and industry level issues to improve the functioning of banking industry in India.
- The Bank has adopted 211 Villages to convert them as Adarsh Villages. The Chairman & Managing Director and Executive Directors visit these villages on a periodic basis to interact with the villagers and enhance the effectiveness of the program.

The Bank has identified some stakeholder groups as disadvantaged, vulnerable & marginalized. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers; MSME customers, Self help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages, visually and physically challenged people etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes. The vulnerable & marginal farmers are being organized under Self Help Group & Joint Liability Groups & required financial support is extended in a hassle free manner. Apart from this, under PMJDY overdraft of ₹ 5000/- is made available with simplified formats.

The Bank is also providing schemes under social security schemes/programs of the government such as PMJJBY, PMSBY and Atal Pension Yojana. Talking ATM enables visually challenged persons to do transactions on voice guidance. The ATM site is so designed that physically challenged persons even on wheel chair can go inside and do transactions.

Principle 5 – Respect for Human Rights

Union Bank of India upholds the principles of human rights and fair treatment and hence conduct operations with honesty, integrity and openness and with respect for human rights and

interests of employees. As a responsible Corporate entity, the Bank not only follows in letter all the guidelines, instructions, directives issued / notified by the Central / State / Local Government/s or other Statutory Authorities regarding Human Rights but also follows them in spirit.

The Bank's SD&CSR policy states that the Bank will uphold the principles of human rights and increase general awareness of human rights for stakeholders across the value chain. The Bank expects its business partners including suppliers, business correspondents etc. to respect human rights of their workforce and avoid any violation regarding the same. The Bank did not receive any complaints regarding violation of human rights in this reporting year.

Principle 6 – Impact on Environment

The Bank, as a responsible corporate entity is aware of its obligations towards environment. The Bank has undertaken several initiatives to reduce its environmental footprint. It has been adopting constant steps in order to reduce its carbon footprint, for example utilizing LED lighting fixtures, ecofriendly refrigerant gas in air conditioners, utilizing energy efficient airconditioners and non-conventional sources of power like solar energy wherever new projects are initiated. The ultimate gains at present are not measurable. However, the effects are visible in the energy bills and the endeavor is to rigorously implement the initiatives for reduction of greenhouse gas emissions.

The Bank is taking steps towards increasing its use of solar energy primarily for ATMs; heating requirements in the Bank as well as in the Training Centers. Air conditioners and lighting fixtures at use in the Bank's premises are energy efficient and star rated for energy efficiency. The refrigerant gas in the air conditioners (R-407c) used by the Bank reduces its carbon footprint.

Some of the other environment friendly measures introduced by the Bank are:

- Installation of energy efficient systems such as CFL fittings and LED fittings.
- Installations of LED signage.
- Installation of Air Conditioners with BEE certification & Cars with CNG
- Rain water harvesting in Bank's building which helps in the conservation and recharging of ground water level.
- Employing Busbar trunking system to ensure safe and cost efficient flow of power in all kinds of applications. The Bank has carried out reengineering of External Electrical Distribution system of Central Office Building wherein the power supply distribution of floors was done through state of the art Bus Bar Trunking System.

- Green Data Centre in Powai - Expansion of Data Centre in Technology Centre, Powai Building wherein energy saving the electrical system along with Airconditioning system has been installed. The precision Airconditioning system is based on Electronic cooling technology and ecofriendly gas whereas the Variable refrigerant system was incorporated for cooling of UPS/Battery Room.
- Occupancy sensors to regulate the lighting in cabins.
- Maximum usage of day light by improvement through some of the 'green building' concepts.

Principle 7 – Advocacy for Public Good

Union Bank of India practices proactive advocacy with an aim to bring about a positive impact in the business ecosystem and communities. Proactive advocacy for Union Bank of India is not just about lobbying the Government for securing certain benefits for industry, but is also about advocating certain best practices for benefit of the society at large.

Senior executives of the bank are nominated to various committees of Reserve Bank of India (RBI), IBA and other bodies on improvement in customer service. The Bank is also a member of the financial and industry related trade chambers and associations and through these platforms, such as trade chambers and industry associations that the Bank does its advocacy for public policy. The Bank also has a channel of communication with the concerned officials to help shape public policy on laws and regulations that affect its business and its employees. The focus areas of the Bank for policy advocacy have primarily been Inclusive growth, Economic Reforms, Financial Inclusion and Financial Literacy. The Bank is a member of the following financial and industry related trade chambers and associations.

- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- The Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM)
- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- Confederation of Indian Industry (CII)
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

The Bank proactively engages with these bodies and provides inputs on a wide range of issues such as Annual Budget, Credit Policy / Monetary Policy, guidelines on product pricing, various surveys etc.

Principle 8 – Inclusive Growth

RBI defines Financial Inclusion as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker sections and low income groups at an affordable cost from mainstream financial institutions. The Bank had drawn a three year Financial Inclusion Plan 2016-19 approved by the Board with a Vision "To reach the unreached by extending financial services at an affordable cost on an "ongoing basis" to improve quality of life of those who have been hitherto deprived of financial services from formal Financial Institutions".

As at 31st March, 2017, the Bank has achieved the following as part of its Financial Inclusion initiatives:

- Bank has extended its reach to 18396 unbanked / marginally banked villages by providing basic banking services through Business Correspondent (BC) Model by engaging 5407 Bank Mitrs in these villages;
- 231.59 Lakhs FI customers' accounts were acquired over biometric cards under Business Correspondent Model and a sum of ₹ 2139.33 crores was mobilized as deposit through these customers;
- Micro loans were extended as emergency credit and also to promote economic activity among the rural/urban poor. The Bank also provides micro insurance & pension at nominal premium/charges;
- The Bank has a tie-up with Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP), a NGO for financing of Self Help Group (SHGs) in Karnataka & Kerala. SHGs are primarily engaged in agriculture & various allied activities to generate gainful employment & income for villagers. The outstanding under Micro Loans (SKDRDP & Pragati) is ₹912.43 crores under BC Model to SHG/ JLG. The project is presently implemented in Belgaum, Bangalore, Mangalore and Kozhikode Regions.

1. Financial Literacy:

Our bank has established 26 FLC centers in all 14 Lead Districts along with few Non Lead Districts of Kerala State, a total of 4254 village camps were organized to create awareness about financial literacy and banking services amongst customers. Till March 2017; 1,15,856 individuals have been counseled in camps. 36,229 persons were brought to banking fold by opening their accounts and facilitating them with credit facilities.

Bank has conducted several Digital Banking Awareness Camps through our FLCCs- especially in Kerala and U.P. apart from routine camps by Rural branches at regular intervals.

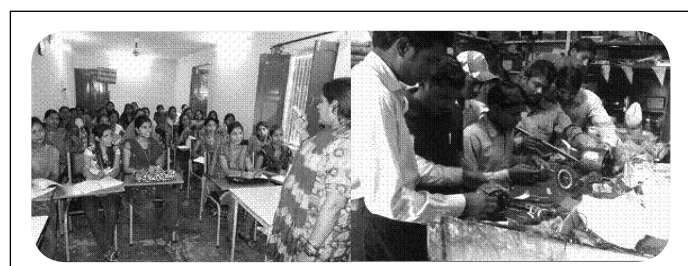
Vide letter FID-49(D)/2015-16 dated 23.10.2015 NABARD has announced for the Sponsorship of conducting Mass awareness Camp in Lead Districts of Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh and Jharkhand in collaboration with (ISMW). For the same NABARD has sanctioned a financial assistance of ₹ 17.40 Lacs to conduct 116 Awareness Camps in said mentioned states under this CSR activity under FIF (Financial Inclusion Fund) & the camps are conducted. NABARD has also approved ₹ 70.39 lacs for capacity building of Bank Mitrs & ₹ 9.20 Crores for installation of V-SAT in dark & Grey areas to facilitate the bank to provide banking & financial services.

2. Union Adarsh Gram Yojna (UAGY):

As a part of its commitment to the nation, the Bank launched "Union Adarsh Gram Yojna" under its Corporate Social Responsibility (CSR) project by adopting 60 villages across the nation this year for their allround socioeconomic development taking total villages under UAGY to 211.

3. Lead Bank Scheme:

The Bank is proudly fulfilling the Lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 States of the country. In these districts the Bank not only continuously increases its Branches and carries on its normal banking activities but also works with the local government for the District Credit Plan. It helps monitor its progress of the DCP and other government sponsored schemes. The Bank also has 14 Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) where rural youth are provided with training and skill upgradation for running their micro enterprises. The Bank is also implementing Women's Self Help Group (WSHG) in 4 identified backward districts to empower women.



4. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Government of India launched 1st Phase of India's largest Financial Inclusion Programme – Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Aug'14 with the aim to provide access to basic Financial Services to all households in the country. The programme consists of an integrated approach using six pillars: Universal access, Basic Banking Accounts with overdraft facility, Accident Insurance and Rupay Debit Card,

Financial Literacy, Credit Guarantee Fund, Micro Finance and lastly unorganized sector pension schemes. These pillars are to be implemented in two phases.

Phase 1 launched on August 28th 2014 aims to providing universal access to Banking Facilities with opening of Basic Banking Account for Saving, remittance and Rupay Debit Card with inbuilt accidental insurance cover of ₹1 Lac. It also involves undertaking of Financial Literacy.

Against this target, 8.96 Lac Accounts were opened.

Major highlights of our performance under PMJDY		
1	Total Villages covered	18,396
2	Sub Service Areas (SSAs)	5,407
3	Urban Wards	2581
4	Total Households Surveyed	72.34 Lacs
5	w/w a. Rural Households	45.54 Lacs
6	b. Urban Households	26.80 Lacs
Performance as of 31 st March 2017		
7	Accounts opened as on 31st March 2017	68.06 Lacs
8	Rupay Cards issued as on 31st March 2017	49.35 Lacs
9	Balance in accounts as on 31st March 2017	1353.85 Crores
10	Accounts opened under E-KYC under PMJDY	12,34,141

5. Financial Literacy:

The Bank has been undertaking various activities for spreading awareness about PMJDY through its 26 FLC Centers and Rural Branches. The Bank has published comic books as well as posters and other reading materials.

Union bank of India launched a unique initiative in this direction on 1st January 2015 and conducted 60 financial literacy camps in eastern Uttar Pradesh in collaboration with Indian School of Micro Finance for Women (ISMW). In these camps, the Bank had set a target of providing financial literacy to around 15000 participants of which 80% were women and to spread the awareness on linkages, benefits and entitlements under PMJDY. In these camps, the Bank disseminated following information about PMJDY

- 1) Use and benefits of having Rupay card
- 2) Aadhaar Card linkage and benefits
- 3) Insurance linkage under PMJDY
- 4) Loan and overdraft facility
- 5) Information's on Savings, borrowings and high cost debt
- 6) Mobile Banking and usage of technology

Each camp had participation of about 250-300 women and the duration of each camp was about 4 hours. The participatory tools and training aids included videos, films, plays, posters, FAQs etc. and were conducted by trained personal of ISMW. The participants were also provided some handbooks.

Rural Self Employment Training Institute (RSETI): Bank has established 14 RSETIs in 14 Districts of the country where the Bank has Lead Bank responsibility. Currently Bank's RSETIs are functioning at

- Azamgarh, Bhadohi, Chandauli, Ghazipur Jaunpur, Mau, Varanasi -Uttar Pradesh;
- Khagaria Samastipur - Bihar;
- Rewa, Sidhi & Singrauli - Madhya Pradesh
- Ernakulam, Idukki - Kerala.
- RSETIs have been established with the objectives of providing intensive short term residential self-employment training programmes with free food and accommodation to rural youth for taking up self employment initiatives.
- As of March 2017, total number of candidates trained in our RSETIs is 53113, out of which 30338 candidates have been settled with settlement rate of 57.12%.
- As per assessment of the Ministry of Rural Development during FY 14-15 out of our 14 RSETIs, 11 RSETIs received "AA" grade, 3 RSETIs received "AB" grade .

Self Help Groups:

- The scheme of micro credit through Self Help Groups (SHGs) is an effective instrument providing assistance to the poor by creating self employment opportunities and making them credit worthy. During the year, the Bank has credit linked 85302 SHGs. As of March 2017, outstanding loans to SHGs stood at ₹ 2227 crore.
- Considering the role played by SHGs in empowerment of women, the Bank is focusing on formation and financing of women SHGs (WSHGs). As per the directives of the Ministry of Finance, the Bank is implementing the WSHG scheme for women empowerment in 4 identified districts of the country viz. Rewa, Sidhi, Chandauli & Jaunpur.
- The Bank is also implementing the interest subvention scheme under National Rural Livelihood Mission (NRLM) for the benefit of Women Self Help Groups in 250 identified Districts.

6. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):

- Under PMMY our Bank extends finance to the micro enterprises which are in the business of manufacturing, trading and service sector in rural, urban & metro areas.

- PM MUDRA Yojana opens door to various new & existing entrepreneurs to avail credit from banking channel. This leads to increased customer base for credit to the bank.

Position of Mudra Loan as on 31.03.2017.

(Amt in Cr)

Loan Category	Sanctioned		Disbursed	
	A/Cs	Amount	A/Cs	Amount
Shishu	53227	185.76	53227	167.63
Kishore	86890	1796.85	86890	1622.92
Tarun	11662	884.50	11662	776.93
Total	151779	2867.10	151779	2567.48

7. PHASE II OF PMJDY

The second phase of PMJDY involves the following

- Overdraft facility of up to ₹ 5,000/- after six months of satisfactory performance of saving / credit history.
- Micro – Insurance.

The Bank has disbursed overdraft for ₹ 195.73 lakhs in 8415 accounts under PMJDY as on 31st Mar, 2017. Bank has made OD under PMJDY facility available through ATM and SMS channels also. The Bank will be providing Micro Insurance & Pension to the poor and under privileged through the following three social security schemes.

- **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana [PMSBY]:** It will cover accidental death risk of ₹ 2 Lacs for a nominal premium of ₹ 12 per year for age group 18-70 years.
- **Pradhan Mantri Jeevanjyoti Bima Yojana [PMJBLY]:** It will cover natural and accidental death risk of ₹ 2 Lacs. The yearly premium will be ₹ 330. It is for age group 18-50 years.
- **Atal Pension Yojana [APY]:** The scheme will provide defined pension to individuals depending upon the amount and period of contribution for age group 18-40 years.

Position of Social Security Schemes as on 31st Mar, 2017:

Scheme Name	Male Customer	Female Customer	Total Enroll-ments
Atal Pension Yojna	120839	58179	179018
Pradhan Mantri Jeevan Beema Yojna	754886	460802	1215688

Scheme Name	Male Customer	Female Customer	Total Enrollments
Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojna	1635656	373355	2009011
Total	2511381	892336	3403717

Protect your family with Insurance

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

- Life Insurance coverage of Rs 2 lakhs
- Insurance premium Rs. 330/- only
- Age 18-50 years. (Renewable every year upto 55 years)

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

- Accidental Insurance coverage of Rs. 2 lakhs
- Insurance premium Rs. 12/- only
- Age 18-70 years. (Renewable every year upto 70 years).

Insurance Period - 1st June to 31st May

यूनियन बैंक Union Bank of India

Good people to bank with

Contact nearest Union Bank Branch, Field Business Correspondent, Insurance Company

Helpline Nos.: 1800 22 2244 (toll-free no.) | www.unionbankofindia.co.in

Performance under Stand up India Scheme as of 31.03.2017:

S No	CATEGORY	Cumulative Progress Since 05.04.2016 to 31.03.2017		
		Sanctioned		Disbursement
		No of Ac	Amount	Amount
1	SC (Only Male)	41	635.93	544.29
2	ST (Only Male)	9	100.00	89.24
3	Woman Entrepreneurs	510	10152.27	8659.58
	w/w			
6	Minority	81	1158.43	955.85
	Total	560	10888.20	9293.11

8. Direct Benefit Transfer (DBT)/Direct Benefit Transfer LPG (DBTL):

In Direct Benefit Transfer (DBT), our bank has presence in 113 districts. The Government of India has launched 43 various Schemes under DBT and the fund received from Government is credited directly to beneficiaries' accounts as subsidy/benefits.

The disbursement under the scheme up to 31st March 2017 is as under:

Period	Transaction Initiated at Union Bank branches				Credit received from other Banks	
	Total Records received as Sponsor Bank	Amt ₹ in lacs	Success Records	Amt ₹ in lacs	Records received as Destination Bank	Amt ₹ in lacs
FY 2014-15	18133	387.38	15106	307.36	4331948	16230.15
FY 2015-16	36839	1547.82	15208	552.12	22035238	53330.33
April'16-Dec'16	22882	252.94	17296	200.92	26468899	57648.68
March'17	10610	357.81	8748	323.75	2691383	12481.28
TOTAL	88,464	2,545.95	56,358	1,384.15	5,55,27,468	1,39,690.44

Sponsor Bank: As Sponsor Bank we are receiving list of beneficiaries along with amount to be credited from the Govt. Departments. These are uploading to NPCI server, from which it gets separated Bank wise for crediting at their end to Destination Bank.

Destination Bank: As Destination Bank we are receiving Bank wise separated files from NPCI containing list of beneficiaries of our Bank along with the amount for crediting to their accounts.

Commission: Our Bank has received income / commission for transactions initiated under DBT / DBTL is ₹ 250.49 Lacs for April'16-Jan'17. Commission of DBTL records in Feb'17 and March'17 is not received yet.

9. IIBF Certification & Capacity Building of Bank Mitrs:

Indian Banks Association vide letter no. SB/CBC/1141 Dated 30.07.2015 instructed all Banks for training and certification of Bank Mitrs by IIBF. Trained and certified Bank Mitrs will be more dependable for Comprehensive Financial Inclusion. As of 31.03.2017 total 4,295 Bank Mitrs are IIBF Certified which is 79% of all Bank Mitrs.

Bank has completed training of 1008 Bank Mitrs through M/s CRUX Management Services. 60% of expenses are to be reimbursed by NABARD under FIF, balance 40% shall be borne by Bank for which approval is obtained. Department has already received approval of ₹57.99 lacs out of which payment received to the extent of ₹27.22 Lacs towards expenses pertaining to capacity building of 1008 Bank Mitrs from NABARD under FIF.

10. Position of Aadhaar Seeding:

The progress of position of Aadhaar seeding as on 31.03.2017 is as under:

Position as on	No of Operative A/cs	Aadhaar seeded A/cs	Aadhaar Seeded	Mobile Seeded A/cs	Mobile seeded A/cs %
	(1)	(2)		(3)	(4)
March 2017	3,48,73,908	1,91,52,679	54.91	2,40,01,155	68.87

However position of Aadhaar seeded in PMJDY Accounts as on 31.03.2017 is as under:

Bank	No of PMJDY A/Cs	Aadhaar Seeded A/Cs	% Aadhar Seeding
Union Bank	6806286	4453290	65.43%

MOBILE AADHAAR VAN INAUGURATION



(Seen in the photograph is Shri Vinod Kathuria, Executive Director, Union Bank of India on the occasion of inauguration of Mobile Aadhaar Van, first of its kind, an initiative by the Bank for instant enrolment of Aadhaar Card Services for Senior Citizens / Physically Challenged persons through its Corporate BC, M/s Vakrangee Ltd. Also present on the occasion are Shri Sumnesh Joshi, Additional Director General, UIDAI, Shri Dinesh Nandwana, CMD, M/s Vakrangee Ltd, Shri Rajeev Ranjan, CEO, M/s Vakrangee Ltd., Shri P.C. Panigrahi, General Manager(FI) & Ms. Monika Kalia, General Manager (CCD) Union Bank of India.)

New Initiatives during the year: 2016-17

- 1) Automation of Overdraft through ATM & SMS.
- 2) Our process for OD in PMJDY accounts through ATM is seamless and the TAT is 24 hours.
- 3) Financial literacy initiatives: Our bank has established 30 FLCs centers in all 14 Lead Districts along with few Non Lead Districts of Kerala State, a total of 4254 village camps were organized to create awareness about financial & digital literacy and banking services amongst customers. Till March 2017; 1,15,856 individuals have been counseled in camps. 36,229 persons were brought to banking fold by opening their accounts and facilitating them with credit facilities.

- 4) Bank has conducted several Digital Banking Awareness Camps through our FLCCs- especially in Kerala and U.P. apart from routine camps by Rural branches at regular intervals.
- 5) Vide letter FID-49(D)/2015-16 dated 23.10.2015 NABARD has announced for the Sponsorship of conducting Mass awareness Camp in Lead Districts of Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh and Jharkhand in collaboration with (ISMW). For the same NABARD has sanctioned a financial assistance of ₹ 17.40 Lacs to conduct 116 Awareness Camps in said mentioned states under this CSR activity under FIF (Financial Inclusion Fund) & the camps are conducted.
- 6) Capacity building of all Bank Mitrs with adequate training & IIBF certification process.
- 7) Disbursement of Bank Mitr Remuneration through Escrow Mechanism.
- 8) Implementation of revised remuneration structure to BC model from October 2015 as per guidelines of DFS & IBA).
- 9) Deployed 5407 microATMs in the field which are capable for doing AEPS & RuPay based transactions. We have provided 100% of Micro ATMs to field BCs.
- 10) Developed Dashboard to monitor day to day activities of Bank Mitrs to ensure uninterrupted services to the last mile customers.
- 11) Our CMD sir is member of Advisory board to NABARD's FIF committee.
- 12) NABARD has given in principal approval of ₹9.20 Crores for setting of solar powered VSAT in Dark & Grey Areas to address the issue of connectivity.
- 13) We rank among peers as a pioneer to the industry in number of Household coverage, activation of accounts & RuPay Cards, seeding of Aadhaar & Mobile numbers etc.

The CSR activities undertaken by the Bank:

Union Bank of India has been in the forefront in meeting its CSR commitments. Towards this Bank has established Union Bank Social Foundation Trust in 2006. Major CSR activities of the Bank are being carried out through the trust. Its Board is headed by Bank's Chairman & Managing Director, with executive directors as Vice Chairman Trustees, other trustees including Bank's General Managers and one independent trustee. Board provides directions in accordance with Bank's thrust areas and undertakes review every quarter. The directions are executed by Chief Executive with headquarters at Mumbai.

Aiming to support initiatives towards Social Upliftment & improving lives of underprivileged segments, Bank is focusing on assistance mainly in the following activities:-

CREATIVE LEARNING

Union Bank Social Foundation has undertaken creatational training program “Pragna plus” for children of 4 schools at Ahmedabad and 1 school at Varanasi for 4 years. Recently the project was visited by Dist. Govt. Authorities and appraised a lot for the program.



Community Welfare:

Bank has undertaken healthcare facilities through Bank’s mobile vans to flood affected, hilly and inaccessible areas of Uttarakhand thereby providing relief to 23 villages benefiting more than 12000 people. Total no. of people attended clinic since inception of project is 61768 and during FY 2016-17 is 18726. The scheme is in existence since 2014.



Sanitation

Union Bank Social Foundation has approved ₹5.00 crore for construction of 273 toilets in various girls’ schools. The program is in progress, seen in the picture some of the completed toilet.



Skill Development:-Paramedics lab

Support of ₹100.00 lakhs was given to Centurion University of Technology & Management at Bhubaneswar for setting of Paramedic Lab. Students of socio economic backward area will be given free of cost training for Nursing & OT assistant in the lab.



Support to Physical disability – UBSFT has donated for installation of two Elevators in Chambur , Mumbai Campus of ADAPT to help special Children.



A School van with audiometer to Govt. Deaf and blind School Raipur for transportation of its students from various villages to School.



UBSFT has donated an animal rescue Van to Wild life trust of India. The Van will be used to rescue sick wild animals under Manas Wildlife sanctuary Tinsukia, Assam.

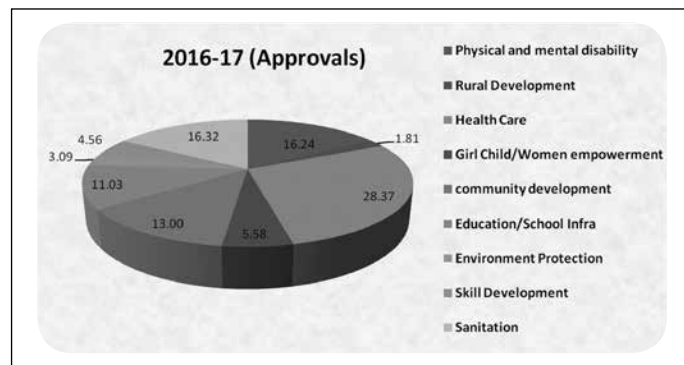


Rural Development:-

Construction of toilets in girls school and community centers, Installation of solar lights/lanterns in villages. In addition, following projects were approved under Rural development.

1. Project for conducting 120 mass awareness camps on financial literacy in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar & Jharkhand.
2. Construction of Tribal girls hostel at Warawatti Village, Bidar District, Karnataka
3. Approval has been given for an amount of ₹ 195.00 lacs for implementing noble way of learning called "Pragna Plus" in 4 schools at Ahmedabad and one in Varanasi District over a period of 4 years to benefit more than 2500 under privileged children.

Sector wise approval



Awards received for contribution to CSR:

UBSFT has received following award during 2016-17

- Advancing financial Inclusion by channelising CSR fund in the financial aid – PSU sector By CNBC TV -18.



Other Awards & Accolades received during the year

- Skoch Platinum Award for Financial Inclusion - 2016
- IBA Award for Best Financial Inclusion & Technology award under large Bank category-2016
- Union Bank of India won the Golden Peacock HR Excellence Award for the year 2016. Union Bank of India won this Award third time in a row. The award is instituted by the Institute of Directors (IOD), New Delhi
- Union Bank of India bagged Prize under Reserve Bank Rajbhasha Shield for the year 2014-15 in 'B' Linguistic Region for excellent implementation of Official Language. Bank's House Journal Union Dhara and Hindi Magazine Union Srijan were also conferred with the First Prize and Consolation Prize respectively under bilingual/Hindi House Journal Competition, 2014-15 by Reserve Bank of India. The awards were presented by Dr. Raghuram G. Rajan, Governor, Reserve Bank of India in a function held on 24th May 2016 at Mumbai.
- Union Bank of India won the National Payments Excellence Awards 2016 for Rupay (Issuance & ecommerce) in the Large Banks category. The Award was presented by Shri N.S. Vishwanathan, Deputy Governor, RBI, at a function held by NPCI at Mumbai.

Union Bank of India wins National Payments Excellence Awards

March 8, 2017: Union Bank of India won the National Payments Excellence Awards 2016 for Rupay (Issuance & e-commerce) in the Large Banks category. The Award was presented by Shri N.S. Vishwanathan, Deputy Governor, RBI, at a function held by NPCI at Mumbai.



Seen in the photograph is Shri A.P. Hota, Managing Director & CEO, NPCI, Shri R. Kandasamy, General Manager (DIT), Union Bank of India, Shri N.S. Vishwanathan, Deputy Governor, RBI, Shri Pravin Sharma, Head – Digital Banking, Union Bank of India, Shri M. Balachandran, Chairman, NPCI, Shri Mangesh Mahale, Dy. General Manager (DIT), Union Bank of India and Shri Anil Arya, Asst. General Manager (Digital Banking), Union Bank of India

OTHER SOCIAL EVENTS:

UniOne Foundation celebrates Diwali Mela

UniOne is a Social Foundation formed with an intent i.e. 'United for a Good Cause'. UniOne Foundation is run by wives of Executives of Union Bank of India and has been in the forefront in carrying out social activities pertaining to upliftment of the needy and poor. UniOne Foundation today organized Diwali Mela which was inaugurated by Ms.Shaina N.C., well-known Fashion Designer, Politician and Social Worker. In all 106 Stalls were put up with products ranging from Arts & Crafts, Food items, Household items, Dress materials etc. All the staff members actively participated in the Diwali Mela and made it a grand success.



(Seen in the photograph are Ms. Shaina N.C., Renowned Fashion Designer, Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, inaugurating Diwali Mela organized by UniOne Foundation. Also, present on the occasion are Shri Vinod Kathuria, Shri R.K. Verma, Shri Atul Kumar Goel, Executive Directors, Union Bank of India, Shri Atul Kumar, C.V.O., Union Bank of India, Smt. Namrata Tiwari, President & Smt. Meera Verma, Vice President, UniOne Foundation and Smt. Shobha Kathuria)

Union Bank of India celebrates 98th Foundation Day



(Seen in the Photograph are Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Union Bank of India, Shri Vinod Kathuria, Shri R.K. Verma & Shri Atul Goel, Ex-ecutive Directors, Union Bank of India, along with Life Time Achievement Awardees who were felicitated by the Bank on the occasion of Bank's 98th Foundation Day Event held at NCPA, Mumbai.)

Union Bank of India organizes Digital Banking Awareness Campaign

8th December, 2016: Union Bank of India organized Digital Banking Awareness Campaign at Nana Nani Park, Chowpatty, especially for Senior Citizens. There was lot of enthusiasm amongst the Senior Citizens who were quite eager to understand the basics of Digital Banking. They were taken through various Union Bank digital applications, namely DigiPurse, UMobile & UPI (Unified Payment Interface).



(Seen in the Photograph are Senior Citizens in attendance at the Digital Banking Cam-paign organized by Union Bank of India at Nana Nani Park, Chowpatty, Mumbai.)

Union Bank of India team at Dream Run - Standard Chartered Mumbai Marathon 2017

Union Bank of India - Corporate Team participated in the Dream Run - Standard Chartered Mumbai Marathon 2017 organized by Standard Chartered Bank on 15th January, 2017 at Mumbai. The Union Bank Team along with Top Executives participated in the event which witnessed huge turnout for a social cause.



Seen in the photograph is the Union Bank Team lead by Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Union Bank of India, along with Top Executives of the Bank in at-tendence at the Standard Chartered Mumbai Marathon.

Principle 9 – Customer Focus

The Bank strictly adheres to the principles indicated by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and strives to meet customer expectations, maintain transparency in all its proceedings and an effective customer redressal mechanism. Some of the initiatives of the Bank in this are:

Building a world class Customer Care Unit:

With a view to address customer grievances in an effective and timely manner, as well as creating a nodal agency for ensuring customer service excellence in matters dealing with customer grievances, the Customer Care Unit was set up.

Architecture of the Customer Care Unit:

The Customer Care Unit at the Bank has been designed to meet the following objectives:

1. Respond to requests in a fast, reliable and consistent way
2. Solve root causes of requests and complaints- setting up a continuous improvement process to reduce the volume of requests and complaints received by the Bank
3. Generate information to obtain better insights regarding the customer

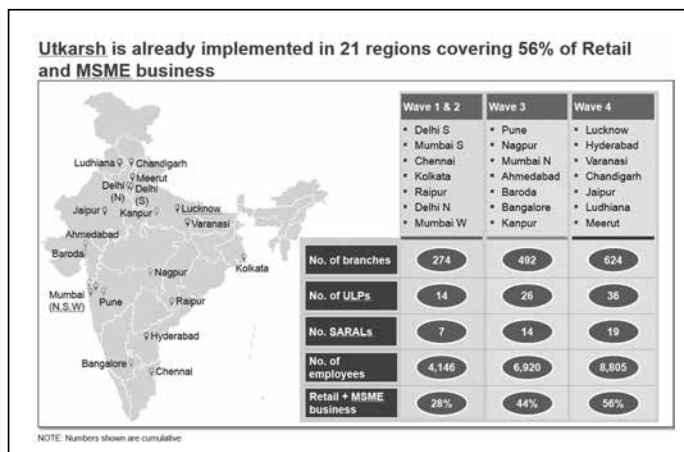
Project 'Utkarsh'

The Bank has embarked upon a journey of business process transformation – Project Utkarsh. Project Utkarsh will enable the Bank to achieve its aspirations by focusing on key objectives - enhanced customer experience, superior process efficiency and improved employee productivity.

These objectives will be achieved through 6 key initiatives undertaken by the Bank:

1. **UnionXperience:** Revamping operating model and organizational structure of retail branches
2. **Union Loan Points:** Create specialized retail loan processing and acquisition unit in the form
3. **SARAL:** Establish independent best in class MSME processing units
4. **Business Analytics Center:** Harness the power of data and analytics to improve cross sell
5. **Digital Channel:** Maximize performance and returns from Multi channel(e.g. ATM, internet, mobile)
6. **Improved HR practices and employee processes through key initiatives like Shared Service Center, Succession planning, Employee enrichment and engagement programs**

Project Utkarsh has now been scaled up to 21 regions covering 56% of retail and MSME business, 624 UnionXperience branches and 8800+ employees. It also covers significant proportions of ULPs, centralized Hub for retail loans (36 out of 74) and SARALs, centralized hub for MSME loans (19 out of 20).



Utkarsh transformation has delivered significant impact across all the key metrics linked to objectives of the project in the 21 Regions where Project Utkarsh has been implemented. Business performance under Project Utkarsh has significantly improved during the currency of the Project upto March 2017 over baseline.

Other Initiatives taken to improve Customer Service:

1. Streamlining of Call Centre, ATM, and other Alternate Channel operations: ATMs of the Bank not only dispense cash but recently, 3 remittance products were launched with ATM. The Bank also facilitates investment in mutual fund, income tax payment, and mobile top up as other product features through ATM and hence have been named as Sampoorana ATM.

2. Centralization of non-customer facing liabilities activities to a National Processing Centre (NPC).
3. **Union DigiGaon:** Post demonetization of old ₹ 500 & ₹ 1000 Bank notes, Union Bank of India proactively decided to educate and promote various digital transactions among public at large by delivery and spreading digital banking awareness. To spread digital banking awareness in rural area in an effective manner, Bank adopted villages in each lead district. Bank identified 60 villages in 18 districts with the help of zonal offices for making these villages – “Digital Village” which was named as “Union DigiGaon” by providing Bank’s digital channels of payment and merchants acquiring transactions, spreading awareness, educating customers/ merchants and conducting camps at each village. Since, Bank’s presence and efforts were useful for rural people and economy and that too without any additional cost either on merchant or consumer, it was much appreciated by users and wide publicity in print media / TV channels spread the news differentiates Union Bank if compared with peers.
4. **Cash at POS:** During demonetization, we installed 360 cash at POS devices at our branches to serve customer for cash withdrawal by providing one more channel in branch.
5. To make the Grievance Redressal Mechanism more customer centric the bank has appointed an Internal Ombudsman who has the authority to look into cases which remain unresolved even after 30 days or if the customer is not satisfied with the bank’s decision on his grievance.

केन्द्रीय कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

लाभांश अधिदेश फॉर्म

(यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो पंजीयक को प्रस्तुत करें और यदि शेयर डिमैट / इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को प्रस्तुत करें).

प्रिय महोदय,

विषय: बैंक खाता विवरण अद्यतन करने हेतु अनुदेश

1.	प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2.	फोलिओ क्र. (यदि शेयर डिमैटरिलाइज्ड नहीं किए गए हैं)	
3.	डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी (यदि शेयर डिमैटरिलाइज्ड किए गए हैं)	
4.	बैंक खाते का विवरण	
4.1	बैंक का नाम	
4.2	शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	
4.3	पूर्ण अंकों सहित खाता क्र. (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4.4	खाते का प्रकार (एसबी / सीडी / सीसी)	
4.5	आईएफएससी (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4.6	एमआईसीआर कूट क्र. (9 अंक) (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है. यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण संव्यवहार में विलंब होता है अथवा संव्यवहार नहीं होता है तो मैं उपयोगकर्ता संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा. मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली किसी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को भौतिक रूप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

(
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

पंजीयक का पता :

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.

टेली : 022-66712151-60

फैक्स : 022-28213404

ई मेल : ubiinvestors@dfssl.com

Dividend Mandate Form

{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the Depository Participant (DP)
if shares are in demat/electronic form}..

Dear Sirs,

Subject: Instruction to update the Bank Account Details

1.	First/Sole Shareholder's Name	
2.	Folio No. (If shares are not dematerialized)	
3.	DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
4.	Particulars of Bank Account	
4.1	Bank Name	
4.2	Branch Name & Address with City PIN Code	
4.3	Complete Account No. (as appearing on the Cheque Book)	
4.4	Account Type (Saving/Current/Cash Credit)	
4.5	IFSC (as appearing on the Cheque Book)	
4.6	MICR Code (9 digit) (as appearing on the Cheque Book)	

Please attach a photocopy of cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your bank relating to your account for verifying the details.

DECLARATION

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through electronic means.

Yours Faithfully,

Place :
Date :

(_____
Signature of the First/Sole Shareholder

Address of the Registrar:
Datamatics Financial Services Ltd.
Unit : Union Bank of India
Plot No. B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Marol, Andheri (East),
Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712151-60
Fax No.:022-28213404
E-mail Id:ubiinvestors@dfssl.com



केन्द्रीय कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

प्रोक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाए)

रजि. फोलिओ क्र.

(यदि डिमैटिरियाइज्ड न हो)

डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी

(यदि डिमैटिरियाइज्ड हो)

मैं/हम _____ राज्य _____ के _____ जिले के निवासी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____ राज्य के _____ जिले के निवासी

श्री/श्रीमती _____ अथवा उनके असफल रहने पर _____ राज्य के _____

जिले _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को **शुक्रवार, 23 जून, 2017 को प्रातः 11.30 बजे रामा**

एंड सुंदरी वाटूमल आडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020 में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की

15वीं वार्षिक साधारण बैठक या उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन

के लिए अपना प्रोक्सी नियुक्त करता/करते हूँ/हैं.

_____ 2017 के _____ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया
रसीदी
टिकट
लगाए

प्रोक्सी के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रोक्सी फॉर्म हस्ताक्षर करने तथा दर्ज करने के लिए निर्देश

- कोई भी प्रोक्सी लिखत वैध नहीं होगा जब तक
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
 - संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
 - एक निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
- प्रोक्सी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पर्याप्त होगा जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, बशर्ते उनके अंगूठे के निशान इसके साथ संलग्न है तथा इसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- निम्न के साथ प्रोक्सी
 - मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार(यदि कोई) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति निवेशक सेवाएँ प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक कार्यकाल समाप्ति तक या उससे पहले अर्थात शनिवार, 17 जून, 2017 को सायं 5.00 बजे जमा कर दिया जाना चाहिए.
- जब तक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी प्रोक्सी लिखत वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया प्रोक्सी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए प्रोक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
- शेयरधारक ने जिस वार्षिक साधारण बैठक से संबंधित प्रोक्सी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए अधिकृत नहीं है.
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)
DP ID & Client ID (If dematerialised)

I/We _____ resident(s)
 of _____ in the district of _____
 in the state of _____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint
 Shri/Smt. _____ resident of _____
 in the district of _____ in the state of _____ or failing him / her,
 Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the
 district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote
 for me / us and on my / our behalf at the **15th Annual General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India to be held on
Friday, 23rd June, 2017 at 11:30 A.M. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2017.

Please
Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than **FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Saturday, 17th June, 2017.**
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.



हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टों तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

वे अपनी सहमति इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें:

मैसर्स डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &
OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to :
Register an email ID in their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar at their address given hereunder:

M/s Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No. B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No. : 022-66712151-60
E-mail ID: ubiinvestors@dfssl.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

Date:

मैसर्स डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

प्रिय महोदय,

मैं/हम _____ यूनिन बैंक ऑफ इंडिया कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के एक प्रयास के रूप में यूनिन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर _____
ई-मेल आईडी _____@_____
मैं / हम इस आशय से वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरे / हमारे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनिन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई-मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनिन बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे.

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

M/s Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Cross lane, MIDC, Marol
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No: 022-66712151-60
Fax No.:022-28213404
E-mail ID: ubiinvestors@dfssl.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Union Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number: _____
Email ID _____@_____
I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder

टिप्पणियां/NOTES

[illegible]



#startupindia

हिंदुस्तान में कोई ऐसा जिला न हो,
ऐसा ब्लॉक न हो जहाँ कोई स्टार्टअप न शुरू हो।
"Start-up India"

The first to start



Union
StartUp

Union Bank pioneers yet another first...Union StartUp

A loan product to support and promote Start-up India

- Working Capital & Term Loan Finance up to ₹5 crore
- Low Interest Rate
- No Processing Charges
- Repayment Period for Term Loan up to 120 months

C'mon India, buck up and start-up, we are here for backup!

Proud to be associated with



यूनियन बैंक
ऑफ़ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India

Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य

Member of Banking Codes & Standards Board of India



Helpline Nos.: 1800 22 2244 / 1800 208 2244 (Toll free no.) | 080 2530 0175 (Chargeable) | +91 080 2530 2510 (for NRIs) www.unionbankofindia.co.in

Connect with us: [f @UnionBankOfficial](https://www.facebook.com/UnionBankOfficial) [t @UnionBankTweets](https://twitter.com/UnionBankTweets) [i @UnionBankInsta](https://www.instagram.com/UnionBankInsta) [y @UnionBankofIndiaUtube](https://www.youtube.com/UnionBankofIndiaUtube)

Helpline Nos.: 1800 22 2244 (Toll free no.) | 080 2530 0175 (Chargeable)
080 2530 2510 (For NRIs) | www.unionbankofindia.co.in

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India
Good people to bank with